केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड
THE CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION

उन्चासवीं बैठक 15 अक्टूबर, 1993, नई दिल्ली
Forty Ninth Meeting 15 October, 1993, New Delhi

NIEPA DC
D09079

कार्यवाहियां
PROCEEDINGS

353.8225
IND-CR

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9079
Date .... 11-04-96.

विषय-वस्तु

पृष्ठ

15 अक्तूबर 1993 को आयोजित केब की बैठक के कार्यवृत्त

अनुबन्ध :

I. सहभागियों की सूची 9

II. बैठक की कार्यसूची 14

III. परिचालित दस्तावेजों की सूची 15

IV. केब के सदस्य प्रो० डी० एस० कोठारी के देहावसान पर शोक संकल्प 16

V. केन्द्रीय शिक्षा सचिव, श्री एस० वी० गिरि का भाषण 17

VI. मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह का लिखित भाषण 19

VII. राज्यों/संघशासित प्रदेशों के शिक्षा, मंत्रियों सलाहकारों आदि केब लिखित वक्तव्य . . . 21

संसद् सौध, नई दिल्ली के मुख्य समिति कक्ष में 15 अक्तूबर, 1993 को हुई केब की 49वीं बैठक के कार्यवृत

केन्द्रीय शिक्षा सहलाहकार बोर्ड (केब) की 49 वीं बैठक मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में 15 अक्तूबर 1993 को संसद् सौध, नई दिल्ली के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित हुई थी। बैठक में शामिल सहभागियों की सूची अनुबन्ध–I में दी गई है।

बैठक का कार्यक्रम अनुबन्ध–II में है। बैठक में परिचालित दस्तावेजों की सूची अनुबन्ध–III में है।

बैठक की कार्यवाही शुरू होने के पहले सहभागियों ने महाराष्ट्र में आए हाल के भूकम्प में हजारों लोगों की हुई मौत के शोक में दो मिनट का मौन रखा। बैठक में बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर डी० एस० कोठारी की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव की प्रति अनुबन्ध–IV में दी गई है।

केन्द्रीय शिक्षा सचिव और केब के सदस्य–सचिव श्री एस० वी० गिरी ने बोर्ड के सदस्यों और अतिथियों का बैठक में स्वागत किया। उन्होंने यह उलेल्ख किया कि स्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य कार्रवाई योजनाओं को तैयार करना कार्रवाई योजना 1992 में किया गया मुख्य परिवर्तन था। राज्य कार्रवाई योजना को तैयार करने के कार्य को सुकर बनाने के लिए पांच क्षेत्रीय बैठकें और कार्यशाला राज्य/संघ शासित प्रदेश के सचिवों और शिक्षा निदेशकों की आयोजित की गई थी। इन कार्यशालाओं में राज्य कार्रवाई योजना तैयार करने के संबंध में अनेक सुझाव दिए गए। श्री गिरी ने 5–6 अक्तूबर, 1993 को आयोजित राज्य/संघ शासित प्रदेश सचिवों और शिक्षा निदेशकों की बैठक का भी उल्लेख किया जिसमें इस बात पर सहमति हो चुकी थी कि राज्य कार्रवाई योजनाएं दिसम्बर, 1993 की समाप्ति से पहले तैयार की जाएंगी। श्री गिरी ने स्कूल पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति को सांविधिक शक्तियों वाले राष्ट्रीय आयोग का दर्जा प्रदान करने के संबंध में विभिन्न केब समितियों की रिपोटों और चर्चा के कागजात जैसे अन्य कार्यसूची मदों का भी उल्लेख किया। उन्होंने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, संपूर्ण साक्षरता अभियान और गैर औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम की ओर भाग लेने वालों का ध्यान आकर्षित किया। श्री गिरी के भाषण का सार अनुबंध– में दिया गया है।

श्री अर्जुन सिंह, अध्यक्ष केब ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में केब समिति की रिपोर्ट लीक से हटकर थी। उन्होंने कहा कि 73वां और 74 वां संवैधानिक संशोधन में शिक्षा के प्रबन्ध पर अत्यधिक भार था और विकेन्द्रीकरण की कार्रवाई को सभी राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त था, उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में शक्तियां जनता के पास निम्न स्तर से होनी चाहिएं। जबकि रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की गई हैं, यह राज्य सरकारों को विकेन्द्रीयकृत प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए थीं। उन्होंने दिल्ली में 15–16 अक्टूबर, 1993 को आयोजित की जाने वाली नौ अत्यधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों की आगामी सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन शिखर का भी उल्लेख किया। श्री अर्जुन सिंह ने शैक्षिक पाठ्यचर्या में खेल–कूद कार्यकलापों को समुचित ढंग से समेकित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खेल–कूदों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भारत के लिए यह आवश्यक था। जब तक रिपोर्ट की प्रतियां सभी को नहीं भेज दी जाती हैं, तब तक बैठक में खेल-कूद तथा शारीरिक शिक्षा के संबंध में केब समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करना संभव नहीं होगा। श्री अर्जुन सिंह द्वारा जोर दी गई दूसरी बात यह थी कि स्कूली बच्चों पर भार को कम करने की जरूरत है। मंत्रालय से इस भार को कम करने के तरीके सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। उन्होंने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे समिति की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार करें और अगले शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ में कम से कम कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करें। राज्यों और संघशासित प्रशासनों के साथ एक बैठक सभी सिफारिशों पर विचार करने के बाद आयोजित की जा सकी। अध्यक्ष ने संचालन समिति को स्कूल पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए सांविधिक राष्ट्रीय आयोग का दर्जा प्रदान करने संबंधी चर्चा के कागजात का भी उल्लेख किया और साम्प्रदायिक तथा कट्टरता के प्रचार से पाठ्यपुस्तकों को मुक्त रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अध्यक्ष का लिखित भाषण अनुबंध–VI में दिया गया है।

अध्यक्ष के उद्घाटन भाषण के बाद पिछली बैठक के कार्यवृत्तों पर विचार–विमर्श किया गया था। अध्यक्ष ने सदस्यों से अनुरोध किया कि यदि वे कार्यवृति पर कोई टिप्पणियां करना चाहते हैं तो वही टिप्पणियां बाद में लिखित रूप में भेजी जा सकती हैं। इस कार्यवृत्त के आधार पर पुष्टि की गई।

इसके साथ–साथ शेष मदों पर विचार करने का निर्णय किया गया था। तत्कालीन अध्यक्ष ने वीरप्पा मोइली कर्नाटक के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध शिक्षा पर केब समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा विधान सभाओं, जिनके वे अध्यक्ष हैं, में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व दें।

श्री मोइली ने दोनों समितियों के सदस्यों को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने में अपनी सहायता तथा सहयोग प्रदान किया। उन्होंने शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध के संबंध में केब समिति की रिपोर्ट पर भूमि स्वरूप यह बात कहते हुए

अपनी टिप्पणियां कीं कि अधिकांश राज्यों में पहले से ही खुद की अपनी पंचायत प्रणाली है और अनेक राज्यों में शिक्षा में भी पंचायत स्तरीय ढांचा है। अतः समिति द्वारा अनुसंसित ढांचे शुरू करना एक सरल कार्य नहीं है। तथापि वे चरणबद्ध ढंग से शुरू किए जा सकते हैं उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण रिपोर्ट के मूल में होने की बुनियादी अवधारणा यह थी कि ग्रामीण/निचले स्तर पर लोगों की शक्तियों का उपयोग करना चाहिए ताकि वे शिक्षा में अपनी भागीदारी महसूस करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है कि विकेन्द्रीकृत ढांचा न केवल शिक्षा में आवश्यक है बल्कि स्वास्थ्य आदि जैसे अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी और अन्य मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के कार्य करना अपेक्षित है। केवल तब ही विकेन्द्रीयकरण पूरा होगा।

विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए श्री मोइली ने कहा कि विधान परिषदों की अवधारणा केवल प्रायोगिक आधार पर की गई है। यदि विधान परिषदों में एक वर्ग के रूप में प्राथमिक शिक्षकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा तो इंजीनियर, डाक्टर जैसे अन्य व्यावसायिकों द्वारा भी ऐसी ही मांगें उठेंगी। इसके अलावा, केवल चार राज्यों में ही विधान परिषदें अस्तित्व में हैं तथा 80% शिक्षकों, जो सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं, को किसी भी स्थिति में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इन सब बातों पर विचार करते हुए समिति का यह अभिमत है कि केवल प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को विशेष दर्जा प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए समिति विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व को जारी रखने की सिफारिश नहीं करती है। इसके पश्चात् उन्होंने बैठक में दोनों ही रिपोर्टों पर विचार किए जाने की सिफारिश की।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राज्य मंत्री श्री पी० आर० कुमारमंगलम ने में स्कूली छात्रों व वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया। कार्यकलाप आधारित विज्ञान शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उपग्रह के माध्यम से 'पिछले से बात करिए' (टाक बैक) की सुविधा का उपयोग करके अध्ययन-अध्यापन में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया का वृहद मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए जिसका प्रयोग करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पहले ही निर्णय ले चुका है। उन्होंने विज्ञान की ज्यादा लोकप्रिय पुस्तकों को प्रकाशित करने की भी वकालत की। उन्होंने विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी। उनके अनुसार विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योगों के बीच संबंध को बढ़ावा देना आवश्यक है तथा यह संबंध स्कूलों के साथ भी स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के "विज्ञान करके सीखो" नामक योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दीवार वाले प्रयोगशालाओं के स्थान पर बिना दीवार के पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं तैयार की जानी चाहिएं। उन्होंने कहा कि यदि इस संकलपना को शैक्षिक कार्यक्रम में अपना लिया गया तो इससे स्कूली बैग के बोझ की समस्या कम हो जाएगी। उन्होंने विकेंद्रीकरण के महत्व पर बल दिया शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन और ज्ञानम समिति पर केब समितियों की रिपोर्टों का समर्थन किया।

आन्ध्र प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री श्री पी० बी० रंगाराव ने कहा कि आमतौर पर वे रिपोर्ट से सहमत हैं। तथापि उनकी यह राय है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण, पाठ्यपुस्तकों की तैयारी, शिक्षकों की नियुक्ति तथा शिक्षकों की सेवा शर्तें जैसे विषय राज्य सरकार के अधीन होने चाहिएं। विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर केब समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विधान परिषदों में शिक्षकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना हर हालत में पक्षपातपूर्ण कार्य होगा। उन्होंने यह राय व्यक्त की कि प्राथमिक स्तर पर अध्ययन प्रक्रिया आनन्ददायक होनी चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक विज्ञान संग्रहालय स्थापित किया जाना चाहिए इस प्रयोजनार्थ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की योजना के तहत 35 करोड़ रु० का प्रावधान पर्याप्त नहीं है। उनका यह भी अभिमत था कि बुनियादी मानवीय मूल्यों को पोषित करना शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। वे शिक्षा की विषयवस्तु में खेलकूद और संस्कृति को शामिल करने के पक्ष में थे। स्कूली पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन समिति के स्तर पर चर्चा कागजात का उल्लेख करते हुए उन्होंने राय व्यक्त की कि प्रस्तावित राष्ट्रीय आयोग के कार्यों को निष्पादित करने के लिए केब की स्थाई समिति पर्याप्त होनी चाहिए।

पश्चिमबंगाल के शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना करके ही सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस अधिकार को फलीभूत करने के लिए सभी सामाजार्थिक उपाय किए जाने चाहिए। शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन पर केब समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि विकेंद्रीकरण वांछनीय लक्ष्य है लेकिन भूमि सुधारों को लागू किए बगैर पंचायती राज व्यवस्था सही ढंग से काम नहीं कर सकतीं। उन्होंने राज्यों के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर भी ध्यान आकृष्ट किया। जहां तक विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, उनकी राय में भारत जैसे गरीब देश के लिए विधान परिषद् अनावश्यक वस्तु है।

केरल के शिक्षा मंत्री श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर ने कहा कि राज्य कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए केरल द्वारा कदम उठाए गए हैं। शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन पर केब समिति की रिपोर्ट का उन्होंने समर्थन किया। शैक्षिक बोझ के विषय के संबंध में जिला स्तर पर संस्थाओं के प्रमुखों को स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश से वे सहमत नहीं थे। उन्होंने देश में विद्यामान पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की यह कहते हुए आलोचना की कि यह बच्चों के चरित्र को नष्ट कर रही है। वेज्ञामम समिति की रिपोर्ट की उस सिफारिश के पक्ष में नहीं थे कि अब नया केन्द्रीय विश्व विद्यालय नहीं खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई ऐसे

राज्य हैं जहां न तो कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और न ही कोई केन्द्रीय उच्च अध्ययन संस्था। यद्यपि वे सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान नियम के पक्ष में थे लेकिन यह भी कहा कि इसमें पर्याप्त लोच भी होना चाहिए। उनकी यह भी राय थी कि मनोनयन द्वारा विश्वविद्यालय निकायों को भरने से संबंधित सिफारिश में और अधिक लोच होना चाहिए तथा यह कि हमें चुनाव को पूर्णतया विरोधी नहीं होना चाहिए। उनका यह भी अभिमत था कि विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों में राजनीतिज्ञों को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाया कि छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की भी व्यवस्था हो होनी चाहिए । उनकी राय में विश्वविद्यालय प्रशासन में सरकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए अन्यथा स्वायत्तता का दुरूपयोग होगा। सिफारिश 39 (क) का उल्लेख करते हुए उन्होंने राय व्यक्त की कि विश्वविद्यालय अनुदाय आयोग को संदर्भित करना व्यावहारिक कदम नहीं है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सर्वश्रेष्ठ निकाय नहीं होना चाहिए। जहां तक कुलपति नियुक्त करने के लिए चयन पैनल बनाने का संबंध है, उनका अभिमत था कि सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए । जहां तक सिंडिकेट की संरचना का संबंध है, इस संबं में निर्णय लेने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा केन्द्र द्वारा कोई कठोर निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए । अध्यक्ष ने केरल के शिक्षा मंत्री से अपनी टिप्पणी लिखित रूप में देने के लिए अनुरोध किया ।

योजना आयोग में सदस्या (शिक्षा) डा० (श्रीमती) चित्रा नायक ने रोजगार सूक्ष्म आयोजना, साक्षरता और मितव्ययिता, पर राष्ट्रीय विकास परिषद की रिपोर्टों को पढ़ने के लिए राज्यों से अनुरोध किया क्योंकि इसमे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर राज्य कार्रवाई योजनाएं तैयार करने में उन्हें मदद मिलेगी । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इन रिपोर्टों का समर्थन किया जा चुका है। उन्होंने छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया । उनकी राय में देश की प्राथमिकता शिक्षा प्रणाली पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, निवेश के अनुरूप प्रतिफल नहीं है। उन्होंने न केवल शिक्षा के प्रबंध अपितु सामाजिक क्षेत्र के अन्य क्रियाकलापों में भी विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया । उनके अनुसार लोगों को अपने-अपने लिए योजना बनाने का अधिकार देना, विकेन्द्रीय करण की तरह ही महत्वपूर्ण है । उन्होंने यह भी महसूस किया कि चूंकि औपचारिक शिक्षा प्रणाली ने केवल असमानताओं को बढ़ावा दिया है अतः मुक्त शिक्षा प्रणाली पर और अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है ।

शिक्षा मंत्री, हरियाणा ने बैठक को सूचित किया कि राज्य की कार्रवाई योजना तैयार की जा रही है और उसका प्रारूप इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जाएगा । उन्होंने बालिकाओं में शिक्षा के विकास के लिए हरियाणा द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का भी वर्णन किया । उन्होंने महसूस किया कि स्कूली बस्तों के बोझ की समस्या मुख्यतः निजी स्कूलों की समस्या है न कि सरकारी स्कूलों की । वे कानूनी उपायो के जरिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा को नियंत्रित करने हेतु सहमत हैं क्योंकि यह मूल रूप से केवल एक शहरी तथ्य है । इस दिशा में कोई भी कदम उठाने से पहले, प्रयोग अनिवार्य है । वे पाठयपुस्तक मूल्यांकन संबंधी विषय निर्वाचन समिति के दरजे को बढ़ने संबंधी प्रस्ताव से सहमत हैं। उन्होंनों हरियाण में पूर्ण साक्षरता अभियान के बारे में भी उल्लेख किया । उन्होंने सोनेरी समिति की कुछ सिफारिशों जैसे प्रत्यायन के संचालन, वार्षिक मूल्यांकन आदि का समर्थन किया। तथापि, उन्होंने महसूस किया कि कालेजों को स्वायत्ता प्रदान करने से समस्याएं उत्पन्न होंगी।

श्री पी० सी० गदई, स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री उड़ीसा ने कहा कि राज्य की कार्रवाई योजना तैयार की जा रही है तथापि, उन्होंने कार्रवाई योजना के संचालन हेतु केन्द्र सरकार से और अधिक वित्तीय सहायता मांगी । शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध संबंधी के० शि० स० बोर्ड समिति का उल्लेख करते हुए, उन्होंने मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उनको सौंपी गई नई जिम्मेवारियों को हाथ में लेने की क्षमता के बारे में संदेह व्यक्त किया । अतः विकेन्द्रीकरण धीरे-धीरे किया जाना चाहिए, आरम्भ में, प्राथमिक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी जा सकती है । उन्होंने पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया । यशपाल समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने महसूस किया कि समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों द्वारा अनुभव की जा रही अवस्थापना संबंधी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया । उन्होंने महसूस किया कि स्कूली बोझ को कम करने हेतु पाठ्यचर्या के कमी करना एक सही कदम है ।

श्री सी० पी० माझी, मंत्री (उच्च शिक्षा), उड़ीसा ने उल्लेख किया कि उड़ीसा की उच्च शिक्षा संस्थाएं संसाधन संबंधी कठिनाईयों का सामना कर रही हैं । वित्तीय कठिनाइयों की वजह से उड़ीसा स्वायत्त कालेजों की स्थापना नहीं कर सका है । उन्होंने केन्द्रीय सरकार से और अधिक वित्तीय सहायता की मांग की । जबकि वह इस बात से सहमत थे कि विश्वविद्यालय को और अधिक स्वायत्ता मिलनी चाहिए, उन्होंने महसूस किया कि सरकार को उनके कार्यकरण पर कुछ नियंत्रण रखना चाहिए ।उन्होंनें महसूस किया कि उच्च शिक्षा संस्थाओं की जवाबदेही को सुनिश्चित करने हेतु उनकी वार्षिक रिपोर्टें राज्य के विधान मंडलों के समक्ष रखी जानी चाहिएं । शिक्षकों की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और साथ ही उनकी कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

मेघालय के शिक्षा मंत्री, डा० हेनरी लेमिन ने कहा कि मेघालय ने विकेन्द्रीकरण की दिशा में काफी प्रगति की है मेघालय में जिला परिषदों को अधिक अधिकार प्राप्त हैं । वास्तव में

शिक्षक अब राज्य सरकार के अधीन आना चाहते है क्योंकि उन्हें जिला परिषद में कटिनाई हो रही है उन्होंने यह महसूस किया कि स्कूलों की प्रबन्ध समितियां राजनीति से बहुत ही ज्यादा ओत प्रोत हो गई हैं । मेघालय में विकेन्द्रीकरण का प्रयोग सफल नहीं रहा और सरकार ने जिला परिषदों से प्राथमिक शिक्षा को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया ।

नागालैण्ड के माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री एल इमकोंग ने शिक्षा सम्बन्धी राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की । उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व में उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । उन्होंने यह महसूस किया कि ज्ञानम समिति की रिपोर्ट यदि उपयुक्त रूप से लागू की जाती है तो इससे तकनीकी शिक्षा में सुधार आएगा । उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन कम जनसंख्या होने के कारण मेघालय पर लागू नहीं होते हैं । राज्य ने आयोजना को आरंभ करने तथा विकासात्मक कार्य के निष्पादन के लिए गांव विकास बोर्डों की एक अनूठी पद्धति बनाई है । वह यशपाल समिति की रिपोर्ट से सहमत थे किन्तु उन्होंने कहा कि स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें रखने सम्बन्धी सुझाव व्यवहार्य नहीं है ।

बिहार के शिक्षा मंत्री डा० राम चन्द्र पूर्वे ने कहा कि बिहार में राज्य कार्रवाई योजना की तैयारी से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर है । उन्होंने कहा कि शिक्षा को उत्पादकता से सीधे जोड़ा जाना चाहिए इस सम्बन्ध में उन्होंने बिहार सरकार द्वारा स्थापित किए गए चरवाहा स्कूलों का हवाला दिया । उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में नामांकनों की संख्या में वृद्धि हो गई है। उन्होंने यह महसूस किया कि प्राथमिक शिक्षा में प्रथम प्राथमिकता प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को दी जानी चाहिए । प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को प्राप्त करने के बाद राज्य अब माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तथापि वित्त के अभाव की प्रमुख समस्या है और इस सम्बन्ध में वे राज्यों को अधिक केन्द्रीय सहायता चाहते थे शिक्षा के विकेन्द्रीत प्रबंध का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार इस क्षेत्र में आगे है । वह यशपाल समिति की रिपोर्ट से सहमत थे और कहा कि शिक्षा पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि इसे संस्कृति से भी जोड़ा जाना चाहिए । उन्होंने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में क्षेत्रीय संस्कृति और उन राष्ट्रीय नेताओं के जीवनवृतों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया जिन्होंने प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद अपना मार्ग प्रशस्त किया । उन्होंने यह भी महसूस किया कि समिति को 1 : 40 के शिक्षक–शिष्य अनुपात को लागू करने में तथा इसे 1:30 तक आगे कम करने हेतु राज्यों के वित्तीय अभाव को ध्यान में रखना चाहिए । वह स्कूल भवनों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता भी चाहते थे । स्कूली पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन सम्बन्धी संविधिक आयोग को गठित करने के प्रस्ताव पर उन्होंने यह महसूस किया कि मामले की गहन रूप से जांच किए जाने की आवश्यकता है और उनका यह विचार था कि राज्य सरकार को अपना दृष्टिकोण तैयार करने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए । ज्ञानम समिति की रिपोर्ट पर उन्होंने लिखित रूप में अपनी आपत्तियां भेजने की पेशकश की । शिक्षा संस्थाओं के कार्यकारिणी निकायों से राजनितिज्ञों को अलग रखने की सिफारिश का विशेष रूप से हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वहां राजनीतिज्ञों की सहभागिता होनी चाहिए अन्यथा शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे ।

गोवा के शिक्षा मंत्री श्री वी० पी० उमगांवकर ने कहा कि राज्य की कार्रवाई योजना दिसम्बर के अन्त तक तैयार हो जायेगी उन्होंने यह भी कहा कि गोवा में जैसे ही जिला परिषदों का गठन हो जाता है शिक्षा का विकेन्द्रीकरण लागू हो जाएगा । स्कूल का बोझ कम करने सम्बन्धी सिफारिश के सम्बन्ध में उन्होंने महसूस किया कि अभिभावकों से परामर्श किया जाना चाहिए । वे स्कूली पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन समिति के चर्चा कागजात से सहमत थे । ज्ञानम समिति की सिफारिश उनकी सरकार के विचाराधीन है। विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी रिपोर्ट के संदर्भ में उन्होंने कहा कि गोवा में कोई विधान परिषद नहीं है ।

महाराष्ट्र के उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री प्रभाकर धारकर ने कहा कि कैपीटेशन फीस वाले कालेजों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने और अधिक भ्रांति उत्पन्न कर दी है । सबसे पहले इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है । उन्होंने प्रशासनिक अधिकरण की तर्ज पर शैक्षिक अधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया । उन्होंने कहा कि गुणवत्ता सम्बन्धी समझौता किए बिना विकित्सा एवं अन्य कालेजों के मानदंडों में रियायत दी जानी चाहिए उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा का व्यावसायीकरण टर्मिनल शिक्षा के रूप में अपने उद्देश्य में असफल रहा है । वह कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की समय अवधि और विषय वस्तु को पुनः जांच करना चाहते हैं ।

महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री सलीम जाकरिया ने कहा कि शिक्षा चहुँमुखी विकास के लिए होनी चाहिए और इसे छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ कराने हेतु अनेक कदम उठाए हैं लेकिन निधियों का अभाव की वजह से मुख्य बाधा आई है वे अधिक केन्द्रीय सहायता चाहते हैं उन्होंने, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ प्रोत्साहनों का भी उल्लेख किया । उन्होंने महसूस किया कि वर्तमान शिक्षा पद्धति, शहरी छात्रों को ध्यान में रख कर तैयार की गई है । शिक्षा पद्धति को उन छात्रों की भी आवश्यकताओं को पूरा

करना चाहिए जिनकी शिक्षा स्कूल स्तर पर ही समाप्त हो जाती है। उन्होंने, शिक्षा के प्रचार के लिए दूरदर्शन के व्यापक उपयोग का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन में एक पृथक शैक्षिक चैनल शुरू किया जाना चाहिए वे खेलों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के पक्ष में हैं।

डा० सुधीर राव, संसद सदस्य ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यालय होने चाहिएं। राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा महसूस किए जा रहे गंभीर वित्तीय अभावों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों के लिए केन्द्रीय सहायता के और अधिक आबंटन का सुझाव दिया। वे, छात्रों, शिक्षकों गैर-शिक्षण स्टाफ इत्यादि के प्रतिनिधियों सहित विश्वविद्यालयों और कालेजों के कार्यकारी निकाय के चुनाव के पक्ष में हैं वे किसी सामान्य विश्वविद्यालय अधिनियम के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने महसूस किया कि सीनेट को नीति बनाने सम्बन्धी निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि ज्ञानम समिति ने पदों को भरने सम्बन्धी उपायों का सुझाव दिए बिना अत्यधिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने की सिफारिश की है। वह स्वायत्त कालेज स्थापित करने तथा किसी संस्थान को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के खिलाफ हैं। उन्होंने शिक्षकों के स्वतः मूल्यांकन के विचार का समर्थन किया।

शिक्षा मंत्री पंजाब ने राज्य में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा का विकेन्द्रीकृत प्रबंध समय की आवश्यकता है।

स्कूल बस्ते का भार कम करने के लिए उन्होंने शिक्षाकों की सहभागिता का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पाठ्य-पुस्तकें तत्काल आधार पर बारी-बारी से उपलब्ध करायी जानी चाहिए तथा प्राथमिक स्तर पर कोई गृह कार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा ऐसे किसी भी निजी स्कूल को मान्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिए जिसकी पाठ्यचर्याएं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार नहीं हैं राज्य कार्रवाई योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में राज्य कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए कार्य दलों के गठन पर विचार किया जा रहा है। वह, सोनेरी समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं थे। तथापि, उन्होंने विश्वविद्यालयों में कुलाध्यक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत को महसूस किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ग्रामीण शिक्षा के वास्ते वि० अ० आयोग कालेजों को उनकी आवश्यकता के आधार पर निधियां उपलब्ध कराएं। वह इन सिफारिशों से सहमत थे कि विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व की अलग से कोई जरूरत नहीं है।

उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यपाल के सलाहकार श्री आर० डी० सोनकर ने कहा कि टी० एल० सी० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 18 जिलों को सम्मिलित किया गया और शेष जिलों को वर्ष 2000 तक चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। वह यशपाल समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों से सहमत थे परन्तु उन्होंने महसूस किया कि अभिभावकों को भी सिफारिशों पर अपने विचार प्रकट कर के अवसर प्रदान किये जाने चाहिएं। जहां शिक्षा के प्रबंध के विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने पहल की है। स्कूली पाठ्य पुस्तकों पर सांविधिक आयोग के प्रस्ताव के सम्बन्ध में वह चाहते थे कि राज्य सरकारों को उन्हें अन्तिम रूप देने में और समय दिया जाना चाहिएं। उन्होंने सुझाव दिया कि ओपन स्कूल प्राधिकारियों के साथ परामर्श कटक के व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उद्योग तथा शैक्षिक संस्थाओं के बीच घनिष्ठ तालमेल हो। उन्होंने यह भी कहा कि हर एक विश्वविद्यालय की प्रगति की प्रत्येक पांच वर्ष में समीक्षा की जाए।

श्री अनिल सरकार, शिक्षा मंत्री, त्रिपुरा ने कहा कि सभी के लिए शिक्षा का अर्थ है कि उन्हें शिक्षित किया जाए जो विगत में इससे वंचित रहे। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष हो तथा सभी साम्प्रदायिक पक्षपातों से मुक्त हो। उन्होंने यशपाल समिति की सिफारिश का समर्थन किया।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार श्री एम० नटराजन ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए पहले की कार्यदल गठित कर लिए हैं तथा प्रारूप कार्रवाई योजना दिसम्बर के अन्त तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने आमतौर पर शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध पर के० शि० स० बोर्ड की समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। तथापि उन्होंने बताया कि शिक्षा के प्रबन्ध के लिए पंचायती राज संस्थाओं में क्षमताओं का विकास आवश्यक है। उनके विचार में शैक्षिक पद्धति के लिए अपेक्षित प्रशासनिक सहायता का सृजन करने के लिए भारतीय शिक्षा सेवा का गठन एक अच्छा विचार होगा। उन्होंने यशपाल समिति का समर्थन किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अपर प्राथमिक तथा उच्चतर स्तरों पर भी अध्ययन के न्यूनतम स्तरों का निर्धारण किया जाना चाहिए। उनके विचार से शिक्षण कार्योन्मुख होना चाहिए। उन्होंने पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए एक संविधान राष्ट्रीय आयोग के गठन के प्रस्ताव का समर्थन किया। ज्ञानम समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे विकेन्द्रीकरण बेहतर प्रबंध के अनकूल होगा। हालांकि उन्होंने यह महसूस किया कि समिति ने निजी महाविद्यालयों की आवश्यकताओं पर तो विचार किया किन्तु जहां तक सरकारी महाविद्यालयों का सम्बन्ध है, इन पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

श्री वी० बी० एल० माथुर, राजस्थान के राज्यपाल के सलाहकार ने उल्लेख किया कि राजस्थान की महिला साक्षरता दर देश में न्यूनतम है । अतः राजस्थान के शिक्षा कार्यक्रमों में महिला साक्षरता पर जोर दिया गया । उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राजस्थान पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला राज्य हो जाएगा । हालांकि और अधिक शिक्षकों और धन की आवश्यकता होगी । शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। हालांकि इस प्रयोग का राज्य को अच्छा अनुभव नहीं रहा। उन्होंने महसूस किया कि पंचायती राज प्रणाली में कार्य करने के लिए शिक्षा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है । स्कूली पाठ्यपुस्तक के मूल्यांकन के लिए विषय निर्वाचन समिति की स्थिति पर चर्चा पत्र पर अपने विचार कायम करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार के लिए कुछ और समय की मांग की ।

श्री पी० पी० श्रीवास्तव हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार ने बैठक को सूचना दी कि कार्रवाई योजना पर हिमाचल प्रदेश का प्रारूप लगभग तैयार है । हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य दिसम्बर 1994 के अंत तक राज्य को पूर्णतः साक्षर बनाना था । हालांकि, उन्होंने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का विद्यार्थियों के दाखिले पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप विद्यालयों और आधारिक ढांचों की मांग बढ़ेगी। खेल और व्यायाम शिक्षा पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पहले से "ब्लू प्रिंट" तैयार कर रखा है। सरकार प्राथमिक पंचायत को सौंपे जाने के लिए योजना तैयार कर रही है। हलांकि वे इस समस्या का सामना कर रहे हैं कि उन शिक्षकों पर शैक्षिक और अनुशासात्मक नियंत्रण किसका होगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं । उन्होंने यह उल्लेख भी किया कि पंचायतों के पास पर्याप्त निधियाँ नहीं हैं अतः उनके लिए और साधनों का विकास करने की आवश्यकता है । उन्होंने शिक्षा के माध्यम से सार्वभौमिक मूल्यों को जागृत करने की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने कहा कि कोई भी नवीन प्रणाली सार्थक नहीं होगी जब तक कि स्कूली शिक्षकों में आधार-भूत मूल्यों को जागृत न किया जाए और शिक्षण व्यवसाय की गरिमा को बनाए न रखा जाए।

शिक्षा मंत्री, कर्नाटक ने महाविद्यालयों में प्रतिव्यक्ति शुल्क पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया और कहा कि इससे राज्य में अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ए० आई० सी० टी० ई० के माध्यम से और शक्तियों को केन्द्रीकृत किया जा रहा है। उन्होंने तकनीकी शिक्षा के नियम निर्धारित करने की राज्य की शक्ति को न छीने जाने की पैरवी की । उन्होंने यह इच्छा भी ज़ाहिर की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य विश्वविद्यालयों को और निधियां प्रदान करें। उन्होंने प्रायोगिक (एप्लाइड) विज्ञान और इंजीनियरी में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए और केन्द्रीय सहायता की पैरवी भी की ।

श्रीमती सी० नागम्मा केशवमूर्ति, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री, कर्नाटक इस बात से सहमत थीं कि स्कूली शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक स्कूली शिक्षा आनन्ददायक अनुभव होना चाहिए। उन्होंने संक्षेप में राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किए गए अक्षय कार्यक्रम के विवरण का भी उल्लेख किया । उन्होंने कहा कि कर्नाटक में शिक्षा को विकेन्द्रीकृत किया जा चुका है और स्कूली शिक्षा जिला परिषदों और ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपी गई हैं । जिला स्तर की योजनाएं तैयार की जा रही हैं । यशपाल समिति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जबकि सिफारिश में पर्याप्त खूबियां हैं फिर भी हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक से अधिक उपाय मौजूद हैं और पूरे देश के लिए एक ही प्रणाली नहीं निर्धारित की जानी चाहिए । हालांकि, कि हमें बच्चों पर से शिक्षा का भार कम करने की ओर कदम बढ़ाने चाहिएं। पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन पर सांविधिक राष्ट्रीय आयोग के लिए प्रस्ताव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का और स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है । वे चाहती थीं कि सांविधिक मूल्यांकन समिति लिंग भेद पर विचार करे । उन्होंने इस विचार पर अपना मत जाहिर किया कि पाठ्य पुस्तकों को राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए ।

शिक्षा मंत्री, हरियाणा ने राज्य में उन व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा और सहायता का अनुरोध किया जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं । व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को जिस एक समस्या का सामना करना पड रहा है, वह है शिक्षुता प्रशिक्षण की समस्या । उन्होंने केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान को क्रियाशील करने की मांग भी की ।

श्री एस० एस० चक्रवर्ती, मंत्री (उच्च शिक्षा), प० बंगाल ने सचेत किया कि विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए । वे विश्वविद्याला के कार्यकारी निकायों में चुनाव न होने के प्रस्ताव और राजनीतिकों को दूर रखने से सम्बन्धित सिफारिश के विरुद्ध थे । उन्होंने कहा कि केवल नामांकन करने का ज्ञानम समिति का प्रस्ताव सहभागिता के लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध है । वे विधायी परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधिकरण की मांग कर रहे थे । विकेन्द्रीकरण का हवाला देते हुए वे यह जानना चाहते थे कि सरकार किस प्रकार नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों का विकेन्द्रीकरण करेगी ।

उन्होंने कहा कि विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य राज्य सरकार को कमजोर करना नहीं होना चाहिए ।

प्रो० एस० के० खन्ना, अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अन्य सदस्यों द्वारा परिषद की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित मुद्दों का जवाब दिया । उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ लम्बित मामलों को निपटाने की ओर कदम उठाए जा रहे हैं और परिषद पहले ही एक कार्यक्रम घोषित कर चुकी है जिसके अनुसार सभी लम्बित मामलों से सम्बन्धित निर्णय मार्च, 1994 में ले लिए जायेंगे । प्रतिव्यक्ति शुल्क पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस निर्णय के धनात्मक पहलू की ओर देखना चाहिए और निजी भागीदारी को आमंत्रित करना चाहिए । इस सम्बन्ध में सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए जा रहे थे । उन्होंने यह भी कहा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा समिति किसी कार्यक्रम का अनुमोदन तब तक नहीं करती जब तक उसकी सिफारिश राज्य सरकार द्वारा न की गई हो ।

प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन, संसद सदस्य, लोक सभा, शिक्षा मंत्री केरल द्वारा राज्यों के लिए और वित्तीय सहायता से सम्बन्धित सुझावों से सहमत थीं ।

राज्य सभा के सदस्य श्री शंकर दयाल सिंह चाहते थे कि के० शि० स० बो० अपनी उपलब्धियों का सिंहावलोकन करें । हमें इस बात को पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या हमारी शैक्षिक प्रणाली सही चरित्र वाले इंसान बनाने में सक्षम रही है । उन्होंने कहा कि इस प्रणाली द्वारा छात्रों में नैतिकता और सदाचार की भावना जागृत की जानी चाहिए । उन्होंने महसूस किया कि पाठ्यचर्या का विकास करने और पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का दायित्व केन्द्र सरकार का होना चाहिए । बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए । राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा और अधिक अनुदान दिए जाने चाहिए । उन्होंने महसूस किया कि प्राथमिक शिक्षा हेतु निधियां सृजित करने के लिए शैक्षिक उपकर लगाने का विचार अच्छा है । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि देश के सभी राज्यों के प्रत्येक ब्लाक में माडल स्कूल होने चाहिए और प्रत्येक प्रान्त में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए । वे अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में नहीं थे । उन्होंने उल्लेख किया कि हमें नवीन परिवर्तनों और प्रयोगों के लिए तैयार रहना चाहिए और असफलताओं से डरना नहीं चाहिए ।

पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ के प्रशासक श्री सुरेन्द्र नाथ ने इस बात के लिए सावधान किया कि पंचायती राज संस्थानों को पर्याप्त रूप से तैयार किए बिना पंचायती राज्य को शिक्षा का नियंत्रण नहीं सौंपा जाना चाहिए चूंकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा उन्होंने शिक्षा की कोटि में सुधार करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करने के महत्व पर भी बल दिया ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो० जी० राम रेड्डी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए कुछ सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की । उन्होंने कहा कि स्वायत्त कालेजों के मुद्दे पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है और इसे कार्रवाई योजना में भी शामिल किया गया है और हमें इन मुद्दों को पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि यद्यपि कार्रवाई योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में ही राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदें स्थापित करने का प्रावधान था किन्तु फिर भी केवल तीन राज्यों में ही ये परिषदें स्थापित की गई हैं । उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर–विश्वविद्यालय सहयोग में सुधार करने के लिए भी कदम उठाए हैं । जहां तक विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संबंध है, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त की है और समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और अब व्यावसायिक पाठ्यक्रम 30 विश्वविद्यालयों और 70 कालेजों में आरंभ किए जायेंगे । उन्होंने यह भी महसूस किया कि प्रत्येक राज्य में एक मुक्त विश्वविद्यालय होना चाहिए । शिक्षा के लिए और अधिक मीडिया सुविधाएं प्रदान करने संबंधी सुझाव के प्रत्युत्तर में उन्होंने महसूस किया कि शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए दूरदर्शन में एक विशेष चैनल होना चाहिए । जहां तक ज्ञानम समिति की सिफारिशों का संबंध है, उन्हें के०शि०स० बो० समिति द्वारा संयत किया गया था और अभी भी और संशोधनों पर विचार किया जा सकता है । उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों का विकेन्द्रीकरण करने के लिए इसके द्वारा क्षेत्रीय समितियां स्थापित की गई हैं । और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की मांग के संबंध में उन्होंने सदस्यों का ध्यान कार्रवाई योजना के इस प्रावधान की ओर आकर्षित किया कि इस समय आवश्यकता इस बात की है कि नए संस्थान स्थापित करने की अपेक्षा मौजूदा संस्थानों का समेकित किया जाए । नागालैण्ड विश्वविद्यालय के संबंध में उन्होंने आशा प्रकट की कि अधिसूचना शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी ।

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों, सलाहकारों इत्यादि के लिखित विवरण अनुबंध–VII में दिए गए हैं ।

मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने सदस्यों द्वारा किए गए सुझावों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की

मुक्त विश्वविद्यालयों, राज्य उच्च शिक्षा परिषदों आदि के स्थापित किए जाने को वित्त पोषित करने के बारे में पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में उन्होंने कहा कि केन्द्र तथा राज्यों दोनों को ही अपेक्षित आवश्यक संसाधनों का पता लगाना होगा । उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत प्रबंधन ढांचा शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित किया । उन्होंने राज्यों से यह भी अनुरोध किया कि वे अपने–2 राज्य की कार्रवाई योजनायें शीघ्रता से तैयार करें । यशपाल समिति की रिपोर्ट के संदर्भ उन्होंने कहा कि शैक्षिक बोझ का मामला बहुत अधिक महत्व–

पूर्ण है तथा इस पर व्यापक स्तर पर परिचर्चा की जरूरत है। इसी तरह, ज्ञानम समिति की सिफारिशों में अनेक पहलू ऐसे हैं जिन पर और अधिक परिचर्चा की मांग की गई है। तथापि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय प्रशासन को और अधिक व्यावसायिक तथा उत्तरदायी बनाने के विचार से इसका पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। इसके लिए तरीकों का पता लगाया जाना है। स्कूली पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति के स्तर को एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग के स्तर तक ऊंचा उठाने के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस संबंध में आगे की कार्रवाई आरंभ करेगा।

बैठक ने निम्नलिखित निर्णय लिए :—

1. के० शि० स० बो० ने विभिन्न राज्यों की कार्रवाई योजना तैयार करने में हुई प्रगति की नोट किया और संकल्प किया कि सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अधिकतम 31 दिसम्बर, 1993 तक व्यापक कार्रवाई योजना तैयार कर लें। इस की रूपरेखा पर और उनके परिस्थितिजन्य अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी चरण और पहलू शामिल किए जाने चाहिए। राज्य की कार्रवाई योजना तैयार करने की प्रक्रिया पूर्णतः सहभाव्यात्मक होनी चाहिए। कार्रवाई योजना में पर्याप्त शिक्षा शास्त्रीय, शैक्षिक और प्रबंधकीय निवेश होने चाहिए।

2. के० शि० स० बो० ने संकल्प किया कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसरण में संघ राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा शिक्षा के सम-विकेन्द्रीकरण प्रबंध संरचना शुरू करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए तथा कदम उठाए जाने चाहिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर बनाया जा सके। विकेन्द्रीकरण शिक्षा प्रबंध पर के० शि० स० बो० की रिपोर्ट का समन किया गया और इसकी सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा, उनकी विशेष स्थितियों तथा संवैधानिक संशोधनों की भावना को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से अपनाने के लिए सिफारिश की गई।

3. के० शि० स० बोर्ड ने यशपाल समिति की रिपोर्ट तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय दल, जिसने इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया था, की सिफारिशों पर विचार किया। के० शि० स० बोर्ड ने निर्णय लिया कि शैक्षिक विशेषज्ञों, शिक्षकों तथा अभिभावकों के बीच संबंधित मुद्दों पर एक व्यापक वाद-विवाद आयोजित किया जाए। के० शि० स० बो० द्वारा यशपाल समिति की रिपोर्ट पर विचार करते समय इस वाद-विवाद का परिणाम ध्यान में रखा जाएगा।

4. के० शि० स० बो० ने "विधान परिषद् में शिक्षकों के अभ्यावेदन" पर के० शि० स० बो० समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और रिपोर्ट की इस सिफारिश पर सहमति व्यक्त की कि विधान परिषदों में शिक्षकों का एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, पश्चिम बंगाल में उच्चतर शिक्षा के प्रभारी मंत्री श्री एस० एस० चक्रवर्ती की इस सिफारिश के प्रति आपत्ति थी।

5. के० शि० स० बो० ने ज्ञानम समिति की रिपोर्ट पर के० शि० स० बो० समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और महसूस किया कि ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर व्यापक वाद-विवाद की आवश्यकता है। तथापि विश्वविद्यालय प्रशासन को और अधिक व्यावसायिक और प्रतिक्रियाशील बनाने के लिए तत्काल सुधार करने की आवश्यकता पर सर्वसम्मति थी। तथापि, पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंत्री श्री एस० एस० चक्रवर्ती को ज्ञानम समिति के कुछ पहलुओं, जैसे समितियों में शिक्षकों, छात्रों इत्यादि के चुनाव के स्थान पर नामांकन, पर आपत्तियां थीं।

6. के० शि० स० बो० ने स्कूल पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन पर "राष्ट्रीय विषय निर्वाचन समिति" का स्तर सांविधिक राष्ट्रीय आयोग तक बढ़ाने संबंधी चर्चा-दस्तावेज पर भी विचार किया। इसने प्रस्ताव का समर्थन किया और इच्छा व्यक्त की कि आयोग का डिजाइन और शक्तियां राज्यों की स्वायतता और संवैधानिक शक्तियों के अनुरूप होनी चाहिए।

अपनी समापन टिप्पणी में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नियमित बाधाएं मौजूद हैं। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है फिर भी अभी बहुत कुछ करना शेष है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों आदि का सहयोग आवश्यक होगा। अध्यक्ष महोदय का अभिमत था कि अगले वर्ष किसी समय केब की एक बैठक बगैर किसी सुगठित कार्यसूची तथा बगैर लिखित भाषण के आयोजित की जा सकती है जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकेगी इससे शिक्षा के लिए प्रासंगिक सामान्य अवधारणाओं पर विचारों का स्वतंत्र आदान-प्रदान सुकर होगा।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को उनके सहयोग और उनके द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि राज्य शिक्षा मंत्री दिसम्बर, 1993 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन की बैठकों में भाग ले सकें।

अनुबन्ध-I

दिनांक 15 अक्तूबर, 1993 को नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लेने वालों की सूची

अध्यक्ष

1. श्री अर्जुन सिंह
   मानव संसाधन विकास मंत्री

भारत सरकार के प्रतिनिधि

2. श्री पी० आर० कुमारमंगलम,
   विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
3. डा० (श्रीमती) चित्रा नायक,
   सदस्य (शिक्षा),
   योजना आयोग।

राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के प्रतिनिधि

4. डा० पी० वी० रंगाराव,
   स्कूल शिक्षा मंत्री,
   आन्ध्र प्रदेश।
5. श्री एम० के० बेग, तकनीकी शिक्षा मंत्री,
   आन्ध्र प्रदेश।
6. डा० रामचन्द्र पुर्वे,
   मंत्री (प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा),
   बिहार।
7. श्री वी० पी० उसगांवकर,
   शिक्षा मंत्री, गोवा।
8. श्री फूलचन्द मुलाना,
   शिक्षा मंत्री, हरियाणा।
9. प्रो० छत्तरपालसिंह,
   तकनीकी शिक्षा मंत्री, हरियाणा।
10. श्री तेजेन्द्रपाल मान,
    औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री,
    हरियाणा।
11. श्री पी० पी० श्रीवास्तव,
    राज्यपाल के सलाहकार,
    हिमाचल प्रदेश।
12. श्री एस० एम० याह्या,
    उच्चतर शिक्षा मंत्री, कर्नाटक।
13. श्री प्रभाकर राने,
    प्रौढ़ शिक्षा मंत्री,
    कर्नाटक।
14. श्रीमती सी० केशवमूर्ति
    प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा मंत्री,
    कर्नाटक।
15. श्री ई० टी० मौहम्मद बशीर,
    शिक्षा मंत्री,
    केरल।
16. श्री एम० नटराजन,
    राज्यपाल के सलाहकार,
    मध्य प्रदेश।
17. श्री प्रभाकर धारकर,
    उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री,
    महाराष्ट्र।
18. श्री सलीम जफरिया,
    स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री,
    महाराष्ट्र।
19. श्री थी० देवेन्द्र,
    शिक्षा मंत्री, मणिपुर।
20. डा०हेनरी लामिन,
    शिक्षा मंत्री, मेघालय।
21. श्री एल० इमकोंग,
    माध्यमिक शिक्षा मंत्री,
    नागालैण्ड।
22. श्री सी० पी० मांझी,
    शिक्षा मंत्री, उड़ीसा।
23. श्री प्रफुल्ल चन्द्र गधाई,
    शिक्षा मंत्री, उड़ीसा।
24. श्री एल० एस० रंधावा,
    शिक्षा मंत्री, पंजाब।
25. श्री वी० बी० एल० माथुर,
    राज्यपाल के सलाहकार,
    राजस्थान।
26. श्री सुनील सरकार,
    शिक्षा मंत्री,
    त्रिपुरा।
27. श्री आर० डी० सोलंकर,
    राज्यपाल,
    उत्तर प्रदेश।

28. श्री अनीसुर रहमान
शिक्षा मंत्री (मदरसा), पश्चिम बंगाल ।

29. श्री तपन राय,
शिक्षा मंत्री, पश्चिम बंगाल ।

30. श्री एस० एस० चक्रवर्ती,
शिक्षा मंत्री (उच्चतर शिक्षा), पश्चिम बंगाल ।

31. श्री अचिन्त राय,
शिक्षा मंत्री (प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा),
पश्चिम बंगाल ।

32. श्रीमती अंजुकर,
मंत्री (जन शिक्षा), पश्चिम बंगाल ।

33. श्री के० कन्डास्वामी,
परामर्शक (शिक्षा),
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह ।

34. श्री सुरेन्द्रनाथ,
प्रशासक, चंडीगढ़ ।

35. श्री के० एस० बैदवान,
प्रशासक, दमन तथा दीव/दादर/नगर हवेली, ।

36. श्री ए० गांधीराज,
शिक्षा मंत्री, पांडिचेरी ।

चयनित सदस्य :

37. श्री शंकर दयाल सिंह,
संसद सदस्य ,
राज्य सभा ।

38. श्रीमती मैरागाथम चन्द्रशेखर,
संसद सदस्य, लोक सभा ।

39. प्रो० (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन,
संसद सदस्य,
लोक सभा ।

40. डा० सुधीर राय
संसद सदस्य, लोक सभा ।

41. प्रो० हाकिम सैयद खलीफातुल्ला
अध्यक्ष, सी० सी० एम०, मद्रास ।

पदेन सदस्य :

42. प्रो० जी० राम रेड्डी,
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

43. श्रीमती अपरजीत कौर,
अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ।

44. श्री पी० ठाकुर,
अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ।

विभिन्न वर्गों के नामांकित सदस्य

45. डा० ज्योतिभाई देसाई,
गांधी विद्यापीठ,
गुजरात ।

46. श्री ए० ज्ञानम ।
कुलपति, पांडिचेरी विश्वविद्यालय,
पांडिचेरी ।

47. डा० सैय्यद हसन
निदेशक इन्सान स्कूल/कालेज
किशनगंज पूर्णिया (बिहार) ।

48. प्रो० इजहार हुसैन,
प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़ ।

49. प्रो० डी० पी० पटनायक,
बोगादी रोड, मैसूर ।

50. श्री बी० सी० झावेरी,
बम्बई ।

51. डा० बजेन्द्र काबरा,
निदेशक, भारतीय ग्रामीण कार्य संस्थान
औरंगाबाद, महाराष्ट्र।

52. प्रो० मृणाल गिरी,
निदेशक, उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला ।

53. प्रो० (श्रीमती) अन्नापूर्ण शुक्ला,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

54. डा० के० एल० चोपड़ा,
निदेशक , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
खडगपुर (पश्चिम बंगाल) ।

55. डा० (श्रीमती) सुमन सहाय
अध्यक्ष, टी० सी० एस०,
तिलहर, उत्तर प्रदेश ।

56. प्रो० जी० एस० रंधावा,
कुलपति, जी० एन० डी० यू०,
अमृतसर ।

सदस्य सचिव :

57. श्री एस० वी० गिरी,
शिक्षा सचिव

स्थाई आमंत्रित :

58. श्रीमति लता सिंह
सचिव, महिला तथा बाल कल्याण विभाग ।

59. डा० एस० के० महापात्र
सचिव, संस्कृति विभाग

60. डा० पी० रामाराव
सचिव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

61. श्री आर०सी० त्रिपाठी
सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग

62. श्री वाई० एन० चतुर्वेदी
अपर सचिव

63. श्री वीरप्पा मोईली
मुख्य मंत्री, कर्नाटक

64. श्री डी० स्वामीनाथन
सदस्य (उच्च शिक्षा) योजना आयोग

65. प्रो० एस०के० खन्ना
अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अन्य भाग लेने वाले मानव संसाधन विकास मंत्री

66. डा० के०जे०एस० चतरथ
संयुक्त सचिव (भाषा)

67. श्री डी० एस० मुखोपाध्याय
संयुक्त सचिव (विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा)

68. डा० आर वी० वैद्यनाथ अय्यर
संयुक्त सचिव (प्रशासन)

69. डा० जे० एस० राजपूत
संयुक्त शिक्षा सलाहकार (प्राथमिक शिक्षा)

70. प्रो० एस०डी० आवले
संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

71. श्री देव प्रसाद भट्टाचार्य
उप शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

72. श्री विजय भारत
उप शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

73. श्री एन० तिरकी
उप-शिक्षा सलाहकार (यू० टी०)

74. श्री ए० बनर्जी
उप सचिव (स्कूल)

75. श्रीमति साधना राउत
उप सचिव (ई०टी०)

76. श्री उदय कुमार वर्मा
निदेशक (उच्च शिक्षा)

77. श्री नवेद मसूद
निदेशक (ई० टी०)

78. श्री आई० वी० सुब्बाराव
निदेशक (प्रा० शि०)

79. श्री यू० के० सिन्हा
निदेशक

80. श्री एच० ओ० तिवारी
निदेशक (प्रौ० शि०)

81. श्री ए० के० बसु
निदेशक (प्रौ० शि०)

82. श्रीमति वी० लक्ष्मी रेड्डी
निदेशक (आयोजना)

अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि

83. श्री इन्द्रजीत चौधरी
अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

84. श्री अमरजीत सिंह
उप सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

85. श्री आलोक प्रेती
निदेशक
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

86. श्री जी०एस० सेठी
प्रशिक्षण निदेशक
श्रम मंत्रालय

87. श्री आर०के० नायक
अतिरिक्त सचिव
कल्याण मंत्रालय

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के प्रतिनिधि

88. डा० जे०एस० सरमा
सचिव
आंध्र प्रदेश

89. श्री के० अम्बरीश
उप सचिव
आंध्र प्रदेश

90. श्री एच०के० सिन्हा
अतिरिक्त सचिव, बिहार

91. श्रीमति कृष्णा सिंह
स्थायी आयुक्त
बिहार सरकार
नई दिल्ली

92. श्रीमति आशा शर्मा
सचिव
हरियाणा

93. श्री एम० पी० मित्तल
संयुक्त निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा एवं
औद्योगिक प्रशिक्षण, हरियाणा।

94. श्री पी० एस० नेगी
वित्तीय आयुक्त–सचिव
हिमाचल प्रदेश

95. श्री अजित कुमार
आयुक्त एवं सचिव
जम्मू व कश्मीर

96. श्री सुधाकर राव
जन शिक्षा आयुक्त
कर्नाटक

97. श्री सुधा पिल्लई
सचिव (उच्च शिक्षा)
केरल

98. श्री के० के० विजयकुमार
सचिव (सामान्य शिक्षा)
केरल

99. श्री के० एम० आचार्य
आयुक्त जन शिक्षा
मध्य प्रदेश

100. डा० ओ०एन० माथुर
अतिरिक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
मध्य प्रदेश

101. श्रीमति के० बंसल
सचिव, स्कूल शिक्षा
महाराष्ट्र

102. श्री एन० एल० लखनपाल
सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
महाराष्ट्र

103. श्री आर०जी० पाटिल
शिक्षा निदेशक
महाराष्ट्र

104. श्री रंजन चटर्जी
आयुक्त एवं सचिव (शिक्षा)
मेघालय

105. डा० एल० वी० रेड्डी
अतिरिक्त सचिव
नागालैंड

106. श्रीमति अनिता अग्निहोत्री
अतिरिक्त सचिव
उड़ीसा

107. श्री एस०एम० पटनायक
मुख्य सचिव (शिक्षा)
उड़ीसा

108. श्री बी० एन० पाढ़ी
आयुक्त एवं सचिव
स्कूल एवं जन शिक्षा
उड़ीसा

109. श्री विक्रमजीत सिंह
सचिव
स्कूल शिक्षा, पंजाब

110. श्रीमति प्रेम जिन्दल

111. श्री जी० एस० संधू
सचिव, स्कूल शिक्षा
राजस्थान

112. श्री अभिमन्यु सिंह
शिक्षा सचिव (प्राथमिक एवं माध्यमिक)
राजस्थान

113. श्रीमति जयन्ती
शिक्षा सचिव
तमिलनाडु

114. श्री अजीर विद्या
आयुक्त एवं सचिव, त्रिपुरा

115. श्री प्रो० के० एल० चक्रवर्ती
उप-कुलपति
त्रिपुरा

116. श्री पी० सी० शर्मा,
मुख्य सचिव (शिक्षा)
उत्तर प्रदेश

117. श्री एस० एन० झा
सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश

118. श्री बी० पी० खण्डेलवाल
शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश

119. श्री एल० एन० मिश्रा
अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी शिक्षा)
उत्तर प्रदेश

120. श्री आर० के० शर्मा
सचिव, तकनीकी शिक्षा
उत्तर प्रदेश

121. श्री शरदिन्दु
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
उत्तर प्रदेश

122. श्रीमति सिंधु श्री खुल्लर
आयुक्त एवं सचिव (शिक्षा)
दमन व दीव/दादरा एवं नगर हवेली

123. श्री ए० आर० तलवार
वित्त एवं शिक्षा सचिव
संघ शासित प्रदेश, चण्डीगढ़

124. श्री प्रीतपाल
समन्वयक, व्यावसायिक शिक्षा एवं
सहायक निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा
संघ शासित प्रदेश, चण्डीगढ़

125. श्री एम० के० बेजबोरोह
सचिव, दिल्ली

126. श्री बी० पी० सेल्वाराज
सचिव, पाण्डिचेरी

नीपा के प्रतिनिधि

127. श्री बलदेव महाजन
संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि

128. प्रो० ए० के० शर्मा
संयुक्त निदेशक

129. प्रो० जे० एम० दामवानी
प्रोफेसर

130. प्रो० के० वी० राव
प्रोफेसर

131. प्रो० अर्जुन देव
प्रोफेसर

132. प्रो० एस०डी० ओका
प्रोफेसर

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि

133. प्रो० ए० अहमद
उप महानिदेशक

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधि

134. श्री एच० आर० शर्मा
निदेशक

अनुबन्ध--II

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बैठक 15 अक्तूबर, 1993, संसद सौंध, नई दिल्ली

कार्यसूची

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 48वीं बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि ।
2. राज्य के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने संबंधी समीक्षा ।
3. शिक्षा के विकेन्द्रित प्रबन्ध पर आयोजित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श ।
4. पढ़ने वाले बच्चों पर शैक्षिक भार कम करने के लिए तरीके व साधन सुझाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित, राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श ।
5. स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन पर राष्ट्रीय संचालन समिति के स्तर को सांविधिक शक्तियों वाले राष्ट्रीय आयोग के रूप में उन्नत करने के लिए परिचर्चा दस्तावेज पर विचार-विमर्श करना ।
6. ज्ञानम समिति पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श ।
7. विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श ।

अनुलग्नक—III

15 अक्तुबर, 1993 को संसद भवन अनेक्सी, नई दिल्ली में संपन्न केन्द्रीय शिक्षा सहलाकार बोर्ड की 49वीं बैठक ।

परिचालित किए गए दस्तावेजों की सूची

1. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 48वीं बैठक की कार्यवाही ।
2. ज्ञानम समिति पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट
3. विधान परिषदों में शिक्षक प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट ।
4. विकेंद्रीकृत शिक्षा प्रबंध पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट ।
5. सभी के लिए शिक्षा भारतीय दृश्य (अंग्रेजी तथा हिन्दी) ।
6. बोझ रहित अध्ययन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने संबंधी उपाय सुझाने के लिए नियुक्त की गई राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट ।
7. स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने संबंधी उपाय सुझाने के लिए स्थापित की गई राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने की संभावनाओं की जांच-पड़ताल करने के लिए दल की रिपोर्ट ।
8. स्कूली पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन की राष्ट्रीय संचालन समिति का स्तर बढ़ा कर कानूनी शक्तियों से युक्त एक राष्ट्रीय आयोग गठन हेतु परिचर्चापत्र का सारांश ।
9. खेल तथा शारीरिक शिक्षा पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर 1993, को नई दिल्ली में आयोजित अपनी 49वीं बैठक में पारित किया गया डा० डी० एस० कोठारी की मृत्यु संबंधी संकल्प ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने प्रो० डी० एस० कोठारी की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया । प्रो० डी० एस० कोठारी इस बोर्ड के प्रतिष्ठित सदस्य, प्रख्यात शिक्षा शास्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने-माने वैज्ञानिक थे । प्रो० डी० एस० कोठारी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उल्लेखनीय सेवाओं के जरिए भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान किया जिसमें विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनका योगदान अविस्मर्णीय है । इन्होंने भारतीय शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा की । वे स्वयं वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा भारतीय संस्कृति की शाश्वत विविधताओं के समन्वय के अद्वितीय उदाहरण थे । प्रो० कोठारी द्वारा भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए बोर्ड प्रो० कोठारी के प्रति विशेष आदर प्रकट करता है ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 49वीं बैठक, संसद सौंध, नई दिल्ली

केन्द्रीय शिक्षा सचिव और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य सचिव श्री एस० वी० गिरि द्वारा स्वागत भाषण

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 49वीं बैठक में आप सभी लोगों का स्वागत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, जिसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं । पिछली बार हम अगस्त, 1992 में मिले थे । उस समय संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में तैयार किए गए कार्रवाई योजना के प्रारूप पर विचार किया गया तथा उसे अनुमोदित किया गया ।

2. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कार्रवाई योजना में प्रमुख अभिनव राज्य कार्रवाई योजनाओं की अवधारणा थी । हमारे महाद्वीपीय राष्ट्र की समृद्ध विविधता के कारण पूरे देश में एक ही प्रकार के मानदंडों और कार्यक्रमों को लागू करना उचित नहीं होगा । परिस्थिति-विषयक अनिवार्यताओं पर ध्यान देना होगा । राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कार्रवाई-योजना, राज्य कार्रवाई योजनाओं को तैयार करने के कार्य को सुकर बनाने के लिए दिश-निर्देश हैं ।

3. राज्य कार्रवाई योजनाओं की तैयारी में तेजी लाने के लिए हमने क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं जिनमें शैक्षिक प्रशासकों, योजना–निर्माताओं, शिक्षाविदों, संसाधन संगठनों तथा अभी हाल में शिक्षा के क्षेत्र में रुचि दर्शाने वाले बहुपक्षीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था । अब तक विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की पांच कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें से सबसे अंतिम कार्यशाला शिलांग में पिछले महीने में आयोजित की गई थी । ये चर्चाएं बहुत ही उपयोगी रहीं तथा इनमें राज्य कार्रवाई-योजनाओं की तैयारी के संबंध में अनेक उपयोगी सुझाव प्रकाश में आए । हमने एक नोट (राज्य कार्रवाई योजनाओं की तैयारी के संबंध में नोट) परिचालित किया है जिसमें इन कार्य-शालाओं में उत्पन्न कुछ प्रमुख मुद्दों का उल्लेख है । कुछ राज्यों ने तो अपनी-अपनी राज्य कार्रवाई योजनाएं तैयार कर ली हैं जबकि कुछ राज्यों में यह सिलसिला अभी जारी है । इस बात पर भी बल दिया गया कि राज्य कार्रवाई योजनाओं को तैयार करने के कार्य में भागीदारी वाले तरीके को अपनाना आवश्यक है । शिक्षा से जुड़े सभी लोगों–शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों, नीति निर्माताओं, संसाधन-संस्थानों आदि को राज्य कार्रवाई योजना को तैयार करने के कार्य के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए । इससे शिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक साधनों का राज्य कार्रवाई योजनाओं में निहित होना सुनिश्चित होगा । दूसरी बात जिस पर क्षेत्रीय कार्यशालाओं में बल दिया गया, वह यह है कि राज्य कार्रवाई योजनाओं को अविलंब तैयार किया जाए तथा योजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्र शुरू किया जाए ताकि योजना की मध्यावधि पुनरीक्षा के समय नई स्कीमों को ध्यान में रखा जा सके । अब राज्यों के सचिव इस बात से सहमत हो गए हैं कि उनकी कार्रवाई योजनाएं दिसम्बर, 1993 के समाप्त होने से पूर्व तैयार हो जाएंगी । स्कीमों को शीघ्र कार्यान्वित करने से योजनावधि के पश्चात् योजनेत्तर आवंटन के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय आवंटन प्राप्त करने में मदद भी मिलेगी ।

4. राज्य कार्यवाई योजनाओं के अलावा हमारे पास केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समितियों की कुछ रिपोर्टें हैं जिन पर विचार किया जाना है । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन और ज्ञानम समिति की रिपोर्ट से सम्बन्धित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समितियों की रिपोर्टें, स्कूली बच्चों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए उपाय सुझाने हेतु गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट तथा स्कूली पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन सम्बन्धी राष्ट्रीय संचालन समिति के स्तर को सांविधिक अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय आयोग के स्तर तक उठाने से संबंधित चर्चा-कागजात ।

5. विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट भी आपके समक्ष प्रस्तुत है । इस समिति का गठन, प्राथमिक शिक्षकों से प्राप्त हुई मांगों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षकों को चुनाव-क्षेत्रों में वोट देने के अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था ।

6. इस समय देश के अधिकांश भागों में जिस अभिनव दृष्टिकोण की आजमाइश की जा रही है, वह जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है । सभी के लिए शिक्षा नामक अनेक विशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में प्राप्त किए गए अनुभव पर तैयार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक व्यापक संकल्पना है जिसमें स्थानीय क्षेत्र आयोजना पर अधिक बल दिया गया है । यह दृष्टिकोण शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध की संकल्पना के अनुरूप है, जिसमें शैक्षिक प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है ।

7. समग्र साक्षरता अभियान, प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रमुख नीति है । अभियानों से यह सिद्ध हो गया है कि समग्र साक्षरता एक स्वप्न नहीं है बल्कि प्राप्त

किया जाने वाला लक्ष्य है । इन अभियानों से समूचे देश में, विशेष रूप से महिलाओं में, साक्षरता के प्रति उत्साह पैदा हुआ है ।

8. वर्ष 2000 तक प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए गैर औपचारिक शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता । मैं सभी सदस्यों से तथा शिक्षा राज्य मंत्रियों से, अपनी-अपनी आयोजना और गांव स्तर पर इनके क्रियान्वयन में गांव के समुदाय को शामिल करने की आवश्यकता और राज्य स्तर तथा इससे नीचे के स्तर पर एक सुनियोजित संगठनात्मक और प्रबन्ध-संरचना को अपनाए जाने की अनिवार्यता पर बल देने का अनुरोध करूंगा ताकि मानदेय को समय पर मुक्त करने, अध्यापन-अध्ययन सामग्री समय पर मुहैया करने, गैर औपचारिक शिक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण, शिक्षार्थी-उपलब्धि आदि की समस्याओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जा सके ।

9. राज्य शिक्षा सचिवों तथा निदेशकों ने पिछले सप्ताह हुई बैठक में कार्यसूची की इन सभी मदों पर गहन रूप से विचार कर लिया है । मुझे यकीन है कि राज्य सचिवों ने अपने-अपने विचार-विमर्शों के सम्बन्ध में अपने-अपने मंत्रियों को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर दिया होगा । इससे आज की चर्चा सरल हो जाएगी ।

10. मुझे यकीन है कि आप इन मुद्दों पर गहराई से बिचार-विमर्श करेंगे । मुझे आपके महत्वपूर्ण सुझावों की प्रतीक्षा है । इस बैठक में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं और निमन्त्रण स्वीकार करने का धन्यबाद करता हूं ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 49वीं बैठक के अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री अर्जुन सिंह का उद्घाटन भाषण

(15–10–1993 : 10.00 बजे पूर्वाह्न : संसद सौध)

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के माननीय सदस्यगण एवं अन्य सहभागियों,

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की 49वीं बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है । केब अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही नीति निर्धारण एवं कार्यन्वयन में मुख्य भूमिका निभाता रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के बाद तो इसकी भूमिका और भी अधिक बढ़ गई है ।

14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक संवैधानिक जिम्मेदारी है । आयोजना के प्रारम्भ से ही भारत प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में प्रयास कर रहा है । साक्षरता, संस्थानों के विस्तार सहभागिता और शैक्षिक अवसरों की समानता के कार्य में जो कुछ भी उपलब्धि मिली है, वह अभूतपूर्व है, परन्तु अभी भी हमारा लक्ष्य दूर है और हमारी पहचान विश्व में एक ऐसे देश के रूप में है जहां सबसे अधिक निरक्षर और स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की आबादी है । हमें इस स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय इच्छाशक्ति तैयार करने की जरूरत है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल जाने योग्य प्रत्येक बच्चा स्कूल जाएं ।

वर्ष 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस सदी के बीतते-बीतते प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की परिकल्पना की गई है । बुनियादी शिक्षा पद्धति में अब लाभवंचित वर्गों को तथा ऐसे पिछड़े क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए जहां शिक्षा का प्रसार कम है और इस दृष्टिकोण से हमारे सामने कार्य कठिन है । आगामी सात वर्षों में हमें लगभग उतनी ही दूरी तय करनी है जितनी दूरी स्वतन्त्रता के बाद चालीस वर्षों में हमने तय की है । परन्तु हमें आगे के कार्य को देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए क्योंकि अनेक ऐसे स्वागतयोग्य पहलू हैं जो हमारे कार्य की उपलब्धि में सहायक हैं, परन्तु इसके लिए हमारे पास राष्ट्रीय इच्छा शक्ति होनी चाहिए और हमें सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की चुनौती को उसी संकल्प से स्वीकार करना चाहिए जो संकल्प हमने स्वतन्त्रता के आन्दोलन में दिखाया था । स्वागत–योग्य पहलू में प्रमुख पहलू राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (एन० पी ई.) और इसकी कार्यवाई योजना है । भारतीय शैक्षिक पद्धति की गहन समीक्षा पर आधारित तथा जनमत की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होने के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करने के लिए एक विस्तृत कार्य ढांचा प्रदान करती है । आप सभी जानते हैं कि वर्ष 1986 की नीति और इसकी कार्रवाई योजना उसी जन–मत की प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित की गई थी । यह कहना चाहूंगा कि बुनियादी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यढांचे को ही मार्च, 1990 में सभी के लिए शिक्षा पर आयो–जित जोम्तियेन सम्मेलन में अपनाया गया था । जोम्तियेन सम्मेलन की घोषणा का मुख्य बिन्दु यह था कि सभी के लिए बुनियादी ज्ञान की आवश्यकताओं को 2000 ई० स० तक विभिन्न साधनों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए । यह जानते हुए कि हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यवाई योजना में उत्कृष्ट कार्य ढांचा है, हमें तत्परता और संकल्प के बोध के साथ उन्हें कार्यान्वित करना चाहिए । जब आपने अगस्त, 1992 में कार्यवाई योजना को अनुमोदित कर दिया था तो राज्य सरकारों को राष्ट्रीय कार्रवाई योजना और अपनी स्थितियों के साथ तालमेल रखते हुए अपने अपने राज्य की कार्रवाई योजनाओं को तैयार करने के लिए कहा गया था । अनेक राज्यों ने कार्रवाई योजनाएं तैयार की हैं । मैं अन्य राज्यों से भी कार्रवाई योजनाओं को शीघ्रता से तैयार करने का अनुरोध करता हूं। कार्रवाई योजना का केवल विषय–वस्तु ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह सहभागितापूर्ण प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से यह तैयार की जानी है । मैं आपसे सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अपनी कार्रवाई योजनाओं तथा राज्य योजना की समीक्षा करने का भी अनुरोध करता हूं ।

दूसरा जो स्वागतयोग्य पहलू है वह है संपूर्ण साक्षरता अभि–यान का उद्भव जिससे प्रौढ़ साक्षरता के परिदृश्य में नाटकीय परि–वर्तन आया है । यदि हम इन अभियानों की गति को बनाए रखते हैं तथा अत्यधिक निरक्षरता वाले लक्षित जिलों में इन अभियानों को फैलाते हैं तो इस शताब्दी के अंत तक 15–35 आयुवर्ग में सभी प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाना एक विशिष्ट संभावना होगी ।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वागत योग्य प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं । 1980 से नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर में मजबूती से वृद्धि हो रही है । तब से स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या आधी हो गई है । सफल संपूर्ण साक्षरता अभियानों तथा महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने वाले कार्यक्रमों से जिलों में प्रारं–भिक शिक्षा के लिए मांग उत्पन्न हुई । आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान उन्नति कर रहे हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता पर इनके प्रभाव को धीरे–धीरे पहचाना

जाना चाहिए। प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान जो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं वही कार्य अब जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के मामले में करना होगा।

प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की दिशा में बढ़ने के क्रम में हमें अपने आप को बदल रही वास्तविकताओं के अनुकूल बदलने की अवश्यकता है। अब हम स्कूलों की व्यवस्था करके शिक्षा प्रदान करने मात्र पर ही निर्भर नहीं रह सकते। हमें स्थानीय समितियों को सक्रिय बनाने, स्कूली घंटों तथा स्कूल कैलेण्डर के प्रति स्कूली प्रणाली को और अधिक रचनात्मक तथा जिम्मेदार बनाने, स्कूली पाठ्यचर्या को और अधिक प्रासंगिक बनाने तथा इसके निष्पादन को और अधिक आकर्षक बनाने की आवश्यकता है ताकि स्कूल, स्कूली आयु के सभी बच्चों को आकर्षित कर सकें तथा उन्हें स्कूल में बनाए रख सकें। और अधिक कारगर गैर-औपचारिक शिक्षा विकसित करने तथा लागू करने की भी आवश्यकता है।

अन्तिम निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक ढांचा और प्रक्रिया का प्रबंधन ही एक ऐसा पहलू है जो "सभी के लिए शिक्षा" के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर हमें अग्रसर करेगा। प्रबंधन आयाम का अर्थ है कि शिक्षा प्रणाली के प्रत्येक अंग में लागत प्रभावशीलता तथा जवाबदेही व्याप्त होनी चाहिए। हमें शिक्षा तथा इससे जुड़े कार्यक्रमों जैसे आई०सी०डी०एस०, प्रारंभिक शिशु देखरेख तथा शिक्षा और पोषण आदि को इकट्ठा करना चाहिए। विकेन्द्रीकरण शिक्षा के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। पंचायती राज तथा शहरी निकायों से संबंधित 73 वां तथा 74 वां संवैधानिक संशोधन शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय समितियों को ज्यादा भूमिका निभाने की संभावना का प्रावधान करते हैं। शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन पर गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति द्वारा शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन के लिए विस्तृत मानदण्ड तैयार किए गए हैं। समिति की सिफारिशों से पता चलता है कि संविधान संशोधन के अनुसरण में जिला, तालुक/मंडल और ग्राम स्तरों पर किस तरह शैक्षिक ढांचे स्थापित किए जाने चाहिए। संविधान की वास्तविक भावना के अन्तर्गत शैक्षिक प्रशासन के उचित विकेन्द्रीकरण के माध्यम से ही हम प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बना सकते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जिसमें हमें चूकना नहीं चाहिए।

विश्वविद्यालयों का प्रशासन एक दूसरा प्रमुख क्षेत्र है जिसमें अत्यन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमें विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रबंध सम्बंधी पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्ञानम समिति की रिपोर्ट पर के०शि०स०बो० समिति की रिपोर्ट, जो आपके सामने है, में इस महत्वपूर्ण विषय पर चिन्तन और कार्यवाही करने के लिए एक अवसर आपको दिया गया है।

विद्यार्थियों पर शैक्षिक बोझ तथा शिक्षा के असंतोषजनक स्तर को लेकर शैक्षिक समुदाय में अत्यन्त चिन्ता बनी रही है। इसलिए, इस मंत्रालय ने जीवन पर्यन्त स्वयं-शिक्षा तथा कुशलता निर्माण के लिए क्षमता सहित शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तर के स्कूली-विद्यार्थियों विशेषकर छोटे विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक बोझ को कम करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट भी आपके सामने है तथा चिन्तन करने के लिए सिफारिशों में आपके लिए काफी सामग्री उपलब्ध है।

हमारा समाज एक बहु-जातीय समाज है। इस प्रकार के समाज में शिक्षा द्वारा हमारे लोगों में एकता तथा अखण्डता पर आधारित व्यापक तथा शाश्वत मूल्यों का पोषण किया जाना चाहिए। हमने यह सुनिश्चित करने का सदैव प्रयास किया है कि धर्म-निरपेक्ष तथा राष्ट्रीय मूल्यों को स्कूली पाठ्य-पुस्तकों में उचित प्रकार से समावेश किया जाये। एक संचालन समिति राष्ट्रीय अखण्डता की दृष्टि से स्कूली पाठ्य-पुस्तकों का मूल्यांकन कर रही है। यह अनुभव किया जा रहा है कि इस समिति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके स्तर को राष्ट्रीय आयोग का स्तर प्रदान करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में आपके सुविचारित दृष्टिकोण के लिए एक नोट भी प्रस्तुत है।

विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व का मामला एक ऐसा मुद्दा है जिसे कई बार के०शि०स०बो० की पिछली बैठकों में उठाया गया है। हमारे समक्ष अब के०शि०स० बोर्ड समिति के विचार हैं जो इस विषय की गहराई में जाकर तैयार किए गए हैं।

सम्पूर्ण विश्व हमें देख रहा है। सन् 2000 तक हम सभी के लिए शिक्षा के जोम्तियेन स्वप्न को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं; इसका निर्धारण हमारे राष्ट्रीय प्रयास के द्वारा होगा। भारत में उदीयमान प्रवृत्तियों तथा उपलब्धियों को जैसे कि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान तथा उभरते हुए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को अत्यन्त रूचि के साथ देखा जा रहा है। हाल ही में सभी के लिए शिक्षा पर सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाता मंच में भारत की काफी सराहना की गई है जो कि 15-16 दिसम्बर 1993 को आयोजित की जाने वाली अधिक जनसंख्या वाले 9 देशों की शिखर-वार्ता की एक प्रस्तावना है।

मुझे विश्वास है कि आप दिन भर इन सभी पहलुओं पर अपने सुविचारित दृष्टिकोण देंगे, जिससे कि हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सकें तथा प्रत्येक भारतीय के लिए शिक्षा उपलब्ध करा सकें। मुझे आशा है कि आप इस राष्ट्रीय प्रयास में अपने मूल्यवान विचार, समर्थन तथा सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वागत करता हूं तथा यहां आने के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

राज्य शिक्षा मंत्रियों और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अन्य सदस्यों के लिखित वक्तव्य

4—18 Deptt. of Edu./94

राज्य/संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों, सलाहकारों, इत्यादि के लिखित वक्तव्य

1. डा० पी० वी० रंगाराव, माध्यमिक शिक्षा, पुरातत्व तथा संग्रहालय मंत्री, आन्ध्र प्रदेश ।
2. श्री पी० राजन, उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा सार्वजनिक पुस्तकालय मंत्री, आन्ध्र प्रदेश ।
3. श्री एम० के० बेग, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश ।
4. श्री आर० के० खिमी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री, अरुणाचल प्रदेश ।
5. डा० रामचन्द्र पूर्वे, मंत्री, (प्राथमिक तथा मिडिल शिक्षा), बिहार ।
6. श्री० विजय कुमार पी० उसगांवकर, शिक्षा मंत्री, गोवा ।
7. श्री फूलसिंह मुल्लाना, शिक्षा मंत्री, हरियाणा ।
8. श्रीमती नागम्मा केशव मूर्ति, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा मंत्री, कर्नाटक ।
9. श्री एम० नटराजन, राज्यपाल के सलाहकार, मध्य प्रदेश ।
10. श्री प्रभाकर धारकर, उच्च तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र ।
11. श्री सलीम जकारिया, स्कूल शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र ।
12. डा० एच० लैमीन, शिक्षा मंत्री, मेघालय ।
13. श्री आई० इंकांग, स्कूल शिक्षा, युवा संसाधन तथा खेल मंत्री, नागालैण्ड ।
14. श्री पी० सी० धडेई स्कूल तथा जन शिक्षा मंत्री, उड़ीसा ।
15. श्री चैतन्य प्रसाद माझी, उच्च शिक्षा मंत्री, उड़ीसा ।
16. श्री एस० लक्ष्मीर सिंह रंधावा, शिक्षा मंत्री, पंजाब ।
17. प्रो० के० पोन्नूस्वामी, शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु ।
18. श्री अनिल सरकार, शिक्षा मंत्री, त्रिपुरा ।
19. श्री आर० डी० सोनकर, राज्यपाल के सलाहकार, मध्य प्रदेश ।
20. श्री सत्य साधन चक्रवर्ती, प्रभारी मंत्री, उच्च शिक्षा, श्री चिन्त्य रे, प्रभारी मंत्री, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा, श्रीमती अंजूकार, राज्य प्रभारी मंत्री । जन शिक्षा विस्तार विभाग, श्री अनीसुर्रहमान, राज्य मंत्री, प्राथमिक, माध्यमिक तथा मदरसा शिक्षा, श्री तपन राय, प्रभारी राज्य मंत्री, पुस्तकालय सेवाएं तथा वंश गोपाल चौधरी, प्रभारी मंत्री, तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण, पश्चिम बंगाल ।
21. शिक्षा विभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह ।
22. श्री ए० गांधीराज, शिक्षा मंत्री, पांडिचेरी ।

डा० पी० वी० रंगा राव एम० ए० पी० एच० डी० (राजनीति शास्त्र), एम० ए० (भारत विज्ञान) एल एल बी तथा बी जे माध्यमिक शिक्षा, पुरातत्व तथा संग्रहालय मंत्री आन्ध्र प्रदेश सरकार का भाषण

वास्तव में मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि श्री अर्जुन सिंह जी के नेतृत्व में के० शि० स० बोर्ड अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। आज जिन विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करेंगे वह शिक्षा को प्रभावी बनाने तथा आज के समाज के अनुरूप बनाने के लिए सभी की सहभागिता से सम्बन्धित है।

हम आंध्र प्रदेश में इस विषय पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। यद्यपि, यह एक पिछड़ा राज्य है फिर भी वर्ष 1981--91 के बीच साक्षरता की दस वर्षीय शिक्षा की दरें राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हैं। इसी प्रकार से, राज्य लड़कियों की शिक्षा के लिए एक सकारात्मक प्रवृत्ति अपना रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वमुलभीकरण के साथ-साथ साक्षरता कार्यक्रम दोनों में राज्य सरकार के प्रयास काफी उत्साहवर्धक हैं तथा हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश "2000 ईस्वी तक सभी को शिक्षा" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों के प्रति काफी अधिक योगदान करेगा।

इस संदर्भ में राज्य सरकार एक कार्य योजना तैयार रकरही है जिसका कार्य प्रगति पर है। हमें विश्वास है कि इसे अगले तीन महीनों में अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कमजोर वर्गों, महिलाओं तथा अल्प संख्यकों की विशेष जरूरतों की ओर अधिक ध्यान दिया जाय। हमारे राज्य में कार्य योजना का तैयार किया जाना एक सहभागी दृष्टिकोण है। हम यह भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इसमें सभी लोगों को अपने विचार प्रगट करने का अवसर प्रदान किया जाय ताकि कार्य योजना काफी प्रभावी बन सकें।

"2000 ईस्वी तक सभी के लिए शिक्षा" तथा विशेष रूप से प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण का कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि हम शिक्षा में उपयुक्त तकनीकें तैयार न करें। इस संदर्भ में अनौपचारिक शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमें प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश राज्य काफी आगे है। हमने हाल ही में, विद्यमान 25400 केन्द्रों के लिए पद्धति में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। भारत सरकार से मैं यह अनुरोध करूंगा कि वे इन प्रस्तावों की शीघ्र ही मंजूरी प्रदान करें।

आंध्र प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा को न केवल औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रणाली से ही सुनिश्चित किया गया है बल्कि इसे अभी 4 जिलों में शुरू की गई खुला स्कूल प्रणाली से भी सुनिश्चित किया गया है जिसमें काफी प्रभावित किया है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का यह अनुभव सभी राज्यों के लिए लाभप्रद होगा। मैं अपने सहयोगी शिक्षा मंत्रियों को आमंत्रित करता हूं कि वे खुला स्कूल प्रणाली का अध्ययन करने के लिए अपने अधिकारियों को हमारे राज्य में भेजें। चार जिलों से प्राप्त अनुभव से प्रोत्साहित होकर हम इस कार्यक्रम को धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी विस्तार कर रहे हैं।

एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण जिसमें हम अधिक रूचि ले रहे हैं। प्राइमरी शिक्षकों के अवस्थापन (ओरियन्टेशन) की योजना को शुरू करने के लिए मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं। तथापि, मैं अनुरोध करता हूं कि इस योजना में माध्यमिक स्तर के शिक्षकों सहित सभी स्कूलों के। शिक्षकों को शामिल करने के लिए योजना में विस्तार किया जाए। इस योजना में प्रत्येक शिक्षक को 3 वर्षों में कम से कम एक बार शामिल करके इसको बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं होगा। मैं कम से कम आंध्र प्रदेश राज्य में "उप डाईट" की स्थापना करने की सिफारिश करता हूं जहां के सभी जिलों में "डाइट" की स्थापना की जा चुकी है।

विशेषकर प्रारम्भिक बाल देख-रेख तथा शिक्षा के क्षेत्र में सेवाओं में परिवर्तन करना अनिवार्य है। हम आंध्र प्रदेश में इस क्षेत्र का तेजी से पता लगा रहे हैं।

संख्या के साथ-साथ कार्य क्षेत्र के रूप में स्कूल शिक्षा का महत्व काफी व्यापक है तथा इसकी सही आयोजना तथा अनुश्रवण की जरूरत है। शिक्षा में एक प्रक्षेपित दृष्टिकोण को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। मुझे खुशी है कि आंध्र प्रदेश भी उन चुनिन्दा राज्यों में से है जिन्हें जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम द्वारा शमिल किया गया है। मैं केन्द्रीय मंत्री को आश्वासन देता हूं कि आंध्र प्रदेश इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करेगा।

प्राइमरी शिक्षा पर बल देना निसंदेह हमारे शैक्षिक प्रयासों की महत्वपूर्ण सफलता है अत: मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह माध्यमिक शिक्षा के लिए भी उपयुक्त योजनाएं तैयार करने में मदद करें। उच्चतर शिक्षा के लिए केवल निवेश की कोटि ही सुनिश्चित करना अनिवार्य नहीं है बल्कि प्राइमरी शिक्षा के उत्पादन के लिए भी उपयुक्त निवेश करने की जरूरत है जिसमें हम काफी अधिक खर्च कर रहे हैं। इस संबंध में दो पहलुओं पर ध्यान देने की जरुरत है। पहला है पर्याप्त संख्या में अच्छी कोटि के माध्यमिक स्कूलों का प्रावधान करना। आंध्र प्रदेश में आवासीय स्कूल प्रणाली नवोदय स्कूलों की तरह से ही एक प्रयास है। इस सबके बावजूद भी लागत काफी अधिक है यद्यपि हम उसी तरह की अच्छी शिक्षा प्रदान करने के बारे में सोचते हैं किन्तु माध्यमिक स्कूल कम खर्चीले हैं। दूसरा पहलु है जमा 2

स्तर से नीचे वालों को पूर्व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। मुझे प्रसन्नता है कि 5 तथा 6 अक्तूबर, 93 को आयोजित शिक्षा सचिवों की बैठक पर इस मामले में चर्चा की गई। जबकि आंध्र प्रदेश में हमने यह कार्यक्रम पहले से ही शुरू कर दिया है अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले में हमारी मदद करें ताकि हम अपने ग्रामीण छात्रों को माध्यमिक स्तर पर और अधिक शिक्षा प्रदान कर सकें।

मैं विकेन्द्रीयकृत प्रबंध शिक्षा पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति के साथ-साथ शैक्षिक बोझ करने के लिए राष्ट्रीय सलाहाकार समिति (यशपाल समिति) को भी बधाई दूंगा जिन्होंने यह कठिन कार्य इतनी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह दोनों ही मामले काफी महत्वपूर्ण हैं तथा इस निकाय द्वारा कोई ठोस निर्णय लेने से पूर्व इसमें काफी विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए। मुझे प्रबंध के विकेन्द्रीकरण पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति के साथ भी कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में आंध्र प्रदेश में हमने इस विषय पर एक सेमिनार किया था जिसमें शिक्षाविदों, सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल किया गया था और इस सेमिनार के परिणाम केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति को प्रस्तुत कर दिए गए हैं मैं इसे अपने साथी मंत्रियों को एक बार फिर से परिचालित कर रहा हूं क्योंकि इससे शिक्षा की समस्याओं तथा परिप्रेक्ष्य को अच्छी तरह से समझा जा सकेगा। हम केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति के मूल कारण से सहमत हैं कि सामुदायिक सहभागिता के बिना शिक्षा को पूरा नहीं किया जा सकता तथा पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने के लिए उपयुक्त तंत्र भी तैयार करना पड़ेगा। 73 वां संशोधम विधेयक जो कि अब सांविधिक पुस्तिका में है स्वयं एक विधान है यह प्रत्येक राज्य को अपने मूल स्वरूप में अपना एक तंत्र तैयार करनें के लिए व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। हमें इसको भी जानना जरूरी है कि एक ओर तो ग्रामीण समुदाय में काफी उत्साह है क्योंकि अब उन्हें शैक्षिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी अथवा समाज के प्रत्येक वर्ग में कुछ अवधारणाएं हैं कि यदि पंचायती राज संस्थाओं तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे के बीच सही तालमेल नहीं होगा तो इसका उलटा प्रभाव पड़ेगा। अतः इस पूरे कार्य को ठीक तरह से करने की आवश्यकता है। हमें आशा है कि हम अपने राज्य में कोई उपयुक्त निर्णय लेने से पहले व्यापक चर्चा करेंगे। यह भी उल्लेख करना होगा कि शिक्षा ग्यारवीं अनुसूची में 29 विषयों की सूची का एक भाग है। अतः हमें शिक्षा के लिए भी अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ प्रक्रियात्मक प्रबंध करने होंगे।

मैं यह समझता हूं कि कृषि, वन, ग्रामीण आवास, जैसे कल्याण, महिला तथा बाल विकास स्वास्थ्य आदि जैसे अन्य मंत्रियों ने अभी अपनी नितियों को अन्तिम रूप नहीं दिया है और न ही उन्होंने राज्य सरकारों को टिप्पणीओं से अवगत कराया है। अतः जहां मानव संसाधन विकास मंत्रालय शीघ्र कार्रवाई करेगा और मैं औरों से भी इसमें शीघ्रता करने की आशा करता हूं।

पंचायती राज संस्थाओं को दिए जा रहे शैक्षिक पर्यवेक्षण के बारे में भी सतर्क रहना होगा। वास्तव में, यह इस समिति की विषय (6) के पैरा 4.52 की सिफारिशों के आधार पर चलेगा जिससे यह कार्य राज्य सरकार को सौपा गया है। शैक्षिक पर्यवेक्षण स्थानीय निकायों को नहीं दिया जाएगा।

यशपाल समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से मैं सहमत हूं वास्तव में "बोझ के बिना अध्ययन" सभी के लिए शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चहिए। कुछ स्कूलों, विशेषकर प्राईवेट स्कूलों की यह प्रवृत्ति है कि उन्हें अधिक शिक्षण तथा अधिक गृह कार्य देने की प्रवृत्ति को दूर करना चाहिए। इन सब के बावजूद भी हमें यह मानना चाहिए कि प्रवेश परीक्षा के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन शीघ्र पूरा होना चाहिए तथा परीक्षा का स्तर काफी ऊंचा होने से अध्ययन की प्रक्रिया में वास्तविक रूप से बोझ पड़ेगा। स्कूल स्तर पर पूर्व स्कूल पृष्ठभूमि अध्ययन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस स्तर पर राज्य स्तर से नीचे पाठ्चर्या के विकेन्द्रीकरण के प्रति किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति की ओर भी मैं सचेत करना चाहूंगा। पाठ्य पुस्तकों के विकास की प्रक्रिया एवं एक प्रर्याप्त प्रक्रिया है जब तक इसे स्थिर नहीं किया जाता तथा उप-राज्य स्तर पर सक्षमता विकसित नहीं कर ली जाती ऐसे प्रयास करना सही न होगा। औपचारिक पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से शिक्षण का बोझ कम करने में श्रृव्य-दृश्य शिक्षा काफी चल सकती है। आंध्र प्रदेश ने हमने यह प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इस संबंध में, स्कूलों को रंगीन टेलिविजन सेट प्रदान करने के लिए दी गई सहायता के जिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। तथापि, मैं यह आग्रह करूंगा कि साफ्टवेयर विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रवधान किया जाना चाहिए ताकि श्रृव्य-भृव्य शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सकें।

औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा दोनों में पाठ्य पुस्तकें एक महत्वपूर्ण निवेश है आँध्र प्रदेश में शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा सरकार के पर्यवेक्षण में पाठ्य पुस्तकें लिखे जाने तथा तैयार किए जाने की एक पुरानी परम्परा है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रत्येक पाठ्य पुस्तक हमारे भारतीय समाज कों मूल्यों को पूरी तरह से प्रदर्शित करती है। इन पाठ्य पुस्तकों में स्तर के लिए उपयुक्त एक उत्कृष्ट शैक्षिक डिग्री सहित स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संग्राम, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों तथा कर्तव्यों, प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया है। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि पाठ्य पुस्तकों में विसंगतियां, विशेषकर जो कि हमारे समाज के प्रजातंत्र को प्रभावित करती हैं उसे दूर करने की जरूरत है। तथापि एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग की उपयोगिता स्पष्ट नहीं है। एक मंच के माध्यन से राष्ट्रीय अभिव्यक्ति

इसी तरह से पर्याप्त होगी ताकि ऐसी विसंगति को दूर करने के प्रयास किए जा सकें। एक अनुपूरक प्रयास के रूप में हम पाठ्य पुस्तकों के सतत अनुश्रवण करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक स्थायी समिति का गठन करने पर विचार कर सकते है ताकि किसी भी हानिकारक समस्या को मिलकर दूर किया जा सके। मैं एक सांविधिक आयोग का गठन करने के लिए ध्यानपूर्वक विचार करने का सुझाव देना चाहूंगा।

श्री पी० राजनः मंत्री, उच्चतर शिक्षा: प्रौढ़ शिक्षा और सार्वजनिक पुस्तकालय आंध्र प्रदेश सरकार का भाषण

यह खेदजनक बात है कि आन्ध्र प्रदेश अभी भी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। तथापि, राज्य में इस सम्बन्ध में तीव्र परिवर्तन दिखाई दे रहा है इसके लिये मैं तीन वर्ष पूर्व आरम्भ किये गये सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के प्रति आभारी हूं। वर्ष 1980 और 1990 के बीच प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत 20 लाख लोगों को साक्षर बनाये जाने की तुलना में, पिछले तीन वर्षों में 34 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया। 23 जिलों में से 17 ने पहले ही सम्पूर्ण साक्षरता अभियान शूरू कर दिया है और अन्य जिले भी जल्द ही इसका अनुसरण करेंगे । इस कार्यक्रम से विकासात्मक प्रयासों में केवल युवा स्वयंसेवियों को ही नहीं लाया गया बल्कि इसका परिणाम यह भी निकला कि साक्षरता एक अकेले विभाग का विचारणीय विषय न होकर सभी सरकारी विभागों का एक विचारणीय विषय बन गया है। तथापि, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है जैसा कि शिक्षा सचिवों की बैठक (5-6 अक्तूबर, 93) में यह पता लगाया गया है कि शिक्षा से अभी भी वंचित रहे व्यक्तियों तथा प्रौढ़ आयु वर्ग में शामिल होने वाले नये निरक्षरों के साथ-साथ नव-साक्षरों को फिर से निरक्षरता से बचाने के लिये एक स्थाई तंत्र की जरूरत है । दूसरे, इस बारे में मूल्यांकन निरन्तर लिये जाने की आवश्यकता है ताकि उन नव-साक्षरों का जो निरक्षर बन रहे हैं, पता लगाया जा सके तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। तीसरे जन शिक्षण निलायम को पुस्तकालय नेटवर्क में विकसित करने की जरूरत है जिससे नव-साक्षरों की जरूरतों को पूरा किया जा सके । आज ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की उल्लेखनीय कमी है। हमारी सरकार साक्षरता कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिये वचनबद्ध है।

आधुनिक भारत के निर्माण में उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा राज्य उच्च शिक्षा की कोटि को पर्याप्त महत्व देता है । इस क्षेत्र के लिये वार्षिक बजट 400 करोड़ रुपये से भी अधिक होता है।

कृषि और स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों के अलावा, आन्ध्र प्रदेश में चार राज्य-व्यापी विश्वविद्यालयों सहित 10 विश्व विद्यालय हैं। इनमें एक विशेष तौर पर महिलाओं के लिये है जो तिरूपति, तीर्थस्थान जैसे शहर में स्थित है। जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय एक दूसरा राज्य-व्यापी विश्वविद्यालय है जो राज्य में तकनीकी विकास के प्रयोजनार्थ है। वी० आर० अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय राज्य स्तर पर देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। तेलुगु भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति के विकास प्रयोजनार्थ हमने तेलुगु विश्वविद्यालय की स्थापना की है। हम एक-मुश्त अनुदानों के रूप में सभी विश्वविद्यालयों को बजटीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार ने इस प्रयोजनार्थ पिछले वर्ष के 64.46 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष के दौरान 75.44 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया है। हमारे यहां एक व्यापक विश्वविद्यालय अधिनियम है जिसमें पारंपरिक विश्वविद्यालय शामिल होते हैं तथा 4 राज्य-व्यापी विश्वविद्यालयों के लिये, उन्हें दी गई विशेष भूमिका को ध्यान में रखते हुए चार राज्य व्यापी भिन्न-भिन्न अधिनियम हैं। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इन अधिनियमों में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति द्वारा यथा संशोधित ज्ञानम समिति की अधिकांश सिफारिशें शामिल है।

देश के राज्यों में संभवतः हमारा प्रथम राज्य है जिसने उच्चतर शिक्षा से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को सलाह देने और उसमें हुए विकास की परिप्रेक्ष्य योजना के जरिये पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से एक राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् की स्थापना की है।

कालेज शिक्षकों की भर्ती के लिये हमने कालेज सेवा आयोग का भी गठन किया है और इस प्रकार हमने विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से राज्य लोक सेवा आयोग से इस सम्बन्ध में भर्ती प्रक्रिया को अलग कर दिया है। इससे पर्याप्त रूप से राज्य लोक सेवा आयोग का भार काफी कम हो गया है जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम निकाय द्वारा शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में तेजी आई है।

जहां तक ज्ञानम समिति की रिपोर्ट पर केब समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम "केब समिति" द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों से सहमत हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इनमें से अधिकांश सिफारिशें हमारे राज्य में विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों से पहले ही स्थान रखती हैं। विश्वविद्यालय को कार्यात्मक रूप से कारगर तथा समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिये प्रयासों का स्वागत है इसी प्रकार मूलभूत अनुसन्धान करने में, जो हमारे देश को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में बहुत महत्व रखते हैं, विश्विद्यालयों की भूमिका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उद्योग के साथ सार्थक सहयोग को सक्रिय तौर पर खोज निकालने की आवश्यकता है। जब

कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालय बोर्डों में नामित किया जाये और इसी प्रकार प्रख्यात वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं में भेजा जाये। मैं विश्वविद्यालय प्रबन्ध के व्यावसायीकरण से संबंधित सुझावों का भी स्वागत करता हूं।

तथापि कुछ सिफारिशों पर अति सावधानीपूर्वक विचार किया जाना जरूरी है। इनमें अतिरिक्त विधाई उपायों का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, छात्रों का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांन्तरण आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्य में कठिन होगा। विश्वविद्यालय पदाधिकारियों के कार्य-काल आदि जैसे विस्तृत ब्यौरों को राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है।

आन्ध्र प्रदेश में + 2 स्तर उच्च शिक्षा का एक भाग है। इन संस्थाओं को जूनियर कालेजों के नाम से जाना जाता है और इनमें से कई व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। एक नीति विषयक मामले के रूप में, हमारी राज्य सरकार ने इन्टरमीडियेट पाठ्यक्रमों (+2 स्तर) को डिग्री कालेजों से अलग करने का निर्णय लिया है। और यह एक चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। हमने व्यावसायिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रयास किये हैं परन्तु अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी की बाधा डाल रही है। भारत सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता इस स्कीम को और अधिक कारगर बनाने में योगदान देगी।

आंन्ध्र प्रदेश मुख्य तौर पर एक कृषि प्रधान राज्य है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण विकास पर दिये गये महत्व को उच्चतर शिक्षा में उचित स्थान प्राप्त होना चाहिये। डिग्री स्तर पर भी कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम विशेष तौर पर वे, जिनका प्रत्यक्ष तौर पर सम्बन्ध ग्रामीण विकास से है, बड़ी संख्या में आरम्भ किए जाने चाहिये। कुछ कालेजों में जहां ऐसे पाठ्यक्रम ग्रामीण सम्मान सहित विद्यमान हैं, हमारा अनुभव काफी अच्छा रहा है क्योंकि इन संस्थानों से आने वाले छात्रों को विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों अथवा मुख्य उद्योगों में खपाया गया है। मैं भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इसे ध्यान में रखें और अतिरिक्त अनुदान देकर ऐसे पाठ्य-क्रमों को राज्य में शूरू करने में हमारी सहायता करें।

हमारी राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हैदराबाद में दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र (कार्यालय) स्थापित करने के लिये अनुरोध करती आ रही है। मैं श्री अर्जुन सिंह जी से इस अवसर पर एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ इस सम्बन्ध में मामला उठायें और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय केन्द्र की हैदराबाद में स्थापना में हमारी सहायता करें।

मुझे आशा है कि आज के विचार-विमर्शों से लाभदायक निष्कर्ष सामने आयेंगे जिनसे निःसन्देह ही हमारे देश में उच्चतर शिक्षा के और आगे विकास और एकीकरण में मदद मिलेगी।

श्री एम० के० बेग, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री आन्ध्र प्रदेश सरकार का भाषण

आन्ध्र प्रदेश परम्परागत रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहां के लोग हमेशा प्रगतिशील और दूरदर्शी रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश ने पिछले दो दशक में विशेष रूप से औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत सरकार की नई आर्थिक नीतियों का भरपूर लाभ उठाते हुए, आन्ध्र प्रदेश ने इस समय औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है। औद्योगिकीकरण की इस तेज रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। हमें उद्योग की कुशल तकनीकी श्रमशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा राज्य तकनीशियन शिक्षा की चुनौती को बड़े पैमाने पर पूरा करने के लिये तैयार है।

इस समय आन्ध्र प्रदेश में इंजीनियरी के 10 विश्वविद्यालय कालेज तथा 17 प्राइवेट इंजीनियरी के कालेज हैं जिनमें कुल 6530 छात्र है। यहां 82 पॉलिटेक्निक हैं जिनमें 23 प्राइवेट प्रधान के अधीन है तथा 59 सरकारी संस्थायें हैं। इन पालिटेक्निकों में डिप्लोमा स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों की प्रतिवर्ष कुल संख्या लगभग 12000 है। इसके अलावा तीन पोस्ट डिप्लोमा संस्थान हैं जो उद्योग की उच्च शिल्पी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

पालिटेक्निकों का आधुनिकीकरण

मेरा राज्य तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक आठ वर्षीय परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इसके लिए 80 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत भवनों पर 29 करोड़ रु० खर्च किये जायेंगे तथा सभी महिला पॉलिटेक्निकों को होस्टल प्रदान किये जायेंगे। प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण करने के लिये 36 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है। पुस्तकालयों के लिये उपकरणों तथा पुस्तकों की खरीद ठीक ढंग से चल रही है। संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में एक पृथक पाठ्यचर्या विकास सेल खोला गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी हाल ही में विश्व बैंक टीम ने हमारे पाठ्यचर्या विकास सेल के कार्यों की सराहना की है।

भावी शिल्पी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्लास्टिक तथा पालिमर्स, पेट्रो रसायन उत्पादों, तेल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी आदि जैसे प्रौद्योगिकी के उदीयमान क्षेत्रों में भावी पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है सभी पॉलिटेक्निकों में एक-एक कम्प्यूटर केन्द्र होगा तथा इन कम्प्यूटर केन्द्रों को बहुलकों के माध्यम से जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

संकाय प्रशिक्षण पहले ही शुरू कर दिया गया है तथा हमें आशा है कि हमारे शिक्षक सतत रूप से प्रशिक्षण देंगे तथा अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन बनाये रखेंगे। इस प्रयोजनार्थ लगभग 1.00 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई है।

कमजोर वर्गों की अभिरूचियां

जैसा कि इससे पहले भी मैंने कहा था कि समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिये आन्ध्र प्रदेश राज्य बहुत ही प्रगतिशील रहा है तथा इस सम्बन्ध में इसने कई सकारात्मक कदम उठाये हैं। आन्ध्र प्रदेश ही ऐसा पहला राज्य है जिसने पिछड़े समुदायों को सर्वप्रथम आरक्षण प्रदान किया है तथा व्यावसायिक कालेजों में पिछड़े वर्गों के लिये 25 प्रतिशत स्थान निर्धारित किया है।

आन्ध्र प्रदेश शायद देश का पहला राज्य है जिसने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रमशः तीन-तीन माडल आवासीय पॉलिटेक्निक खोला है। इन आवासीय संस्थानों में सभी उपकरण तथा सुविधायें मौजूद हैं। संस्थान के विस्तृत परिसरों में परम्परागत रूप से समाज के वंचित वर्गों को सर्वोत्तम शिल्पी शिक्षा प्रदान की जाती है। इन संस्थाओं को स्वायत्तता दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि ये संस्थायें और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। प्रयोगशालाओं में सुविधायें बढ़ाने तथा अतिरिक्त आवास प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव विश्व बैंक परियोजना में शामिल किये गये हैं। सरकार, इंजीनियरी तथा पालिटेक्निक दोनों कालेजों में अध्ययन करने वाले उन सभी अनुसूचित जाति के छात्रों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 24,000 रु० से कम है तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 12,000 रु० से कम है, की फीसों, शिक्षण शुल्कों की प्रतिपूर्ति कर रही है। इसके अलावा उन्हें विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं।

महिला शिक्षा

मेरा राज्य महिला दासत्व मुक्ति तथा महिला शिक्षा का प्रबल पक्षधर है। व्यावसायिक कालेजों में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष हमने इस निर्णय को इंजीनियरी कालेजों में भी लागू कर दिया है। हमारे राज्य में 20 ऐसे पालिटेक्निक हैं जो केवल महिलाओं की जरूरतों को ही पूरा करते हैं। इस वर्ष विशिष्ट रूप से महिलाओं के लिये ही दो पालिटेक्निक खोलने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना

चाहूंगा कि इसमें से एक पालिटेक्निक अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिये मॉडल (आदर्श) आवासीय पालिटेक्निक होगा। यह पालिटेक्निक अपने आप में देश की अनोखी संस्था होगी।

उद्योग संस्था संबंध

केवल संस्थाओं को खोलना अथवा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करना ही काफी नहीं है। किसी संस्था से स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले शिल्पियों को उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। यदि किसी संस्था से निकलने वाले शिल्पी उद्योग धन्धे के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं तो उस संस्था का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कोई उद्योग-धन्धा तब तक नहीं फल-फूल सकता है जब तक उसमें काम करने वाले शिल्पी यथोचित कौशलों से वाकिफ नहीं हो जाते। उद्योग तथा संस्था की इस कड़ी को मजबूत बनाने के लिये राज्य स्तर पर एक औद्योगिक सम्पर्क बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड में उद्योग के श्रमिक नेता तथा सरकारी अधिकारी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बोर्ड में एक वृहत रूपरेखा तैयार की जाती है जो क्षेत्र-स्तर पर उद्योग संस्था सम्पर्क को और अधिक सुगम बनाती है। हम प्रत्येक संस्था स्तर पर एक सूक्ष्म योजना तैयार कर रहे हैं ताकि स्थानीय उद्योग तथा संस्था में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम हो सके। राज्य सरकार सी० आई० आई० सहित सहमति ज्ञापन एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स तथा फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स में प्रवेश की संभावना का पता लगा रही है। प्रयोग के तौर पर संस्था में तकनीकों का प्रयोग करने तथा छात्रों को उद्योग की ओर आकर्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है। हम डिप्लोमा शिक्षा के सैंडविच पैटर्न के अनुरूप इसे सुदृढ़ करने तथा बढ़ाने के लिये भी प्रयासरत है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

मुझे इस बात की खुशी है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कार्यों का संचालन करने के लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। तथापि, मैं यह महसूस करता हूं कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कार्यों को विकेन्द्रीकृत करने की जरूरत है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड विभिन्न स्तरों पर इसके विकेन्द्रीकरण तथा स्वायत्तता की सिफारिश कर रहा है ताकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके। इसके अलावा, कभी-कभी राज्य सरकारों को राज्य सरकार की पूर्वअनुमति के बिना संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने अथवा अनुमति देने में जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं यह आग्रह करता हूं कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सभी कार्यकलापों में राज्य सरकार को पूरी तरह से शामिल किया जाए। 8 अगस्त, 1992 को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की पिछली बैठक के दौरान, अपने विद्वान बंधु, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं।

विनियमन संबंधी कार्यों के अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को राज्यों की विकास योजना में मदद करनी चाहिए। नए-नए व्यावसायिक कालेजों के खुलने के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् जन शक्ति योजना का मूल आधार बन जाएगी तथापि, तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त जनशक्ति क्षेत्रों अथवा केवल अपने ही राज्यों में जॉब (कार्य) प्राप्त नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें जनशक्ति संबंधी मांग का सर्वेक्षण सही ढंग से नहीं कर पाती हैं। इस दिशा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को तत्काल ध्यान देना चाहिए। राज्यों द्वारा तैयार की गई तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के प्रस्तावों को देश की समग्र आवश्यकता की कसौटी पर खरे उतरने चाहिए चाहे भले ही इस प्रस्ताव की प्रासंगिकता केवल उसी राज्य के लिए ही क्यों न हो।

इस तरह प्रौद्योगिकी के उदीयमान क्षेत्रों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों पर ही नहीं छोड़नी चाहिए जिन राज्यों में तटरेखा नहीं है, वे राज्य पालिमर अथवा पेट्रो-रसायन पर आधारित उद्योगों से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। फिर भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् इस स्थिति में है कि वह पालिमर और प्लास्टिक्स अथवा पेट्रो-रसायन (पेट्रो-केमिकल) प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों को शुरू करने में राज्यों की मदद कर सकती है।

यह मेरा सुझाव है कि प्रौद्योगिकी के सभी उदीयमान (उभरते हुए) क्षेत्रों में एक शैल्फ परियोजना तैयार की जाए ताकि राज्य सरकार भी लाभान्वित हो सके। इस परियोजना प्रस्ताव में पाठ्यक्रम, पाठ्यविषयक कार्य, प्रयोगशाला उपकरण तथा प्रयोगों, स्टाफ की व्यवस्था पुस्तकों, भवन तथा कार्यशाला आवश्यकताओं, परीक्षा व्यवस्था, आदि जैसे सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। इससे अप्रचलित जीर्ण-शीर्ण (पुराने) पाठ्यक्रमों के स्थान पर नए-नए पाठ्यक्रम तथा उभरते हुए पाठ्यक्रमों को साथ-साथ चलाने में राज्य सरकारों की मदद मिलेगी। मुझे पूरी आशा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग से कार्य करेगी। इसमें किसी प्रकार के विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड नई दिल्ली में 15 अक्तूबर, 1993 को आयोजित 49वीं बैठक में अरूणाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री आर० के० खिमी का भाषण

मैं आज की बैठक के विचार-विमर्श में अति संतोष की भावना से यहां उपस्थित सभी बन्धुओं के बीच अपने विचारों एवं ज्ञाव के आदान-प्रदान में सम्मिलित हो रहा हूं। अरूणाचल प्रदेश का एक दूरस्थ प्रदेश है और यह इस समय शैक्षिक प्रमुख धारा में सम्मिलित होने के लिए उत्साहपूर्वक प्रयत्न कर रहा है। अरूणाचल प्रदेश में शैक्षिक चेतना की वर्तमान मनः स्थिति काफी नई है और आज कि सामान्य शिक्षा वाले लोग भी अच्छी शिक्षा की धारा की ओर अग्रसर हो रहे है। बहुत सी मूलभूत समस्याओं के बावजूद, अरूणाचल प्रदेश में कुल मिलाकर साक्षरता की प्रतिशतता में पर्याप्त सुधार हुआ है और अब हम पुरूष-स्त्री साक्षरता के अनुपात को बराबर लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने में लगे हुए हैं।

मुझे विश्वास है कि इस भव्य निकाय के विचार-विमर्शों से कार्य योजना को एक ठोस स्वरूप प्राप्त होगा और इस प्रक्रिया में इसका प्रभावशाली सकारात्मक उत्तर प्राप्त होगा। हम अरूणाचल प्रदेश में शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य के प्रति वचनबद्धता की गहरी भावना रखते है। इसके परिणाम स्वरूप हमें लाभदायक अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणामों के प्राप्त होने की आशा है। निःसंदेह, कार्य योजना को लक्ष्यबद्ध तात्कालिक और दीर्घकालिक मूल्य माना जा सकता है। मेरे विचार से, इसे प्रवृद्ध शिक्षा के लक्ष्य हेतु विशिष्ट लक्ष्यबद्ध क्षेत्र सहित दृढसंकल्पों का एक पुण्य वस्तावेज कहा जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दीर्घ कालिक आधार पर देश के शैक्षिक विकास को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मूलतः बनाई गई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए प्रभावी कार्रवाई योजना एक स्वाभाविक उपमाध्य है। हमने, अरूणाचल प्रदेश में कार्यवाई योजना, 1992 का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है और हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि हमारे राज्य की कार्य योजना अधिक व्यावहारिक और कार्योन्मुख है हम अपनी एक ऐसी कार्रवाई योजना तैयार कर रहे है जो मूल केन्द्रीय आदर्श के साथ सार्थक संबंध स्थापित करेगी। पूरे देश में इतनी अधिक विविधता के साथ इस प्रकार के लचीलेपन के मान्य मानदंड होंगे और एकीकृत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम सब को बुनियादी संकल्पना को ध्यान में रखना होगा।

इसी प्रकार, शैक्षिक विकेन्द्रीकरण के भाग के रूप में जिला स्तर पर एक ठोस एवं उपयोगी कार्रवाई योजना की भी आवश्यकता होगी। साथ ही यह भी सत्य है कि व्यापक कार्रवाई योजना के उत्साहपूर्वक प्रयोग के लिए विकेन्द्रीकृत पर्याप्त संसाधनों और उचित प्रबंध के चातुर्य की जरूरत होगी। कुछ उच्च लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से हमें लागत प्रभावकारिता लानी होगी और साथ ही उत्तरदायी बनना पड़ेगा। उन स्कीमों को हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए जिनकी गहरी संवीक्षा न की जा सकती हो या जिनमें दीर्घकालिक उपयोगी तत्व न हों।

शैक्षिक पुनर्निर्माण में लोगों की सक्रिय सहभागिता पर बल दिया गया है अरूणाचल प्रदेश राज्य सरकार को पूर्ण रूप से इस धारणा से सहमति व्यक्त करती है और इस दिशा में कुछ अनूठे कदम पहले से ही उठाए हैं। हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि एक अपेक्षित और जागरूक समाज अच्छे परिणामों को प्राप्त करने में शैक्षिक अवसंरचना के प्रयोग में काफी विभिन्नताएं ला सकता है। हमें यह भी आशा है कि जिले की शैक्षिक व्यवस्था के संचालन तंत्र में जिला के वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त शिक्षाविदों पर्यावरण विदों और समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लोग व्यावहारिक रूप से भागीदार बनेंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर अरूणाचल प्रदेश भी इससे सहमत है कि सामाजिक न्याय के मसले में कोई कारगर प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि हम वांछित स्तर तक महिला शिक्षा के मसले पर अभी कोई अपेक्षित प्रगति नहीं कर सके। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत सी अधिक तंगियों के बावजूद अरूणाचल प्रदेश में बालिकाओं को सहायता और पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है।

इन बुनियादी बातों के साथ, मैं, उच्चतर शिक्षा पर चयन समिति के बुनियादी निष्कर्षों पर केब समिति की रिपोर्ट पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में हम अभी तक शुरूआत की अवस्था में ही है। तथापि, यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अरूणाचल प्रदेश इस दिशा में द्रुतगति से प्रगति कर रहा है। हमारा एक मात्र अरूणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अभी अपना आकार ही बना रहा है। हम विश्वविद्यालय के कार्य में स्वमत्तत्ता की धारणा का अनुसरण करने से संबंधित अपने जिम्मेदारी को जानते हैं और वांछनीय उद्देश्य को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कार्य पहले से ही शुरू कर दिए गए है हम उच्च शिक्षा के संबंध में सोनेरी समिति की सिफारिश से पूर्णतः सहमत हैं और अरूणाचल प्रदेश भविष्य के संबंध में अपने कार्य में सभी सिफारिशों की भावना को ध्यान में रखेगा। तथापि मैं अतिरिक्त आवश्यक अवसंरचनात्मक आधार और सहायता पद्धति प्रदान करने हेतु शिक्षा के इस विशेष क्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश के लिए बढ़े हुए परिव्यय हेतु एक जोरदार दलील देना चाहूंगा। इस समय हमारे पास केवल चार कालेज हैं और अरूणाचल प्रदेश के सभी 12 जिले,

जिला मुख्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए शैक्षिक संस्थाएं बनाने के इच्छुक हैं। चालू वर्ष में हम एक कालेज खोल रहे है। अतः, मैं केन्द्र सरकार और योजना आयोग से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे शिक्षा के क्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश के मामले में विशेष सहानुभूति रखें।

विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर के.शि.स. बोर्ड की समिति की रिपोर्ट पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस समय अरूणाचल प्रदेश में कोई विधान परिषद् नहीं है। इसके अतिरिक्त फिलहाल हम इस विषय पर अपने पहले के विचारों को दुहराते हैं। जैसाकि सचिव स्तर पर पहले हुए महत्वपूर्ण विचार-विमर्शों में विभिन्न सुविज्ञ विभूतियों द्वारा भी उल्लेख किया गया है कि यह एक नाजुक विषय है और इस सम्बन्ध में किसी विशेष दृष्टिकोण पर गौर किए जाने से पूर्व बहुत ही सोच विचार करके चर्चा किए जाने की जरूरत है।

शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध पर कार्य सूची की मद संख्या चार पर, मैं यह समझता हूं कि अभी उत्तर-पूर्वी राज्यों से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए नहीं कहा गया है। इसलिए मैं शिक्षा के "विकेन्द्रीयकृत" प्रबंध पर कोई विशेष विचार व्यक्त नहीं करूंगा। तथापि, मैं शिक्षा के प्रबंध के विषय पर अपनी सामान्य प्रतिक्रिया के भाग के रूप में कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं महसूस करता हूं कि सम्पूर्ण कार्रवाई योजना में उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके आस-पास का दृश्य विधान, अरूणाचल प्रदेश के समान एक दूरस्थ क्षेत्र है जिसके कारण कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और मैं इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रबुद्ध लोगों से सहायता की आशा करूंगा। इन दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा करने के लिए सुदृढ़ शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले अच्छे शिक्षक अभी तक शीघ्र उपलब्ध नहीं होते हैं। इस समय कोई शक नहीं है कि कुछ अच्छे स्थानीय लड़के और लड़कियां इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक धीमी है। केन्द्रीय सहायता से कुछ प्रोत्साहन, अरूणाचल प्रदेश जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छे मेधावी लोगों को प्रोत्साहित करने में सहायता कर सकता है इसके अलावा उत्कर्ष परिणाम की अपेक्षा के साथ ऐसे क्षेत्रों में भर्ती में आरक्षण के आग्रह पर थी संभव तथा वांछनीय सीमा तक पुनः विचार करना पड़ेगा। विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर मूलभूत लक्ष्य की प्राप्ति में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए।

प्रत्येक स्कूल में जीवन के ऐसे बुनियादी मूल्यों की आवश्यकता के बारे में छात्रों के मन में स्थायी प्रभाव बनाने के लिए केन्द्र और राज्य, दोनों के जरिए, पर्याप्त अवसंरचनात्मक व्यवस्था के साथ एक सुदृढ़ सांस्कृतिक एकक होनी चाहिए जिसे प्रगतिशील दृष्टिकोण सकारात्मक शिक्षा और भावात्मक एकता, इत्यादि के रूप में माना जाए।

इसके बाद पुनः शिक्षा के प्रबन्ध में उत्तरदायित्व सम्बंधी घटक भी फिलहाल बहुत अच्छी हालत में नहीं है। इस व्याधि का सख्ती से उपचार किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षण आवश्यकताओं के प्रति उत्सुकता से शून्य दृष्टिकोण रखने वाले शिक्षकों को अव्यवसाय के परिणाम से सामान्यतयः फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। उदीयमान तथा औचित्य साधक अभिभावकों तथा छात्रों से उचित प्रशंसा प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बेहतर तैयार की गई कार्य निष्पादन मूल्यांकन पद्धति के जरिए पदोन्नति के त्वरित अवसर तथा अन्य प्रोत्साहन मिलने चाहिए। छात्रावास के अधीक्षकों का चयन केवल प्रधानाचार्यों द्वारा ही नहीं अपितु स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों के पूल के संयुक्त विवेक द्वारा किया जाना चाहिए। छात्रों को व्यापक दृष्टिकोण और उदार स्वभाव से सम्पन्न बनाने के लिए सक्रिय और अधिक केन्द्रीय सहायता के साथ उनके शैक्षणिक दौरे निरंतर और उदार तरीके से आयोजित किए जाने चाहिए। प्रासंगिकता का एक और बिन्दु जिस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए, यह है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पार्श्वदृश्य का शिक्षा की कोटि, अवस्थापना सहायता तथा प्रबंध पर बहुत ही निराशाजनक प्रभाव पड़ा है। यह सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से कि हमारे प्रयास निष्फल न हो जाएं, इसे प्रभावी जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के जरिए हतोत्साहित करना होगा।

शिक्षा के मामले में प्रतिष्ठित संस्थाओं तथा साथ ही नई एजेन्सियों के द्वारा स्वैच्छिक स्कूलों की योजना को अरूणाचल प्रदेश जैसे दूरस्थ राज्यों के लिए उदार केन्द्रीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ, अधिक अनुकूल, प्रयोजन मूलक तथा प्रबंध शिक्षा की दिशा में आगे के प्रोत्साहन के रूप में जो उपलब्ध है, बड़े पैमाने पर योग्यता छात्रवृत्ति, प्रशंसनीय तथा बहुमुखी छात्रों को पुरस्कार, उत्तम शिक्षकों, उत्तम प्रधानाचार्यों, उत्तम उप प्रधानाचार्यों, उत्तम छात्रावास अधीक्षकों को पुरस्कार आदि, स्वर्ण तथा रजत पदक के रूप में प्रदान करने से बढ़ावा मिलेगा।

एक और क्षेत्र जिसके लिए शायद पाठ्यचर्या में बेहतर बल की आवश्यकता होगी, कृषि के क्षेत्र से बुनियादी शिक्षा प्रदान करेगा जो भावी समय में, बाद के वर्षों में छात्रों की बड़ी संख्या को जीविका अर्जित करने के लिए कृषि और बागवानी के क्षेत्रों में वापिस आ जाएंगे। नौकरियों की उपलब्धता, आज के युवाओं का मुख्य उद्देश्य, भावी समय में अपने आप को बनाए रखने के लिए, एक संतृप्ति के मुकाम पर पहुंचा देगा तथा फिर वैकल्पिक चैनलों में बल दीर्घकालीन शान्ति तथा अनुकूल वातावरण के लिए संतोषजनक होगा। केन्द्र की ओर से सहायता की वित्त पोषण संम्बधी प्रणाली को और आगे सरल बनाया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा में सुधार लाने के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान अधिक संख्या में खोलने होंगे। हमें अभी तक एक ही जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किया गया है।

मैं अब स्कूली बस्ते के भार से संबंधित यशपाल समिति की रिपोर्ट का जिकर कर रहा हूं। मैंने यशपाल समिति की बुनियादी सिफारिशों की जांच करवाई है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ग्रुप द्वारा किए गए तदनुरूपी प्रयास, समिति की सिफारिशों के वास्तविक मूल्यांकन करवाए हैं। हमने यह देखा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ग्रुप द्वारा की गई सिफारिशों में वास्तविकताओं के आधार पर विचार किया गया है, और देश के वर्तमान शैक्षिक पार्श्व-दृश्य के लिए विषय पर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपेक्षित है। हम यह भी महसूस करते हैं कि केवल दलगत कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना वांछनीय नहीं होगा और सभी को अलग-अलग उपलब्धि पुरस्कारों से सम्मानित करना होगा। इसके अतिरिक्त, पाठ्यचर्या तैयार करने में शिक्षकों की सहभागिता, निःसंदेह एक अच्छा विचार है लेकिन विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए, राज्य स्तर से हटकर पाठ्यचर्या तैयार करने का विकेन्द्रीकरण, वास्तविक प्रस्ताव होगा। यशपाल समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वरूप से काफी भिन्न हैं और हमें अन्तिम रूप दिए जाने के स्वरूप में अपना दृष्टिकोण बनाये जाने से पूर्व बहुत ही सावधानीपूर्वक आंकलन किया जाना चाहिए। खेल तथा शारीरिक शिक्षा संबंधी के० शि० स० बोर्ड समिति की रिपोर्ट पर, मैं इस स्तर पर कुछ शामिल करना नहीं चाहूंगा क्योंकि मूल रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं है। तथापि, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि अरूणाचल प्रदेश में, हम खेलों और शारीरिक शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दे रहें हैं और हमारा योजनागत कार्यक्रम अगले 2-3 माह में हमारे राज्य की कार्रवाई योजना में प्रतिबिम्बित होगा।

इसी प्रकार दूरस्थ शिक्षा पर, के० शि० स० बोर्ड की समिति की रिपोर्ट पर, मुझे अभी ज्यादा प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि मूल रिपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है; तथापि, मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि अरूणाचल प्रदेश में, हमारी चार प्रत्यायित संस्थाएं, बौमडिला, इटानगर, पासीघाट और नाहरलागुन में स्थित है। ये संस्थाएं राष्ट्रीय खुला विद्यालय, नई दिल्ली के तत्वाधान में हैं और पिछले चन्द वर्षों से भली भांति कार्य कर रही हैं। स्कूल बीच में ही छोड़ जाने वाले बच्चों की इन संस्थाओं में दाखिला प्राप्त करने की प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहवर्धक रही है। इसके अतिरिक्त कालेज स्तर पर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इटानगर तथा बोमडिला स्थित, दो अध्ययन केन्द्रों को चला रहे हैं तथा यहां तक कि इन दो अध्ययन केन्द्रों में प्रबन्ध पाठ्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं। यह देखते हुए ढांढस बनता है कि विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रत्यायित संस्थाओं और अध्ययन केन्द्रों की और मांग की गई है। हम छात्रों को बेहतर अवस्थापना सहायता तथा कुछ प्रोत्साहन प्रदान करने संबंधी प्रयास को बढ़ावा देने पर विचार कर रहें हैं। अध्ययन केन्द्रों के कालेज छात्रों के लिए शिक्षा शुल्क राज्य द्वारा वहन किए जा रहे हैं।

मैं अब अपना भाषण यह कहते हुए समाप्त कर रहा हूं कि हालांकि अरूणाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्था की वर्तमान पद्धति बहुत ही सुदृढ़ है फिर भी मूल स्तर पर शिक्षा के प्रबंधन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र को हाथ में लिए जाने से पूर्व इसमें कुछ समय लगेगा। फिलहाल आधार वास्तविकताओं के हमारे सावधानीपूर्वक और उद्देश्यपरक मूल्यांकन के आधार पर, हम यह महसूस करते हैं कि निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व वास्तविक रूप से सौंपने से पूर्व, इस पद्धति को और आगे विकसित करने तथा तेज करना है। मूल स्तर पर उपयुक्त प्रबंध कौशल के उपलब्ध कारकों की अवहेलना नहीं की जा सकती यदि यह अप्रत्यक्ष रूप से विकेन्द्रीकरण की प्रक्षेपित गति को कम भी कर देना है। किसी भी हालत में, हम सावधानी पूर्वक विचार-विमर्शों और व्यापक परामर्शों के बाद राज्य कार्रवाई योजना में सोच्ची समझी प्रतिक्रिया के साथ हाजिर होंगे।

श्री विनय कुमार पी० उसगांवकर शिक्षा मंत्री, गोवा राज्य द्वारा दिया गया भाषण

मैं इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति को शिक्षा प्रणाली में वांछनीय परिवर्तन लाने हेतु उसके द्वारा किए गए जोरदार प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। हमें केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से विभिन्न रिपोर्टें और सिफारिशें प्राप्त होती रही हैं जिन्हें लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

मेरे पूर्वाधिकारी ने गोवा में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का एक संक्षिप्त विवरण पहले ही दिनांक 5 और 6 मई 1992 में हुई बैठक को संबोधित करते हुए प्रस्तुत कर दिया था। एक छोटा राज्य होने के नाते हमारे लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय और अन्य शैक्षिक निकायों की विभिन्न सिफारिशों को लागू करना लाभप्रद है। मैं आज की बैठक में होनेवाली चर्चा के मुद्दों पर अपने राज्य से संबंधित विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम की कार्य योजना तैयार करने का कार्य चल रहा है जिसे दिसम्बर के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा और जनवरी 1994 तक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को भेज दिया जाएगा।

शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट पर हमारी सरकार विचार कर रही है। हमने हाल ही में राज्य विधान सभा में पंचायती राज विधेयक पारित किया है और उस पर आगे की कार्रवाई चल रही है। जिला परिषदों की स्थापना होते ही हमने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की सिफारिशों के अनुरूप शिक्षा के प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण पर विचार करने का फैसला किया है।

जहां तक बच्चों के ऊपर से शैक्षिक भार कम करने का प्रश्न है, हम यह महसूस करते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के प्रति मां-बाप और शिक्षकों की प्रतिक्रिया और इस्तेमाल में लाई जा रही पद्धतियों को बड़ी सावधानीपूर्वक ध्यान में रखते हुए ही कुछ निर्णय लिए जाने चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि शिक्षण/अध्ययन प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन और मूल्यांकन पद्धति में बदलाव लाकर विभिन्न स्तरों पर बच्चों के भार को कुछ कम किया जा सकता है। हमारा राज्य अवश्य ही अगले शैक्षिक वर्ष से सलाहकार समिति की सिफारिशों को लागू करने पर विचार करेगा।

हमारे राज्य का विचार है कि सांविधिक शक्तियों वाला एक राष्ट्रीय आयोग स्कूली पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन में अधिक लाभप्रद और प्रभावी होगा चूंकि विभिन्न स्तरों पर निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के प्रति सामान्य असंतोष का भाव है। इसके अलावा सारे देश में पाठ्य सामग्री को कुछ हद तक एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है ताकि विद्यार्थियों का स्थानांतरण आसानी से संभव हो और यह राष्ट्रीय एकता के हित में भी है। अतः मैं रिपोर्ट के सुझावों में यह सिफारिश करना चाहूंगा कि स्कूली पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन पर राष्ट्रीय विषय निर्वाचन समिति के स्तर का उत्थापन करके उसे राष्ट्रीय आयोग का स्वरूप दे दिया जाए जिसे सांविधिक शक्तियां प्राप्त हों।

गोवा विश्वविद्यालय ज्ञानम समिति रिपोर्ट पर विचार कर रहा है और उसके विचार शीघ्र ही गोवा सरकार को ज्ञात होंगे।

गोवा सरकार के पास विधान परिषद नहीं है अतः विधान परिषद पर शिक्षकों का प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। हालांकि, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि गोवा विधान परिषद में अनेक शिक्षक जनता द्वारा चुन के भेजे गए हैं जो शिक्षक समुदाय के हितों का ध्यान रखेंगे।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक : हरियाणा के शिक्षा मंत्री, श्री फूलचन्द मुलाना का भाषण

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का यह अवसर प्राप्त हुआ जो हम सभी से संबंधित है। हमारे प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए आप द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं । हमारे मानव संसाधन के समुचित विकास पर हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया बल राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में उनके इस निर्णय से साफ-साफ झलकता है कि शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए परिषद् की एक विशेष बैठक बुलाई जाए । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन नई पहलों तथा नवाचारी कार्यक्रमों से शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरूआत करने का मार्ग बेहतर ढंग से प्रशस्थ होगा । केन्द्र सरकार भी काफी बड़े पैमाने पर इन सभी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश करने के लिए आगे आई है ।

अब मैं कार्यसूची की विशिष्ट मदों पर आना चाहूंगा । आप को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्ता हो रही है कि नई शिक्षा नीति पर राज्य कार्रवाई योजना तैयार की जा रही है तथा आशा है कि इस वर्ष के अंत तक इसके प्रारूप को पूरा करने की स्थिति में होंगे। अगले वर्ष की वार्षिक योजना में अधिक से अधिक मदों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्य पहले ही प्रारंभ कर दिया गया है ।

इस बैठक को मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि महिलाओं के लिए और अधिक समानता लाने के लिए हमने विशिष्ट कदम उठाया है । हरियाणा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा लड़कियों के लिए निःशुल्क कर दी गई है । प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्ति के अलावा लड़कियों को निःशुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री और पोशाक की आपूर्ति की जा रही है । अब हम केवल बालिका विद्यालयों को खोल और स्तरोन्नत कर रहे हैं तथा बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षा में विस्तार किया जा रहा है । नामांकन खासतौर पर लड़कियों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष प्रोत्साहनों की पेशकश की गई है । इसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तथा 1992-93 में 6–11 आयुवर्ग की लड़कियों का नामांकन 10 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया है ।

उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम सहित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को उपयुक्त ढंग से पुनर्गठित किया गया है तथा लैंगिग संवेदशीलता पर एक कैपस्पूल इसमें शामिल किया गया है । इस संबंध में हमने हाल ही में कालेज के प्रधानाचार्यों का एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा किया गया था ।

जहां तक शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन का संबंध है, संविधान के 72वें तथा 73वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए यद्यपि राज्य सरकार ने प्रारूप कानूनों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, सहभागिता वाले दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए शिक्षा पर ग्राम शिक्षा समितियां गठित करने हेतु अनुदेश जारी किए जा रहे हैं। हरियाणा के मामले में, चूंकि प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को छोड़कर सभी शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी हैं इसलिए इन ग्राम समितियों को अनिवार्यतः सलाहकार और सहभागितापूर्ण स्वरूप का होना पड़ेगा । शिक्षक जिस समुदाय की सेवा करते हैं उसके प्रति कुछ हद तक शिक्षकों के दायित्व का हमें सुनिश्चित करना होगा ।

महोदय, स्कूल बैग के बोझ के संबंध में यशपाल समिति द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं । यह बोझ सरकारी स्कूलों में अधिक नहीं है । अधिकांशतः प्राइवेट स्कूलों के मामले में ही विभिन्न व्यावसायिक और शैक्षिक कारणों से स्कूली बैग का बोझ बहुत अधिक है । हम इस बात से सहमत हैं कि कम से कम प्रारंभिक स्कूलों में कोई गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए । स्कूल में लगभग 5-6 घंटे का कार्य पर्याप्त है। कुछ ऐसे चयनित स्कूलों में 3–3 घंटे की दो पालियां (शिफ्ट) शुरू करने की हमने एक प्रायोगिक परियोजना शुरू किया है जहां 3 से अधिक कक्षाकक्ष और 3 से अधिक शिक्षक नहीं है । तथापि, पूर्व-प्राथमिक/नर्सरी स्तर पर शिक्षा को विनियमित करने के लिए किसी कानून के पक्ष में हम नहीं हैं। प्रथमतः इस क्षेत्र में हमें अधिक जानकारी नहीं है तथा काफी प्रयोग करने की आवश्यकता है तथा द्वितीयतः यह समस्या मुख्यतः शहरी क्षेत्रों से संबंधित है । शैक्षिक प्रक्रिया तथा प्रयोग बेहतर विकल्प प्रतीत होगा । शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में इस बात का उल्लेख करना उचित है कि इस मुद्दे पर और अधिक परिचर्या की आवश्यकता है ।

महोदय, स्कूली पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति के स्तर को संवैधानिक अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय आयोग के स्तर तक ऊंचा उठाने के सुझाव से मैं सहमत हूं । हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोर पाठ्यक्रम में मानवता और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों पर बल दिया जाए तथा यह भद्दे तरीके से जोड़ लगाए जैसा न हो तथा शिक्षा प्रणाली समाज के विभाजन का एक साधन न बन जाए ।

हम भारत सरकार की चिंता में शामिल हैं तथा इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि संपूर्ण साक्षरता अभियान को सफल बनाया जाना चाहिए तथा राज्य सरकार को इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए । यह कार्यक्रम हमारे राज्य के 7 जिलों में लागू किया जा रहा है । शीघ्र ही 2 और जिलों में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा । चालू पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पूर्व सभी 16 जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा । राज्य सरकार ने हरियाणा के महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय समिति का गठन किया है । समिति अपनी त्रैमासिक बैठकों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है । इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि उत्तर-साक्षरता अभियानों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । इसे और गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नव साक्षर फिर से निरक्षर जैसे न हो जाएं। इसके लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत शामिल गांवों में सतत शिक्षा की सुविधाएं और चल-पुस्तकालय की व्यवस्था करनी होगी । तथापि स्वयंसेवी एजेंसियों को साक्षरता का कार्य सौंपते समय उनके चयन में सावधानी बरती जानी चाहिए । एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जो जिलों में इस कार्यक्रम के कार्यन्वयन की निरंतर समीक्षा करता रहे ।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सोनेरी समिति जिन बातों को लेकर चिंतित है उन बातों से हम भी चिंतित हैं तथा इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि विश्वविद्यालयों और कॉलिजों में उच्चतम शैक्षिक मानक स्थापित किए जाएं । विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने के साथ-2 उन्हें उत्तरदायी भी बनाना होगा । जाँच और संतुलन का एक उपयुक्त तंत्र भी हमें विकसित करना होगा ताकि यह सिस्टम जनता की आवश्यकताओं के प्रति जीवंत बन सके । हम निम्नलिखित से संबंधित सिफारिशों का भी समर्थन करते हैं :— पंचवर्षीय समीक्षा, प्रत्यायन व्यवस्था को कार्यरूप देना, सहायता को निष्पादन से जोड़ना, विश्वविद्यालय के शिक्षकों का वार्षिक मूल्यांकन तथा वित्तीय लेन-देन संबंधी मानदंड आदि ।

शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सतत रूप से पुनर्गठित करना तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उनका मूल्यांकन करके उन्हें अद्यतन करना जरूरी है ताकि ज्ञान के विस्फोटक और सामाजार्थिक संघटन और व्यवहार संबंधी परिवर्तनों को इसमें शामिल किया जा सके । वित्तीय सहायता के ढांचे में एक अंतर्निर्मित प्रोत्साहन होना चाहिए । तथा उसमें सामाजार्थिक जरूरतों के प्रति पाठ्यक्रमों को और ज्यादा प्रासंगिक बनाने की बाध्यता भी होनी चाहिए । मेरा अनुरोध है कि इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर वित्तीय सहायता की एक उपयुक्त व्यवस्था के लिए विशेष अध्ययन किए जाने चाहिए ।

कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करने से महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न होंगी तथा दूसरों द्वारा अनुकरण करने के लिए यदि हमने देश में किसी माडल को सृजित किया है तो मुझे आश्चर्य है । इसी तरह स्नातक की परीक्षाओं का कार्य किसी एक विश्वविद्यालय को सौंपने से गंभीर वित्तीय कठिनाइयां उत्पन्न होंगी जिनका सामना करना होगा । इसके अलावा परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालयों के आय का महत्वपूर्ण स्रोत होता है । मैं इस सिफारिश का समर्थन करता हूं कि विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन और अनुश्रवण तंत्र पर एक स्थाई समिति गठित की जानी चाहिए ।

महोदय, विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि इस संबंध में हमें कोई अनुभव नहीं है ।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
D-9079
11-04-96

कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती नागम्मा केशवमूर्ति का भाषण

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की इस 49वीं बैठक में शामिल होते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है । ये बैठकें शिक्षा पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए तथा अन्य रा ज्यों के अनुभव से सीखने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं ।

कर्नाटक ने परंपरागत रूप से शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है । यह विशेष महत्व और संतोष की बात है कि यह राज्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है ।

पिछले दो दशकों के दौरान राज्य में स्कूली शिक्षा पद्धति का बहुत अधिक प्रसार हुआ है । कक्षा 1---7 में बच्चों की संख्या 28.35 लाख से बढ़कर 74.78 लाख हो गई । राज्य की कुल अनुमानित प्रवेश दर 6---10 आयु-वर्ग में लगभग 77% और 11---13 आयु वर्ग में 48% है ।

हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं तथापि, राज्य सरकार के लिए शिक्षा की गुणवत्ता और समानता बनाए रखने के मुद्दे अभी भी बने हुए हैं । कक्षा बीच में ही छोड़ देने वालों की दरें आज भी अस्वाभाविक रूप से अधिक है । यह स्वीकार करते हुए कि स्कूलों में प्रवेश का मुद्दा कोई अपने आप या एक बार के प्रयास में हल होने वाला मुद्दा नहीं है। राज्य सरकार ने प्रवेश की संख्या बढ़ाने तथा विद्यार्थियों को कक्षा में बनाए रखने के लिए विशेष उपाय किए हैं । इसे और अधिक स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि जुलाई, 1993 के दौरान राज्य में विशेष प्रवेश अभियान शुरू किया है । बच्चों को स्कूलों में रहने दो के नारे के साथ घर-घर जाने के गहन अभियान के दौरान 4.73 लाख बच्चों को या तो नया प्रवेश दिया गया या उन्हें फिर से स्कूली पद्धति के अंतर्गत लाया गया । हम प्रत्येक वर्ष समुदाय और ग्राम शिक्षा समितियों की मदद से ऐसे प्रवेश अभियान चलाना चाहते हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने तथा उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले स्कूलों की सुविधा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पूर्णतया भिन्न और नवीन "अक्षय योजना" शुरू की है। योजना में बच्चों को स्कूल जाने के नाम पर सुविधाएं देने तथा स्कूली माहौल को अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को स्कूल जाने में खुशी मिल रही है। इस प्रकार कार्यक्रम के एक अंग के रूप में कक्षा 1 से 4 के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क भोजन, पाठ्यपुस्तकें और यूनिफार्म प्रदान करके उसे नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित कार्रवाई योजना, 1992 को ध्यान में रखते हुए यह योजना बच्चे के चहुंमुखी विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है । अक्षय में वाद्य यंत्रों स्कूल के खेल के मैदानों का विकास और स्कूली पुस्तकालयों का भी प्रावधान है। साहस का भाव पैदा करने तथा उन्हें सांस्कृतिक विशेषताओं की पहचान कराने के लिए अक्षय में सांस्कृतिक और शैक्षिक्क महत्व के स्थानों के भ्रमण का भी प्रावधान है। चालू वर्ष के दौरान योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 67 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई है।

राज्य सरकार 2000 ई० सन् तक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुल्लभीकरण के महत्वाकांक्षी और अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति पूर्णतया समर्पित है । इसने पहले ही यह संकल्प व्यक्त किया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सरकार द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक और एक कक्षा-कक्ष प्रदान किया जाएगा। तदनुसार 8वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष 12,000 कक्षा-कक्षों के निर्माण का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी प्रकार 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 20,000 शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है और चालू वर्ष के दौरान 5,000 शिक्षकों की भर्ती करने के लिए कदम पहले से ही उठा लिए गए हैं ।

ग्रामीण स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधान सभा चुनाव क्षेत्र में माडल स्कूल स्थापित किए गए हैं । इन स्कूलों में सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जानी हैं । ये सुविधाएं धीरे-धीरे अन्य स्कूलों में भी प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। नीतिशास्त्र के विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम के माध्यम से सरकार इन स्कूलों में अपने समाज के प्रति कदर की भावना जगाने की सम्भव्यता पर भी विचार कर रही है ।

राज्य सरकार स्कूली बच्चों के चहुंमुखी विकास पर भी बल दे रही है। शारीरिक शिक्षा को उच्च प्राथमिक स्कूलों का अभिन्न अंग बनाया जा रहा है और यह निर्णय लिया गया है कि जिन स्कूलों में 4 से अधिक शिक्षक हैं उनमें से एक शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षक होगा ।

छात्राओं को और समाज के पिछड़े वर्गों के तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने की ओर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार कक्षा 7 की छात्राओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को निःशुल्क यूनिफार्म एवं पाठ्य-पुस्तकें प्रदान की जाती हैं । राज्य सामाजिक कल्याण विभाग ने छात्राओं के लिए सुविधाओं की एक विशेष योजना शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्र की जिन छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति 80% से

अधिक है, उन्हें राज्य सरकार कक्षा 5 से 7 तक 10 माहीने के लिए 25/– रु० प्रतिमाह तथा कक्षा 8––10 तक 50/–/ रु० प्रतिमाह प्रदान करनी है ।

हाल ही में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया तेज करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। भविष्य में प्राथमिक स्कूलों में होने वाली भर्तियों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव है । ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को 15% अधिमानता देने का भी प्रस्ताव है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% कुल उपलब्ध आरक्षण के अलावा भी राज्य सरकार ने स्कूलों में संगीत शिक्षकों के पदों को अर्हता प्राप्त नेत्रहीन उम्मीदवारों से ही भरने का निर्णय लिया है। जहां तक आज की बैठक के कार्यक्रम के विनिर्दिष्ट मुद्दे का प्रश्न है मैं यह उल्लेख करना चाहूंगी कि राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई योजना को तैयार करने के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी है ।

विकेन्द्रीकृत प्रबंधन पर केब समिति की रिपोर्ट के संबंध में कर्नाटक के पास पहले से ही एक सुव्यवस्थित जिला परिषद् स्थापित है और यह शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है । राज्य के पास पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियां हैं। जिला की योजनाएं जिला स्तर पर तैयार की जाती हैं । मैं यह महसूस करती हूं कि प्रत्येक राज्य को विकेन्द्रीकरण की दिशा में अपना प्रयास निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और जो राज्य इस क्षेत्र में पहली बार प्रयास कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर विभिन्न राज्यों के बीच आदान-प्रदान की प्रक्रिया बड़ी लाभप्रद होगी।

जहां तक यशपाल समिति की रिपोर्ट का प्रश्न है कोई भी इस बात से असहमत नहीं हो सकता है कि हमारे स्कूल के बच्चों पर अधिक बोझ है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों में काफी गुण हैं । तथापि, मेरा यह मत है कि हमारे स्कूलों की स्थितियां प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक क्षेत्र में इतनी भिन्न हैं कि सभी राज्यों में सभी स्कूलों के लिए एक सिर्धारण नहीं किया जा सकता है । इसीलिए जिन नवीन परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है उन्हें शुरू करने के पहले समिति की कुछ सिफारिशों को देखने और ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तथापि मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि यह वास्तव में सही दिशा में सही कदम है कि हम बच्चों पर खासकर प्राथमिक स्तर के बच्चों पर बोझ को कम करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए सांविधिक लधिकारों से मुक्त प्रस्तावित राष्ट्रीय आयोग के संबंध में मैं यह समझती हूं कि इस प्रस्ताव के संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यह विचार कि पाठ्यपुस्तकों को सांप्रदायिक और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों और स्त्री-पुरूष के भेद-भाव से मुक्त होना चाहिए और किसी राजनीतिक उद्देश्य से इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अपूर्व विचार है। हम कैसे इस बात को सुनिश्चित करें कि पाठ्यपुस्तकों का गलत उपयोग नहीं किया जाता है और विद्यार्थियों का हित और शैक्षिक उत्कृष्टता ही पाठ्यपुस्तक को तैयार करने का मापदण्ड है, इसकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए ।

विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर केब समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिफारिशें उचित विचार करने के बाद और विगत काल में विधान परिषद में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व होने की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए की गई है। मैं समझती हूं समिति की सिफारिशें इस मुद्दे पर निर्णय लेने की विस्तृत प्रक्रिया का केवल एक अंग है और इस विषय पर सरकार के विभिन्न मंचों पर और अधिक विचार–विमर्श किया जाएगा।

निष्कर्ष में मैं यह फिर से दोहराना चाहूंगी कि प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण एक ऐसा लक्ष्य है जो कर्नाटक सरकार के लिए प्रिय और महत्वपूर्ण है। उनके कमियों के बावजूद हम इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाना चाहेंगे ।

धन्यवाद ।

श्री एम० नटराजन सलाहकार, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश का भाषण

केन्द्र एवं राज्य सरकारों को शिक्षा से संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली सर्वोच्च संस्था केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लेने में मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है। इस बोर्ड की मई 1992 में आयोजित बैठक में की गई अनुशंसाओं के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गये थे। भारत शासन ने इसी अनुक्रम में पुनरीक्षित कार्य योजना तैयार की तथा उसी की अनुरूपता पर हम भी मध्यप्रदेश में राज्य से संबंधित कार्य योजना तैयार कर रहे हैं।

2. पुनरीक्षित कार्य योजना 1992 के आधार पर भारत शासन ने मुख्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में संशोधन कर आठवीं पंचवर्षीय योजना में चालू रखने का निर्णय लिया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए भी एक योजना प्रारंभ की गई है। मध्यप्रदेश में अपने औपचारिकेतर शिक्षा की पुनरीक्षित योजना को दिनांक 1 अक्तूबर, 1993 से ही लागू कर दिया है तथा अन्य योजनाओं से भी हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे।

3. केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू करना, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। मध्यप्रदेश ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला योजना तैयार करने के लिये विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किये हैं तथा 19 जिलों के जिला योजना प्रारूप तैयार भी कर लिये गये हैं जिनकी केन्द्र शासन के अधिकारियों के नेतृत्व में योजनापूर्व समीक्षा भी की जा चुकी है। इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये हम एक स्वायत्त संस्था का निर्माण कर रहे हैं। पूर्वसमीक्षा दल के सुझाव के आधार पर 19 जिलों की जिला योजनाएं संशोधित की जायेंगी। इस बीच मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिला प्राथमिक शिक्षा योजना सहायता की प्रथम किश्त तत्काल जारी की जाए ताकि अगले शिक्षा सत्र से इस कार्यक्रम को पूरी तैयारी के साथ लागू करने के लिये अन्य प्रारंभिक गतिविधियां तथा योजनाएं तैयार की जा सकें।

4. मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि पुनरीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यद्यपि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम स्वागत योग्य है, किन्तु यह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय मिशन का विकल्प नहीं हो सकता। इसलिये मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकारों से विस्तृत विचार विमर्श कर राष्ट्रीय मिशन को शीघ्रता से लागू करने की कार्रवाई की जाए।

5. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में ऊपर उल्लिखित कार्यक्रमों के अतिरिक्त म० प्र० में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों के बारे में इस सदन को मैं अवगत कराना चाहूंगा :

(i) प्राथमिक स्कूलों तथा एकीकृत बाल विकास कार्यक्रमों में और अधिक समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, ताकि ऐसे छात्र प्राथमिक शाला के वातावरण में अपने आपको जल्दी ढाल सकें। हम प्राथमिक शिक्षा को बाल केन्द्रित बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगले शिक्षा सत्र से इन कार्यक्रमों के परिणाम प्राप्त होने प्रारंभ हो जायेंगे।

(ii) स्कूल स्तर के सभी बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का प्रदेश व्यापी कार्यक्रम इस वर्ष से प्रारंभ किया गया है। प्रदेश के लगभग 1.25 करोड़ स्कूली छात्र/छात्राएं इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे।

(iii) प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना को इस वर्ष व्यवस्थित किया गया है और समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का उद्देश्य काफी हद तक पूरा कर लिया गया है।

(iv) सहायक शिक्षक तथा शिक्षकों के लगभग 17,300 रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई प्रगति पर है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों के असंतुलन को कम करने के लिए युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई की गई है।

(v) राज्य के पांच जिलों में केन्द्र सरकार तथा यूनीसेफ की सहायता से शिक्षक समाख्या नाम से एक नवाचार प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक मदद उपलब्ध कराना है ताकि उनमें अलगाव की भावना दूर की जा सके और उनमें व्यावसायिक दक्षता तथा स्वाभिमान का विकास किया जा सके और जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सके। मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित शिक्षकों ने इस कार्यक्रम के प्रति काफी रुचि दिखाई है और हमें आशा है कि उनके इस उत्साह को न केवल बनाये रखने बल्कि इसे और बढ़ाने में इस कार्यक्रम से सहायता मिलेगी।

(vi) केन्द्रीय सहायता से प्रारंभ की गई जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाएं राज्य के 45 जिलों में से 44 जिलों में पूर्व से ही कार्य कर रही हैं तथा उन्हें पुनः सुदृढ़ किया जा रहा है। आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शालाओं को प्रदाय की गई शैक्षिक सामग्री के उपयोग की तरफ तो ध्यान दिया ही जा रहा है साथ ही अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं जैसे व्यावसायिक शिक्षा योजना तथा विज्ञान शिक्षा सुधार योजनाओं के क्रियान्वयन को भी व्यवस्थित किया जा रहा है।

(vii) मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां शैक्षिक सांख्यिकी तथा आयोजना को कम्प्यूटरीकृत करने का बड़े स्तर पर प्रयास किया गया है। 45 में से 29 जिलों में हम यह कार्य प्रारंभ कर चुके हैं तथा अगले 2 वर्षों में पूरे देश में इसे लागू किया जा सकेगा।

(viii) प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को, बाल केन्द्रित बनाने, न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करने योग्य बनाने तथा यशपाल समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप बनाने की दृष्टि से पुनरीक्षित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके उपरान्त प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण भी किया जायेगा।

(ix) पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 13 जिलों को पूर्ण रूप से तथा 10 जिलों को आंशिक रूप से साक्षर करने के लिए चुना गया है। तीन अन्य जिलों के प्रस्ताव राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के विचाराधीन है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले को जुलाई, 1992 में ही पूर्ण साक्षर घोषित किया जा चुका है।

6. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम इस बात से सहमत हैं कि शिक्षा व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण बेहतर प्रबंधन के लिए अनुकूल होगा। वास्तव में म० प्र० में इस दिशा में अनेक कदम उठाये गये हैं कुछ विश्वविद्यालयों में अध्ययन केन्द्र (स्कूल आफ स्टडीज) स्थापित किये गये हैं तथा उनके संचालन में पर्याप्त स्वायतता भी दी गई है जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के चुने हुए 25 महाविद्यालयों को स्वायतता प्रदान की गई है जिनमें 19 शासकीय महाविद्यालय तथा 6 अशासकीय महाविद्यालय हैं। स्वायतता प्राप्त कुछ शासकीय महाविद्यालय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन विद्यालयों में व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं, प्रवेशपरीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, परीक्षाएं महाविद्यालयों द्वारा स्वयं ली जाती हैं तथा परीक्षा सुधार कार्यक्रम लागू किये गये हैं। स्वशासी महाविद्यालयों की योजना तैयार करते समय शासकीय महाविद्यालयों की आवश्यकताओं तथा प्रणाली को ध्यान में रखा गया था किन्तु शासकीय महाविद्यालयों की आवश्यकताओं तथा प्रणाली की उपेक्षा की गई प्रतीत होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि स्वशासी महाविद्यालयों की प्रणाली में पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए ताकि शासकीय महाविद्यालयों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सके। म० प्र० में शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों को क्रियात्मक स्वायत्ता इसलिए प्रदान की गई है ताकि वे इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। हमारे प्रदेश में 412 शासकीय महाविद्यालय हैं जो कि उच्च शिक्षा के 80% छात्रों की आवश्यकता पूरी करते हैं। इन महाविद्यालयों के शिक्षकों का राज्य स्तरीय संवर्ग है। इस संवर्ग को महाविद्यालयवार विभाजित करना कठिन कार्य है क्योंकि इससे कानूनी एवं अन्य समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए क्रियात्मक स्वायत्ता देते समय यद्यपि पर्याप्त सेवा सुरक्षा प्रदान की गई है किन्तु फिर भी संवर्ग को विभाजित नहीं किया गया है। अधिक महाविद्यालयों को स्वायतता प्रदान करने के पूर्व, जैसाकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना में अपेक्षा की गई है, ऐसी बहुत सी कानूनी व अन्य संबंधित समस्यायें हैं जिन्हें हल करना आवश्यक होगा। हमारा सुझाव है कि योजना में आवश्यक सुधार किया जाये ताकि अधिक से अधिक शासकीय महाविद्यालयों को स्वशासी महाविद्यालयों में परिवर्तित किया जा सके। स्वशासी महाविद्यालयों तथा उनमें कार्यरत स्टाफ के लिए जवाबदेही, मानीटरिंग तथा संशोधन तंत्र को उपयुक्त प्रणाली की भी आवश्यकता हम अनुभव करते हैं।

7. हमारे प्रदेश में, सभी विश्वविद्यालय शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व अपना अकैडेमिक कलेन्डर तैयार करते हैं और इसका अनुमोदन समन्वय समिति करती है जिसके अध्यक्ष कुलाधिपति तथा सदस्य, सभी कुलपतिगण होते हैं। म० प्र० विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 1991 में किये गये प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालयों की वार्षिक रिपोर्ट प्रदेश की विधान सभा के पटल पर रखी जाती है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की जिम्मेदारी म० प्र० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग को भी सौंपी गई है।

8. हम यह अनुभव करते हैं कि म० प्र० में कुलाधिपति के कार्यालय को विजिटर तथा कुलाधिपति के कार्यालयों में विभाजित करने से कोई लाभ नहीं होगा। कुलाधिपति के वर्तमान कार्य को संशोधित करने संबंधी अनुशंसा पर निर्णय करने का अधिकार राज्य शासन के ऊपर छोड़ देना चाहिए।

9. उच्च शिक्षा संस्थाओं में अनुसंधान तथा विकास से संबंधित समस्याओं तथा कमियों के संबंध में कार्य योजना में चिंता प्रकट की गई है कि इस दिशा में किये गये अधिकांश प्रयास कुछ संस्थाओं में ही केन्द्रित हैं तथा पूरी व्यवस्था में इनका प्रसार नहीं हुआ है। यह इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि जहां सभी संस्थाओं में अनुसंधान और विकास की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है वहीं कुछ चुनी

हुई संस्थाओं को उत्कृष्टता के केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। यह निर्विवाद है कि अनुसंधान तथा विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। म० प्र० में हम प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक अच्छे विज्ञान महाविद्यालय को चुनने का विचार कर रहे हैं जिसमें अनुसंधान के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा इन सुविधाओं को जिले में अनुसंधान कर्त्ताओं को उपलब्ध कराया जाये। कार्य योजना में यह अपेक्षा की गई है कि विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा अनुदान आयोग प्रत्येक जिले के कम से कम एक विज्ञान महाविद्यालय को आधुनिक प्रयोगशाला तथा उपकरणों से सुसज्जित करें। हमारा सुझाव है कि उच्च शिक्षा अनुदान आयोग तथा राज्य सरकारें सम्मिलित रूप से ऐसे महाविद्यालय चुनें तथा उन्हें आधुनिक प्रयोगशाला तथा उपकरणों से सुसज्जित करें जिससे इन विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा के अतिरिक्त अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।

10. हमें प्रसन्नता है कि 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन पारित होकर लागू किया जा रहा है जिससे निचले स्तर के लोगों को अधिकार देने के संबंध में दूरगामी प्रभाव होंगे और विकास की प्रक्रिया में वे अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकेंगे। इस बोर्ड द्वारा कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसाओं का हमने अध्ययन किया है। सामान्यतया: हम उनसे सहमत हैं यद्यपि कुछ आवश्यक संशोधन कराने के लिए हमें राज्य में विधान सभा के गठन की प्रतीक्षा है। शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में मैं सदन को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय शैक्षिक सेवा के गठन की परिकल्पना की गई है। हमारी बहुत सी योजनाओं की सफलता हमारी प्रशासनिक कार्यप्रणाली के सुधार पर निर्भर करती है। देश में शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के गठन संबंधी सुधार का कार्य बहुत अर्से से लंबित है, यद्यपि यह एक कठिन कार्य है, मैं केन्द्र तथा राज्य सरकारों से आग्रह करना चाहूंगा कि इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र हाथ में लिया जाये।

11. अंत में, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की इस बैठक की सफलता के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं अभिव्यक्त करता हूं।

श्री प्रभाकर धारकर, उच्च एवम् तकनीकी शिक्षा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य का भाषण

उच्च तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा की दृष्टि से, मैं यह समझता हूं कि यह बैठक सर्वाधिक उचित अवसर पर बुलाई गई है। हम एक ऐसी स्थिति के सन्दर्भ में मिल रहे हैं जहां न्यायिक उद्घोषणाओं की अधिकता के कारण अरबों प्रतिभाशाली युवा विद्यार्थियों की शैक्षिक महत्वाकांक्षा पर उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि उन्नीकृष्णन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अनेक विद्यार्थियों के लिए कम खर्च पर उच्च एवम् प्रौद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के अनेक नये अवसर खुले हैं तथापि इस निर्णय के विरुद्ध पुर्नविचार करने की कई याचिकायें दायर की गई हैं उनमें से एक पर अभी 7 अक्तूबर, 1993 को ही निर्णय दिया गया है। उन्नीकृष्णन मामले में अलग-अलग ढंग से उच्च न्यायालय की व्याख्याओं से तथा कभी कभी-उसी उच्च न्यायालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा उसी निर्णय के अलग-अलग व्याख्याएं करने से तथा सम्पूर्ण प्रवेश प्रणाली को दुबारा दोहराते रहने से स्थिति खराब हो गई। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन सभी समस्याओं के बावजूद, हम प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में और नयी कक्षाओं में उचित प्रकार से शिक्षण आरंभ कराने में समर्थ रहे हैं। लेकिन मुझे यह भी कहना है कि मुझे अगले वर्ष इसी संघर्ष से गुजरने की आशंका है। इसी प्रयोजनार्थ मैं निम्नलिखित दो सुझाव देना चाहूंगा :—

(1) हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से शिक्षा के वाणिज्यकरण के नियंत्रण में कुछ विस्तार करने के कार्य में सफलता मिली है, तथापि इससे नये अनौचित्य का उत्पन्न होना भी रुका है। इसलिए मैं इन समस्याओं को विचार-विमर्श द्वारा सुलझाने के लिए और विशिष्ट समय-सीमा के अन्तर्गत एक सहमत कार्यक्रम (पैकेज) पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की इस बैठक द्वारा एक दल के गठन का सुझाव देना चाहूंगा। समस्याओं के सुलझने तक दल की बैठकें प्रतिदिन होनी चाहिए इसके पश्चात् कार्यक्रम (पैकेज) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि सभी के लिए विवाद को एक बार ही समाप्त किया जा सके।

(2) सामान्यतया शिक्षा के क्षेत्र में तथा विशेष रूप से प्रवेश प्रक्रिया में न्यायिक व्याख्याओं को सीमित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। आज किसी भी व्यक्ति या समूह के लिए रिट याचिका दायर करना तथा लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को जोखिम में डालकर सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया को ठप्प करा देना सम्भव है। इसलिए मैं प्रवेश न्यायाधिकरण या केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही गठित किये गये प्रशासनिक न्यायाधिकरण की तर्ज पर शैक्षिक न्यायाधिकरण के गठन का सुझाव देना चाहूंगा। इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिए कार्यवाही अभी शुरू की जा सकती है। इसे अगले शैक्षिक वर्ष शिक्षा सत्र से पहले ही पूरा किया जा सकता है।

महोदय, मैं यह जानता हूं कि आज हम लोग यहां पर दूरगामी परिणामों से सम्बन्धित कुछ मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमें प्रवेश से सम्बन्धित तात्कालिक समस्याओं में नहीं फंसना चाहिए।

जहां तक कार्य-सूची का सम्बन्ध है, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि महाराष्ट्र में हम एक नया विश्वविद्यालय अधिनियम बना रहे हैं। जिसमें ज्ञानम समिति की बहुत सी सिफारिशों को शामिल किया गया है हम इन सिफारिशों पर तैयार की गई केब समिति की रिपोर्ट का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि यथासंभव ये सिफारिशें नये विधान में प्रतिबिम्बित हों। मैंने उच्च, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा पर शिक्षा सचिवों की सिफारिशों का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है तथा मुझे अपने पूरे हृदय से इनका समर्थन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। दल ने वास्तव में बहुत ही कम समय में प्रशंसनीय काम किया है।

महोदय, घोषणापत्र मेरे पास ही है, मैं इस भव्य निकाय के विचार-विमर्श के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो निम्नलिखित हैं :—

(1) जन संसाधनों पर दबाव देने से तथा शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के लिए मांग से हमें ऐसी शिक्षा की पूरी लागत के लाभदायी भुगतान के लिए अपरिहार्य प्रयास करने हैं। तथापि नीति निर्माता के रूप में, यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य कि लागत यथासम्भव कम रखी जाये। इसलिए मैं ए० आई० सी० टी० ई०, भारतीय चिकित्सकीय परिषद्, भारतीय फार्मेसी परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इसी प्रकार की दूसरी सभी संस्थाओं से यह देखने के लिए अनुरोध करता हूं कि यदि सम्भव हो तो गुणवत्ता से समझौता किये बगैर स्थान, उपकरण तथा उनके द्वारा मांगे गये प्रति

विद्यार्थी शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ की आवश्यकताओं के लिए वर्तमान कठोर नियमों में ढील दी जाये। इसी प्रकार वे यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि चिकित्सकीय पुरातात्विक अभियान्त्रिकी फार्मेसी तथा ऐसे ही दूसरे पाठ्यक्रम डिग्री स्तर के लम्बी अवधि के होने चाहिए या नहीं। प्रयास काम के लिए इन विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए यथासंभव शीघ्र किये जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो 3 या 4 वर्ष के अनुभव के पश्चात् उन्हें वापिस आने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। यदि यह सुझाव स्वीकार करने योग्य हो तो इनसे शिक्षा के खर्च में कमी आयेगी तथा यह और अधिक रोजगारोन्मुख हो सकेगी। मुझे विश्वास है यदि केन्द्रीय सांविधिक प्राधिकरण राज्य स्तर पर कार्य कर रहे राज्य प्राधिकरणों से अपने तालमेल को बढ़ा ले तो कोई रास्ता निकाला जा सकता है।

(2) राज्य में हमने शिक्षा के व्यावसायीकरण से सम्बन्धित कुछ अध्ययन कराये हैं तथा हमने यह पाया कि व्यावसायिक शिक्ष स्वरूप में त्रैमासिक होने से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। इस अध्ययन से यह पता चलता है कि अधिकांश विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को व्यावसायिक महाविद्यालयों में पहुंचने की दृष्टि से एच० एस० सी० में अधिकतम अंक प्राप्त करने के साधन के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर भारतीय औद्योगिक संस्थाओं से उत्तीर्ण होने वाले 70 से 80 प्रतिशत विद्यार्थी लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के सक्षम होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से लाभप्रद रोजगार के लिए फिट होने से, मेरा यह सुझाव है कि अधिक से अधिक भारतीय औद्योगिक संस्थान खोलने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उपलब्ध संसाधन दिये जायें। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक भी कृपया यह देखें कि क्या वास्तव में रेफ्रिजरेशन, घड़ी मरम्मत जैसे विषयों के लिए दो वर्ष का पाठ्यक्रम आवश्यक है या नहीं।

(3) देश में विश्व बैंक की सहायता से पालिटेक्निकों और भारतीय औद्योगिक संस्थाओं के आधुनिकीकरण एवं स्तरोन्नयनीकरण की परियोजनायें पहले से ही कार्यान्वित की जानी हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह विश्व बैंक से अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों के इसी प्रकार के स्तरोन्नयन तथा हमारे अभियांत्रिकी स्नातकों को उनके क्षेत्रों में हुई नवीनतम तकनीकी विकास से अवगत कराने के लिए एक वार्ता करें।

(4) दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आवंटन प्रणाली की बुद्धिसंगत व्याख्या की आवश्यकता है। मामला दर मामला के आधार पर योजना आयोजना को संस्वीकृति प्रदान करने की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्तमान प्रणाली तथा केवल एक योजना अवधि के लिए वित्तीय सहायता देने के पश्चात् हट जाना राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ है। इसके अतिरिक्त स्थायी आधार पर विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता को विस्तृत करने के लिए राज्य सरकारों की सहमति से कुछ पैरामीटर होने चाहिए।

महोदय, विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति उच्च स्तरीय बैठक के लिए विशेष चिन्ता का विषय होनी चाहिए। विशेष चिन्ता का एक क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानविकी के क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्रों में डाक्टरेट तथा डाक्टरेट के पश्चात अनुसंधान कार्य करने की उपेक्षा है। यदि इन क्षेत्रों की उपेक्षा लम्बे समय तक की जाती रही तो आने वाले वर्षों मे राष्ट्र को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं इस उद्देश्य के लिए व्यापार एवं उद्योग से उदार अंशदान देने के लिए एक अपील द्वारा राष्ट्रीय दान के सृजन के लिए सुझाव देता हूं।

महाराष्ट्र राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सलीम जकारिया का भाषण

शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार की उपलब्धि का लेखा-जोखा देने से पूर्व उन लोगों के प्रति संवेदना तथा सम्मान के रूप में गहरा शोक व्यक्त करना मैं अपना सब से बड़ा कर्तव्य समझता हूं जिनकी उस अप्रत्याशित भूकम्प में जानें चली गई जिसने 30 सितम्बर 1993 की विनाशक रात्रि में हमारे राज्य के लातूर और उस्मानाबाद जिलों को क्षति पहुंचाई।

यह ऐसी दुःखद घटना है जिसके पीड़ितों के घावों की भरपाई कर पाना कठिन है हमारे प्रिय मुख्य मंत्री के कुशल मार्गदर्शन तथा गतिशील नेतृत्व में राज्य प्रशासन ने बचाव तथा सहायता अभियानों की अविश्वसनीय चुनौती का सामना करने के लिए अपने तन्त्र को तेज कर दिया है। मुझे यहां यह उल्लेख करते हुए दुःख हो रहा है कि गहरे सदमें से ग्रसित प्रभावित गांवों में सभी स्कूल धराशायी हो गए हैं तथा उनके तत्काल पुनर्निर्माण की आवश्यकता है ।

मेरी राज्य सरकार समय-समय पर रिपोर्टें भेज कर, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रों में हुई प्रगति से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अवगत कराती रही है। मैं केवल उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालूंगा जिन पर केन्द्रीय शिक्षा सहलाकार बोर्ड को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

कार्रवाई योजना का क्रियान्वयन

महोदय, जैसाकि आपको मालूम है कि मेरी राज्य सरकार ने राज्य कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए कार्य बल नियुक्त किया है, इस कार्य बल में जनता के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, क्षेत्रीय अधिकारी और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं, इसने सभी व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद, राज्य कार्रवाई योजना (एस० पी० ओ० ए०) तैयार की है तथा राज्य सरकार को विचारार्थ भेज दी है। कार्य-बल ने प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचने, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित संसाधनों और इन कार्यकलापों के लिए अपेक्षित प्रबन्ध ढांचे हेतु राज्य कार्रवाई योजना (एस० पी० ओ० ए०) की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त कार्य बल ने निम्नलिखित के लिए अनेक कार्यक्रमों की सिफारिश की है :—

(i) कम नामांकन, कम उपस्थिति और पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की समस्याओं में सुधार करना, और

(ii) शिक्षा की कोटि, शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता आदि में सुधार करना।

राज्य कार्रवाई योजना को लागू करने के लिए, कार्य-बल ने संसाधनों को जुटाने हेतु कुछ उपायों को सुझाव दिया है। इसने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सरकार का उक्त उद्देश्यों को एक समय ढांचे के अंदर प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध करानी चाहिए। अतः कार्य-बल ने यह सिफारिश की है कि शिक्षा पर व्यय के वर्तमान स्तर को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए।

जैसाकि आप जानते हैं कि राज्य सरकार हाल में विकट वित्तीय अभाव का सामना कर रही है। मुझे संदेह है कि विशाल राशियों के कारण इसे आघात लगेगा क्योंकि विशाल राशियों को भूकम्प प्रभावित क्षेत्र में बचाव और राहत कार्यों में लगाया जाना है। इसका निश्चित रूप से राज्य में अन्य कार्यक्रमों की भान्ति राज्य कार्रवाई योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः भारत सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि या तो सहायता अनुदान के रूप में अथवा किसी अन्य रूप में जैसा भी भारत सरकार उचित समझती हो, पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे।

शिशु देखभाल और शिक्षा

सार्वजनीन नामांकन नियमित उपस्थिति, और बच्चों द्वारा अपनी शिक्षा जारी रखना बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य में सभी गांवों को शिशु शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने हेतु नीति निर्णय लिया है। मेरे विभाग ने प्रत्येक प्राथमिक स्कूल से संलग्न बाल-वाड़ी खोलने का कार्यक्रम चरणबद्ध रूप में आरंभ कर दिया है। अब तक 21,941 बालवाडियां खोली गई हैं और यह सुविधा इन गांवों के कार्य-बल ने यह भी सिफारिश की है कि जिला स्तर पर तथा तालुका स्तर पर शिक्षा के प्रबन्ध, पर्यवेक्षण नियंत्रण और मानीटरिंग के लिए निकाय अलग से स्थापित किए जाएं सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

न्यूनतम अध्ययन स्तर

शिक्षा का न्यूनतम मानक और कोटि को सुनिश्चित करना उन समस्याओं में से एक है जिनका सामना प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने कक्षा I और II के लिए न्यूनतम अध्ययन स्तर पर आधारित परीक्षा भी तैयार की हैं। कक्षा III और IV के टैस्ट मुद्रणाधीन हैं। इस प्रयोजनार्थ हस्त पुस्तिकाएं भी तैयार की गई हैं। शिक्षकों के लिए एक सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पिछले वर्ष से पहले ही आरंभ कर दिया गया है। संक्षेप में, अब हम आश्वस्त हैं कि निकट भविष्य में हम प्रारंभिक शिक्षा के उचित मानक को बनाए रखेंगे ।

सामाजिक वित्त

किसी विकासात्मक कार्यकलाप विशेष रूप से शिक्षा में स्थानीय समुदाय की सहभागिता के महत्व के विचार की दृष्टि से

राज्य सरकार ने राज्य के लोगों से शिक्षा के विकास के लिए अपने-अपने साधनों को उदारता से दान करने की अपील की है । इस दिशा में, राज्य सरकार ने निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किए हैं :—

(i) **सावित्री बाई फुले प्रोत्साहन-अभिभावक योजना**

महोदय, भारत सरकार को इस स्कीम की जानकारी है और इस दिशा में हमारे प्रयासों की सराहना करते हुए, हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है । आज तक उन 1.60 लाख से अधिक लड़कियों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है जो अपनी शिक्षा को जारी रख सकती हैं ।

(ii) **शैक्षणिक उठाव**

भौतिक सुविधाओं, अध्यापन सहायक सामग्रियों और बच्चों के लिए 2–5 आयु वर्ग के बच्चों को उपलब्ध करा दी गई है। आंगन वाड़ियों तथा ऐसे ही अन्य पूर्व स्कूल केन्द्रों को नियन्त्रित करने वाले विभाग के साथ उपयुक्त समन्वय किया गया है। उन गांवों में जहां आंगनवाड़ियां कार्य कर रही हैं, इस कार्यक्रम के शिक्षा घटक के लिए मार्गदर्शन के रूप में सहयोग प्रदान किया गया है । बालवाड़ियां केवल उन्हीं गांवों में खोली जाती हैं जहां आंगनवाड़ियां नहीं चल रही हैं अथवा जहां योजना के अनुसार भविष्य में आंगनवाड़िया नहीं खोली जाएंगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस०सी०ई०आर०टी०) शिशु शिक्षा की शैक्षिक आवश्यकताओं की देखभाल भली-भान्ति कर रहा है। अभी तक इस संस्थान से 4,000 बालवाड़ी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसने इस प्रयोजनार्थ अध्यापन अध्ययन सामग्री का एक पूरा सैट तैयार किया है । राज्य सरकार ने, बालवाड़ी शिक्षकों के रूप में कार्य करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लिए 6 माह का सेवा पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी अनुमोदित किया है ।

हमारा यह अनुभव है कि इन सभी कदमों को उठाने से, हमें इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से एक सकारात्मक पृष्ठ भूमि मिल रही है जो हमारे वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहायक होती है ।

प्रारंभिक शिक्षा

कार्य बल ने, 2000 ईसवी सन् तक, राज्य में प्रारंभिक शिक्षा जन-जन तक पहुंचाने की सिफारिश की है । विद्यमान नियमों के अनुसार, सभी गांवों, वाड़ियों और बस्तियों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है। प्राथमिक स्कूल उन स्थानों पर खोले गए हैं जहां 200 और इससे अधिक की जनसंख्या है और जहां 1.5 कि०मी० की परिधि में कोई सुविधा अथवा प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है। पर्वतीय तथा जन जातियों क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस नियम में छूट दी गई है और तदनुसार उन 156 स्थानों का पता लगाया गया है जहां 100 अथवा इससे अधिक की जनसंख्या है तथा जहां 1 कि०मी० की परिधि में प्राथमिक शिक्षा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है । इस शैक्षिक सत्र में ये स्कूल खोले गए है । राज्य में सभी एक शिक्षक वाले स्कूलों को बहु शिक्षक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया है । आपरेशन ब्लैक बोर्ड के चरण I, II और III के अन्तर्गत शामिल किए गए एक शिक्षक वाले स्कूलों को भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से सहायक शैक्षिक सामग्रियां तथा उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं । 95 प्रतिशत अनुदान का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम के पूरक हेतु, राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक स्कूल को 500/–रु० की लागत की अध्यापन संबंधी सहायक सामग्रियां और उपकरण उपलब्ध कराती है ।

सार्वजनिक नामांकन तथा अवरोधन का कार्यक्रम

राज्य सरकार ने निम्न नामांकन तथा पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की समस्या सुलझाने के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

(i) **उपस्थिति भत्ता** :—गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की लड़कियों को सभी स्कूली कार्य दिवसों के लिए एक रुपया प्रति दिन का उपस्थिति भत्ता दिया जाता है हम इस योजना को पिछले दो वर्षों से राज्य निधियों से क्रियान्वित कर रहे है और इस पर प्रतिवर्ष 10 से 12 करोड़ रु० तक का खर्चा आता है । अभी तक इस स्कीम से परिणाम सकारात्मक निकले हैं । इससे लड़कियों के दाखिले तथा अवरोधन में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि वाह्य एजेन्सियां इस स्कीम तथा ऐसी ही अन्य स्कीमों का मूल्यांकन करें ।

(ii) **पुस्तक बैंक** :—अनु० जातियों/अनु० ज० जातियों तथा कमजोर वर्गों के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें मुहैया की जाती हैं। इस सुविधा के अतिरिक्त राज्य सरकार अनु० जा०/अनु० ज० जा० वर्ग के छात्रों को निःशुल्क वर्दियां तथा लेखन सामग्रियां मुहैया कराने की योजना क्रियान्वित कर रही है ।

शिक्षा का प्रबन्ध

राज्य सरकार ने उन सभी गांवों में गांव शिक्षा समितियां गठित की हैं जहां 50 प्रतिशत महिलाएं हैं, इन सभी समितियों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है और नियमित मार्गदर्शन तथा देखभाल एक सामान्य विशेषता बन गई है राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् गांव शिक्षा समिति के सदस्यों के लिए एक पुस्तिका तैयार कर रही है। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

राज्य सरकार ने, गांव स्तर पर प्राथमिक शिक्षा, शिशु शिक्षा और प्रौढ शिक्षा के दिन प्रतिदिन के काम के पर्यवेक्षण तथा मानीटरिंग के लिए इन गांव शिक्षा समितियों को अधिकार प्रदान किए हैं। कार्य-बल ने यह भी सिफारिश की है कि गांव स्तर पर इस महत्वपूर्ण प्रबन्ध तन्त्र को कुछ और अधिक अधिकार प्रदान किए जाएं ।

अपेक्षित अन्य न्यूनतम शैक्षिक सुविधाओं तथा स्कूल के दक्ष कार्यकरण के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों ने स्कूल की मदद की है । लोग या तो नकद दान करते हैं अथवा किसी रूप में अथवा श्रम में लगाए गए मामलों के लिए दान करते हैं। मुझे यह बताते हुए, खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम के बारे में प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है। यह कार्यक्रम 1987–88 में आरंभ किया गया था और अब तक 1899.45 लाख रु० एकत्र किए गए हैं ।

सामाजिक सुरक्षा जाल परियोजना (एस० एस० एन०)

इस विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत, औरंगाबाद, लातूर, नान्देड, उस्मानाबाद, और परभानी नामक पांच जिलों को चुना गया है । इन जिलों की परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं तथा भारत सरकार तथा विश्व–बैंक के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के बाद इन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा

समाज के वंचित वर्गों के छात्रों तथा विशेष रूप से लड़कियों तथा सभी छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पहुंच को व्यापक बनाना सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई योजना के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य में माध्यमिक शिक्षा के नियोजित विकास के लिए इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए एक बृहत योजना तैयार की है। राज्य सरकार ने शिक्षा के माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अपर प्राथमिक कक्षाओं तथा व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए पाठ्यचर्या में कुछ व्यावसायिक विषयों को आरंभ किया है। नवोदय विद्यालयों की योजना राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है।

शिक्षक प्रशिक्षण

प्राथमिक शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण की विद्यमान योजना संशोधित पाठ्य विवरण के अनुरूप तथा कार्रवाई योजना को कार्यान्वित करने के लिए संशोधित की जा रही है । शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के शिक्षकों को विषय सारांश के सम्बन्ध में गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को तीन स्तरीय वेतनमान की योजना के अनुसार, प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले ही आरंभ कर दिए गए हैं ।

पूर्ण साक्षरता अभियान

स्थानीय लोगों की सक्रिय सहभागिता से सिंधुदुर्ग तथा वर्धा जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक पहले ही चल रहा है । इन जिलों में प्राप्त किए गए अनुभव और प्रत्युत्तर ने राज्य सरकार तथा राज्य के शेष जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान आरंभ करने के लिए अन्य जिलों के लोगों को प्रेरित किया है । राज्य सरकार ने चरणबद्ध रूप से सभी जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान आरम्भ करने का नीति विषयक निर्णय लिया है। फिलहाल, नान्देड, लातूर, औरंगाबाद, जालना, परभनी, पुणे, रत्नगिरि और सांगली जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान प्रगति पर है । नान्देड तथा लातूर के जिलों में हाल ही में पूर्ण साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। बाह्य मूल्यांकन के परिणाम प्रोत्साहक हैं । पूर्ण साक्षरता अभियान बीड, उस्मानाबाद और बम्बई में शीघ्र ही चलाए जाएंगे । उत्तर साक्षरता अभियान सिंधुदुर्ग, वर्धा, नान्देड तथा लातूर जिलों में पहले ही आरंभ कर दिया गया है । राज्य सरकार का वर्ष 1993–94 के दौरान 6 और जिलों को शामिल करने का विचार है और शेष जिले आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाएंगे । उपर्युक्त सभी जिलों में लोगो की सहभागिता बड़े पैमाने पर है और परिणाम यह दर्शाते हैं कि राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित शत प्रतिशत प्रौढ़ साक्षरता को प्राप्त कर लेगी ।

मैं इस भव्य सभा के विचारार्थ चन्द सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं । मुझे वित्तीय अभावों की जानकारी है लेकिन ये सुझाव बहुत ही तात्कालिक स्वरूप के हैं, अतः इन पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विचार जानना आवश्यक है ।

(1) फिलहाल, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की प्रणाली, इस का संचालन तथा कार्यकरण पूरे राज्य में एक जैसा है । स्थानीय भौगोलिक और सामाजार्थिक स्थितियों के अनुसार जीवन के तरीके भिन्न-भिन्न हैं । पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में हालात भिन्न-भिन्न है ।

अतः हमारा अनुभव यह है कि शिक्षा की वर्तमान पद्धति कारगर नहीं है तथा बड़ी सीमा तक इन क्षेत्रों में लोगों के जीवन यापन तथा उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। अतः मेरा यह सुझाव है कि क्षेत्र के कार्यकर्ता तथा शिक्षाविद् इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए शिक्षा की उपर्युक्त पद्धति तैयार करें । तथपि, आवासीय स्कूलों के अनुभव को देखते हुए यह सुझाव है कि पाठ्यचर्या कार्यकलापों के अतिरिक्त, कुछ व्यावहारिक प्रशिक्षण आरंभ करने की आवश्यकता है जो बच्चों को याद करने में मदद करेगी तथा उनके माता–पिताओं को कमाने और उन्हें जीवकार्जन में भी सहायता प्रदान करेंगी ।

(2) जन–जन तक प्रारंभिक शिक्षा पहुंचाएं जाने के लिए बहुत बड़ी राशि की जरूरत है। जिला परिषदों के प्राथमिक स्कूलों के लिए स्कूल कक्षों जैसी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निधि का अधिकांश भाग अपेक्षित है। राज्य में 65,000 स्कूल कक्षों के निर्माण की कुल आवश्यकता है। प्रत्येक कमरे के लिए 72,000 रु० की जरूरत होगी । हमने स्कूल कक्षा निर्माण का यह कार्यक्रम सोपानबद्ध रूप में तैयार किया है, क्योंकि एक ही समय में सभी स्कूली कक्षों का निर्माण करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना राज्य के लिए मुश्किल है। चूंकि यह न्यूनतम आवश्यता है तथा राज्य के पास उपलब्ध निधियां पर्याप्त नहीं हैं। इन दोनों के लिए निधियां उपलब्ध करवा पाना राज्य सरकार के लिए बहुत मुश्किल है––

(i) अपेक्षित संख्या में कमरों का निर्माण करना, और

(ii) पुराने स्कूलों के कमरों की मरम्मत करना ।

अधिकांश स्कूल बहुत ही टूटी फूटी हालत में है जिसकी वजह से वे असुरक्षित हैं तथा कक्षाएं लगाए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है, इस प्रकार, स्कूलों के इन कक्षों की मरम्मत करने की तुरंत आवश्यकता है। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह आगे बढ़कर राज्य सरकार की मदद करें।

(3) मैं शैक्षिक प्रयोजनार्थ संचार माध्यम की उपयोगिता के सम्बन्ध में दो सुझाव देना चाहूंगा :—

(क) फिलहाल दूरदर्शन द्वारा विभिन्न चैनल शुरू किए गए हैं जिसमें विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनमें अधिकांश कार्यक्रम वाणिज्यिक स्वरूप के होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि छात्र दर्शकों की संख्या अधिक होती है। अतः दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का छात्र समुदाय पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है जो स्वभाविक रूप से, इस प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए प्रदर्शित किए गए विचारों को काफी हद तक ग्रहण करते हैं। अतः यह सुझाव है कि दूरदर्शन को इन कार्यक्रमों की छटनी कड़ाई से करनी होगी, उनका विश्लेषण करना होगा तथा उन अध्ययनों को पूरा करना जिनका समग्र रूप से छात्र समुदाय पर प्रभाव पड़ता हो। आवांछित कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाना चहिए तथा कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों को आरंभ किया जाना चाहिए।

(ख) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से, शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए अलग चैनल आरंभ किए जाने के लिए काफी लम्बे समय से चली आ रही मांग पर विचार करने के लिए अनुरोध किया जाए दूरदर्शन के लिए यह भी संभव है कि उत्कृष्ट तथा लब्ध प्रतिष्ठित स्वैच्छिक एजेंसियों तथा शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण को शामिल करते हुए कुछ सीमा तक ऐसे चैनलों का उपयोग कर सकता है।

(4) महाराष्ट्र सरकार आदिम जातियों की "लड़कियों के लिए शिक्षा परिसर" की योजना का स्वागत करती है।

योजना में प्रस्तावित शिक्षा की प्रणाली वास्तव में उपयोगी है क्योंकि वे जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी व्यावहारिक होगा। इस योजना में "कार्यानुभव" को आरंभ करना छात्रों तथा उनके अभिभावकों दोनों के लिए सहायक होगा। जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं में साक्षरता दर पर विचार करते हुए, मेरा यह सुझाव है कि इस योजना का विस्तार सभी जन जातियों की सभी लड़कियों के लिए तथा पर्वतीय लड़कियों के लिए तथा राज्य के अगम्य क्षेत्रों के लिए किया जाना चाहिए।

(5) भारत सरकार जनजातीय छात्रों के लिए राज्य सरकार के छात्रावासों के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आज की स्थिति के अनुसार, अधिकांश जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में, संचार की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। इन क्षेत्रों में से कुछ में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमारे राज्य में अधिकांश माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 5 से कक्षा 10 तक की कक्षाएं चल रही हैं। छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए 5 कि० मी० अथवा इससे अधिक की दूरी स्कूल जाने के लिए तय कर पाना कठिन है। अतः सुझाव है कि भारत सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार कर सकती है और जन जाति के लिए तथा पर्वतीय क्षेत्रों और अगम्य क्षेत्रों के छात्रों के लिए भी छात्रावासों के निर्माण हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। भारत सरकार वित्तीय सहायता की पद्धति तय कर सकती है। जिसका एक भाग सहायता अनुदान के रूप में हो सकता है तथा शेष बिना ब्याज के ऋण के रूप में हो सकता है।

(6) राज्य सरकार नवोदय विद्यालय योजना को कार्यान्वित कर रही है। चार जिलों को छोड़ कर, अन्य जिलों में भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित शर्तों विशेष रूप से 25 एकड़ की न्यूनतम भूमि की उपलब्धता से सम्बन्धित शर्त को पूरा करते हुए नवोदय विद्यालय समुचित रूप से स्थापित किए गए हैं :

(क) राज्य सरकार ने सतारा, शोलापुर, अकोला तथा पुणे के जिलों में नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने का प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। हम भारत सरकार से इनके अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत सरकार इस पर विचार करे तथा यथासंभव शीघ्र इन प्रस्तावों के लिए स्वीकृति दे।

(ख) नवोदय विद्यालय की योजना का मुख्य उद्देश्य, योग्य तथा प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभाओं की देखभाल करना और उनका विकास करना है। फिलहाल, इन स्कूलों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी है। शिक्षण के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा अनुमत्य नहीं है यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में दी जानी चाहिए ताकि शिक्षा का माध्यम अध्ययन की प्रक्रिया में बाधक न हो। इन स्कूलों में चूंकि अपर प्राथमिक स्कूल है, अतः मेरा यह सुझाव है कि चन्द नवोदय विद्यालय मराठी माध्यम से आरम्भ किए जाएं।

मैं आश्वस्त हूं कि हम जिन तात्कालिक समस्याओं का शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सामना कर रहे हैं, हम व्यावहारिक समाधान निकाल सकते हैं। इस बैठक में हम जिन अनुभवों का आदान-प्रदान कर सकेंगे, मैं आश्वस्त हूं कि इससे हम सब इन समस्याओं की बेहतर अर्न्तदृष्टि प्रकृति में लाभान्वित हो सकते हैं और उनके लिए उपयुक्त समाधान खोज सकते हैं।

धन्यवाद।

जय हिन्द।

मेघालय के शिक्षा मंत्री डा० एच० लामीन का भाषण

इस भव्य सम्मेलन में भाग लेते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सभी इस बैठक की प्रतीक्षा में थे जहां हम अपने अनुभवों का आदान–प्रदान कर सकते हैं तथा अपने देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्यनीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास कर सकते हैं ताकि हम 21 वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आपको तैयार कर सकें।

यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नि:संदेह शैक्षिक कार्यक्रम और मानव संसाधन विकास का एक नया स्वरूप पेश किया गया है। हमें आशा है कि इस नई शिक्षा नीति को लागू करने से राष्ट्रीय अखंडता और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता को न भूलते हुए समय की चुनौतियों खासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की चुनौतियों का मुकाबला करने में हमारे नौजवान बेहतर स्थिति में होंगे।

2. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के रूप में हमने विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कार्यनीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गंभीर रूप से विचार किया है। राज्य में शैक्षिक विकास की अद्यतन स्थिति को ध्यान में रख कर प्रारूप कार्रवाई योजना तैयार की गई है। कार्रवाई योजना को कार्य रूप प्रदान करने के संबंध में हमारे राज्य की राजधानी में हाल ही में 15 और 16 सितम्बर 1993 को आयोजित की गई उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय कार्यशाला राज्य कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देने के क्रम में खासतौर पर बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के लिए इसे मंत्रिमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत करने का हमारा प्रस्ताव है। तथापि, राज्य कार्रवाई योजना को अंतिम रूप प्रदान करने से पूर्व इसके प्रारूप में और अधिक संशोधन करने में इस बैठक से हमें मदद मिलेगी।

3. हमारा राज्य गरीब और पिछड़ा हुआ है। हमारे अधिकांश बच्चे प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं। 80% आदिवासी जनसंख्या है तथा वे खेती-बाड़ी की दुर्बल अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत गांवों में रहते हैं। साक्षरता दर मात्र 48% है जो राष्ट्रीय स्तर से काफी नीचे है। यह राज्य में शैक्षिक विकास के स्तर का सूचक है। अत: राष्ट्रीय मुख्यधारा में पहुंचने के लिए हमें अपने शैक्षिक कार्यकलापों में तेजी लानी होगी जैसा कि अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में है, हमारे गांव और बस्तियां काफी दूर-दूर बसे हैं तथा इनकी आबादी बहुत कम है अत: 300 की आबादी वाली बस्ती या एक कि० मी० की दूरी के अन्दर स्कूल स्थापित करने का अखिल भारतीय मानदंड हमारे राज्य के मामले में व्यवहार्य नहीं होगा। यदि हमें 6–14 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बच्चों को शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने की संवैधानिक वचन-बद्धता को पूरा करना है तो 100 तक की आबादी के लिए एक स्कूल जैसी एक अलग कार्यनीति पर्वतीय क्षेत्रों तथा छिट-पुट आबादी वाले अन्य क्षेत्रों के लिए तैयार करना होगा। हमारा राज्य जिन जटिल समस्याओं का अनुभव कर रहा है उनके समाधान के लिए मैं इस महान निकाय के सुझाव का स्वागत करूंगा।

4. छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण काफी समय पहले आयोजित कर लिया जाना चाहिए था जिससे आठवीं पंचवर्षीय योजना के साथ इसका सह संबंध स्थापित किया जा सके। तथापि अभी भी ऐसा सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए काफी विलंब नहीं हो गया है क्योंकि ऐसा करने से कम से कम योजना के मध्यावधि मूल्यांकन हेतु अद्यतन सूचना उपलब्ध हो जायेगी। हम उम्मीद रखेंगे कि इस सर्वेक्षण से स्कूल की योजना तथा स्कूल का मानचित्र तैयार करने में हमें मदद मिलेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा छोड़ जाने वालों की अत्याधिक दर तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों की अधिक संख्या के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाने में इस सर्वेक्षण से राज्य को काफी मदद मिलेगी।

5. राज्य कम साक्षरता दर के संबंध में चिंतित है। अत: हम अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहें हैं। सीमित संसाधनों के भीतर योग्य गांवों तथा बस्तियों में स्कूल और शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए हमने प्रयास किया है। 15–35 आयुवर्ग में प्रौढ़ साक्षरता में सुधार लाने के लिए हमने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। यद्यपि राज्य में औपचारिक स्कूल और संस्थाएं चलाने में अनुभवी अनेक स्वयं-सेवी एजेंसियां हैं फिर भी दुर्भाग्य से कार्यसाधक साक्षरता के लिए जन कार्यक्रम संचालित करने में इनमें से बहुत कम को अनुभव प्राप्त है। इसलिए हमारे राज्य में प्रौढ़ साक्षरता के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान (टी० एल० सी०) और केन्द्र आधारित दृष्टिकोण के बीच से चयन किया जाता है। अत: हम हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्र आधारित आर० एफ० एल० पी० कार्यक्रम का स्वागत करते हैं।

6. स्कूली बच्चों पर स्कूल बैग के बोझ के संबंध में गठित यशपाल समिति द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाया गया है। हम इस समिति की सिफारिशों की प्रशंसा करते हैं तथा उनके दृष्टिकोणों का समर्थन करते हैं। इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि हमने अपने अभिभावकों की आर्थिक दशा को जानकर अपने बच्चों के स्कूल बैग को जानबूझकर

हल्का रखा है। इससे हमारे बच्चे अधिक संख्या में स्कूल में दाखिल हो सके हैं जो अन्यथा स्कूली पाठ्यपुस्तकों के अभाव में स्कूल से बाहर ही रहते।

7. व्यावसायीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा प्रारंभ में कुछ ही स्कूलों को कक्षाकक्ष और प्रयोगशाला जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मेघालय स्कूल शिक्षा बोर्ड को पाठ्यचर्या तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है जो रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों तथा राज्य की स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर यह काम करेगा। तथापि योजनाओं के कार्यान्वयन में हमें कुछ कठिनाइयों का पूर्वानुमान है क्योंकि ऐसे पाठ्य-क्रमों के अर्हताप्राप्त तकनीकी प्रशिक्षकों का राज्य में अभाव है। अतः हम इस क्षेत्र में मदद के लिए केब की बैठक पर नजर गड़ाए हैं। हमारा सुझाव है कि हमारे व्यावसायिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उपयुक्त ढंग से स्थित एक संस्थान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने में काफी मददगार साबित होगा।

8. शिक्षा के विकेन्द्रीकरण खासकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमें अपने अनुभव बताने की कृपया अनुमति दें। संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत जिला परिषदें खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियों के तीन स्वायत्त क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का संचालन तथा प्रबंधन कर सकती हैं। लगभग तीन दशक तक प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्कूलों का संचालन प्रबन्धन और नियंत्रण तीन जिला परिषदों द्वारा किया जाता रहा है। राज्य की भूमिका इस प्रयोजनार्थ धन प्रदान करने तक सीमित है। तथापि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है---शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता है, धन का सही दिशा में प्रयोग नहीं होता है तथा स्कूल बिना शिक्षक के चलते हैं। अस्सी के दशक के प्रारंभ में लगभग सभी स्कूलों ने कार्य करना बन्द कर दिया था तथा स्कूलों को खोलने और शिक्षक पढ़ाए इसके लिए राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन आयोग बैठाए गए तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि जिला परिषदें अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वाह करने में असफल रही है। अतः राज्य सरकार को बहुत ही अनिच्छा से एक बार में 6 माह की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर जिला परिषदों से अपने नियंत्रण में लेना पड़ा। यह व्यवस्था आज तक जारी है। हाल ही में सरकार ने जिला परिषदों से प्राथमिक शिक्षा को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है। यह भी सूचित किया जा सकता है कि जिला परिषदों ने भी खुद जिले में शैक्षिक विकास के हित में प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन और नियंत्रण राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है।

9. इन थोड़े से शब्दों के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बैठक में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में हम जिन-जिन तात्कालिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका चिरस्थाई हल निकालने में हम सफल होंगे। मुझे इस बात का भी पूर्ण विश्वास है कि जिन अनुभवों का हम इस बैठक में आदान-प्रदान करेंगे उनसे हम अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकेंगे तथा अपने-अपने राज्यों में लौटकर ज्यादा कारगर और दक्षतापूर्ण ढंग से उन्हें हल कर सकेंगे।

नागालैंड के स्कूल शिक्षा, युवा संसाधन व खेल मंत्री श्री आई० इम्कोंग का भाषण

शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के लिए 1976 का संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का प्रतिपादन कार्रवाई योजना तैयार करना, नीति निर्णयों के कार्यान्वियन को नियमित समीक्षा ने शिक्षा के क्षेत्र में कई संदर्श प्रस्तुत किए हैं। सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संपूर्ण राष्ट्र से इस बात का आह्वान किया गया है कि वे समाज के सभी वर्गों की भागीदारी द्वारा विशेष रूप से 15–35 आयु वर्ग में निक्षरता उन्मूलन करने की प्रतिक्षा करें। शिक्षा का समवर्ती सूची में स्थानांतरण करने से तथा तदन्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से राज्यों की भूमिका व जिम्मेवारी में कोई परिवर्तन नहीं आया। परन्तु इससे केन्द्र सरकार पर अधिक जिम्मेवारी आ गई है, मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार व राज्यों के बीच उचित समन्वय व सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करनें में सहायक होंगे।

राज्य का दर्जा प्राप्त करने के पश्चात् नागालैंड में साक्षरता में पर्याप्त सुधार हुआ है। 1961 में 20.43 प्रतिशत की निम्न साक्षरता से 1991 में वह 61.30% हो गई। राज्य की 12 लाख से अधिक की कुल जनसंख्या में से 305,366 छात्र हैं जिसमें से 1,385 प्राथमिक स्कूलों में, 357 मिडिल स्कूलों में तथा 189 हाई स्कूलों में हैं। 31 कालेजों व उत्तरी पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय में करीब 10,000 हैं। इस प्रकार हमारी जनसंख्या का करीब 38% स्कूलों व कालेजों में है। हम अपने राज्य बजट का करीब 13.8% स्कूल शिक्षा पर व्यय करते हैं। हमारी कार्रवाई योजना तैयार की जा रही है तथा शीघ्र ही तैयार हो जाएगी। तथापि मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्रवाई योजना के अधीन राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

राज्य में प्रमुख रूप से आदिवासीय नागा बसे हुए हैं। वे जनसंख्या का 87.7 है। अतः राज्य के सभी प्रयास अनुसूचित जाति जनसंख्या के लाभ के लिए हैं। नागालैंड में शिक्षा व रोजगार अवसर, लिंग, धर्म व सामाजिक स्तर का ध्यान किए बिना सभी के लिए खुले हैं। राज्य सरकार लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करके महिला साक्षरता को पुरूष साक्षरता के बराबर लाने के प्रयास कर रही है।

12,09,945 की जनसंख्या में से (1991 जनगणना) नागालैंड में 16 मुख्य जातियां हैं जो विभिन्न भाषाएं बोलती है। अंग्रेजी राज्य भाषा होने के साथ साथ शैक्षिक संस्थानों में निर्देशका माध्यम भी है। जनजातीय भाषाएं समान रूप से विकसित नहीं हुई हैं। कुछ जातियां जैसे अंगामिस, एओस, लोथास व सीमास ने कक्षा × व इससे आगे भाषाएं आरंभ की है। अन्य जातियों ने अभी आरंभ करनी हैं। इन अल्पसंख्यक दलों के भाषा विकास के स्वीकृत करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र पर हम केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं कि वह इसको देखे तथा स्वदेशीय जातीय भाषाओं के विकास में राज्य सरकार की सहायता करें।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम नागालैंड में 1978–79 में आरम्भ किया गया था। राज्य साक्षरता मिशन 1988 में आरंभ किया गया। वोखा व मोकाकचुंग जिलों को 100% साक्षर जिले घोषित किया गया था। नव-साक्षरों के लिए अध्ययन सामग्री की कमी उन्हें फिर से निरक्षरता की ओर ले जाती है। थोड़े से जन शिक्षण निलायम व एक गांव से दूसरे गांव के बीच दूरी, यातायात उपलब्ध न होना, खेत में सुबह से शाम तक कार्य करने की पारंपरिक व्यावसायिक आदतें, भाषा, भिन्नताएं आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से प्रयोजन को पूरा नही कर सकते। नागालैंड में कोई भी अनौपचारिक शिक्षा योजना आरंभ नहीं की गई है। विशिष्ट स्थिति व आदिवासीय और पर्वतीय गांवों की आवश्यकता को देखते हुऐ साक्षरता प्राप्त करने व जारी रखने और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए प्रत्येक गांव में संघटित जन शिक्षण निलायम उपयुक्त होंगे जो मुख्य रूप से ध्यान सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा व सतत शिक्षा की ओर देंगे। नव-साक्षरों को साक्षर बनाए रखने के लिए राज्य में जातीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री की शीघ्र आवश्यकता है। हमें आशा है कि सतत शिक्षा के लिए सुविधाओं की सहायता से केन्द्र आधारित कार्यक्रम पुन आरंभ करके हम शताब्दी के अंत तक सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए हमें केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता होगी।

राज्य ने प्राथमिक स्तर पर 100 प्रतिशत कुल नामांकन तथा माध्यमिक स्कूल स्तर पर 69 प्रतिशत नामांकन प्राप्त कर लिया है। प्राथमिक व माध्यमिक स्तरों में लड़कों व लड़कियों के नामांकन के बीच सामांकन अनुपात में विभिन्नताएं क्रमशः 10 प्रतिशत व 2 प्रतिशत है। माध्यमिक स्कूल में कम उपलब्धि पड़ोस में मिडिल स्कूलों का उपलब्ध न होने के कारण अंर्त-ग्राम दूरी व छात्रावास सुविधाओं की कमी की वजह से है। राज्य के 28 ब्लाकों में प्राथमिक स्कूल आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं। तथापि सुविधाओं का माध्यमिक स्कूलों के लिए भी सुदृढ़ और विस्तार किया जाना अपेक्षित है। प्राथमिक

शिक्षा पाठ्यचर्या को राष्ट्रीय कोर पाठ्यचर्या के समरूप व रा० शै० अ० प्र० प० के दिशा निर्देशों के अनुसार पुन: तैयार किया गया है। अध्ययन का न्यूनतम स्तर, राष्ट्रीय अखंडता व सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य जैसे पहलू भी शामिल किए गए हैं। वर्तमान पाठ्यपुस्तकों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। राज्य में 64 गांव बिना प्राथमिक स्कूलों के हैं। नए घर बस रहे हैं। जनसंख्या 5.7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। (1991 की जनगणना) आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार हमारी प्रमुख चुनौती होगी। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के प्रबंध में समुदाय की भागेदारी सुनिश्चित करने तथा प्राथमिक स्कूलों का प्रशासन सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ग्रामीण शिक्षा समितियां गठित की गई थी।

राज्य में माध्यमिक शिक्षा हाई स्कूलों में कक्षा IX व में उपलब्ध है जबकि +2 स्तर एन० ई० एच० टू के शैक्षिक निरीक्षण के अन्तर्गत राज्य के डिग्री कालेजों में पी० यू० कक्षाओं में है। इस वर्ष विज्ञान व मानविकी में चार विद्यमान हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रोन्नत किया गया है। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अपनाई गई हैं। राज्य शिक्षा समिति अगले शैक्षिक वर्ष से और सरकारी व निजी स्कूलों को +2 कक्षाएं आरंभ करने की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है। औद्योगिक रूप से पिछड़े होने कम बुनियादी सुविधाएं, रोजगार अवसरों की कमी तथा मानव शक्ति संसाधनों की कमी के कारण नागालेंड में शिक्षा के +2 स्तर पर व्यावसायीकरण का कार्य क्रम कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

नागालैंड जैसे दूरस्थ व अविकसित राज्यों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता अभी तक स्थापित दो नवोदय विद्यालयों को भौतिक बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। स्थान के निरीक्षण सहित औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात भी प्रस्तावित चार नए नवोदय विद्यालय स्थापित नहीं किए गए हैं।

बी० एड० डिग्री के लिए एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केवल एक संस्था-नागालैंड शिक्षा कालेज देता है जिसकी क्षमता 75 सीटों की हैं। अवर मैट्रिक प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए पहले दो जे० टी० टी० आई० तैयार किए गए हैं। इस प्रकार के एक संस्थान के स्थान पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है जो कार्य कर रहा है। तीन और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों का प्रस्ताव किया गया है, तथा मुझे आशा है कि इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अनुमोदित कर दिया जाएगा। इस प्रकार धीरे धीरे जे० टी० टी० आई० का स्थान डी० आई० ई० टी० ले लेगी तथा ये अध्यापकों के प्रशिक्षण व अनौपचारिक शिक्षा को देखेंगे। रा० शै० अ० प्र० प० अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यचर्या व पाठ्य-पुस्तक विकास हेतु शिखर संस्थान के रुप में कार्य करेगी।

राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक आयोग के प्रस्ताव पर विचार, पाठ्यचर्या व पाठ्यपुस्तकों के संबंध में रा० शै० अ० प्र० प० को भूमिका व कार्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा। संविधान में प्रदत्त संयुक्त कार्य की भावना को कायम रखा जाना चाहिए।

अब मैं आपका ध्यान कार्यसूची में सूचित अन्य समिति रिपोर्टों की ओर दिलाना चाहूंगा।

ज्ञानम समिति रिपोर्ट

हालांकि नागालैंड में हमारे पास स्कूल शिक्षा के लिए काफी बुनियादी सुविधाएं व मानव शक्ति है परन्तु उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। हमारे अधिकतर छात्रों को उच्चतर व तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता है। उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय के परिसर के अतिरिक्त राज्य में आठ सरकारी व 23 निजी कालेज हैं। जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने नागालैंड विश्व-विद्यालय, जो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, स्थापित करने के लिए एक कानून बनाया है। मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार की शुभकामनाओं के साथ यह ठीक प्रकार से प्रगति करेगा। प्रो० ए० ज्ञानम की अध्यक्षता में प्रबंध के वैकल्पिक साधन पर विश्व० अनु० आयोग समिति द्वारा की गई सिफारिशें अभी लागू नहीं की गई है तथा यदि उचित प्रकार से कार्यान्वित कर ली जाती है तो यह हमारे विश्वविद्यालयों व कालेजों के शैक्षिक स्तरों में काफी हद तक सुधार करेंगी। हम ज्ञानम समिति की रिपोर्ट के संबंध में के० शि० स० बो० समिति की सिफारिशों का समर्थन करते हैं।

विधायी परिषदों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व

नागालैंड में कोई विधायी परिषद नहीं है। हमारे यहां स्थानीय निकायों या विधायी परिषदों में अध्यापकों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु हमारा संविधान उन राज्यों में जहां विधायी परिषदें हैं वहां अध्यापकों को विशेष स्थिति प्रदान करता है। केवल अध्यापकों को यह विशेषाधिकार देना व्यावसायिक दलों के बीच भेदभाव है। अगर यह नीति जारी रखी जाती है तो डाक्टर, वकील, पत्रकार आदि जैसे अन्य दल भी भविष्य में इस प्रकार के विशेषाधिकार की मांग करेंगे। यह अध्यापकों के बीच भी भेदभाव है क्योंकि केवल माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के साथ यह विशेष व्यवहार किया जाता है। यह अध्यापकों के व्यवसाय को राजनीति की ओर ले जाता है। अत: हम विधायी परिषदों में अध्यापकों के प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के लिए के० शि० स० बो० के समिति की

सिफारिशों से सहमत है तथा इसके साथ-साथ अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (ग) में संशोधन की सिफारिश करते हैं ।

शिक्षा का विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध

यहां मैं केन्द्र सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने 73 व 74 संवैधानिक संशोधन करके जनता को अधिकार देने के प्रावधान बनाए हैं । दुर्भाग्य से कम जनसंख्या के कारण नागालैंड राज्य पर ये संशोधन लागू नहीं होते । तथापि, हमारे यहां ग्राम स्तर पर एक टायर पद्धति है जो काफी समय से चल रही है । ग्राम परिषदों के निरीक्षणाधीन विकासात्मक कार्यों की योजना व निष्पादन के लिए राज्य 80 के आरम्भ में गांव विकास बोर्ड का एक संस्थान तैयार किया गया था । हम प्राथमिक स्कूलों की देखभाल के लिए ग्राम परिषदों एवं गांव विकास बोर्ड को कुछ अधिकार सौंपने पर विचार कर रहे हैं । अतः हम शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध पर के० शि० सं० बो० द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत हैं ।

स्कूल बस्ते के भार के सम्बन्ध में यशपाल समिति रिपोर्ट

हम स्कूलों में छात्रों के शैक्षिक भार विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों में कम करने हेतू की गई सिफारिशों से सामान्य रुप से सहमत हैं । सभी इस बात से सहमत होंगे कि याद करने का भार तथा भारी स्कूल बस्ते ले जाना जो छात्रों की क्षमता से बाहर है तथा सभी सरकारी व निजी स्कूलों में अधिक गृह कार्य देने की प्रक्रिया को कम किया जाना चाहिए । जैसाकि यशपाल समिति ने सुझाव दिया है पाठ्यचर्या व पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने में अध्यापकों की अधिक भागेदारी द्वारा उचित पाठ्यचर्या व पाठ्यपुस्तकें विकसित करके आनंदपूर्ण अध्ययन को बढ़ावा देना आवश्यक होगा । परन्तु स्कूलों में पाठ्यपुस्तक रखने का सुझाव संभव नहीं हो सकता, अतः इस सिफारिश का पुनरीक्षण किया जाए ।

खेल व शारीरिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा से सम्बन्धित के० शि० स० बो० समिति की रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई । तथापि मैं नागालैंड में युवकों के सम्बन्ध में संक्षेप में कहना चाहूंगा समिति रोजगार सेवायें उपलब्ध होने के कारण हम सभी युवाओं को लाभजनक रोजगार नहीं दे सकते । हमारे समक्ष स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले, नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले ए० आई० डी० एस० आई० की समस्याऐं हैं । हमारे कई युवक राजद्रोही दलों की ओर आकर्षित हो गए हैं । युवकों को इन सामाजिक बुराईयों से हटाने के लिए हमने एक नया युवा संसाधन विभाग विकास खोला है तथा प्रत्येक लक्षित दल के लिए नई योजनाएं तैयार की हैं । इस विभाग के अन्तर्गत युवाओं की एक डायरेक्टरी तैयार की जा रही है ताकि शिक्षित बेरोजगार युवा पर उचित रोक लगाई जा सके और सहायता वितरित की जा सके । युवाओं को निर्देशन व उचित परामर्श देने के लिए एक नियोजन ब्यूरो बन रहा है । राज्य में खेल क्रियाकलापों हेतु बुनियादी सुविधाओं पर निवेश के लिए कई योजनाओं का भी प्रस्ताव किया जा रहा है । आशा है कि केन्द्र सरकार से पर्याप्त सहायता के साथ हम युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए इन योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से चला सकेंगे ।

उड़ीसा के स्कूल और जन शिक्षा मंत्री श्री पी० सी० घादेई का भाषण।

1. कार्रवाई योजना को कार्यरूप प्रदान करना

राज्य सरकार कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दे रही है। राज्य कार्रवाई योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा केवल वित्तीय निरूपणों को ही अंतिम रूप दिया जाना शेष है। उड़ीसा में राज्य स्तरीय कार्य दल का गठन किया गया तथा प्रख्यात शिक्षा-विद, शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि तथा नीति निर्धारण और कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य थे। लेकिन उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहां आदिवासियों की आबादी बहुत अधिक है तथा कक्षा बीच में छोड़ जाने वालों की दर भी अधिक है। कार्रवाई योजना को लागू करने के लिए काफी वित्तीय परिव्यय की जरूरत होगी। उड़ीसा की मुख्य समस्या पहुंच की है। यहां ऐसी बस्तियों की संख्या हजारों में है जहां बुनियादी शिक्षा की सुविधाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। भारत सरकार को उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य को और अधिक बजटीय सहायता अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए। अन्यथा कार्रवाई योजना तैयार करने का संपूर्ण प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन में राज्य की रूचि के प्रतीक के रूप में राज्य कार्रवाई योजना मंत्रिमण्डल के सम्मुख अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली है।

2. शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन पर गठित के समिति की रिपोर्ट

मैं केब की उस समिति का एक सदस्य था जिसने इस मुद्दे पर विचारविमर्श किया। रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या पंचायती राज संस्थाएं दायित्वों को वहन करने के लिए पूरी तरह सक्षम या परिपक्व हैं? यह सच है कि ग्राम शिक्षा समितियों को सुदृढ़ बनाकर, विकेन्द्रीकृत आयोजना तथा शिक्षा के प्रबंधन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पहले से ही किए गए धन के प्रवाह को प्रोत्साहन देकर ग्राम समुदाय के प्रति शिक्षकों की जवाबदेही को स्थापित करने की आवश्यकता है। लेकिन उड़ीसा जैसे राज्य में शुरूआती वर्षों में धीरे धीरे तथा सावधानीपूर्वक कदम उठाया जाना चाहिए। यद्यपि प्राथमिक, गैर-औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा का प्रबंधन जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है, फिर भी और अधिक विकेन्द्रीकरण किए जाने से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक परिपक्व हो जाने का इंतजार किया जाना चाहिए। विगत में उड़ीसा सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को शैक्षिक प्रबंधन की शक्तियां प्रदान की थीं। ऐसा कड़वा अनुभव प्राप्त हुआ कि इस कदम को वापस लेना पड़ा। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शैक्षिक पर्यवेक्षण एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं समझता हूं कि संपूर्ण देश के शिक्षक संघ शैक्षिक पर्यवेक्षण का कार्य शिक्षा विभाग से हटाकर पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने संबंधी किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे।

3. यशपाल समिति रिपोर्ट

यह एक सारगर्भित, उपयोगी रिपोर्ट है। इसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली की लगभग संपूर्ण समस्याओं का विश्लेषण किया गया है तथा इससे पाठ्यचर्या सुधार, परीक्षा सुधार तथा अध्ययन – अध्यापन की प्रक्रिया को बाल – केन्द्रित बनाने की आवश्यकता पर राष्ट्रव्यापी वाद–– विवाद का आविर्भाव होगा। इस रिपोर्ट का उड़ीसा भाषा में अनुवाद करा लिया गया है तथा इसे व्यापक स्तर पर परिचालित करने के लिए इसे शीघ्र ही मुद्रित किया जाएगा तथा तथापि, समिति के दिमाग में यह बात नहीं आई है कि ग्रामीण तथा वहिर्वर्ती आदिवासी इलाकों के स्कूलों में आधार–भूत सुविधाओं का अभाव है जहां इन सुविधाओं के अभाव के कारण पाठ्यपुस्तकों को स्कूल की संपत्ति बनाने जैसा छोटा सा कदम भी नहीं उठाया जा सकता। पर बच्चों द्वारा घर पर किए जाने वाले कुछ कार्यकलापों के जरिए घर पर सीखने का जो माहौल बिल्कुल भी नहीं है उसे दूर करने की आवश्यकता है तथा गृह कार्य की पूर्ण रूप से समाप्ति वांछनीय नहीं होगी।

संपूर्ण समस्याओं के मूल में यह है कि समाज के भौतिकवादी तथा प्रतिस्पर्धी आचार– विचार ने बच्चों को अध्ययन के ढ़ाचे में बिलकुल ही महत्वहीन स्थान पर ढ़केल दिया है। जब तक अभिभावक और शिक्षक समाज तथा संसाधन संस्थाएं शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में गुणात्मक दृष्टि से अर्थ परिवर्तन के लिए एक जुट होकर कार्य नहीं करेंगी तब तक इस परिदृश्य में परिवर्तन की उम्मीद करना कोरी कल्पना ही होगी। लेकिन यशपाल समिति की सिफारिशों में एक ऐसे व्यवहार्य तंत्र का सुझाव नहीं दिया गया है जो इस जटिल समस्या का हल ढूंढने का कोई तरीका विकसित कर सके। एक तरह से इसने इस जटिल कार्य को प्रशासन की इच्छा या इसके द्वारा स्वयंसेवी प्रयासों को दिए गए स्थान पर मुख्यतः छोड़ दी है। अंत में, बच्चों के बोझ को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है – पाठ्यचर्या को घटाना। उड़ीसा में इस दिशा में प्रयास पहले से ही किए जा रहे हैं। मेरा दावा है कि इस रिपोर्ट पर राज्य के भीतर व्यापक पैमाने पर ध्यान दिया जाएगा।

उड़ीसा राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री का अभिभाषण

लोकतंत्रात्मक राजव्यवस्था में कोई भी सार्वजनिक या राजकीय संस्थान पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जब कुलाधिपति ने विकृतियों को व्यवस्थित करने तथा अवैधानिकता एवं वित्तीय अनियमितता की सुधारने हेतु विश्वविद्यालयों को निर्देश देने की आवश्यता का अनुभव किया है। ऐसे भी कई उदाहरण है जब कुछ विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय निकायों ने शिक्षा के स्तरों को कम करने या गैर शैक्षिक मामलों में शैक्षिक निर्णय लेने की ओर प्रवृत्त हुए हैं। चूंकि अधिकतर विश्वविद्यालय, आने वाले लम्बे समय के लिए विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध हेतु संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं होंगे, अतः विश्वविद्यालयों को मुख्य रूप से सरकारी अनुदान पर निर्भर रहना होगा तथा इसके लिए, सरकार को वैधानिक विनियोजन प्राप्त करना होता है अतः सरकार विश्वविद्यालयों के पक्ष में स्वीकृत अनुदानों के लिए विधान के प्रति उत्तरदायी होगी। विश्वविद्यालयों को, सरकार के प्रति, सरकार के प्राप्त अनुदान सीमा तक उत्तरदायी होना पड़ेगा। इस प्रकार, विश्वविद्यालयों, आन्तरिक प्रबंध क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैधानिक नियमावली में यह अपेक्षा की जाती है कि आन्तरिक व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की संविधि के अनुसरण में होनी चाहिए तथा उस स्थिति, जिसमें विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय संविधि के अनुरूप कार्य नहीं करता ऐसी स्थिति में कुलाधिपति को हस्तक्षेप करने तथा अवैधानिकताएं या अनियमितताएं दूर करने का अधिकार प्राप्त है।

दूसरे शब्दों में एक विश्वविद्यालयों की शैक्षिक स्वायत्ता, कुलाधिपति एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्ण निरीक्षण तथा नियंत्रण पर निर्भर होनी चाहिए। यह व्यवस्था इसलिए आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मानकस्तर को बनाए रखा जाये तथा असम्बद्ध कारणों के लिए शैक्षिक उद्देश्यों के धीमे होने या कम होने को रोका जा सके। दूसरी बात यह है कि सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान को किसी तरीके से प्रयुक्त किया गया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय सरकार के प्रति जवाबदेह है। इन अनुदानों का प्रयोग उन शर्तों व अनुबंधों के अनुसरण में किया जाना चाहिए। जिनके लिए अनुदान प्रदान किया गया है। तीसरी बात यह है कि आन्तरिक प्रबंध के मामले में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की पूर्ति होगी कि आन्तरिक प्रबन्धन विश्वविद्यालय संविधि के अनुसरण में हो। जिन विश्वविद्यालयों में आन्तरिक प्रबन्धन में परिवर्तन किए गए हों उस स्थिति में अनियमितताओं और अवैधताओं का संशोधन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के लिए कुलाधिपति को प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

चुनावों में विश्वविद्यालयों के स्टाफ की सहभागिता (पृष्ठ 4, पैरा-11)

ज्ञानम् समिति ने यह सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों तथा कालिजों के शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ को संसद राज्य विधान सभा या अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए परन्तु शर्त यह है कि उन्हें नामांकन भरने की तारीख से ही विशेष अवकाश दे दिया जाए। सोनेरी समिति ने इस महत्वपूर्ण मामले पर कोई विशेष संस्तुति नहीं की है। ज्ञानम् समिति की सिफारिश की स्वीकृति के दूरगामी परिणाम होंगे। यदि विश्वविद्यालय और कालिजों के शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ को चुनावों में भाग लेने की स्वीकृति दी जाती है तो अन्य सार्वजनिक सेवाओं के सदस्यों को यही सुविधाएं न देने का कोई तार्किक कारण नहीं होगा। निर्वाचक राजनीति में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को, नामांकन पत्र भरने से पहले अपने चुनाव क्षेत्र की देखभाल होंगी तथा उसे अपने राजनैतिक हितों के लिए कुछ समय देना होगा। इससे शैक्षिक लक्ष्य को क्षति पहुंचेगी। हमारे देश में व्याप्त परिस्थितियों में ऐसा कदम उठाना वांछनीय नहीं होगा।

विकेन्द्रीयकरण (पृष्ठ 5 पैरा 13 और 14)

सैद्धान्तिक तौर पर विश्वविद्यालय के मामलों के प्रबन्ध तथा डीन तथा अध्यक्षों को और अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के विकेन्द्रीकरण में किसी किस्म की आपत्ति नहीं हो सकती, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि शक्तियों के प्रत्यायोजन का संबंध, जिम्मेदारी से होना चाहिए तथा यह जिम्मेदारी पूर्व निर्धारित लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों के संदर्भ में होनी चाहिए विश्वविद्यालयों की संरचना स्कूलों के रूप में करना, प्रत्येक विद्यालय का विविध विषयों की सम्बद्धता का प्रतिनिधित्व करना सही दिशा में उठाया गया कदम है। इसका समर्थन किया जाना चाहिए। निधियों की कमी के कारण विश्वविद्यालयों को इस तरीकों से पुन संगठित करने में समय लग सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों की पुनर्संरचना के लिए विश्व विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता, इस प्रयास में सहायक होंगी।

यह संस्तुत किया गया है कि विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम निर्धारित करने, परीक्षाएं आयोजित करने तथा डिग्रियां प्रदान करने की जिम्मेदारी से धीरे-धीरे पृथक किया जाना चाहिए। यदि यह अनन्तिम उद्देश्य है तो वर्तमान स्थितियों में विद्यालय सम्बद्धता की पद्धति को एक लम्बे समय तक जारी रहना होगा। पिछले कई दशकों में, उच्च शिक्षा के विस्तार पर जोर दिए जाने के कारण घटिया किस्म के बहुत से कालिज अस्तित्व में आए हैं, जिनकी शैक्षिक अवस्थापना तथा शिक्षकों की कोटि, दोनों ही निम्न स्तर की थी। ऐसे कालिजों

में स्तर का एक मानक रखना सम्भव रहा है क्योंकि विश्वविद्यालय ही पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं तथा डिग्रियाँ प्रदान करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं। यदि यह नियंत्रण भी हटा लिया जाए तो इससे मानक स्तरों की विलुप्ति हो सकती है। इसका का परिणाम हानिप्रद एवं निराशाजनक हो सकता है, अतः कालिजों की संबद्धता की पद्धति को उस समय तक जारी रखना होगा, जब तक अधिकांश ऐसे कालिज, शैक्षिक स्तरों के एक न्यूनतम बुनियादी स्तर को प्राप्त न कर लें।

कालिजों की विश्वसनीयता उस स्थिति में संभव नहीं हो सकती जब काफी संख्या में कालिज विश्वसनीयता के योग्य न पाये जायें प्रत्येक राज्य में एक परीक्षा लेने वाला विश्वविद्यालय होना भी व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि अधिक सम्बन्द्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रेरित करने वाले कारणों में से एक कारण, विश्व विद्यालयों की परीक्षा तथा सम्बद्धता के कार्य को विकेन्द्रीकृत करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के परीक्षा तथा सम्बद्ध कार्य को शिक्षण, अनुसन्धान तथा विस्तार कार्य से अलग करना तथा परीक्षा एवं सम्बन्द्ध कार्य को केवलमात्र सम-कुलपति (प्रो०–वाइस चांसलर) के अधिकार में रखना ही एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

स्वायत्त विद्यालय (पृष्ठ 7 पैरा 7)

यद्यपि अधिक से अधिक कालिजों को स्वायत्तता प्रदान करना, निस्सन्देह वांछनीय है, परन्तु हमारे राज्य के स्वायत्त कालिजों के कार्य संचालन के अनुभव से यह पता चलता है कि न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किये बिना स्वायत्त स्तर को प्रदान करना, लाभप्रद नहीं होगा। यह बात अधिक महत्वपूर्ण है कि उन सस्थानों को स्वायत्त स्तर प्रदान नहीं किया जाना चाहिये, जो स्वायत्तता के पात्र नहीं हो। वाचनालय, प्रयोगशालाओं तथा शिक्षक क्षमता जैसी विशिष्ट न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, स्वायत्त कालिजों के लिये अपेक्षित पूर्व आवश्यकतायें हैं। दुर्भाग्यवश, अधिकांश कालिज इन पूर्व शर्तों को पूरा नहीं करते। अतः स्वायत्त कालिजों की संख्या में तेजी से वृद्धि करना, अवांछनीय तथा हानिकारक होगा।

स्वायत्त कालिजों से शैक्षिक तथा पाठ्यचर्या परिवर्तन तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की आशा की जाती है। लेकिन ये संभावनायें मुख्यतः पूरी नहीं हो पाई है। अपरिहार्य परिवर्तन करने के लिये निधियों की कमी, संभावना के पूरा न होने के कारणों में से एक कारण है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्त कालिजों को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त निधियों से भी परीक्षायें आयोजित करने की लागत पूरी नहीं हो पाती। अधिकांश शिक्षक, परम्परागत विश्वविद्यालय पद्धति से लिये गये हैं, अतः वे जड़ता तथा सुविधायों की कमी के कारण, उनकी प्रवृत्ति घिसे-पिटे (पुराने) पाठ्यक्रम से जुड़े रहने की होती है। शिक्षकों को उनके सम्बद्ध अध्ययन क्षेत्रों में होने वाले नवीततम विकास से जोड़े रखने के अवसर नहीं हैं। वाचनालय अद्यतन नहीं है तथा अधिकतर कालिज पत्रिकाओं के ग्राहक बनने में असमर्थ हैं। परिणामस्वरूप, शिक्षक पाठ्यक्रम परिवर्तन को समझने की स्थिति में नहीं आते। फलतः विश्वविद्यालयों के पुराने पाठ्यक्रम में यदाकदा सामान्य परिवर्तन किये जाते हैं।

सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में सामान्य कैडर के शिक्षक भी, स्वायत्त कालिजों के सही प्रबन्ध में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। इन स्वायत्त कालिजों में से प्रत्येक के लिए एक कोर दल बनाने के प्रयास भी विफल हो गये क्यों अधिकतर शिक्षक इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर ही शैक्षिक संस्थानो को स्वायत्त स्तर प्रदान किया जा सकता है :—

(क) कालिज में बुनियादी शैक्षिक सुविधाएं पर्याप्त हों अथवा कम अवधि में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए संस्थान को पर्याप्त निधियाँ प्रदान कीं जाती हैं।

(ख) संकाय, शैक्षिक तथा पाठ्यक्रम नवाचारों को आरंभ करने तथा उत्कृष्ठता को बढ़ावा देने की स्थिति में हों तथा इस प्रयोजनार्थ उसने निश्चित रूप से एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसे संशोधित तथा स्वीकृत किया गया है।

(ग) संकाय की कमियों का मूल्यांकन किया गया हो तथा शिक्षको के ज्ञान तथा दक्षता को अद्यतन बनाने के उचित कदम उठाये गये हों, अथवा शिक्षकों को अपेक्षित दक्षता प्रदान की गई हो।

उत्तरदायित्व (पृष्ठ 8 पैरा 20)

उप-कुलाधिपति के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों तथा सोनेरी समिति द्वारा स्वीकृत विभिन्न विश्वविद्यालय निकायों की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में ज्ञानम समिति की सिफारिशों, सैद्धान्तिक रूप से सही हैं। अतः उन तरीकों को तैयार करना आवश्यक है जितके माध्यम से जिम्मेदारी डाली जाये तथा वे परिणाम भी तैयार किये जायें जो जिम्मेदारी पूरी न करने पर अपनाये जायें।

राजकीय उच्च शिक्षा परिषद

राज्य परिषदों की स्थापना की सिफारिशें सैद्धान्तिक रूप से सन्तोषजनक है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकार इस परिषद को स्थापित करने में सक्षम नहीं है। केवल मात्र परिषद की स्थापना, उपयोगी सिद्ध नहीं होगी, जब तक इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के साधन उपलब्ध न हों।

निधियाँ (पृष्ठ 30 पैरा 29)

उच्च शिक्षा पद्धति की न्यूनतम रखरखाव लागतों को पूरा करने के लिये कुल निधियों की अपर्याप्ता, एक शोचनीय विषय है। बजट संसाधनो का लगभग 95% भाग, वेतन आदि के भुगतान में ही खर्च हो जाता है अतः विकासात्मक जरूरतों पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता। यदि शिक्षा क्षेत्र के लिये अतिरिक्त

निधियां उपलब्ध होती है, तो मुख्यत: वे, केवल प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता अभियानो के लिये आबटित की जानी है क्योंकि इन कार्यक्रमों को अधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है । परिणामत: उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर कमी आ रही है। फलत: उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति आ जायेगी, जिसके आगे और कमी संभव न होगी। अत: यह आवश्यक है कि एक संस्थागत तंत्र विकसित किया जाना चाहिये ताकि उच्च शिक्षा क्षेत्र की न्यूनतम जरूरतों का विधारण किया जा सके तथा योजना आयोग एवं राज्य आयोजना विभाग भी, न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के संसाधनों के पर्याप्त आवंटन की सुनिश्चित कर सकें।

शैक्षिक रूप से अल्पविकिसित राज्यों के कालिजों पर वशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य, आर्थिक रूप से भी अल्पविकसित होते हैं । इन राज्यों तथा विशेष रूप से इन राज्यों के पिछड़े क्षेत्र में स्थित कालिजों को सहायता प्रदान करने था उनका विकास करने के लिये स्थानीय संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। उद्योग तथा व्यापार से संसाधनों की गतिशीलता के लिये इन राज्यों में स्थापित विश्वविद्यालयों का क्षेत्र भी बहुत सीमित है। मुख्य उद्योगों के मुख्य कार्यालय, अन्य राज्यों में स्थित हैं। परिणामत: उद्योग तथा व्यापार उन राज्यों जिनमें उनके मुख्य कार्यालय स्थित हैं के विश्वद्यिालयों की ही सहायता कर सकते हैं। अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों के विश्वविद्यालयों को सहायता देने के लिये एक योजना तैयार नहीं करता तो ऐसे विश्वविद्यालयों को वित्तीय दिक्कतें उठानी पड़ेगी। विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये योजनायें बनातें समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन राज्यों को विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पृष्ठ 40 पैरा 80)

शैक्षिक रूप से तथा आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में उच्च शिक्षा के विकास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी जिम्मेदारी तथा सहभागिता को स्वीकार करना चाहिये। इन राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के कालिजों को उदार रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये विशेष योजना तैयार की जानी चाहिए जब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अतिरिक्त सहायता प्रदान नहीं की जाती, तब तक पिछड़े क्षेत्रों के कालिज आर्थिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन से ग्रस्त रहेंगे । शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा जनजातीय जिलों में मोडल कालिज के रूप में कम से कम एक कालिज स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, विचार करना चाहिये ताकि इन क्षेत्रों के छात्र गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कर सकें। इन संदर्भ में, इस शर्त पर पुन: विचार भी आवश्यक है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता केवल उन्हीं कालिजों को दी जायेगी जिन्हें स्थाई रूप से संबद्धता प्राप्त हो। बुनियादी तथा शैक्षिक सुविधाओं की कमी के कारण अधिकतर कालिजों को स्थाई सम्बद्धता प्रदान नहीं की जाती। आर्थिक कारणों की वजह से स्थानीय समुदाय भी इन कमियों को दूर करने में पर्याप्त संसाधन जुटाने की स्थिति में नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में यदि विश्वविद्यालय अनुदाय आयोग भी इन कालेजों को वित्तीय सहायता नहीं देता तो ये कालिज, अल्प विकास की स्थाई स्थिति में रहेंगे। यह सुझाव दिया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन प्रक्रिया में सुधार करने पर विचार करें ताकि वह कालिज जिसे स्थाई सम्बद्धता तो प्राप्त न हुई हो, परन्तु उसे 5 वर्ष की निरन्तर अवधि के लिये अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त हो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र समझा जाये। इस तरह के कालिजों को वित्तीय सहायता देना, सार्थक होगा क्योंकि 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि से निरन्तर काम करने वाले कालिज के बंद होने की कोई संभावना नहीं होती।

अत: यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रत्येक विश्वविद्यालय को शैक्षिक स्तर का संकायवार मूल्यांकन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्तर की यथोचित समानता है या नहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संकाय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये तीन वर्ष की अवधि के लिये शिक्षकों की नियुक्ति की एक योजना पर भी विचार कर सकता है।

नियंत्रक/कुलाधिपति (पैरा, 51, 52 और 53)

प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक नियंत्रक तथा एक कुलाधिपति होना आवश्यक नहीं है। जहां तक राजकीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होना चाहिये। राज्यपाल का मुख्य कार्यालय तथा उसकी संवैधानिक स्थिति ही, विश्वविद्यालयों के लिये यथेष्ट सहायता होगी।

एस लखबीर सिंह रन्धावा, शिक्षा मंत्री, पंजाब के भाषण का मूल पाठ

जिस गति से शिक्षा सचिवों तथा शिक्षा निदेशकों के दल ने अपना काम पूरा किया है उसके लिये मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं, जिससे कि आज की बैठक की कार्यसूची तैयार की गई है। यह वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति; 1986 ने शिक्षा विभाग के क्षेत्र में एक नये युग का सूत्रपात किया, जो कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के मध्य घनिष्ठ सहयोग पर आधारित है तथा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार प्रारंभ किया है। पिछले छः वर्षों के अनुभव ने रा० शि० नी० 1986 तथा संशोधित कार्यवाही योजना 1992 में वर्णित दिशा-निर्देशों और रणनीतियों को कुल मिलाकर मान्यता प्रदान की है। तथापि इसमें कुछ कमियां और विलम्ब रह गया है। अब वह समय आ गया है कि अब तक की गई प्रगति का मूल्यांकन किया जाये, क्या कठिनाइयां सामने आ रहीं है तथा वहां और किन अर्थ-पाठ्यक्रमों में शुद्धियां करना आवश्यक है, इन सब की जांच-पड़ताल की जानी चाहिये यह वह कार्य है जिसकी जांच इस भव्य बैठक को करनी है।।

3. मैं इस बैठक की विशेष कार्य-सूची को स्वयं संबोधित करते हुए मैं इन क्षेत्रों में पंजाब द्वारा की गई प्रगति की भी संवीक्षा करने के लिये भी अवसर लेना चाहूंगा। मैं निम्नलिखित से शुरू करना चाहता हूं।

प्राथमिक शिक्षा

4. राज्य ने सभी के लिये प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से 97% नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। ऐसे सभी गांवों में जहां 50 से अधिक बच्चे वहां प्राथमिक स्कूल स्थापित किये गये हैं, जिनकी संख्या 12464 है। किसी भी बच्चे को प्राथमिक स्कूल जाने के लिये एक किलो मीटर से अधिक नहीं चलना पड़ता है। समाज के कमजोर तबके के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से तथा स्कूल बीच में ही छोड़ कर चले जाने वाले बच्चों की दर को कम करने के लिये राज्य सरकार ने विमुक्त जाति की बालिका विद्यार्थियों के लिए 30 रु० प्रति माह की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया है। इस पर प्राथमिक स्तर तक छात्रवृत्ति के भुगतान के रूप में प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत, पहले दो चरण अग्रिम कार्यान्वयन में हैं, जो 31 मार्च, 1994 से पहले पूरे हो जायेंगे। फिर भी राज्य में सभी स्कूलों को तीन शिक्षक और तीन कक्ष वाले स्कूलों में परिवर्तित करने के लिये अभी आपरेशन ब्लैक बोर्ड को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार प्राथमिक शिक्षा के मानदण्डों की बेहतरी के लिए वार्षिक आधार पर पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएं।

अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा

5. कार्यवाही योजना, 1992 के तृतीय अध्याय में अन्य बातों के साथ-साथ शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े गए अल्प संख्यकों के विकास के लिए एक सघन क्षेत्रीय कार्यक्रम के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। तद्नुसार राज्य सरकार ने मलेरकोटला तथा क्वाडियन में उर्दू के शिक्षण के लिए व्यवस्था की है जो कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्प संख्यकों के बहुलता वाले क्षेत्र हैं और जहां माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के निर्देशों के माध्यम के रूप में उर्दू के शिक्षण के लिये पर्याप्त प्रावधान नहीं है। सरकार ने उन स्थानों में जहां प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की जरूरत है वहां नये प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की स्थापना को भी प्रात्साहित किया है।

व्यावसायिक शिक्षा

6. राज्य सरकार ने रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने के लिये 1988 से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का कार्य आरम्भ किया है ताकि विद्यार्थियों को काम की ओर अग्रसर किया जा सके और 42 स्तर को एक उपयोगी मोड़ दिया जा सके, ताकि उच्च शिक्षा प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। इस उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिये पर्याप्त रोजगार की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिये एक सर्वेक्षण किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा को पहले ही 295 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शुरू किया जा चुका है। इस कार्य को और अधिक भागीदारितापूर्ण तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये, सरकार ने कार्यक्रम को छोटा और मूल्यांकन के लिये व्यावसायिक शिक्षा पर "राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति" गठित करने का निर्णय लिया है। राज्य के 50 स्कूलों मे माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का भी एक निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार हम कालेज स्तर पर भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। स्वास्थ्य से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा कृषि उद्योग पर आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर भी जोर डाला जा रहा है। राज्य के 13 प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं। नये पाठ्यक्रमों के लिये पाठ्यचर्या तथा उनकी पुस्तकें तैयार की जा रही हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

7. राज्य में अनौपचारिक शिक्षा की कोई समस्या नहीं है। तथापि, राज्य सरकार "प्रौढ़ निरक्षरता" की समस्या का सामना कर रही है। भारत ज्ञान विज्ञान समिति जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से, खण्डों में शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त

कर लिया गया है। 1994 में होशियार पुर जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत एक सामूहिक आन्दोलन शुरू करने के लिये एक योजना तैयार की गई है। प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राप्त करने तथा सामूहिक साक्षरता अभियान को बढ़ावा देने के लिये यह उपयोगी कार्य होगा। जिन स्थानों में संम्पूर्ण साक्षरता अभियान सफल रहे हैं वहां उत्तर साक्षरता कायक्रमों को विकसित करने तथा कार्यान्वित करने की आवश्यकता होगी।

शिक्षा का विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध

8. संविधान में हाल ही में दिये गये संशोधनों से जिनमें जिला, ग्राम तथा नगरपालिका स्तरों पर प्रशासन के सुदृढ़ीकरण पर जोर डाला गया है, पंचायती राज तथा शहरी निकायों को शिक्षा के कार्य को सौंपने को समर्थ बनाया जायेगा। मैं इसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि शैक्षिक संस्थानों के भागीदारितापूर्ण प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिये राज्य में ग्राम स्तरीय समितियां तथा अभिभावक शिक्षक संघ पहले ही से स्थापित किये गये हैं। शिक्षक जिन समुदायों में रहते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिये विकेन्द्रीकृत ढांचा वर्तमान समय की विशेषकर प्राथमिक शिक्षा स्तर की जरूरत है। तथापि, नई कार्यान्वियन रणनीतियों को तैयार करते समय इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त किये गये अनुभवों को पृष्ठभूमि में रखना होगा। शिक्षक एक वर्ग के रूप में अत्यन्त संयोजक तथा कुशल नीतिज्ञ होते हैं तथा इन परिवर्तनों के प्रति उनकी प्रक्रिया को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार हम इन निकायों की वित्तीय तथा प्रशासनिक सीमाओं को भुला नहीं सकते। राज्य विधान परिषद शीघ्र ही उपरोक्त सभी पहलुओं पर विचार करेगी तथा हमें विश्वास है कि सभी चिन्ताओं का कोई स्वीकार करने योग्य प्रबन्ध कर लिया जायेगा।

स्कूली बस्ते के भार पर गठित यशपाल समिति

9. राज्य सरकार यह अनुभव करते हैं कि पाठ्यचर्या पर विशेष कर प्राथमिक स्कूल तथा अपर प्राथमिक स्कूल स्तरों पर स्कूली बस्ते का भार वास्तव में ज्यादा है इसे कम किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य के लिये पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया तथा पुस्तकों को तैयार करने के काम को विकेन्द्रीकृत करने की जरूरत हैं ताकि इन कामों में शिक्षकों की सहभागिता को बढ़ाया जा सके तथा पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य सामग्रियों के चयन सहित पाठ्यचर्या के सभी पहलुओं में नवीनता लाने के लिये स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त स्कूलों को खोलने तथा कार्य करने के नियमन के लिये और पाठ्यपुस्तकों की अपर प्राथमिक स्तर पर समीक्षा करने के उपाय किये जाने चाहिये। शुरूआत करने के लिये स्कूलों द्वारा क्रमिक आधार पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिये तथा प्राथमिक कक्षाओं में गृह कार्य को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

स्कूली पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन

10. महोदय, मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे राज्य में ऐसी किसी गैर सरकारी संस्था को मान्यता प्रदान नहीं की जा रही है जिनकी पाठ्यचर्या की विषय सूची राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल हो। राज्य समीक्षा समिति ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, तथा पाठ्यपुस्तकों का परीक्षण किया है तथा केन्द्र सरकार द्वारा सुझाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप अधिगम कार्यक्रम (लर्निंग पैकेज) में संशोधन किया है।

राज्य कार्यवाही योजना

वस्तु स्थिति तथा संस्थागत अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना (पी० ओ० ए)० 1992 में राज्य कार्यवाही योजना को तैयार करने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार इस बात से अवगत है और राज्य कार्यवाही योजना को तैयार करने के लिये कार्यदलों को गठित करने पर विचार कर रही है ताकि भागीदारिता प्रक्रिया के माध्यम से व्यावहारिक कार्यवाही योजना को तैयार किया जा सके।

सोनेरी समिति की रिपोर्ट

राज्य सरकार सोनेरी समिति से आम तौर पर सहमत है जिसने ज्ञानम समिति द्वारा तैयार की गई प्रारम्भिक सिफारिशों का परीक्षण किया है। हम अपने विश्वविद्यालयों को जितने अधिक कालेजों को स्वायत्तशासी बनाना संभव होगा उतने कालेजों को स्वायत्त शासी बनाने के लिये तथा शिक्षकों के लिये प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन को आरम्भ करने के लिये भी प्रोत्साहित करेंगे। तथापिर दौरे पर आने वाले अधिकारी के लिये कुछ महत्वपूर्ण मामलों में राज्य केबिनेट की सलाह के द्वारा अनुपालन के लिए प्रत्येक औचित्य है। आज की रोजगार की आवश्यकता की पूर्ति के लिये तथा अधिक आवश्यक ग्रामीण विकास के लिये विश्वविद्यालय अनुदानआयोग को सभी संस्थागत उच्च शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ कराने हेतु ग्रामीण कालेजों के लिये जरूरत पर आधारित विधियों को उपलब्ध कराना चाहिये यह समय की मांग है।

विधान परिषदों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व

वर्तमान समय में पंजाब में विधान परिषद् नहीं है। तथापि हम इस विचार से सहमत हैं कि इस प्रकार की संस्थाओं में शिक्षकों के प्रत्येक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है।

अन्त में मैं सभापति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस भव्य बैठक में केब की बैठक में उठाये गये मुद्दों पर अपने विचार रखने के लिये अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्यबाही योजना, 1992 को कार्यान्वित करने के लिये हमारा राज्य मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करेगा।

माननीय प्रो० के० पौन्नूस्वामी, शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया भाषण :

डा० जयललिता को यह पूरा विश्वास है कि इस बैठक की चर्चाओं से जो निष्कर्ष निकलेगा उससे हमारे देश की शिक्षा प्रणाली और अधिक मजबूत होगी। हमारी मुख्यमंत्री के गतिशील तथा कुशल मार्गदर्शन में शिक्षा को सामाजिक दृष्टि से उपयोगी तथा युवाओं के लिये प्रासंगिक बनाने के लिये तमिलनाडु ने कई कार्यक्रम शुरू किये हैं। स्कूल पूर्व स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक सामाजिक तथा आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कई योजनाएं शुरू की गई है। उससे शिक्षा विकास के प्रति एक सामाजिक प्रपत्र तथा आर्थिक प्रगति के रूप में हमारा दृढ़ निश्चय तथा पूर्ण प्रतिबद्धता का आभास होता है।

प्रारंभिक बाल्यवस्था के देख-रेख शिक्षा

शिशु देख-रेख में तमिलनाडु हमेशा अग्रणी रहा है। तीन वर्ष से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिये पूरी तरह से वित्त पोषित तथा प्रभावी रूप से व्यवस्थित पोषाहार–भोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला यह पहला राज्य है। शिशु के शैक्षिक विकास को ध्यान में रखते हुए अब इस कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है। सभी मध्याह्न भोजन कर्मियों को स्कूल पूर्व शिक्षा में अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तथा प्रत्येक मध्याह्न भोजन केन्द्र शिक्षण का भी केन्द्र होगा। यह केन्द्र बालवाड़ियों तथा आंगनवाड़ियों के अलावा है। ये सभी केन्द्र, राज्य के स्वास्थ्य देख–रेख कार्यक्रम से भी जुड़े हुए हैं।

2. प्रारंभिक शिक्षा

तमिलनाडु ने प्राथमिक स्तर पर शत् प्रतिशत नामांकन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है किन्तु इस व्यवस्था में बच्चों को बनाये रखने की समस्या एक अड़चन बन गई है। हमारी सरकार ने कई प्रोत्साहन योजनायें शुरू की है।

1. पौष्टिक भोजन योजना
2. पहली कक्षा से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिये निःशुल्क यूनिफार्म
3. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें
4. निःशुल्क चप्पलें
5. मुफ्त बस पास
6. निःशुल्क स्लेटें प्रदान करना

इन उपायों से प्राथमिक स्कूल स्तर पर 54.9 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत तक स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर कम करने में सहायता मिली है। बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने तथा उन्हें विद्यालयों में बनाये रखने के लिये तमिलनाडु सरकार ने एक सकारात्मक निर्णय लिया है ताकि पांचवीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालयों में विशिष्ट रूप से महिला शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। इस संबंध में उन सभी विद्यालयों में मात्र शिक्षक परिषदों की स्थापना के लिये अब दुसरा कदम उठाना है ताकि स्कूल प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकें तथा इसके कार्य को बढ़ावा दिया जा सके। तमिलनाडु सरकार यह चाहती है कि 500 तथा इससे अधिक आबादी वाली बस्तियों के अपने स्कूल हों। तमिलनाडु सरकार मौजूदा सभी 459 एकल शिक्षक विद्यालयों को दो शिक्षक विद्यालयों में परिवर्तित करना चाहती है। आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना पूरी तरह से कार्यान्वित हो चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने विश्व बैंक/यूनिसेफ की सहायता से एक योजना तैयार की है ताकि प्राथमिक शिक्षा को गुणात्मक/परिमाणात्मक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सकें। शिक्षक शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण निदेशालय ने शिक्षण के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक स्कूल शिक्षकों का एक वृहत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वियन के लिये मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण सहायता प्रदान करें।

3. अनौपचारिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा

राज्य तथा जिला स्तर पर साक्षरता मिशन प्राधिकरणों का गठन किया जा चुका है। वर्ष 1993–94 तक सभी जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू कर दिया जायेगा। राज्य संसाधन केन्द्र ने सभी शिक्षण सामग्री तैयार कर ली है तथा इन शिक्षण सामग्रियों के मुद्रण की जिम्मेदारी तमिलनाडु टेक्सट बुक कारपोरेशन को सौंपी गई है। उत्तर साक्षरता अभियान के रूप में जन शिक्षण निलयम केन्द्र शुरू कर दिये गये हैं। राज्य सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी बच्चों को औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि राज्य "सभी के लिये शिक्षा" कार्यक्रम की सही ढंग से कार्यान्वित कर सके। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि साक्षरता कार्यक्रमों के परिव्यय के लिये अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करें ताकि पूर्ण–साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त हो सके तथा नवसाक्षरों के साक्षरता स्तर को बनाये रखा जा सके तथा उनके साक्षरता स्तर को बढ़ाया जा सके।

4. **माध्यमिक शिक्षा**

माध्यमिक शिक्षा के संबंध में तमिलनाडु सरकार की नीति शिक्षा प्रणाली को समेकित तथा मजबूत बनाने की है। सरकार सामान्य रूप से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने तथा विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिये बहुत ही चिन्तित है। वर्ष 1993–94 को सफल वर्ष (ईअर आफ़ नो फेलियर) के रूप में घोषणा करते समय सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों के लिये एक शैक्षिक कैलेण्डर विकसित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित पाठ्यचर्या पर पूरी तरह से विचार कर लिया गया है तथा इस प्रणाली से उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों ने सभी विषयों में उपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली है। "जाब– चार्ट" तथा "मानीटरिंग" निर्धारण के जरिए विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों का उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित कर लिया गया है। बोलचाल की अंग्रेजी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक कार्य दिवस अनुदेशात्मक दिवस है तथा अभिभावक शिक्षक संघों/मात्र शिक्षक परिषदों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जब कभी कोई शिक्षक अवकाश पर हो तो उन्हें एवजी शिक्षक की व्यवस्था करनी होगी। इस समय स्कूल की निधियां बढ़ाने तथा व्यक्ति विशेष स्कूलों के अभिभावकों तथा जन समुदाय को संरक्षण के रूप में भर्ती करने की एक अन्य योजना है। इस प्रकार के संरक्षकों से एकत्रित की गई राशि को सावधि जमा में रखा जाता है तथा इस प्रकार से प्राप्त आय का उपयोग एवजी शिक्षकों को पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया जाता है। "पर्या– वरण सुधार कार्यक्रम" पर आय प्राप्त करने की एक अन्य योजना शुरू की गई है। इसके लिए स्कूल प्रांगण में इमली के संकर किस्म के वृक्षों का वृक्षारोपण किया जा रहा है। ऐसे वृक्षों से प्राप्त आय का उपयोग स्कूल के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा। स्कूल सुधार सम्मेलन कार्यक्रम को दुबारा चालू किया गया है ताकि स्कूल की मूलभूत सुविधाएं जन समुदाय को सुलभ कराई जा सकें। इन उपायों तथा अन्य उपायों के माध्यम से तमिलनाडु सरकार ने एक योजना बनाई है ताकि स्कूल प्रणाली के कार्यकरण के साथ–साथ स्थानीय समुदाय के क्रियाकलापों को भी जोश जोड़ा जा सके।

5. **मेधावी बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम**

चूंकि भारत सरकार ने ग्रामीण मेधावी बाल सहायता कार्यक्रम को अलग कर दिया है इसलिए तमिलनाडु राज्य ने अपना ही एक कार्यक्रम विकसित किया है ताकि ग्रमीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाया जा सके और उनकी सहायता की जा सके। इस प्रयोजनार्थ एक प्रतिभा खोज परीक्षा संचालित की जाती है।

चूंकि तमिलनाडु की विशेष जरूरतों के अनुरूप नवोदय विद्यालय योजना को संशोधित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के अभ्यावेदनों पर भारत सरकार से सकारात्मक जवाब नहीं मिला है, अतः तमिलनाडु सरकार ने अपने सभी जिलों में उत्कृष्ट विद्यालय चलाने का प्रस्ताव रखा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाशाली गरीब बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस प्रकार धरमपुरी जिला स्थित बर्गर में एक स्कूल पहले ही खोला जा चुका है।

इस समय मैं अपनी सरकार द्वारा दिए गए सुझावों को दोहराना चाहूंगा तथा अनुरोध करूगा कि उन आश्वासनों को स्वीकार कर लिया जाए। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह परिवर्तित कार्यक्रम बहुभाषी जैसे हमारे संघीय ढ़ांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा।

6. **मुक्त विद्यालय**

इन कार्यक्रमों के अलावा, तमिलनाडु सरकार ने अनौप-चारिक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत ओपन स्कूल की स्थापना की है ताकि स्कूल की पढ़ाई छोड जाने वाले ऐसे छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें लाभान्वित कराया जा सके। यह हमारी इच्छा है कि राज्य ओपन (मुक्त) स्कूलों को राष्ट्रीय ओपन स्कूलों से जोड़ा जाए।

7. **यशपाल समिति की रिपोर्ट**

स्कूली बैग के बोझ पर यशपाल समिति ने कई टिप्पणियां की हैं, उनमें कई टिप्पणियां तमिलनाडु की एस० एस० एल० सी० प्रणाली पर खरी नहीं उतरती हैं। पाठ्यपुस्तकों का निर्माण बड़ी सावधानी से किया जा रहा है तथा बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली कई नोट बुकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। संसाधनों की कमी के कारण शिक्षक–छात्र (शिष्य) का अनुपात मौजूदा स्तर से कम नहीं किया जा सकता। जब और जैसे ही संसाधन प्राप्त हो जाएंगे इस संबंध में और अधिक प्रयास किए जाएंगे देख–रेख अध्ययन तथा सामूहिक कार्य प्रणाली के जरिए स्कूल के गृह कार्य की यंत्रणा को भी उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया गया है।

8. **महिला शिक्षा**

तमिलनाडु में दो–दो महिला विश्वविद्यालय अर्थात् मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय तथा अविनाशलिंगम गृह विज्ञान उच्च अध्ययन संस्थान (सम विश्वविद्यालय) होने के कारण इसें विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ये विश्वविद्यालय महिलाओं के लिए न केवल औपचारिक शिक्षा ही प्राप्त करते हैं वरन् महिलाओं से संबंधित विशेष अध्ययन के लिए भी प्रयासरत है। यह सुनिश्चित करना तमिलनाडु सरकार का उद्देश्य सभी बालिकाओं का नामांकन करना तथा उन्हें प्राथमिक स्कूलों में बनाए रखना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य में विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चल रही हैं।

9. **व्यावसायिक शिक्षा**

तमिलनाडु में 1978 के प्रारंभ से ही उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण के कार्यक्रम को पूरी निष्ठा से कार्यान्वित किया गया है। चूंकि आधा दशक बीत चुका है अतः इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने वाले उपायों को सुझाने के लिए सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। मैं अनुरोध करता हूँ कि तमिलनाडु के सभी स्कूलों तथा सभी पाठ्क्रमों चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो, व्यावसायिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ाई जाए। व्यावसायिक शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार को उदारता पूर्वक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

10. **शिक्षक शिक्षा**

सभी को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में शिक्षक निवेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा शिक्षकों की सेवा पूर्व शिक्षा तथा वृहत सेवाकालीन कार्यक्रम की व्यवस्था करना आवश्यक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का निर्माण तथा लिंग संबंधी अध्ययन के लिए सच्चे मन से प्रयास किया गया है। प्रसंगाधीन विषय/कार्य पद्धति में शिक्षकों के ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने तथा विषय–वस्तु मूल्यांकन सहित अध्ययन के न्यूनतम स्तर वाले कार्यक्रम तैयार किए गए है। मैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि वे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों तथा उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करें ताकि निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

11. **उच्च शिक्षा**

तमिलनाडु सरकार उच्च शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर पूरी तरह से सहमत है और तमिलनाडु सरकार ने इन सिफारिशों में से कुछ सिफारिशों पर पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। देश के 102 स्वायत्त कालेजों में से 43 कालेज तमिलनाडू में ही हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को 1–1–1986 के भूतलक्षी प्रभावों से लागू करने वाले दक्षिण राज्यों में हमारे राज्य का प्रथम स्थान है।

उच्च शिक्षा के विकास की समुचित आयोजना तथा समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है। हमारी राज्य उच्च शिक्षा परिषद के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य परीक्षाओं में सुधार करना तथा विश्वविद्यालयों को अवर स्नातक परीक्षाओं के आयोजन से मुक्त करना है। हम उच्च शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उन सभी सिफारिशों को लागू करना चाहेंगे जो हमारी जरूरतों से संबंधित है।

12. **खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा**

सभी स्कूलों तथा कालेजों में खेल–कूद तथा शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए। सभी कल–कारखानों तथा उद्योगों में इसे अनिवार्य रूप से मनोरंजन के तौर पर शुरू किया जाए ताकि जन समुदाय में खेल तथा स्वास्थ्य चेतना की भावना जागृत की जा सके।

जिस तरह से किसी अध्ययन पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या होती है उसी तरह से खेल तथा शारीरिक शिक्षा की भी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा तथा खेल दोनों के लिए हीं एक सामान पाठ्यचर्या तैयार की जाए तथा सभी स्कूलों और कालेजों में लागू किया जाए ताकि खेल की निष्पादन क्षमता स्तर का मूल्यांकन किया जा सके। सभी स्कूलों तथा कालेजों में न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं।

तमिलनाडु सरकार में खेल तथा शारीरिक शिक्षा के विभिन्न कार्यकलापों का समन्वय तथा खेल के क्षेत्र में राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडू खेल प्रधिकरण की स्थापना की है। मैं यहां इस बात का उल्लेख कर देना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों का आयोजन करने के लिए 40 करोड रुपये की लागत से एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।

13. **तकनीकी शिक्षा**

तमिलनाडु सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों से कैपिटेशन फीस लेने पर अंकुश लगाने की दृष्टि से तमिलनाडु शैक्षिक संस्था (कैपिटेशन फीस वसूली निषेध) नामक एक कानून बनाया है। इस नियम के मुताबिक राज्य में केपिटेशन फीस लेने पर रोक लगा दी गई है। वस्तुतः, इस अधिनियम को राज्य के उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। इस संबंध में व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश की फीस निर्धारित करने में राज्य सरकार के निर्णय को यथावत रखने के कारण निर्णय दे दिया गया है। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रायः सभी वित्त पोषित कालेज दाखिला शुरू करना चाहते थे। स्ववित्त पोषित कालेजों में निःशुल्क क्षेणी की सीटों के दाखिलों के लिए 3000 छात्रों का चयन पहले ही कर लिया गया है तथा बाकी सीटों का दाखिला इस महीने के अंदर मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अन्ना विश्वविद्यालय की तरह एक अन्य प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इस निमित्त एक समिति गठित की गई है जो विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित औपचारिकताओं का पता लगाएगी। राज्य सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि तकनीकी शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसमें उत्पादों तथा सेवाओं के मूल्यों के जुड़ने की प्रबल संभावना है तथा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के योगदान एक जन–जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। अतः सरकार इस क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने के लिए वचनबद्ध है।

14. **उपसंहार**

इस तरह से तमिलनाडु सरकार के कुछ ठोस विचार है जिन्हें में इस निकाय के समक्ष विचार करने तथा उनपर उचित निर्णय लेने के लिए रखना चाहूंगा। मैं इस आश्वासन के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार ने अपने मुख्य मंत्री के कुशल नेतृत्व में सभी को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में श्री अनिल सरकार, शिक्षा मन्त्री, त्रिपुरा का भाषण

हम आज यहां भविष्य में तैयार की जानी वाली कार्रवाई योजना पर विचार-विमर्श करने तथा अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए एकत्र हुए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सात वर्ष पूर्व वर्ष 1986 में तैयार की गयी थी और राष्ट्र-व्यापी विचार-विमर्श तथा सेमिनारों के बाद इसे 1987 में अपनाया गया था। उसके बाद छः वर्ष बीत चुके हैं और कुछ नवोदय विद्यालयों की स्थापना देश में हुई है तथा आपरेशन ब्लैक बोर्ड को कुछ सफलता हासिल हुई है। साक्षरता अभियान देश के कुछ भागों में प्रगति पर है। परन्तु कुछ उपलब्धियां अभी भी लक्ष्य से काफी परे हैं। स्पष्टतया इसका मुख्य कारण निधियों की कमी है। लेकिन इस पद्धति में सच्चाई से काम न करना भी एक प्रमुख कारण है। मैं यहां सच्चाई से कार्य की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिक्षा के समग्र विकास के लिए हम जो बजट प्रदान करते है वह हमारी कार्रवाई योजना को कारगर ढंग से चलाने के लिए बहुत कम है। यदि हम इस पद्धति की दिशा में सच्चे होते और वास्तव में इसके प्रति कृतसंकल्प होते तो निःसंदेह ही हमने इस महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र में काफी अधिक उठाये बजट का प्रावधान किया होता। उपवाद रहित सभी को शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयासों में इस सच्चाई का अभाव एक ऐसी चीज है जो हमें विगत काल से हमें अपने पूर्वजों से धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है और शायद यह हमें उस समय से मिली है जब हमारा समाज वर्ग–भेद के आधार पर अस्तित्व में आया था। प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना हमारा प्रथम लक्ष्य, उच्चतम प्राथमिकता है किंतु हम महसूस करते हैं कि हमारी लाखों, करोड़ों अशिक्षित जनता को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र के लिए बजट में की गई अल्प व्यवस्था से ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। यदि बजट में शिक्षा के लिए की गई संपूर्ण वयस्था को प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराने के लिए लगाया जाए तभी मैं यह नहीं सोचता कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को वास्तव में पूरा किया जा सकता है। अतः हम आज इस प्रयोजन के लिए बजट में उदार व्यवस्था करने की जरूरत है। यदि वास्तव में शिक्षा का विस्तार विकास और समेकन करना है तो इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश के वार्षिक बजट में कम से कम 10% प्रावधान करने की आवश्यकता पडेगी।

प्रामिथियस ने विशेष सुविधा प्राप्त प्राणियों के निवास स्थान स्वर्ग से अग्नि चुराई और उसके लिए उन्हें विशेष सुविधा प्राप्त प्राणियों के स्वामी जुपिटर ने बेरहमी से सजा दी क्या हम इसे यह नहीं कह सकते हैं कि यह पूरी पौराणिक कथा का प्रतीक मात्र है? हम जानते है कि अग्नि प्रकाश देती है और प्रकाश के माध्यम से हम देखते हैं, समझते हैं जानते हैं और कौशल को प्राप्त करते है जो कि वस्तुतः एक वरदान है जो हमें सदियों से प्राप्त हो रहा है और जो शासक वर्ग का एक विशेषाधिकार है। यदि पाश्चात्य जगत समान के इस चित्र को अपनी प्राचीन कथाओं में एक ऐसी व्यवस्था के रूप में स्थान देता है जिसमें केवल शासक वर्ग को ही ज्ञानप्राप्त करने का अधिकार है तो समाज में भी कोई इससे बेहतर चित्र हमें नहीं मिलता क्योंकि इमारे महाभारत सें भो एक कहानी है जिसमें एकलव्य को शौर्य कला की एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के प्रयास में जिसे हम आज "दूरस्थ शिक्षा" कह सकते हैं अपने अंगूठे से हाथ धोना पडा था। एकलब्य गरीब अनार्य था और उसे किसी ऐसे आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नही था जिसमें केवल पाण्डुओं और कौरवों को ही शिक्षा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार था। उसने दूर से देखकर सीखा था और उसे भी एक गंभीर अपराध माना गया था। यहाँ चित्र आज के युग में इस सीमा तक तब्दील हो गया है कि आज किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता लेकिन मुद्दा यह है कि क्या हमने शिक्षा ग्रहण करने के लिए सभी को वास्तव में मदद की है या हमने सिर्फ वायदे ही किए है जिनको तब तक यथार्थ में नहीं बदला जा सकता जब तक उनके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

तथापि, मैं यहां कोई आलोचना और आत्म विश्लेषण करने के लिए नहीं खडा हुआ हूं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफल बनाने में हमारे राज्य में हम से जो कुछ हो सका है, उसका ब्यौरा दे रहा हूं।

त्रिपुरा में शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को समान शैक्षिक अवसर देना तथा असंतुलनों को दूर करना रहा है। राज्य में साक्षरता दर, 1991 की जनगणना के अनुसार 60.44 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता क्रमशः 56.06, 40.37 और 50.01 है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समाज के कुछ वर्ग शिक्षा से वंचित है, उनकी शिक्षा के वास्ते उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन स्कीमों को तैयार करने के लिए प्रयास किए गए हैं। आने वाले वर्षों में यह स्कीम दुतगति से जारी रखी जाएगी। वह भी देखा गया है कि इसमें ग्रामीण शहरी असंतुलन व्याप्त है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को वहां स्कूल स्थापित करने, स्तरोन्नयन तथा उन्हें सुज्जित करने के व्यापक और बेहतर कवरेज किया जाए। भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर प्राथमिक स्तर पर उनको मातृभाषा में शिक्षण सुनिश्चित करके तथा अपेक्षित वित्तीय सहायता देकर ध्यान दिया जा सकता है।

2. राज्य सरकार ने सदैव प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की नीति को शिक्षा नीति की मुख्य विषय वस्तु के रूप में रखा है। शत प्रतिशत दाखिला, प्रतिरोधन, उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य उन्मुख हुआ है। प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए

आवश्यक प्रोत्साहन कार्यक्रम तैयार किए गए है और साथ ही स्थानीय समुदाय को सहयोग और उसकी सहायता की भी आवश्यकता होती है। जब पूर्ण साक्षरता अभियान आरंभ किया तो स्कूलों में पात्र बच्चों का दाखिला इसका एक अभिन्न अंग बन जाएगा ।

3. शैक्षिक प्रबंध का विकेन्द्रीकरण महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है जिस पर सरकार द्वारा पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा । वस्तुतः संविधान में हाल ही में किए गए संशोधन से इसकों बेहतर कुशलता के लिए स्कूलों के प्रबंधों में लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए अधिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है। राज्य सरकार ने पहले ही खंड स्तरीय शिक्षा सलाहकार समितियों का गठन कर लिया है। सम्बंधित पंचायत में ग्रामीण शिक्षा समितियों के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

4. राज्य सरकार यशपाल समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों का समर्थन करती है कि अध्ययन बिना बोझ का होना चाहिए । पाठयचर्या और शिक्षण को इस तरीके से तैयार किया जाए कि छात्र गैर बोधात्मकता के बोझ तले न दबें । इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा के प्रति गैर-बोधात्मक से छात्रों के मस्तिष्क का विकास किए बिना उन्हें रट्टू बनाती है ।

5. पाठयचर्या निर्माण का विकेन्द्रीकरण और पाठय-पुस्तक लेखन स्वागत योग्य कदम है । निर्मित पाठय पुस्तकों में केवल तथ्य व आंकड़े ही नहीं होने चाहिए अपितु इनमें एकीकरण व धर्मनिरपेक्षता स्वरूप के मूल्य निहित होने चाहिए । यह आज की परिस्थितियों में प्रासंगिक है जब विभिन्न स्तरों पर अलगाववादी ताकतों ने सिर उठाया हुआ है और वे राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचा रहे है ।

6. राज्य में दो नवोदय विद्यालय पहले ही खोले जा चुके हैं और वे कार्य कर रहे हैं । राज्य सरकार ने इनके लिए भूखंडों का पता लगाकर विद्यालयों को सूचित कर दिया है । फिलहाल वे अस्थायी ढांचों में कार्य कर रहे है । अनुरोध है कि पक्का निर्माण जल्द शुरू किया जाए । उत्तरी त्रिपुरा जिले में भी भूमि का पता लगाया गया है । अन्य जिलों के मामले में नवोदय विद्यालय इस बात पर कृपया विचार करें कि क्या जिले में कक्षाएं आरंभ की जा सकती हैं ।

7. प्रोफेसर ज्ञानम की अध्यक्षता में "प्रबंध के विकल्प माडलों" पर समिति की रिपोर्ट बोर्ड की जिसकी पुनरीक्षा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकर बोर्ड द्वारा उसकी 46वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार सोनरी समिति द्वारा की गई, नोट कर लिया गया है । सरकार की यह भी राय है कि विश्वविद्यालयों का शैक्षिक प्रशासन, सरकारी प्रणाली में प्रचलित प्रशासन से बहुत भिन्न है और वह सहभागिता, विकेन्द्रीकरण, स्वायत्ता और जबाबदेही पर आधारित होना चाहिए । शैक्षिक उत्कृष्टता और विकास के लिए विश्वविद्यालय की स्वायत्ता का एक अनिवार्य पूर्व अपेक्षा के रूप में माना जाना चाहिए । परन्तु वित्तीय मामलों में विश्वविद्यालय जबावदेह होना चाहिए । इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि विभिन्न विश्वविद्यालय निकायों के लिए चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से किए जाने चाहिए और अपेक्षित संख्या में नामांकन प्राधिकृत होने चाहिए ।

8. त्रिपुरा में एक विश्वविद्यालय है । वित्तीय कमियों की वजह से राज्य छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर्षित करने के वास्ते बुनियादी सुविधाओं के न्यूनतम स्तर प्रदान करने में असमर्थ है । राज्य सरकार अनुरोध करती है कि इस विश्वबिद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाए अथवा विशेष अनुदान दिए जायें ताकि न्यूनतम स्तर की सुविधाओं का सृजन किया जा सके ।

9. राज्य सरकार ने पहले ही राज्य कार्रवाही योजना जो दिसम्बर, 1993 तक तैयार होगी, तैयार करने के लिए 7 कार्य बलों का गठन कर लिया है ।

10. अंत में मैं मानव संसाधन बिकास मंत्री जी का धन्यबाद करना चाहता हूं जिन्होंने बैठक बुलाई और मुझे यह अवसर दिया कि मैं राज्य का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकूं । अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तरह त्रिपुरा भौगोलिक रूप से अलग है। यह आर्थिक तौर पर निर्धन है तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है । आशा है भारत सरकार इस बात को मानेगी पूर्वोत्तर की समस्याएं अलग तरह की है और उनका परिप्रेक्ष्य अलग है अतः उन्हें पर्याप्त बित्तीय और प्रशासनिक सहायता से हल किए जाने की जरूरत है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती, प्रभारी मंत्री, उच्च शिक्षा । श्री अचित्य रे, प्रभारी मंत्री प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा श्रीमति अंजूकार, प्रभारी राज्य मंत्री, जन शिक्षा प्रसार विभाग । श्री अनीसुर्रहमान, राज्य मंत्री, प्राथमिक, माध्यमिक तथा मदरसा शिक्षा । श्री तपन राय, प्रभारी राज्य मंत्री, पुस्तकालय सेवाएं । श्री बंश गोपाल चौधरी, प्रभारी राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का भाषण ।

बैठक की कार्यवाही का शुभारंभ करने पर हम सब माननीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उनचासवीं बैठक बुलाकर हमें अपने विचारों को प्रकट करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है । आज के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण है जबकि हमारी शिक्षा नई चुनौतियों का सामना कर रही है ।

हम कार्यसूची विवरण के अनुसार अपने विचारों को क्रमश: निम्न रूप से रखना चाहेंगे :

(i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा

पश्चिम बंगाल सरकार, देश की उच्चतर न्याय पालिका, भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 फरवरी, 1993 की व्यवस्था का एक बार फिर हवाला देना चाहती है । खंड पीठ ने मौलिक अधिकार : जीने के अधिकार की तरह शिक्षा के अधिकार का निर्णय दिया था । वे संविधान के 40 वें अनुच्छेद के स्थान पर प्रारंभिक शिक्षा को संविधान के 21 वें अनुच्छेद को रखना चाहते थे । इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना में शामिल किया जाए ।

(ii) राज्य कार्य योजना की समीक्षा

राज्य सरकार ने डा० अशोक मित्रा की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था । आयोग की रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुकी है । इसमें एक सौ अट्ठारह सिफारिशें की गई हैं । इस समय राज्य सरकार राज्य स्तर की केन्द्रीय कार्य-योजना को ध्यान में रखते हुए इन सिफारिशों पर विचार कर रही है । इस संबंध में दो उप-समितियां गठित की जायेंगी । हम अपने कार्यक्रमों की शीघ्र ही मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार को भेज देंगे ।

इस राज्य की व्यावसायिक शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी है । क्योंकि रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने 10+2 के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आई० टी० आई० के समकक्ष नहीं माना ।

शिक्षु (अपरेंटिश) प्रशिक्षण के बारे में मौजूदा शिक्षुता अधिनियम के अधीन केवल कुछ ही ट्रेडों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है । यह सिफारिश की गई है कि 10+2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को शिक्षुता योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण किया जाए ।

जहां तक 10+2 में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अगली कक्षा में सीधे प्रवेश का सम्बन्ध है, यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इसे एक टर्मिनल के रूप में दर्शाया गया था, हमारे राज्य में इंजीनियरी के डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी धारा के छात्रों के लिए 20 स्थान निर्धारित किए गए थे ।

हमें समूचे देश अथवा सामान्य रूप से केन्द्रीयवार तथा विशेष रूप से राज्यवार 10+2 के व्यावसायीकरण पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के नियोजन के बारे में कोई जानकारी नहीं है । कोई कार्रवाई करने से पहले यह वांछनीय है कि संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र आदि के अन्तर्गत जनशक्ति की आवश्यकताओं का पता लगाया जाए । तथापि, 10+2 के व्यावसायिक धारा की मौजूदा गुणवत्ता का पता लगाया जाए ताकि उन्हें व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा दी जा सके तथा रोजगार तथा सवरोजगार के संदर्भ में उन्हें शिल्प (हुनर) संबंधी शिक्षा भी प्रदान की जा सके । इनसे संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात 10+2 की व्यावसयिक धारा की पुन: रेखा तैयार करना बेहतर होगा ।

कुल जनसंख्या में नवसाक्षरों तथा स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों की संख्या काफी अधिक है । दुर्भाग्यवश, इस जनसंख्या में कुशल जनशक्ति उत्पन्न करने के लिए अब तक कोई सार्थक विचार नहीं किया गया है । वस्तुत: इस प्रकार की कौशल रहित जन संख्या की राष्ट्र के प्रति काफी जिम्मेदारी है। स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर रहने वाले युवकों तथा नवसाक्षरों के लिए तकनीकी कौशल विकास कार्यक्रम पर उच्च प्राथमिक देनी चाहिए । नवीं तथा दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर पुन: विचार किया जाना चाहिए तथा इसे आठवीं कक्षा तथा उसकी निचली कक्षाओं के छात्रों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए । मौजूदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने का जो भारत सरकार का अगला निर्णय है, के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए तथा इसके पहले के पाठ्यक्रमों में संशोधन किया जाना चाहिए और विशेष

रूप से जिन संस्थाओं में इस समय व्यावसायिक धाराएं नही चल रही हैं उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार के तथ्यपरक तथा लाभप्रद व्याव सायिक धाराओं की शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी जाए।

सामूहिक शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल सरकार काफी आगे है तथा 1990 में पूर्णसाक्षरता अभियान दृष्टिकोण को अपनाकर निरक्षर समुदाय में तीव्र गति से साक्षरता का प्रचार-प्रसार कर रही है। सितम्बर, 1993 तक 9--50 आयु वर्ग के 44.30 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है। हमारे राज्य में कुलसाक्षरता का प्रतिशत बढ़ने के कारण 1991 के 57.72 प्रतिशत साक्षरता की तुलना में सितम्बर, 1993 में साक्षरता का प्रतिशत लगभग 65. 54 प्रतिशत हो गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही एक संदर्शी योजना तेयार की है। आठवीं योजना अवधि के अन्त तक पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा बशर्ते पूर्व की भांति केन्द्रीय अनुदान का अंशदान सुनिश्चित हो।

राज्य सरकार ने उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम की एक कार्यनीति पहले ही तैयार की है। 9--14 तथा 15 और इससे अधिक आयुवर्ग के लोगों के लिए उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा के दो अलग - अलग तन्त्रों की परिकल्पना की गई है। हम पूरी तरह से यह भी महसूस करते हैं कि उत्तर साक्षरता स्तर पर प्रौढ़ नवसाक्षरों को किसी न किसी रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे विकासात्मक कार्यकलापों में सक्रिय भाग ले सकें। व्यावसायिक ट्रेडों में महिलाओं को प्रशिक्षत किया जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उत्तर साक्षरता स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण को ठोस रूप दिया जाए।

राज्य सरकार अनौपचारिक शिक्षा के परियोजना दृष्टिकोण को कार्यान्वित करने के लिए इस समय गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। इसे कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार ब्लाक स्तर पर नई चुनी हुई पंचायत समितियों के समग्र मार्गदर्शन, निरीक्षण तथा नियंत्रण के अधीन अनुदेशों को पारिश्रमिक का भुगतान भी कर रही है। हमें अनौपचारिक शिक्षा की संशोधित योजना अब तक प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह कहा गया है कि यह संशोधित योजना राज्य सरकार को भेज दी गई है। चूंकि हम अनौपचारिक शिक्षा की संशोधित योजना के विषय में अनुदेशकों को नकद प्रोत्साहन के घटक पर अपना विचार नहीं दे सकते। तथापि राज्य सरकार अनौपचारिक शिक्षा की संशोधित योजना के अधीन प्रस्तावों पर निश्चित तौर पर विचार करेगी तथा इनमें उचित संशोधन करेगी।

(iii) ज्ञानसमिति की रिपोर्ट पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट

इस विचार में कोई मतभेद नहीं है कि विश्वविद्यालय उत्कृष्टता के केन्द्र होने चाहिए कि विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा समाज के अन्य वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए, और यह कि विश्वविद्यालयों तथा उनके सम्बन्धित विभागों के पास स्वायत्ता होनी चाहिए। किन्तु यह विचार ज्ञानम समिति की सिफारिशों को काटता है कि विभिन्न विश्वविद्यालय निकाय के चुनाव कम से कम सादगी द्वारा किये जाने चाहिए तथा मनोनयन को चयन का सिद्धान्त होना चाहिए। विश्वविद्यालयों प्रणाली के किसी कार्यालय से चुने हुए प्रतिनिधियों को दूर रखने की सिफारिश पर बहस तो नहीं की जा सकती है किन्तु चुनाव में खड़े होने से शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ को अलग रखने से देश के कुछ प्रतिभावान व्यक्तियों की सेवाओं से हमारी राजनीतिक प्रणाली वंचित हो जायेगी। उत्कृष्टता के आधार पर सीनेट के विद्यार्थी प्रतिनिधियों के मनोनयन से विश्वविद्यालयों के मामलों में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सहभागिता की कोई गारंटी नहीं मिलती जिसके लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक रुचि एक आवश्यक पूर्ण शर्त है।

विकेन्द्रीकरण के प्रस्तावों का स्वागत है किन्तु स्वायत्त शासी संस्थाओं या क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना के लिए बड़ी लागत की आवश्यकता होगी जिसे वर्तमान समय में विश्व-विद्यालय या राज्य सरकारें वहन करने की स्थिति में नहीं है। यदि विश्वविद्यालयों और कालेजों को स्वयं वित्त पोषित बनाना है तो उन्हें एक स्वतंत्र ढांचे को स्वीकार करना होगा जिसमें विश्व विद्यालयों शिक्षा के प्रसार से कमजोर तबकों के विद्यार्थियों को अलग रखना होगा। प्रवेश या प्रशासन के मामले में गैर-सरकारी अभिकरणों या व्यापारिक घरानों को बिना कोई छूट दिये, शामिल करना वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है। तथापि समाज के सभी वर्गों के व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से एक वास्तविक शुल्क ढ़ाचे की परिकल्पना बनानी चाहिए।

ज्ञानम समिति तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति स्वायत्त शासी कालेजों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रोत्साहन में सहभागी हैं। स्वायत्त शासी कालेजों उत्कृष्ठ केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं जो अपने पाठ्यक्रमों को खुद तैयार कर सकतें हैं, परीक्षाओ का आयोजन तथा परिणामों का प्रकाशन खुद कर सकते हैं। स्वायत्त शासी कालेजों के विद्यार्थियों के लिए गुणात्मक शिक्षा हेतु प्रावधान करने का विचार था क्योंकि इन कांलेजों की संकाय तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं बेहतर हैं। दुर्भाग्य से स्वयत्त शासी अधिसंख्य कालेजों के साथ हमारा अनुभव अलग है। पिछले कुछ वर्षों से बहुत बड़ी संख्या में स्वायत्तशासी कालेज स्थापित किये गये हैं जिनकी कोई शैक्षिक विशष्टता नहीं है। इन कालेजों की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य केन्द्रीय अभिकरणों से अधिक से अधिक निधि प्राप्त करना था। पश्चिम बंगाल शिक्षा आयोग (1992) ने किसी विशेष क्षेत्र में कालजों के मध्य सहयोग तथा अन्त: सम्बन्ध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कालेजों के एक समूह की संकल्पना का प्रस्ताव दिया है। प्रत्येक समूह में एक या दो कालेजों को उनकी पिछली प्रस्तुति को ध्यान में

रखकर प्रमुख कालेजों के रूप में समझा जाये जिन्हें दूसरे कालेजों के लिए एक आदर्श के रूप में काम करना चाहिए। इससे कालेज की शिक्षा के सामान्य स्तर को ऊँचा उठाने में मदद मिल सकती है।

ज्ञानम समिति तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड दोनों ने ही उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए बड़ी संख्या में समितियों तथा परिषदों के सृजन की वकालत की है। कुछ समितियां, जैसे कि स्थापना समिति, पहले से ही कई विश्वविद्यालयों में अस्तित्व में हैं, जो केरियर से सम्बन्धित मार्ग-निर्देशन तथा नौकरी दिलाने में सहायता प्रदान करने के लिए इन समितियों का संचालन करती हैं। किन्तु अत्याधिक समितियों के गठन से कागजी कार्य तथा शैक्षिक प्रशासन में अफसरशाही में वृद्धि होगी।

न्यायाधिकरणों की स्थापना से वातावरण में सुधार होने की कोई गारण्टी नहीं है और ना ही इस प्रकार के न्यायाधिकरण कार्य करने की संस्कृति को प्रोत्साहन को सुनिश्चित नहीं करते हैं। उत्तरदायी व्यापार संघ के व्यवहार तथा उचित आचार शास्त्र कोड से, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी शामिल हैं, हमारे विश्वविद्यालयों को उचित शैक्षिक वातावरण को बनाने में लम्बा समय लगेगा। इसके अतिरिक्त इतनी अधिक समितियों के कार्य संचालन में शिक्षकों व विद्यार्थिपों को बहुत बड़ी संख्या में शामिल करने से विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा। हमारा यह विचार है कि उठने वाली अधिकांश समस्याओं को कम से कम कागजी कार्यवाही के बिना साथ बैठ कर आपसी विचार-विमर्श के द्वारा विभागीय स्तर पर सुलझा लेना चाहिए।

किसी कालेज के प्राचार्य के कार्यकाल की अवधि को घटा कर पांच वर्ष करने की सिफारिश तर्क-संगत नहीं है क्योंकि पांच वर्ष की अवधि एक संस्था के साथ जुड़कर विकास करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए बहुत कम समय है तथा संस्था के किसी दृश्याधार के साथ संगठित होने के लिए बहुत कम समय है। यदि विभाग उक्त अवधि के दौरान विकासात्मक प्रक्रिया पूर्ण करना चाहता है तो विश्व-विद्यालय प्रमुख के कार्यकाल में वृद्धि की जानी चाहिए।

किसी विश्वविद्यालय के प्रशासन के विकेन्द्रीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को लचीला तथा अद्वितीय होना चाहिए। एक विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व की लम्बी अवधि के दौरान, अपनी खुद की विशेषताएं तथा चरित्र का निर्माण करता है। सुधार की किसी योजना को विश्व-विद्यालय के आचार के अनुरूप होना चाहिए।

(iv) विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति की रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल सरकार ने सन 60 में विधान परिषद् समाप्त कर दी थी। हमारा यह बिचार है कि दूसरे राज्यों में भी इसी प्रकार का निर्णय लिया जाना चाहिए। भारत जैसे गरीब देश में इस परिषद् का थोड़ा महत्व है जिसके पास प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपर्याप्त निधि है।

(v) शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति की रिपोर्ट

हम शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध नीति पर पूर्णतया सहमत हैं। इसके अतिरिक्त, हम भारत के संविधान के 73 वें तथा 74वें संशोधनों तथा सूचीबद्ध तालिका पर सर्वसम्मति से सहमत हैं।

वास्तव में, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर हमारे यहां तीन स्तर वाली पंचायत निकाय हैं। वामपंथी सरकार ने मई के अन्तिम सप्ताह में प्रत्येक स्तर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करके विशिष्ट विशेषताओं के साथ पंचायत के चुनाव चार बार कराये। विधायिका द्वारा प्रत्येक जिला परिषद् तथा प्रत्येक पंचायत समिति में दस स्थायी समितियां आरम्भ की गई हैं। इन निकायों के प्रमुख के रूप में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अच्छी संख्या में चुना गया है। आयोजना पंचायत समिति स्तर पर तैयार की जाती है तथा योजना बजट का लगभग 50 प्रतिशत इन विकेन्द्रीकृत निकायों द्वारा खर्च किया जाता है।

प्रत्येक जिला परिषद् तथा प्रत्येक पंचायत समिति में शिक्षा और संस्कृति पर एक स्थायी समिति (स्टैन्डिंग कमेटी) होती है।

हमने शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध पर केन्द्र समिति दस्तावेज अध्याय iv में दी गई सिफारिशों का अध्ययन किया है। पैरा 4.5 तथा रिपोर्ट के 16 से 19 पृष्ठ में दिये गये प्रक्षेपण के सम्बन्ध में हमारे पास वैकल्पिक विचार है। बिना भूमि सुधार के, पंचायती राज निकायों का संचालन का नियन्त्रण स्थानीय लोगों द्वारा किया जायेगा। लोगों की सहभागिता तथा विकास के लिए धन का कोई उपयोग नहीं होगा। जैसा कि पूर्व – प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने एक बार यह महसूस किया था कि रूपये में से केवल पन्द्रह पैसे ही निचले स्तर तक पहुँच पाते हैं। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद्, राज्य प्राथमिक बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् जैसी सांविधिक रूप से गठित शैक्षिक निकाय हैं। इन निकायों का प्रबन्ध लोकतान्त्रिक ढंग से चुने हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ये निकाय पंचायत निकायों से लेकर निचले स्तर तक की संस्थाओं के सहयोग से काम करते हैं।

वर्तमान समय में, प्रबोधन पाठ्यक्रम पंचायत के नये चुने हुए प्रमुखों के लिए चलाए जा रहें हैं जहां शैक्षिक सिद्धान्त तथा परियोजनाएं भी प्रशिक्षण के लिए शामिल हैं। इसी प्रकार यूनीसेफ की सहायता से नामांकन, धारिता, मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक शिक्षा के विकास के लिए एक राज्य व्यापी सधन अभियान पंचायती निकायों के सहयोग से प्रगति पर है।

हम 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन को ध्यान में रखते हुए पंचायत को किस प्रकार साक्षरता तथा औपचारिक शिक्षा से जोड़ जाये इस पर विचार कर रहे हैं। इस स्तर पर निरीक्षण तथा अनुवीक्षण करने के लिए ग्रामीण शिक्षा समितियों का गठन किया जा सकता हैं। बर्द्धवान द्वारा नामित जिले में इस प्रकार की समिति प्रयोगात्मक आधार पर चलन में है। भर्ती, स्थानान्तरण तथा अनुशासन सांविधिक शैक्षिक निकायों के अधिकार में रखी जा सकती है।

उक्त दस्तातेज के पृष्ठ 29 से सम्बन्धित पैरा 4.61 और 4.62 हम में से कई को अप्रसन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पंचायती राज निकायों को बिना पर्याप्त साधन उपलब्ध कराये, शिक्षा के प्रबन्ध का स्थानान्तरण एक घातक कदम होगा– एक सही सिफारिश है। क्या हम विनम्रतापूर्वक यह पूछ सकते हैं कि इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या वित्तीय भूमिका होगी। कोठारी आयोग के समय से ही, केन्द्रीय प्राधिकरण ने इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है।

(6) स्कूली बस्ते के बोझ पर यशपाल समिति की रिपोर्ट

हमारे विचार इस प्रकार हैं :

प्रथमतः, समिति ने पाठ्यचर्या विकास में शिक्षकों की सहभागिता में वृद्धि की आवश्यकता को उचित ही रेखांकित किया है।

द्वितीयतः, यह महसूस किया गया कि पूर्व-स्कूल अवस्था में खेल–खेल में शिक्षा प्रदान करने को सुनिश्चित करने के लिए देश में उपयुक्त नियमित मशीनरी तत्काल गठित की जानी चाहिए तथा विषयों औपचारिक शिक्षण से सावधानीपूर्वक बचना चाहिए। निजी तथा के सरकारी दोनों ही प्रकार के स्कूलों को मान्यता तथा सम्बद्धन प्रदान करने की प्रक्रिया को अत्यन्त कठोर बनाया जाना चाहिए ताकि जिन स्कूलों में सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है, उन्हें कार्य करने की अनुमति न दी जाये।

तृतीयतः, पूर्व–स्कूल अवस्था में विषयों का औपचारिक शिक्षण नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5) पर गृह कार्य तथा परियोजना कार्य नहीं दिये जाने चाहिए। विभिन्न कारणों से स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकों को खरीदना उचित नहीं होगा तथा बच्चों को पाठ्पुस्तकें अपने घरों में ही रखने की अनुमति होनी चाहिए।

अन्त में, यह एक स्थापित सिद्धान्त है कि मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का परीक्षण किया जाना चाहिए न कि केवल एक प्रकार की क्षमता का। संकल्पना आधारित प्रश्नों के स्थानान्तरण के अतिरिक्त, स्कूल बोर्डों को सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन पर जोर देना चाहिए ताकि सम्पूर्ण अवधि के निर्देशात्मक समय पर फैले शास्त्रीय तथा गैर–शास्त्रीय पहलुओं को मिलाया जा सके।

(7) खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा पर गठित केब समिति की रिपोर्ट

रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तथा हमने वर्तमान स्थिति पर अपने विचार देने से स्वयं को दूर रखा है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम अपने विचार प्रकट करेंगे।

(8) दूरस्थ शिक्षा पर गठित केब समिति की रिपोर्ट

हमें रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद हम इस पर विचार व्यक्त करेंगे।

तिरु० ए० गांधीराज माननीय शिक्षा मन्त्री पांडिचेरी द्वारा दिया गया भाषण

1. मैं, माननीय केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री तिरू अर्जुन सिंह जी का देश की जन–क्षमता के विकास हेतु शिक्षा के लक्ष्य के प्रति उनकी वचनबद्धता के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि भारतीय जनता के बीच समता, स्वतन्त्रता और भाई–चारे के मूलभूत लक्ष्यों को पूरा करने में यह राष्ट्रीय प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

2. पांडिचेरी का संघ शासित क्षेत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न घटकों को लागू करने और उसे मन–प्राण से वास्तविकता का रूप देने में अग्रणी है।

3. इस अवसर पर मुझे यह सूचना देने में गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी की जनता की पूरी भागीदारी के साथ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने में देश में पहला रहा है।

4. पूर्ण साक्षरता हासिल करने की इस उपलब्धि के लिए हमारे अथक और सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप हमें यूनेस्को द्वारा किंग सिजांग साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम पूर्ण–साक्षरता अभियान के दूसरे चरण में हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा क्षेत्र पूर्व–साक्षरता अभियान के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में भी अग्रणी रहेगा।

5. मौजूदा रूप से यह प्रशासन भारत सरकार और राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के मार्ग–दर्शी सिद्धान्तों के आधार पर इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए जनता के सभी क्षेत्रों का परामर्श लेते हुए कार्रवाई योजना का अन्तिम मसविदा तैयार कर रहा है। पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के लिए कार्रवाई योजना के मसविदे को दिसम्बर, 1993 तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

6. जहां एक ओर कार्रवाई योजना को तैयार किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर पांडिचेरी की सरकार इस पद्धति की कार्य–क्षमता को मजबूत करने और स्तर को बढ़ाने के लिए कार्रवाई योजना की प्रत्येक कार्रवाई के अन्तर्गत पहले ही कई कदम उठा चुकी है।

7. यह संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को शैक्षिक कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में उचित भागीदारी हासिल हो। मौजूदा समय में यह प्रशासन प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक (सह–शिक्षा संस्थानों के साथ–साथ) 49 ऐसे संस्थानों को चला रहा है जो केवल महिलाओं के लिए हैं। इन 49 संस्थानों में से, 6 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चल रहे हैं और एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और पालीटेक्नीक केवल महिलाओं के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो। इस प्रशासन में महिला शिक्षकों की भागीदारी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में क्रमशः 43.5 प्रतिशत, 39.2 प्रतिशत, 44.44 प्रतिशत और 42.8 प्रतिशत है। उपर्युक्त स्थिति इस बात का प्रमाण है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में सभी शैक्षिक कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु शिक्षा की उपलब्धता और महिलाओं की क्षमता अनुकूल है।

8. यह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन समाज के कमजोर वर्गों नामतः अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, विकलांगों और अल्पसंख्यकों के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। शिक्षा विभाग समाज कल्याण विभाग और आदि द्रविड़ कल्याण विभाग के सहयोग में कार्य करता है। यूनीफार्मों, पाठ्यपुस्तकों, लेखन सामग्रियों, जूतों की निःशुल्क पूर्ति और छात्र-वृत्तियों, शिक्षकीय सुविधाओं, छात्रावासों, प्रोत्साहनों और वित्तीय सहायता, बालिकाओं के मां–बाप को अवसर लागत और निःशुल्क दिन का खाना, जैसी विभिन्न सहायक सेवायें प्रदान की जाती हैं। उनकी शैक्षिक उन्नति के लिए इस प्रशासन द्वारा सर्विस गृह, विशेष स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाए जाते हैं। तीन राज्यों के साथ सीमायें जुड़ी होने के कारण यह राज्य बहु–भाषीय है और यहां तमिल, मलयालम और तेलुगु भाषाएं बोली जाती हैं। कला और संस्कृति के लिए एक अलग निदेशालय इस क्षेत्र की संस्कृति और भाषाओं को सुरक्षा और उन्नति सुनिश्चित करता है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों को अनुदेश के माध्यम के रूप में अपनी अपनी भाषाओं के इस्तेमाल का अधिकार है। अल्पसंख्यकों द्वारा शासित संस्थानों को शामिल करते हुए संस्थानों की पहचान के लिए अलग सहायता संहिता भी इस प्रशासन में उपलब्ध है। कराइकल क्षेत्र में "मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी" द्वारा "एरेबिक स्कूल" चलाया जा रहा है।

9. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सन् 1987 में आरंभ किया गया था। पांडिचेरी में इसके 35 केन्द्र थे, कराइकल में 7 और यनम क्षेत्र में एक जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रत्येक केन्द्र में 6—14 वर्ष के आयु वर्ग में 30 शिक्षार्थियों को दाखिले प्रदान किए गए। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के पश्चात अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को इस वर्ष पुनः प्रचालित किया गया है जिसके लिए हमारी सरकार द्वारा 25,000/–रु० की राशि प्रदान की गई है ताकि पूर्ण साक्षरता अभियान के भाग के तौर पर अरिवोली स्वयंसेवकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले 1,000 शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण सामाग्री का क्रय संभव हो। वर्ष 1994–95 के लिए अरिवोली स्वयंसेवकों के माध्यम से 300 शिक्षार्थियों को शामिल किया जा सके, इसके लिए 75,000/–रु० की राशि का

प्रावधान किया गया है। "अरिवोली" के अंतर्गत पूर्ण साक्षरता योजना के समापन के पश्चात् वर्ष 1994–95 के दौरान अनौपचारिक शिक्षा योजना पर बल दिया जाएगा। इसके लिए इसी वर्ष भारत सरकार को निधियों की मांग हेतु आवश्यक प्रस्ताव भेजा जाएगा।

10. पाठ्य पुस्तक पुनरीक्षण के क्षेत्र में यह संघ राज्य क्षेत्र अपने तीन पड़ोसी राज्यों नामत: तमिलनाडु (पांडिचेरी और कराइकल), केरल (महे के लिए) और आंध्र प्रदेश (यनम के लिए) का स्वरूप अपनाता है। ये राज्य अपनी अपनी भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें तैयार करते हैं और यह संघ राज्य क्षेत्र इन पुस्तकों को संबंधित क्षेत्रों के लिए अपनाता है। अत: इन राज्यों द्वारा जिस पुनरीक्षण और सिफारिशों का सुझाव दिया जाता है वह इस संघ क्षेत्र राज्य पर भी लागू होता है। पांडिचेरी और कराइकल क्षेत्रों के जिए हम स्वयं अपने स्कूल शिक्षा बोर्ड के गठन की योजना तैयार कर रहे हैं। इस बोर्ड की स्थापना के पश्चात हम ऐसी पाठ्य पुस्तकें और दक्षता के साथ तैयार कर सकेंगे जो हमारे अपने और राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ती के अनुकूल हों।

11. पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में किसी विधायी परिषद् का अस्तित्व नहीं है अत: विधायी परिषद् में शिक्षकों के प्रतिनिधिकरण का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

12. तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के माध्यम से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की विभिन्न सिफारिशों के आधार पर अभूतपूर्व वृद्धि और महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा और शिल्पकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कम्प्यूटर शिक्षा, प्रबंधन कार्यक्रम, सामुदायिक पालेटेक्नीक को लागू करना, ऐसे विभिन्न क्रियाकलाप हैं जो इस प्रशासन द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। यह प्रशासन मौजूदा रूप से तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और तीन पालीटेक्नीक चला रहा है जो कि इस संघ राज्य क्षेत्र की जनशक्ति बनाने की आवश्यकता की पूर्ति करते है।

"पांडिचेरी इंजीनियरिंग कालेज" नामक पूर्ण रूपेण स्नातक और स्नातकोतर संस्थान इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है।

13. व्यावसायिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस विषय को सन् 1978-79 में इस संघ राज्य में + 2 स्तर पर आरंभ किया गया था। पांडिचेरी, कराईकल और महे में 31 उच्चतर माध्यमिक स्कूल में से 19 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 45 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिनमें से 30 पाठ्यक्रम राज्य योजनाओं के अंतर्गत हैं और 15 पाठ्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत हैं। ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम मुख्यत: कृषि विज्ञान, वाणिज्य और व्यापार, इंजीनियरिंग टेक्नालाजी वस्त्र अभिकल्पना और निर्माण, विद्युत घरेलू उपकरण, मुद्रण टेक्नालाजी, आफिस सेक्रेटेरियल, भवन अनुरक्षण और कम्प्यूटर शिक्षा विषयों की शाखाओं के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की प्रतिशतता 18.5 है जो कि व्यावसायिक शाखा में न्यूनतम 10% भर्ती के मौजूदा राष्ट्रीय स्तर के मानक से अधिक है।

14. पंचायती राज संस्थानों से संबंधित शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार ने विभिन्न विषयों और शिक्षा को अपने हाथ में लेने में स्थानीय निकायों की मौजूदा स्थिति पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। इस संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज संस्थानों के नगरपालिका (शहरी) और समुदाय पंचायत (ग्रामीण) के स्तर को बनाए रखा जाता है। इन पंचायती राज संस्थानों के लिए सन् 1968 से चुनाव नहीं आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा नगरपालिकाओं और समुदाय पंचायतों का पहला कार्य अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, सड़क रख-रखाव, जन स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इत्यादि प्रदान करना है। इन स्थानीय निकायों को शिक्षा से जोड़ने के परिणामस्वरूप इन्हें साधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अत: इस संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा का प्रबंधन शिक्षा विभाग के पास होने की यथापूर्व–स्थिति को रहने दिया जा सकता है।

15. हम यशपाल समिति द्वारा की गई सिफारिशों का पूर्ण समर्थन करते हैं। हमने पहले ही अपने सरकारी और निजी स्कूलों को अनौपचारिक रूप से बच्चों को गृह–कार्य देने की प्रक्रिया को कम करने और उनकों अपने आस–पास के वातावरण से शिक्षा ग्रहण करने की छूट लेने की सलाह दी है।

16. अध्यापक शिक्षा और शिक्षकों के बीच योग्यता के विकास के क्षेत्र में इस संघ राज्य क्षेत्र ने अलग राज्य प्रशिक्षण केन्द्र का संस्थापन किया जो है शिक्षकों की व्यावसायिक धारा में सुधार करने के लिए भारत सरकार की मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के आधार पर अल्प अवधि के विषयपरक विशिष्ट पाठ्क्रम और 21 दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से सभी वर्गों के शिक्षकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करता है। विज्ञान के लिए जिला संसाधन केन्द्र भी विज्ञान और गणित के क्षेत्र में सेवा के दौरान अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को बल प्रदान करने के लिए कार्यरत है।

17. खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सभी कार्यक्रमों के अनुवीक्षण के लिए राज्य खेल परिषद का गठन किया है। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स' नामक एक विशेष परियोजना विकास किया जा रहा है जिसमें भिन्न–भिन्न खेल-कूदों के लिए सुसज्जित खेल के मैदान, आवश्यक कर्मचारियों सहित कोचिंग केन्द्र होंगे। खेल-कूद में प्रतिभाशाली युवकों की पहचान कर ली गई है और उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

18. इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा युवाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना एन० एस० एस० राष्ट्रीय केडेट कोर (एन० सी० सी०) और स्काउट और गाइड में शामिल करके उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल करना है। इस संघ राज्य क्षेत्र में इन क्षेत्रों के अंतर्गत समुदाय विस्तार कार्यक्रम शिक्षा

के विकास में जन-समुदाय को जोड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं ।

19. इन उपायों के अतिरिक्त यह संघ राज्य क्षेत्र उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम इस्तेमाल और नवीन पद्धतियों का प्रयोग करने के माध्यम से सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चिंतित है। अभी तक शिक्षकों की विश्वसनियता सुनिश्चित करते हुए प्राथमिक सकूलों में अध्ययन के न्यूनतम स्तरों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास उल्लेखनीय हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र में जन शिक्षा योजना और स्कूली शिक्षा में पर्यावरण के अनुस्थापन को लागू करने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को बल मिलेगा। शिक्षा विभाग में स्थित दृश्य श्रव्य शिक्षा एककों द्वारा कक्षाओं में संदेश पंहुचाना भी इस संबंध में लाभप्रद सिद्ध हुआ है।

20. यह संघ राज्य क्षेत्र "नैशनल फाउन्डेशन फार टीचर्स वेल्फेयर" योजना को लागू करने के माध्यम से शिक्षकों का कल्याण सुनिश्चित करता है । और इसके माध्यम से शिक्षा के विकास में शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी के रास्ते खोलता है ।

21. अंत में मैं माननीय केन्द्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के विद्वान सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने शिक्षा के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में श्री आर० डी० सोनकर सलाहकार राज्य पाल मध्य प्रदेश का वक्तव्य

मैं माननीय मानव संसाधन विकास मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 49 वीं बैठक में शिक्षा के सामयिक, महत्वपूर्ण और नीतिगत प्रकरणों पर विचार-विनिमय का अवसर प्रदान किया है।

2. इस सम्मेलन का बोर्ड द्वारा गत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन, स्कूली विद्यार्थियों पर शिक्षा का बोझ कम करने के उपयोग का सुझाव देने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीयशिक्षा सलाहकार समिति की रिपोर्ट, शिक्षा के प्रबन्धन का विकेन्द्रीकरण पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति की रिपोर्ट, विधान परिषदों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानम कमेटी तथा चुनेरी कमेटी की रिपोर्टस के परिप्रेक्ष्य में विचार कर तथा निर्णय लेने की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है।

प्रौढ़ साक्षरता

यह प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा साक्षरता पर गठित समिति की आख्या को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अब "अभियान उपागम" को पूर्ण रूप से स्वीकारा जा चुका है। देश के विभिन्न जनपदों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के आशानकूल परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सम्प्रति 18 जनपदों की सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम को राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के कुल 93 जनपदों में से दो तिहाई जनपदों अर्थात् 42 जनपदों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान से आच्छादित किया जाये तथा शेष जनपदों को वर्ष 2000 तक आच्छादित किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता के प्रसार में स्वैच्छिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त सम्पूर्ण साक्षरता अभियान संबंधी प्रस्तावों का परीक्षण जिला तथा राज्यस्तर पर गठित परीक्षण (स्क्रीनिग) समितियों द्वारा किया जाता है। अब तक 187 प्रस्तावों का राज्य स्तर पर भली-भांति परीक्षण करके संस्तुतियां भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश में प्रौढ शिक्षा के कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है तथा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान से आच्छादित जनपदों के कार्यक्रमों का अनुश्रवण तत्परता से किया जा रहा है। मुख्यसचिव के स्तर से भी संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक पृथक से की जाती है।

यह प्रसन्नता का विषय है कि मानव संसाधान विकास मन्त्रालय, शिक्षा विभाग का कार्यालय-ज्ञापन दिनांक 30 सितम्बर, 1993 द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने हेतु चयन की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने का प्रयास किया गया है।

बिना बोझ के शिक्षा

प्रो० यशपाल की अध्यक्षता में गठित स्कूली छात्रों के बोझ को कम करते हुए अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा रिपोर्ट दिनांक 15 जुलाई, 1993 को दी गई है। समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित किया है कि इस अध्ययन के उपरान्त मैं और समिति के अधिकांश सह-कर्मी इस बात से सहमत हैं कि विषय-वस्तु को न समझ पाने के परिणामस्वरूप बच्चों पर ज्यादा घातक बोझ पड़ता है। इस समिति की सिफारिशों को लागू करने की संभाव्यता की जांच के लिए शिक्षा मन्त्रालय द्वारा गठित दल की रिपोर्ट के संदर्भ में मेरा सुझाव है कि इस रिपोर्ट के विश्लेषणों तथा इसकी अन्य सिफारिशों पर यथा-सम्भव विभिन्न स्तरों तर विस्तृत चर्चा की जाये। बालकों के माता-पिता और अभिभावकों को विचार-विमर्श के समय मुख्य रुप से आमंत्रित किया जाये तथा उनके विचार प्राप्त करने के उपरान्त ही बिना बोझ की शिक्षा की कार्य-योजना तैयार की जाये। विद्यार्थियों पर शिक्षा के बोझ को कम करने की दिशा में प्रो० यशपाल समिति की रिपोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पहल की है जो कि इस दिशा में एक मील का पत्थर है। प्रो० यशपाल जी के इन विचारों से मैं भी पूर्ण रूप से सहमत हूं कि बिना समझे "अधिक सीखने" की अपेक्षा समझकर "थोड़ा सीखना" ही ज्यादा बेहतर है।

शिक्षा के प्रबन्धन का विकेन्द्रीकरण

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा शिक्षा के विकेन्द्रीयकृत प्रबन्धन पर श्री एम० वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस समिति ने संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन वर्ष 1992 को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति पंचायत स्तरीय समिति, जिला परिषद् स्तरीय समिति तथा नगरपालिका स्तरीय समिति के माध्यम से किये जाने का सुझाव दिया है। इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकारें समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों को स्थानीय परिस्थितियों की उपयुक्तता के अनुसार स्वीकार करें।

मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में बोर्ड के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता

हूं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन दिनांक 25 जुलाई, 1972 से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई और उसे राज्य में बेसिक शिक्षा तथा उसके लिए अध्यापक प्रशिक्षण दिये जाने को संगठित करने, उसका समन्वय करने, उस पर नियंत्रण करने, उसके स्तर को ऊंचा उठाने और उसे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली से परस्पर सम्बद्ध करने का दायित्व सौंपा गया।

हमारे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन, संगठनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। जिला बेसिक शिक्षा समितियों में, नगर बसिक शिक्षा समितियों तथा गांव शिक्षा समितियों की संरचना में परिवर्तन करना तथा उनके कृत्यों को और अधिक व्यापक बनाए जाने के साथ ही खण्ड शिक्षा समितियों के गठन तथा उनके दायित्वों की विहित करने की भी आवश्यकता है। राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल की है तथा कतिपय प्रशासनिक आदेश भी निर्गत किए गए हैं। प्रदेश में हमारा यह प्रयास होगा कि किसी अन्य व्यवस्था/संरचना की अपेक्षा संविधान के 73वें तथा 74 वें संशोधन की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए उ० प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 में अपेक्षित संशोधन कराकर पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए उन्हें शिक्षा व्यवस्था के प्रति अधिक दायित्व प्रदान कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाया जाए।

विद्यालयी पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन का एक राष्ट्रीय आयोग

पाठ्य-पुस्तकों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर गठित स्टीयरिंग कमेटी ने पाठ्य-पुस्तकों के संबंध में जनवरी, 1993 में संस्तुतियां की हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचलित राष्ट्रीयकृत पाठ्य-पुस्तकों के संबंध में नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की संस्तुतियां मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास, हिन्दी, गणित और सामाजिक विज्ञान विषय की प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों के संबंध में अभिमत उल्लिखित किया गया। हाई स्कूल इतिहास की पाठ्य-पुस्तक में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि वर्ष 1992 की पुस्तक में साम्प्रदायिक अभिविन्यास (कम्युनल ओरियन्टेशन) है जो भारत के अतीत का ऐतिहासिक त्रुटिपूर्ण तथा विकृत स्वरूप प्रस्तुत करता है। समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि इतिहास की इन पुस्तकों को वापस ले लेना चाहिए तथा कक्षा 9–10 में इतिहास एक ऐच्छिक विषय के रूप में लिए जाने की सुविधा समाप्त करनी चाहिए। हाई स्कूल हिन्दी की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री को समिति द्वारा कालातीत पाया गया तथा यह संस्तुति की गई कि उनके पुनर्लेखन की आवश्यकता है। इसी प्रकार हाई स्कूल गणित विषय में वैदिक गणित के सम्मिलित किये जाने पर टिप्पणी करते हुए समिति द्वारा इस पुस्तक को वापस लिये जाने की संस्तुति की गयी। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अन्य सामान्य संस्तुतियां भी की गई हैं। इस संबंध में प्रदेश शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी।

नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को राष्ट्रीय आयोग (नेशनल कमीशन) का स्तर प्रदान किये जाने का विचार प्रशंसनीय है किन्तु इस सबन्ध में निर्णय लेने के पूर्व मेरा यह सुझाव है कि राज्य सरकारों को और अधिक समय दिया जाये कि इस संबंध में वे अपना विचार निर्धारित कर भारत सरकार को अवगत करायें।

विधान परिषदों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 8–9 मार्च, 1991 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विधान परिषद् में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति का गठन श्री एम० वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दिनांक 10 फरवरी, 1992 को किया गया।

विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व हेतु समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इन पर बोर्ड की बैठक में आज विस्तार से विचार किया जाये और तदनुसार संस्तुतियों को स्वीकारा जाय।

व्यावसायिक शिक्षा

माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, वर्ष 1992 में किया गया संशोधन के अनुसार यह प्रस्तावित है कि वष 1995 तक 10% तथा वर्ष 2000 तक 25% उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम से आच्छादित किया जाये। उत्तर प्रदेश में अब तक तीन चरणों में 710 माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ किया गया है। इन पाठ्यक्रमों से लगभग 19 हजार छात्र–छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं।

व्यावसायिक शिक्षा के संबंध के में मेरा यह सुझाव है कि इस योजना को अन्य विकास की योजनाएं जैसे ट्राइसेम एन० आर० वाई० इत्यादि से एकीकृत किया जाये जिससे कि इसका पूरा लाभ विद्यार्थियों को मिल सके। कक्षा 8 के स्तर तक अधिक संख्या में विद्यार्थी आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ देते हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए पूर्वव्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे कि वे कार्य की दुनिया में पूर्ण आत्म-विश्वास के साथ पदार्पण करें और स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मेरा यह भी सुझाव है कि "खुला विद्यालय संगठन" द्वारा भी व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जिनका लाभ ऐसे लडके-लड़कियां उठा सकें जो औपचारिक शिक्षा की धारा से किन्हीं भी कारणों से हट गए हों।

उच्च शिक्षा

विश्वविद्यालयों के प्रबन्धन की समीक्षा और उच्च शिक्षा संस्थाओं की उपलब्धियों के मानक निर्धारण हेतु ज्ञानम समिति

का गठन किया गया था। प्रदेश सरकार के सीमित आर्थिक स्रोतों के कारण विश्वविद्यालय के बढ़ते हुए व्ययभार को वहन करना कठिन हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में नये परिवर्तनों के आ जाने से अब विश्वविद्यालयों के लिए इस बात के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो गये हैं कि वे अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कम्प्यूटर साइन्स, मैनेजमेंट आदि विषयों में वाणिज्यिक अधिष्ठानों तथा उद्योगों के साथ सहयोग स्थापित कर कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्रारम्भ कर सकते हैं और इस प्रकार उनके आय के स्रोतों में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। समिति की रिपोर्ट के सन्दर्भ में संक्षेप में, विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता, उत्तरदायित्व, विकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि विश्वविद्यालयों को शैक्षिक क्षेत्र में, जहां वे पूर्णरूप से स्वायत्त हैं, गुणात्मक सुधार के लिए अविच्छिन्न रूप से प्रयास करते रहना चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की भर्ती के लिए केन्द्रीयकृत सिद्धान्त अपनाया जाना चहिए जिससे कि राज्य सरकार का अनावश्यक व्ययभार न बढ़े।

विश्वविद्यालय के उत्तरदायित्व के संबंध में यह सिद्धान्त अनाया जाना चाहिए कि प्रत्येक विश्वविद्यालय की 5 वर्ष बाद समीक्षा एक बाह्य पैनल द्वारा किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा अपना वार्षिक लेखा-जोखा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भांति राज्य विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिये। प्रत्येक अध्यापक की वार्षिक प्रगति का भी मूल्यांकन होना चाहिए।

मेरा यह सुझाव है कि विश्वविद्यालयों को स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के अनावश्यक बोझ से मुक्त कर देना चाहिए। इस संबंध में राज्य स्तर पर परिक्षाएं आयोजित करने का दायित्व एक विश्वविद्यालय को देना चाहिए। शेष विश्वविद्यालयों को केवल स्नातकोत्तर शिक्षण एवं शोध कार्य हेतु पर्याप्त अवसर एवं सुविधा प्रदान की जाए।

प्राविधिक शिक्षा

उन्नीकृष्णन बनाम कर्नाटक स्टेट के संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु मार्ग-दर्शिका को अन्तिम रूप दिये जाने के लिये 17 जून, 1993 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्तर पर एक बैठक हो चुकी है। मेरा अनुरोध है कि मार्ग-दर्शिका यथाशीघ्र निर्गत करा दी जाए जिससे कि आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि विश्व बैंक की सुपरविजन मिशन द्वारा मई, 1993 में विभिन्न प्रदेशों में चल रही विश्व बैंक परियोजना की समीक्षा में उत्तर प्रदेश द्वारा प्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित विश्व बैंक परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति को सर्वोत्कृष्ठ घोषित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 86 पालीटेक्निक्स में 200 करोड़ रुपये की धनराशि से इनका सुदृढ़ीकरण एवं विकास व गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। जुलाई, 1993 तक 108.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न पालीटेक्निक के भवनों का निर्माण साज-सज्जा आदि की आपूर्ति तथा गुणात्मक सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् के विचाराधीन नई संस्था खोलने तथा नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के संबंध में जो प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित हैं; उनका शीघ्र निस्तारण हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा सतत् प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश के 32 पालीटेक्निक्स में कम्यूनिटी पालीटेक्निक योजना चलायी जा रही है जिनमें भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। उक्त योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के स्व–व्यवसाय के लिए उत्सुक व्यक्तियों को विभिन्न व्यावसायों में अल्पकालिक प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है। अभी तक जो भी दरें उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। वे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत कम हैं जिन्हें बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि कम्यूनिटी पालीटेक्निक योजना को विश्व बैंक परियोजना के परिक्षेत्र में लाया जाए।

प्रदेश में प्राविधिक शिक्षण संस्थानों की आज के युग में प्रौदयोगिकी के विकास के अनुरूप विकसित करने हेतु सीधी केन्द्रीय सहायता ही एक सक्षम विकल्प है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा वरीयता प्रदान की जाए।

अन्त में, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी के प्रति अपना व्यक्तिगत आभार और प्रदेश शासन की ओर से भी सम्मान प्रदर्शित करता हूं कि इस सम्मेलन में उन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है।

आर० डी० सोनकर,
सलाहकार श्री राज्यपाल, म० प्र०

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में डॉ0 रामचन्द्र पूर्वे, मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) बिहार सरकार का भाषण

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री अर्जुन सिंह के प्रति सर्वप्रथम अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की इस बैठक में मुझे प्रतिभाग करने तथा विचार अभिव्यक्त करने का मौका दिया है ।

पुनरीक्षित नई शिक्षा नीति 1992 की कार्य योजना के अनुरूप बिहार में राज्य कार्य योजना का अंतिम स्वरूप अभी नहीं दिया गया है, परन्तु बिहार में शिक्षा को नया आयाम देने का चतुर्मुखी प्रयास चल रहा है। साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, शिक्षकों के गहन प्रशिक्षण के साथ ही साथ लोक–भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। परिणाम-स्वरूप राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की वृद्धि 80% तक हुई है। सम्प्रति सन् 91 के अंत में छात्रों का छीजन 18% था वह घटकर सन् 92 के अंत में 12% हो गया है। सन् 93 के अंत में छीजन का दर और अधिक घटने की सम्भावना है। न्यूनतम अधिगम सतर की सम्प्राप्ति हेतु बिहार शिक्षा परियोजना से राज्य के सात जिलों में विशेष कार्य योजना चलायी जा रही है। समाज के अभिवंचित समुदाय के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के परिक्षेत्र में लाने हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है। महानगर के झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों एवं गांव के हरिजन एवं आदिवासी मुहल्लों में व्यापक पैमाने पर प्राथमिक विद्यालय खोला जा रहा है। विकास की अंतिम सीढ़ी पर खड़े डोम, हलखोर तथा मुसहर समुदाय के बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु प्रति छात्र प्रति दिन एक रुपया देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इस व्यवस्था से आज उन झोंपड़ियों में भी ज्ञान का दीप प्रज्ज्वलित हो रहा है, जहां सदियों से अंधेरा था।

राज्य के इस विशेष अभियान में केन्द्र सरकार का प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहयोग अपेक्षित है। यदि कामकाजी निर्धन बच्चे अपनी गरीबी के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं तो विद्यालय को उन बच्चों के बीच आना होगा। स्वामी विवेकानन्द के इस दर्शन को बिहार के मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद ने राज्य में 114 चरवाहा विद्यालयों को खोलकर मूर्तरूप देने का काम किया है। चरवाहा विद्यालयों का प्रतिफल राज्य में दिखने लगा है। मुझे प्रसन्नता है कि योजना आयोग ने चरवाहा विद्यालयों के उन्नयन एवं विकास हेतु दो करोड़ रुपयों का अनुदान दिया है ।

राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास हेतु सामान्य विद्यालयों एवं मदरसों में उनके नामांकन हेतु नामांकन अभियान चलाया गया है। मदरसों के पाठ्यक्रमों में विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संस्कृति एवं पर्यावरण से जोड़कर आधुनिक बनाया जा रहा है। बिहार के बहुत सारे प्रखंडों में अल्पसंख्यकों की आबादी 70% से ज्यादा है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए नई केन्द्रीय परियोजना के अन्तर्गत राज्य में इन्सेंटीव ओरिएन्टेड एक परियोजना बनाई गई है । जिसके कार्यान्वयन में इस वर्ष 1.50 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी जबकि इस योजना के लिए पूरे राष्ट्र में मात्र 2.20 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है, जो बिल्कुल नाकाफी है। इस मद में अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

राज्य के 25 जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को कार्यरत कर दिया गया है। शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, निरीक्षी पदाधिकारियों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सक्रिय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से एक नया उत्साह का संचार विद्यालयों के शिक्षण एवं प्रबंधन में हुआ है।

शिक्षा को श्रम एवं रोजगार से जोड़ने हेतु राज्य के 148, (+2) विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के 25 ट्रेडों की पढ़ाई जारी है, वहीं राज्य के चार हजार माध्यमिक विद्यालयों के नवम् एवं दशम वर्ग के पाठ्यक्रम में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को आवश्यक अंग बनाया गया है, ताकि उत्पादक कार्यों के प्रति प्रारंभ से ही छात्रों में अभिरूचि जागृत हो सके। देहाती क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य के छः सौ खंडों के प्रखंड मुख्यालय या ग्रामीण क्षेत्र में एक बालिका उच्च विद्यालय खोलने की योजना के अन्तर्गत राज्य में अब तक 500 परियोजना बालिका उच्च विद्यालय संस्थापित हो चुके हैं, लेकिन इन विद्यालयों को भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, परिसर आदि की दृष्टि से समृद्ध करने हेतु केन्द्र सरकार से विशेष मदद के रूप में 2.50 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है ।

राज्य में प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रति आम लोगों में संचेतना बढ़ी है और इसी अनुपात में विद्यालय भवन के विस्तार एवं अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग भी बढ़ने लगी है, जिसकी परिपूर्ति के बिना "सबों के लिए शिक्षा" लक्ष्य शायद सम्प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।

जिला प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण पर कैव समिति की अनुशंसा से हमारा राज्य पूर्णरूपेण सहमत है। गांव के विद्यालयों की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व गांववालों को सौंप देने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीणों को यह अहसास हो कि गांव का विद्यालय उनका अपना विद्यालय है ।

बिहार सरकार ने पंचायती राज विधेयक को विधानमंडल से पारित कराकर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के संचालन; व्यवस्था एवं विकास का दायित्व पंचायती व्यवस्था को सौंपने का क्रांतिकारी निर्णय लिया है।

यशपाल कमिटी की अनुशंसाओं एवं उनके संदर्भ में गठित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कमिटी के मंतव्य का हम स्वागत करते हैं । वस्तुतः किताब के बोझ से छोटे बच्चे दबे जा रहे हैं, उन्हें मात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु रटंत शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा को न तो अपने परिवेश एवं संस्कृति से संस्पर्श है और न तो हममें समाज एवं राष्ट्र के प्रति कोई संवेदना जागृत करती है। इस हेतु की प्राप्ति की दृष्टि से पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं पाठ्यपुस्तकों का लेखन होना चाहिए । किसी भी स्थिति में 0—5 वर्ष में बच्चों का नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में नहीं होना चाहिए । नर्सरी में प्रवेश हेतु किसी तरह की जांच परीक्षा की आवश्यकता नहीं है । प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की वर्तमान स्थिति के कारण अनुशंसा संख्या-6 और 7 के कार्यान्वयन में राज्य को कठिनाई है । प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षक, छात्र का अनुपात 1.30 होना चाहिए, परन्तु यह तभी कार्यान्वित हो सकता है जब केन्द्र सरकार के अनुदान से राज्य में शालाओं का कमरा बढ़ाया जाए और शिक्षकों की अतिरिक्त नियुक्ति की जाए।

भारत के संविधान के प्रावधान के अनुरूप सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता तथा आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने की दृष्टि से एन० सी० ई०आर० टी० के पाठ्यक्रम के आधार पर इस राज्य में भी तदनुरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है और पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशित किया गया है । बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पाठ्यपुस्तकों की सघन समीक्षा की गई है और जहां-कहीं भी साम्प्रदायिक एवं सामंती अंश पाए गए हैं, उन्हें पाठ्यपुस्तक से निकाल दिया गया है । इस संबंध में हमारी सरकार सचेत है । अस्तु, हमारी सरकार पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु एक नेशनल कमीशन स्टैंटच्यूरिटी संस्था के संस्थापन के पक्ष में नहीं है । यों स्कूली पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति की सिफारिश 1 से 6 तक में राज्य सरकार को सहमति है ।

विधान परिषदों में शिक्षकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उप समिति का स्वयं मैं एक सदस्य था । उप समिति की अनुशंसा में राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

मैं अनुगृहीत हूं आप तमाम विद्वतजनों का, जिन्होंने ध्यानपूर्वक मुझे सुनने का कष्ट किया है । धन्यवाद ।

जय हिन्द, जय भारत ।

शिक्षा पर एक दृष्टि अंडमान और निकोबार दीप समूह शिक्षा विभाग पोर्ट ब्लेयर अक्टूबर 1993

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं जिसमें 319 द्वीपसमूह शामिल हैं। अंडमान ग्रुप में 257 द्वीप समूह और निकोबार ग्रुप समूह में 62 द्वीप समूह शामिल हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार इन 319 द्वीप समूहों में से केवल 38 द्वीप समूह 2, 80, 661 की जनसंख्या से बसा हुआ है। इन द्वीप समूहों का कुल क्षेत्र 8293 वर्ग कि० मी० है। 1942 तक दण्डात्मक निवारण के रूप में समझे गए द्वीप समूहों को भारत गणतंत्र बनने के बाद भाग "घ" राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था और 1-11-1956 से एक संघ शासित प्रदेश है। प्रशासनिक रूप से ये द्वीप समूह दो जिलों में बाँटा गया है, अर्थात् अंडमान जिसका जिला मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, और निकोबार जिसका जिला मुख्यालय कार निकोबार में स्थित है। इन दो जिलों को 7 तहसीलों अर्थात् अंडमान जिले में डिगलीपुर, मायाबुन्डर, रनगाट, पोर्ट ब्लेयर एवं फेरार गंज और निकोबार जिले में कार निकोबार और ननकावरी में बांटा गया है। द्वीप समूहों में 491 जनगणना गांव हैं जिनमें से 320 अंडमान में स्थित हैं और 171 निकोबार द्वीप में स्थित हैं।

शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य से इन द्वीप समूहों को 7 जोनों में बांटा गया है जिनके मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर, विम्बरली गंज, रनगाट, माया बुन्डर, डिगलीपुर, कार निकोबार और ननकावरी में स्थित हैं।

पोर्ट ब्लेयर के अलावा, अंडमान और निकोबार की जनसंख्या को 491 जनगणना गांवों में बांटा गया है जिनमें से 200 से अधिक गांवों की जनसंख्या प्रत्येक गांव में 200 से कम है। जहां तक आवासों का सम्बन्ध है, पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 565 आवास हैं। इनमें से केवल 241 आवासों की जनसंख्या 200 अथवा इससे अधिक है, 96 आवासों की जनसंख्या 100 और 200 के बीच है और 228 आवासों की जनसंख्या 100 से कम है। छोटे-छोटे आकार वाले आवास होने से आर्थिक रूप से व्यवहार्य संस्था की स्थापना के रास्ते में बाधा आती है।

वर्तमान स्थिति

संघ शासित प्रशासन के सतत प्रयास और केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता करने के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के बाद द्वीपों में शैक्षिक सुविधाओं में अद्भुत वृद्धि हुई है इसके परिणामस्वरूप अंडमान और निकोबार द्वीप प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तरों पर नामांकन अनुपात के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से आगे है। इस संघ शासित प्रदेश में शिक्षा खण्ड के मुख्य क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति संक्षिप्त रूप से नीचे दी गई है।

1. प्रारंभिक शिक्षा.

1992-93 के दौरान I—V और VI से VII तक की कक्षाओं में नामांकन द्वारा 6-11 आयु वर्ग में 109.35 प्रतिशत जनसंख्या और 11-14 आयु वर्ग में 100.14 प्रतिशत जनसंख्या को शामिल करने से संघ शासित प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के संबंध में राष्ट्रीय औसत से अधिक आगे है। लड़कियों के नामांकन के संबंध में स्थिति अब भी और अधिक सन्तोषजनक है क्योंकि I—V तक की कक्षाओं में लड़कियों का 96 प्रतिशत और VI—VIII तक की कक्षाओं में लड़कियों का 85.7 प्रतिशत इन द्वीपों में में नामांकित किया गया था। इस प्रकार स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर राष्ट्रीय साक्षरता की दर से बहुत कम है क्योंकि द्वीपों में स्कूल छोड़ने वालों की दर कक्षा I—V में 16.13 तथा कक्षा I—VIII में 37.18 है जबकि स्कूल छोड़ने वालों की राष्ट्रीय दर कक्षा I—IV में 47.93 और कक्षा I-VIII में 65.40 है।

महिला शिक्षकों सहित उचित प्रशिक्षित शिक्षण स्टाफ की व्यवस्था के संबंध में स्थिति इन द्वीपों में समान रूप से प्रोत्साहक है। सारिणी में दर्शाई गई स्थिति नीचे दी गई है :

कक्षाएं	कुल शिक्षकों में महिला शिक्षकों का प्रतिशत	प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत	शिक्षक-छात्र अनुपात
I—V	47.56 (27.4)	96.42 (87.26)	24
VI-VIII	43.48 (32.0)	98.68 (89.64)	18

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सम्पूर्ण भारत के आंकड़े हैं।

2. माध्यमिक शिक्षा

द्वीपों में माध्यमिक स्तर पर 10+2 पैटर्न शुरू किया गया है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से सम्बद्ध है। इस समय केन्द्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय समेत 29 माध्यमिक स्कूल और 41 उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कुल नामांकन क्रमशः 8653 और 3576 है। प्रारम्भिक स्तर की तरह, शिक्षण स्टाफ की व्यवस्था के संबंध में राष्ट्रीय औसत की तुलना में इन द्वीपों का स्थान बेहतर है क्योंकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षक-छात्र अनुपात क्रमशः 15 और 8 है। माध्यमिक स्तर पर 100% शिक्षक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 98.90 प्रतिशत शिक्षक हैं।

3. शिक्षा का व्यवसायीकरण

इस समय मत्स्य पालन, कार्यालय प्रबंध, सचिवालय संबंधी कार्य और उद्यान विज्ञान समेत केवल तीन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। +2 स्तर पर विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की एक योजना आठवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल की गई है। व्यावसायिक प्रवेश छात्रों के लिए प्रशिक्षुता प्रक्षिण की व्यवस्था प्रशासन के विभिन्न विभागों में की जाती है।

4. प्रौढ़ शिक्षा

ये द्वीप साक्षरता के संबंध में भी राष्ट्रीय औसत से आगे हैं। 1991 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अण्डमान और निकोबार द्वीपों में साक्षरता दर 73.02 प्रतिशत है जबकि देश में साक्षरता की दर 52.07 है। 1991 की जनगणना के अनुसार हालांकि यह अनुमान है कि लगभग 60,000 लोग निरक्षर हैं जिनकी आयु 7 वर्ष और उससे पर है, 15-35 आयु वर्ग में निरक्षकों की संख्या बहत नगण्य है। मुख्य रूप से निरक्षर अप्रवासी मजदूरों में पाए जाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान को आते-जाते रहते हैं। ऐसे लोगों को साक्षरता प्रदान करना बहुत कठिन है।

5. पाठ्य पुस्तकें

स्कूलों में अपनाए गए बहु-माध्यमी अनुदेशों और द्वीपों में पुस्तक प्रकाशन उद्योग के लिए अपेक्षित पूंजी संबंधी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण पाठ्यपुस्तकें तैयार करना, प्रकाशित करना तथा वितरण करना संघ शासित प्रशासन में शैक्षिक कार्यकलापों की आयोजना तथा प्रबन्ध में आ रही गम्भीर कठिनाइयों में से एक है। इस समय पाठ्यपुस्तकों की मांग महाद्वीप के साथ-साथ नगण्य स्थानीय उत्पादन के माध्यम से पूरी की जाती है।

प्रारम्भिक स्तर के लिए, पाठ्यपुस्तकें तैयार करने तथा प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व राज्य शिक्षा संस्थान की है। कुछ शीर्षक रा० शै० अ० प्र० प० की सहायता से राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा तैयार किए गए हैं। अनेक रा० शै० अ० प्र० प० के शीर्षकों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है तथा उन्हें प्रकाशित किया गया है। माध्यमिक स्तर पर स्कूलों का माध्यम हिन्दी तथा अंग्रेजी है। रा० शै० अ० प्र० प० के शीर्षकों का पाठ्यपुस्तकों के लिए उपयोग किया जाता है। तथापि, अन्य माध्यमों के लिए पाठ्यपुस्तकें, महाद्वीप के अन्य राज्यों से प्राप्त की जाती हैं और ये विभिन्न शैक्षिक जोनों पर कार्य कर रहे उप-पुस्तक भण्डार के माध्यम से बितरित की जाती हैं।

6. उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के लिए संघ शासित प्रदेश में दो कालेज एक पोर्ट ब्लेयर तथा दूसरा कार निकोबार में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में स्थित कालेज अवर स्नातक स्तर पर मानविकी विज्ञान तथा वाणिज्य में और स्नातकोत्तर स्तर पर मानविकी में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। कार निकोबार में स्थित कालेज अवर स्नातक स्तर पर केवल मानविकी धारा में शिक्षा प्रदान करता है। पोर्ट ब्लेयर में स्थित कालेजों में 1579 छात्र और कार निकोबार में स्थित कालेजों में 144 छात्रों का नामांकन किया गया।

7. तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत दो पालिटेक्निक और एक आई० टी० आई० स्थापित किया गया है। प्रथम पालिटेक्निक में 90 छात्रों की कुल भरती क्षमता के साथ सिविल, विद्युत और यांत्रिकी जैसी धाराएं हैं, जिसमें 24 सीटें लक्ष्यद्वीप के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। डेढ़ वर्षीय उत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए इस संस्थान में एक कम्प्यूटर कक्ष स्थापित किया गया है। दूसरे पोलिटेक्निक में इलैक्ट्रानिक्स और विद्युत संचार, होटल प्रबन्ध और मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

8. समस्यात्मक क्षेत्र और उनकी नीति संबंधी कठिनाईयां

स्वतंत्रता के बाद संघ शासित प्रदेश में शिक्षा सुविधाएं व्यापक रूप से बढ़ाई गयी हैं, जिसके परिणामस्वरूप अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, स्कूलों में नामांकन के संबंध में देश में सर्वाधिक विकसित क्षेत्रों में से एक बन गए हैं। तथापि, संघ शासित प्रदेश में शिक्षा की योजना एवं प्रबंध के क्षेत्र में अनेक समस्याएं तथा मुद्दे हैं, जिनमें से कुछ संक्षेप में नीचे दिए है :-

1. स्कूली सुविधाओं का प्रावधान

कक्षा I-VI में 6-11 तक के आयु वर्ग में बच्चों का नामांकन 109.35 प्रतिशत और VI- में 11-14 तक के बच्चों का नामांकन 100.14 प्रतिशत करके अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के संबंध में राष्ट्रीय औसत से अधिक आगे है। तथापि नामांकन के संबंध में इस उपलब्धि के बावजूद ये द्वीपसमूह प्रारम्भिक शिक्षा की सर्वसुलभता के संबंध में राष्ट्रीय औसत से अधिक पीछे हैं। प्रारम्भिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के लिए उचित आने-जाने की दूरी के भीतर शैक्षिक सुविधाओं के द्वारा शिक्षा को सर्वसुलभ करने का प्रावधान करने का उत्तरदायित्व राज्य का है। तथापि, विशेष रूप से इन द्वीपों में विभिन्न भौगोलिक और जन सांख्यिकी नियंत्रणों से द्वीपों में शैक्षिक सुविधाओं के स्थान निर्धारण और योजना में कठिनाईयां पैदा हो गई हैं। इसके परिणामस्वरूप 5 वें अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के समय ऐसे अनेक निवास स्थानों का पता लगाया गया था जहां थोड़ी दूरी पर स्कूली सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। प्रत्येक

निवास स्थान की उचित दूरी पर स्कूली सुविधाएं प्रदान करने के रास्ते में कठिनाईयां निम्नलिखित कारणों से हैं :-

(क) द्वीपों में अधिकांश निवास स्थान आकार में छोटे हैं और दूर-दूर स्थित हैं, जिनसे व्यवहार्य स्कूल प्रदान करने में कठिनाई होती है।

(ख) छोटे आकार के निवास स्थानों को एकत्रित करने का प्रावधान करना जन सांख्यिकी विषमता के कारण कुछ मामलों में कठिन भी है।

(ग) ठोस आंकड़ा आधारित जन संख्या के अभाव में महाद्वीप से जनसंख्या के आगमन के कारण जनसंख्या के संबंध में प्रत्येक प्रक्षेपण दोषपूर्ण था। अनेक मामलों में निवास-स्थान अप्राधिकृत हैं, लेकिन स्कूल मैपिंग के प्रयोजनों के लिए ये अपेक्षित निवास-स्थान समझे जाएंगे।

2. **शिक्षा का माध्यम**

संघ शासित प्रदेश में छः भाषाएं (हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और बंगाली) शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हैं। कुछ स्कूलों में एक ही स्थान पर चार से पांच भाषाएं शिक्षा के माध्यम के रूप में हैं। द्वीप समूह में गैर-हिन्दी छात्र प्रथम भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी, तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी सीखते हैं। अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जैसे बहु-माध्यमी शिक्षा लागू करने से प्रचुर मात्रा में कक्षा/सेक्शन हो जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप अतिरिक्त शिक्षक, क्लास रूम और शिक्षक क्वार्टर, प्रत्येक माध्यम में अतिरिक्त नामांकन की माँग हो जाती है। पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं होती और स्कूल निरीक्षण और शिक्षकों के मूल्यांकन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

3. **शिक्षकों की कमी**

बहुत कम छात्र-शिक्षक अनुपात के बावजूद, द्वीपों में शिक्षकों की कुछ श्रेणियों की कमी है। विज्ञान तथा गणित शिक्षकों की सामान्य कमी के अलावा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित काफी पद, स्थानीय अर्हताप्राप्त आदिवासी उम्मीदवारों के अभाव में रिक्त पड़े हैं।

4. **भवनों की कमी**

बहु माध्यम शुरू करने से क्लास रूमों तथा शिक्षकों की आवश्यकता में वृद्धि हो गई है जिसके परिणामस्वरूप क्लास रूमों तथा शिक्षक क्वार्टरों की कमी है। इस समय क्लास- रूमों तथा शिक्षक क्वाटरों की मांग क्रमशः 493 तथा 450 है।

5. **पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न होना**

विभिन्न माध्यमों में विभिन्न राज्यों से प्राप्त पाठ्यपुस्तक पर निर्भरता से अनेक समस्याएं पैदा होतीं हैं, प्रथम प्राप्त करने की प्रक्रिया से असाधारण विलम्ब होता है जिसके कारण छात्रों को पाठ्यपुस्तकें मुहैया कराने में विलम्ब होता है।

CONTENTS

Minutes of the Meeting of the CABE held on 15th October, 1993.

ANNEXURES

PAGES

I. List of participants 11

II. Agenda for the meeting 16

III. List of Documents circulated 17

IV. Resolution on the death of Prof. D. S. Kothari Member, CABE. 18

V. Speech of Union Education Secretary, Shri S. V. Giri. 19

VI. Written Speech of the Minister of Human Resource Development, Shri Arjun Singh. . . 21

VII. Written Statements of State/UT Education Ministers, Advisers etc. 24

MINUTES OF THE 49TH MEETING OF THE CABE HELD IN MAIN COMMITTEE ROOM, PARLIAMENT HOUSE ANNEXE, NEW DELHI ON 15TH OCTOBER, 1993.

The 49th meeting of the Central Advisory Board of Education (CABE) was held in the main Committee Room, Parliament House Annexe, New Delhi on 15th October, 1993 under the chairmanship of Shri Arjun Singh, Minister of Human Resource Development. The list of participants in the meeting is at **Annexure-I.** The Agenda of the meeting is at **Annexure-II.** List of documents circulated in the meeting is at **Annexure-III.**

Before the proceedings of the meeting started, the participants observed two minutes silence in condolence of the death of thousands of people in the recent earth quake in Maharashtra. The meeting also passed a condolence resolution on the death of Prof. D. S. Kothari who was a member of the Board. A copy of the resolution is at **Annexure-IV.**

Shri S. V. Giri, Union Education Secretary and Member-Secretary of CABE welcomed the members of the Board and invitees to the meeting. He mentioned that preparation of State Programmes of Action taking into account the situational imperatives was the major innovation introduced in the Programme of Action (POA), 1992. In order to facilitate preparation of State POAs, five regional meetings and workshops were organised with State/UT Secretaries and Directors of Education. These workshops threw up a number of useful suggestions on the preparation of State POAs. Shri Giri also referred to the meeting of State/UT Secretaries and Directors of Education held on 5-6 October 1993 in which they had agreed that the State POAs would be ready before the end of December 1993. Shri Giri also referred to the other agenda items like the reports of various CABE Committees and the discussion paper on raising the status of National Steering Committee on School Textbook Evaluation to that of a National Commission with statutory powers. He also drew attention of the participants to the District Primary Education Programme, Total Literacy Campaigns and the Programmes in Non-Formal Education. The text of Shri Giri's speech is at **Annexure-V.**

In his inaugural address Shri Arjun Singh, Chairman, CABE said that the report of CABE Committee on Decentralised Management of Education was a path-breaking exercise. He said that the 73rd and 74th constitutional amendments had a great bearing on the management of education and that the steps for decentralisation had the backing of all the political parties. He said that in a democracy the power should be with the people at the grass roots level. While the report gave a number of recommendations, it was for the State Governments to go ahead with the decentralisation process. He also referred to the forthcoming EFA Summit of nine high population developing countries to be held on 15-16 October 1993 in Delhi. Shri Arjun Singh also stressed the need for proper integration of sports activities in the educational curricula. He said that this was necessary for India to achieve excellence in sports. While it would not be possible to discuss the report of the CABE Committee on Sports and Physical Education in the meeting, copies of the report would be circulated to all. Another point highlighted by Shri Arjun Singh was the need to reduce the load on school children. The Ministry had appointed a Committee to suggest ways and means to reduce this load. He requested all the States to seriously consider the recommendations of the Committee and make efforts to implement at least some of the recommendations by the beginning of next academic year. A meeting with the states and UTs could be held later to consider all the recommendations. The Chairman also referred to the discussion paper on raising the status of the Steering Committee for evaluation of school textbooks to that of a statutory National Commission and highlighted the need to keep textbooks free from sectarian and communal propaganda. The written speech of the Chairman is at **Annexure-VI.**

After the inaugural address of the Chairman, the minutes of the previous meeting were considered. The Chairman requested the members that if they had any comments on the minutes, the same could be furnished in writing later. Subject to this the minutes were confirmed.

It was decided to consider the remaining items together. The Chairman then requested Shri Veerappa Moily, Chief Minister of Karnataka to introduce the reports of the CABE Committees on Decentralised Management of Education and Teachers Representation in Legislative Councils, of which he was the Chairman.

Shri Moily thanked the members of both the committees for their help and cooperation in preparing

the reports. He prefaced his remarks on the report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education by saying that most of the states already had their own system of panchayat and many states have panchayat level structures in education too. It would, therefore, not be an easy task to introduce structures recommended by the Committee. However, they could be introduced in a phased manner. He said that the basic concept underlying the whole report was that the people at the village/grass root level should enjoy power so that they would feel involved in education. He also said that he had written to the Prime Minister that the decentralised structures were necessary not only in education but in other social sectors like health, etc. also and that similar exercises needed to be done by other Ministries. Then only decentralisation would be complete.

Referring to the report on teachers' representation in Legislative Councils, Shri Moily said that the Legislative Councils were conceived only on an experimental basis. If representation in Legislative Councils was to be extended to the primary teachers as a class, there would be a demand from other professionals like engineers, doctors, etc. Further, Legislative Councils were in existence only in four states and 80 per cent of the teachers who were in government schools would, in any case, not be getting representation. Considering all this the committee felt that there was no justification for the singling out of primary school teachers for special treatment and, therefore, the Committee did not recommend continuance of the practice of teachers' representation in Legislative Councils. He then commended both the reports for consideration of the meeting.

Shri P. R. Kumaramangalam, Minister of State for Science and Technology stressed the importance of promoting scientific temper among school children. Activity-based science teaching should be encouraged. There should be extensive use of electronic media for improving teaching-learning in schools by utilising 'talk-back' facility through satellite which the IGNOU has already decided to use. He also advocated production of more popular science books. He also advised the State Governments to consider involvement of NGOs in preparing science teaching programmes. According to him, it was necessary to promote linkages between universities, national laboratories and industries which could even extend to schools. He also referred to the scheme of Department of Science and Technology to promote science learning by doing. He said that the walled laboratories should be replaced by environment labs without walls. He said that if this concept was adopted in educational programmes, it would reduce the problem of load of school bag. He also stressed the importance of decentralisation and supported the CABE Committees' reports on Decentralised Management of Education and the Gnanam Committee.

Dr. P. V. Ranga Rao, Minister of School Education, Andhra Pradesh said that he was in general agreement with the report. He, however, was of the opinion that certain subjects like academic supervision, preparation of textbooks, appointment of teachers and teachers' service conditions should rest with the State Government. Referring to the report of the CABE Committee on Teachers' Representation in Legislative Councils, he said that teachers' representation in any case was a partial affairs. He expressed his view that learning process at the primary stage should be an enjoyable one. Referring to the observations of Minister of State for Science and Technology, he said that at least one science museum should be set up in every district. From this angle, the provision of Rs. 35 crore under the scheme of Department of Science and Technology was not sufficient. He also felt that nurturing of basic human values should the objective of education. He was in favour of including sports and culture in the content of education. Referring to the discussion paper on the status of school textbook evaluation committee, he felt that a standing committee of the CABE should be sufficient to perform the functions of the proposed National Commission.

Education Minister, West Bengal said that right to education should be made a fundamental right, then only it would be possible to achieve education for all. He also said that all socio-economic measures should be taken for realisation of this right. Referring to the report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education he said that while decentralisation was a desirable goal, without land reforms Panchayati Raj system would not work properly. He also drew attention to the need for financial support for the States. As regards teachers' representation in legislative councils, he was of the view that even legislative councils were a luxury for a poor country like India.

Shri E. T. Mohammed Basheer, Education Minister, Kerala said that Kerala had taken steps for preparing the State POA. He endorsed the report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education. Regarding the subject of academic burden, he was not in agreement with the recommendation to give autonomy to heads of organisations at district level. He was also critical of the existing pre-primary education in the country as it was spoiling the character of the children. He was not in favour of the

recommendation of the Gnanam Committee report that no new central university should be opened. He said that there were many States who had neither any central university nor any central higher education institution. While he was in favour of a common law for all universities, he said that it should have enough flexibility. He also felt that the recommendation that the university bodies should be filled by nomination should have more flexibility and that we should not be totally against election. He also felt that politicians should have their say in matters relating to universities. He also suggested that appraisal of teachers by students should also be there. He also felt that government should have a say in the matter of university administration, otherwise the autonomy would be misused. Referring to recommendation 39(c) he felt that it was not a practical step to refer to UGC; UGC should not be a super body. As regards selection panel for Vice-Chancellors, he felt that the nominee of the Government should also be there. So far as composition syndicate is concerned, the state should be free to decide and there should be no rigid direction from the centre. (The Chairman requested Education Minister, Kerala to send written comments).

Dr. (Smt.) Chitra Naik, Member (Education), Planning Commission requested the States to look into the NDC reports on employment, micro planning, literacy and austerity as that would help them to prepare State POAs keeping in view the national perspectives. She said that these reports had been endorsed by the NDC. She also underlined the need for developing scientific temper in students. She felt that the primary education system in the country deserved serious attention; the return was not commensurate with the investment. She emphasised the need for decentralisation and building up local capabilities not only in educational management but in other social sector activities also. Empowering the people to plan for themselves, according to her, is as important if not more, as decentralisation. She also felt that the open education system needed to be given more attention as the formal education system had only led to furthering inequalities.

Education Minister, Haryana informed the meeting that the State POA was under preparation and that the draft would be ready by the year end. He also recounted various measures taken by Haryana for development of education among girls. He felt that the problem of load of school bag was mainly a problem of the private schools and not of government schools. He was not in agreement with regulating pre-primary education through legislative measures as it was basically an urban phenomenon only. Before any step in this direction is taken, experimentation is necessary. He agreed with the proposal for upgrading the status of Steering Committee on Textbook Evaluation. He also mentioned about total literacy campaign in Haryana. He endorsed some of the recommendations of the Soneri Committee like operationalisation of accreditation, annual appraisal, etc. He, however, felt that autonomy of colleges would create problems.

Shri P. C. Ghadai, Minister of School and Mass Education, Orissa said that the State Programme of Action was under preparation. He, however, sought more financial assistance from the Central Government for operationalising POA. Referring to the CABE Committee on Decentralised Management of Education, he raised doubts about the capability of the existing Panchayati Raj institutions to handle the new responsibilities bestowed on them. Therefore, decentralization should be gradual; to begin with primary education could be entrusted to panchayati raj institutions. He urged the need for capability building at the Panchayat level. Referring to the Yashpal Committee report, he felt that the Committee had not taken into account the infrastructural constraints being faced by the schools in the rural areas. He felt that reducing the syllabus was the right step for reducing the school load.

Shri C. P. Majhi, Minister (Higher Education), Orissa mentioned that the higher education institutions in Orissa were facing resource constraints. Because of financial difficulties, Orissa had not been able to go ahead with the establishment of autonomus colleges. He wanted more financial assistance from the Central Government. While he agreed that university should have more autonomy, he felt that government should have some control over their functioning. He felt that to ensure accountability of higher education institutions, their annual reports should be placed before the State legislatures. While accountability of teachers should be ensured, their difficulties also should be taken into account.

Dr. Henry Lamin, Education Minister, Meghalaya said that Meghalaya had proceeded much in the direction of decentralisation. District Councils were having much power in Meghalaya. In fact, now teachers want to be brought under the State Government, as they were finding it difficult to cope with the district council. He felt that the management committees of schools were highly politicised. The decentralization experiment was not a success in Meghalaya, and the government had decided to take over primary education from the district councils.

Shri L. Imkong, Minister of Secondary Education, Nagaland presented the State profile on education. He said that adequate facilities were not available for higher and technical education in the North-East. He felt that the Gnanam Committee report if implemented properly, would improve higher education. He also mentioned that 73rd and 74th Constitutional amendments were not applicable to Meghalaya owing to low population. The State had set up a unique system of Village Development Boards to undertake planning and execution of developmental work. He agreed with the recommendations of the Yashpal Committee Report, but said that the suggestion to keep textbooks in schools was not feasible.

Dr. Ram Chandra Purve Education Minister, Bihar said that preparation of State POA was in progress in Bihar. He said that education should be directly linked to productivity. In this regard he referred to the Charwaha schools established by the Government of Bihar. He said that these schools had resulted in higher enrolment. In the primary education, he felt that the first priority should be to the recruitment of teachers in primary schools. After achieving UEE, the State wanted to go ahead to achieve universalisation of secondary education. However, finances are the major constraints and he wanted more Central help to the States in this regard. Referring to decentralised management of education, he said that Bihar had taken a lead in this regard. He agreed with the recommendation of Yashpal Committee report and said that education should not be limited to books but should be linked with culture. He also stressed the need for reflection of the regional culture and inclusion of biographies of national leaders who rose from adverse economic situations in the school textbooks. He also felt that the Committee should have taken note of the financial constraints of the states in enforcing the 1 : 40 teacherpupil ratio and reducing if further to 1 : 30. He also wanted central assistance for constructing school buildings. On the proposal for setting up of a statutory commission on school textbooks evaluation, he felt that the matter needed thorough examination and wanted more time or the state government to formulate its views. On the report of the Gnanam Committee, he offered to send his objections in writing Referring, particularly, to the recommendation of keeping politicians out of executive bodies of education institutions, he said that the participation of politicians had to be there otherwise the objectives of eduction would not be achieved.

Shri V. P. Usgaonker, Minister of Education, Goa said that the State POA would be ready by December end. He also said that as soon as Zila Parishads are established in Goa, decentralisation of education would be effected. Regarding the recommendation of reducing school burden, he felt that parents should be consulted. He agreed with the discussion paper on school textbook evaluation committee. The recommendation of Gnanam Committee were under consideration of his government. Referring to the report of Teachers Representation in Legislative Councils, he said that Goa did not have any Legislative Council.

Shri Prabhakar Dharkar, Minister for Higher & Technical Education, Maharashtra said that Supreme Court judgement on capitation fee colleges had created more confusion. This needed to be cleared at the earliest. He suggested setting up of educational tribunals on the lines of administrative tribunals. He said that norms for medical and other colleges should be relaxed without compromising on quality. He felt that vocationalisation of education failed in its objective as terminal education. He also wanted a second look into the content and duration of some of the vocational courses.

Shri Salim Zakaria, Minister for State for School Education, Maharashtra said that education should lead to all round development; it should create self-confidence in the students. He said that the State Government had taken a number of initiatives in universalising education but funds had become a major constraint. He wanted increased central assistance. He also referred to some of the incentive measures launched by the Government of Maharashtra for promoting girls' education. He felt that the present education system had been formulated keeping in view the urban students. The education system should also cater to the needs of those who would be terminating their education at the school level. He also suggested extensive use of TV for disseminating education. He said that a separate educational channel should be started in Doordarshan. He was in favour of giving more encouragement to sports.

Dr. Sudhir Ray, MP said that the UGC should have regional offices in all regions. Referring to the severe financial crunch being felt by State universities, he suggested more allocation of central assistance for State universities. He was for election to the executive bodies of universities and colleges with representation of students, teachers, non-teaching staff, etc. He was not in favour of any common University Act. He felt that the Senate should act as policy making body. He also observed that the Gnanam Committee had recommended introduction of too many courses without suggesting the ways to fill up the posts. He was against establishment of autonomous colleges as well as conferring deemed university status on any organisation. He supported the idea of self-assessment of teachers.

Education Minister, Punjab presented the profile of the educational facilities in the State. He felt that

the decentralised management of education was the need of the time. For reducing the load of school bag, he suggested more involement of teachers. He said that textbooks should be made available to students on a rotation at an urgent basis and that there should be no home work at primary level. He also said that no private school should be recognised whose curricula are not in accordance with the national curriculum. Referring to the State POAs, he said that Punjab was thinking of setting up working groups for preparing the State POA. He did not agree with the recommendation of the Soneri Committee. He, however, felt the need for visitor's intervention in the Universities. He also suggested that UGC should make available need-based funds to colleges for rural education. He agreed with the recommendation that there was no need for separate representation for teachers in Legislative Councils.

Shri R. D. Sonker, Adviser to Governor, Uttar Pradesh said that 18 districts in UP were covered under TLCs and the remaining would be covered in a phased manner by AD 2000. He agreed with the recommendation of the Yashpal Committee report but felt that parents should be given opportunity to offer their views on the recommendations. So far as decentralisation of management of education is concerned, UP had taken initiative. On the proposal regarding Statutory Commission on school textbooks, he wanted more time for the State Government to finalize its views. On teachers' representation on Legislative Councils also he felt that the matter needed to be discussed at different levels. He suggested that the syllabus of vocational education courses should be prepared in consultation with the open school authorities. He also suggested close interaction between industry and educational institutions. He also said that the progress of each university be reviewed every five years.

Shri Anil Sarkar, Education Minister, Tripura said that education for all meant education for those who were deprived of education in the past. He also said that education should be totally secular and free from all communal biases. He supported the recommendation of Yashpal Committee.

Shri M. Natarajan, Adviser to Governor, Madhya Pradesh said that the Madhya Pradesh Government had already constituted task forces for preparing the State POA and that the draft POA would be ready by December end. He generally supported the recommendation of the CABE Committee on Decentralised Management of Education. He, however, pointed out that it would be necessary to develop capacities in the Panchayati Raj institutions to manage education. In his view, constitution of Indian Education Service would be a good idea to create necessary administrative support for education system. He endorsed the recommendations of Yashpal Committee. He also suggested laying down of minimum levels of learning for upper-primary and higher levels too. In his view teaching should be activity oriented. He supported the proposal to set up a statutory National Commission for textbook evaluation. Referring to the Gnanam Committee report, he said that gradual decentralisation would be condusive to better management. He, however, felt that the Committee had kept in view the needs and requirements of private colleges but did not pay enough attention to these aspects so far as government colleges are concerned.

Shri V. B. L. Mathur, Adviser to Governor, Rajasthan mentioned that Rajasthan was having the least female literacy rate in the country. Therefore, the stress of Rajasthan's education programmes was on tackling female literacy. He hoped that through the total literacy campaigns Rajasthan would become fully literate state by the end of the Eighth Five Year Plan. However, there would be need for more teachers and more money. Referring to the report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education, he said that Rajasthan had been the first State to introduce decentralised educational management. However, the state's experience with that experiment was not very happy. He felt that education functionaries needed to be trained to work in the Panchayati Raj system. On the discussion paper on the status of the Steering Committee for School Textbook evaluation he wanted more time for the state government to formulate its views.

Shri P. P. Shrivastav, Adviser to Governor, Himachal Pradesh informed the meeting that Himachal Pradesh had almost completed drafting of the POA. The target of Himachal Pradesh Government was to make the State fully literate by the end of December 1994. He, however, pointed out that the total literacy campaigns would have a better impact on student enrolment and would result in demand for more schools and infrastructure. Referring to the CABE Committee on Sports and Physical Education, he said that Himachal Pradesh had already drawn up a blueprint. As regards decentralised management of education, the State Government was preparing a plan to hand over primary education to panchayats. However, they were facing the problem as to who should have the academic and disciplinary control over the teachers who are government servants. He also mentioned that the Panchayats do not have enough funds and, therefore, more resources would have to be devolved on them. He also talked about the need for inculcating universal values through education. He said that no innovation in school education was likely

to succeed unless basic values were inculcated in school teachers and the dignity of teaching profession restored.

Education Minister, Karnataka referred to the Supreme Court judgement on capitation fee colleges and said that it had created many problems for the state. He also said that through the AICTE more powers were being centralised. He pleaded for not taking away the States' powers to legislate on technical education. He also urged the UGC to give more funds to the State universities. He also pleaded for more central assistance for encouraging research in applied sciences and engineering.

Smt. C. Nagamma Keshavamurthy, Minister for Primary & Secondary Education, Karnataka agreed that school education, particularly, primary school education should be made an enjoyable experience. She also briefly mentioned about the details of the Akshaya programme launched by the State Government. She said that education had been decentralised in Karnataka and school education was with the Zila Parishads and Village Education Committees. District plans were being formulated. Referring to the recommendations of the Yashpal Committee, she said that while there was considerable merit in the recommendation, we should keep in mind that there more than one remedies and no uniform pattern should be prescribed for the entire country. We should, however, move towards reducing the academic burden on children. Referring to the proposal for statutory National Commission on textbook evaluation, she said that there was need for greater clarity on the proposal. She also wanted the textbook evaluation committee to address the issue of gender bias. She agreed that textbooks should not be used for political purposes.

Education Minister, Haryana requested for more assistance from the Central Government for the vocational education programmes in the State which, he said, were mainly concentrated in the rural areas. One particular problem the vocational course students were facing was that of facilities for apprenticeship training. He also wanted the Central, Institute of Vocational Education to be activated.

Shri S. S. Chakraborty, Minister (Higher Education), West Bengal cautioned that the process of decentralisation should not be hasty. He was against the proposal not to have election to the executive bodies of university and also recommendation relating to keeping away politicians. He said that the proposal of the Gnanam Committee to have nominations only was against the principle of participative democracy. He also wanted the teachers' representation in Legislative Councils. Referring to decentralisation, he wanted to know how the Government would decentralise Navodaya Vidyalayas and Kendriya Vidyalayas. He said that the objective of decentralisation should not be weakening of the State Government.

Prof. S. K. Khanna, Chairman, AICTE responded to some of the points raised by the other members regarding the functioning of the AICTE. He said that steps had been taken to clear the back log of pending cases with the AICTE and that the Council had already announced a calendar, according to which by March, 1994 decisions in regard to all pending cases would be taken. Referring to the Supreme Court judgement on capitation fee, he said that we should look at the positive aspects of the judgement and invite private participation. General guidelines in this regard were being prepared. He also said that the AICTE did not approve any programme unless recommended by the State Government.

Prof. (Smt) Savithri Lakshmanan, Member of Parliament, Lok Sabha agreed with the suggestions in regard to more financial assistance for the States made by the Education Minister, Kerala.

Shri Shankar Dayal Singh, Member of Parliament, Rajya Sabha wanted the CABE to do a retrospection as to its achievement. We should reassess whether our education system had been able to produce human beings with the right kind of values. He said that a sense of ethics and morality should be inculcated in the students by the system. He felt that curriculum development and textbook preparation should be the responsibility of the Central Government. Elementary education should be in mother tongue. States needed to be granted more funds by the Central Government. He felt it was a good idea to levy educational cess with a view to creating more funds for primary education. He also suggested that all the States in the country should have model schools in every block and in every province there should be one Central University. He was not in favour of compulsory English teaching. He mentioned that we should be prepared to innovate and experiment and should not be afraid of failures.

Shri Surender Nath, Governor, Punjab and Administrator, Chandigarh cautioned against handing over of education to panchayati raj without adequately preparing the panchayati raj institutions as that would have an adverse effect. He also stressed the importance of motivation of teachers in improving the quality of education.

Prof. G. Ram Reddy, Chairman, UGC responded to some of the suggestions made by the other members

regarding UGC. He said that the issue of autonomous colleges had been discussed in the past and included in the Programme of Action and we need not reopen such issues. He also pointed out that although the Programme of Action and the National Policy on Education had provided as early as 1986 for the setting up of State Councils of Higher Education, only three States had set them up so far. He also mentioned that UGC had taken steps to improve inter-university collaboration. As regards vocational courses in the universities, he said that UGC had appointed a committee and the committee had submitted its report and vocational courses would now be introduced in 30 universities and 70 colleges. He also felt that every state should have one open university. Responding to the suggestion to have more media facilities for education, he felt that there should be a special channel on TV for educational programmes. So far as the recommendation of the Gnanam Committee were concerned, they were moderated by the CABE Committee and further modifications could be considered still. He said that regional committees had been set up by the UGC to decentralise its functioning. About the demand for more central universities, he drew attention of the members to the POA provision that what was needed now was the consolidation of the existing institutions than that of setting up new institutions. About the Nagaland university, he hoped that the notification would be issued very soon.

The written statements of State/UT Education Ministers, Advisers, etc. are at Annexure-VII.

Union Minister of Human Resource Development responded to the suggestions made by the members. Referring to a question about financing of setting up of Open Universities, State Councils of Higher Education, etc., he said that both the Centre and the States would have to find the necessary resources required. He exhorted the State Governments to take immediate steps for introduction of de-centralised management structures in education. He also requested the States to expeditiously prepare their State Programmes of Action. Referring to the Yashpal Committee Report, he said that the matter of academic burden was of crucial importance and required wide-ranging debate. Similarly, there were many areas in which more debate was called for on the recommendations of the Gnanam Committee. However, University Administration needed to be reorganised with a view to making them more professional and responsive. Ways have to be found for this. On the proposal to raise the status of National Sterring Committee on School Text-books Evaluation to a Statutory National Commission he said that the Ministry would initiate further action in this regard.

After discussions the meeting took the following decisions :

1. The CABE noted the progress in the preparation of Programmes of Action of different States and resolved that all State Governments and UT Administrations should prepare, latest by **31st December 1993,** comprehensive Programmes of Action comprising all stages and aspects of education, on the lines of the Programme of Action, 1992 and keeping in view their situational imperatives. The process of preparation of State POAs shoud be fully participative. The POAs should have adequate pedagogical, academic and managerial input.

2. The CABE resolved that in pursuance of the 73rd and 74th Constitutional Amendments, immediate action and measures need to be taken by all State Governments and UT Administrations for introducing decentralised management structures in education so as to facilitate achievement of the national goals in the field of education. The report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education was endorsed and commended for appropriate adaptation and effective implementation by the States and UTs keeping in view their specific situations as well as the spirit of the constitutional amendments.

3. The CABE considered the report of Yashpal Committee alongwith the recommendations made by the Ministry of Human Resource Development Group which processed this Report. The CABE decided that a wide-ranging debate should be organised among educational experts, teachers and parents on the relevant issues. The import of such debate would be taken into account by the CABE when it further considers Yashpal Committee Report.

4. The CABE considered the report of the CABE Committee on Teachers' Representation in Legislative Councils and agreed with the recommendation of the report that there is no need to have a separate constituency for teachers in the Legislative Councils. However, Shri S. S. Chakraborty, Minister-in-charge of Higher Education, West Bengal had reservation about the recommendation.

5. The CABE considered the report of the CABE Committee on Gnanam Committee report at felt that there are many issues on which wid

ranging debate is called for. There was, however, unanimity on the need to urgently initiate reforms to make university administration more professional and responsive. However, Shri S. S. Chakraborty, Minister-in-charge of Higher Education, West Bengal had reservations about certain aspects of the Gnanam Committee's recommendations like nominations, instead of election of teachers, students, etc. on the committees.

6. The CABE considered the discussion paper to raise the status of National Steering Committee on School Textbook Evaluation to a statutory National Commission. It endorsed the proposal and desired that the design and powers of the Commission should be consistent with autonomy and constitutional powers of the States.

In his concluding remarks the Chairman said that there were systemic constraints. While significant progress has been made in the field of education much more remains to be done. Cooperation of parents, teachers, students, etc. would be necessary for improving the present education system. The Chairman felt that may be sometime next year a meeting of the CABE could be organised without any structured agenda and without written speeches where substantive issues could be deliverated. That would facilitate free expression of views on general concepts that are relevant for education.

The Chairman thanked the members for their cooperation and the various suggestions made. He also told the members that he would try to ensure that the State Education Ministers would be able to attend the EFA summit meetings to be held in New Delhi in December 1993.

ANNEXURE-I I

LIST OF PARTICIPANTS OF THE MEETING OF CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION HELD IN NEW DELHI ON 15TH OCTOBER, 1993.

Chairman

1. Shri Arjun Singh,
   Union Minister of Human Resource Development.

Representatives of the Government of India

2. Shri P. R. Kumaramangalam,
   Minister of State for Science & Technology.
3. Dr. (Smt.) Chitra Naik,
   Member (Education),
   Planning Commission.

Representatives of State Governments and UT Administrations

4. Dr. P. V. Ranga Rao,
   Minister for School Education,
   Andhra Pradesh.
5. Shri M. K. Baig,
   Minister for Technical Education,
   Andhra Pradesh.
6. Dr. Ram Chandra Purve,
   Minister (Primary & Secondary Education),
   Bihar.
7. Shri V. P. Usgaonker,
   Minister of Education,
   Goa.
8. Shri Phool Chand Mullana,
   Education Minister,
   Haryana.
9. Prof. Chattar Pal Singh,
   Minister of Technical Education,
   Haryana.
10. Shri Tejendra Pal Mann,
    Minister of State for Industrial Training & Vocational Education,
    Haryana.
11. Shri P. P. Shrivastav,
    Adviser to Governor,
    Himachal Pradesh.
12. Shri S. M. Yahya,
    Minister for Higher Education,
    Karnataka.
13. Shri Prabhakar Rane,
    Minister for Adult Education,
    Karnataka.
14. Smt. C. Nagamma Keshavamurthy,
    Minister for Primary & Secondary Education,
    Karnataka.
15. Shri E. T. Mohammed Basheer,
    Education Minister,
    Kerala.
16. Shri M. Natarajan,
    Adviser to Governor,
    Madhya Pradesh.
17. Shri Prabhakar Dharkar,
    Minister for Higher & Technical Education,
    Maharashtra.
18. Shri Salim Zakaria,
    Minister for State for School Education,
    Maharashtra.
19. Shri Th. Devendra,
    Education Minister,
    Manipur.
20. Dr. Henry Lamin,
    Education Minister,
    Meghalaya.
21. Shri I. Imkong,
    Minister of Secondary Education,
    Nagaland.
22. Shri C. P. Majhi,
    Education Minister,
    Orissa.
23. Shri Prafulla Chandra Ghadai,
    Minister of Education (S&M),
    Orissa.
24. Shri L. S. Randhawa,
    Education Minister,
    Punjab.
25. Shri V.B.L. Mathur,
    Adviser to Governor,
    Rajasthan.

26. Shri Anil Sarkar,
Education Minister,
Tripura.

27. Shri R. D. Sonker,
Adviser to Governor,
Uttar Pradesh.

28. Shri Anisur Rahaman,
Education Minister (Madarasa),
West Bengal.

29. Shri Tapan Ray,
Education Minister,
West Bengal.

30. Shri S. S. Chakraborty,
Minister of Education
(Higher Education),
West Bengal.

31. Shri Achintya Ray,
Education Minister (Primary &
Secondary Education),
West Bengal.

32. Smt. Anju Kar,
Minister (Mass Education),
West Bengal.

33. Shri K. Kandaswamy,
Counsellor (Education),
Andaman & Nicobar Island.

34. Shri Surendra Nath,
Administrator,
Chandigarh.

35. Shri K. S. Baidwan,
Administrator,
Daman & Diu/Dadra &
Nagar Haveli.

36. Shri A. Gandhiraj,
Minster of Education,
Pondicherry.

Elected Members

37. Shri Shankar Dayal Singh,
Member of Parliament,
Rajya Sabha.

38. Smt. Maragatham Chandrasekhar,
Member of Parliament,
Lok Sabha.

39. Prof. (Smt.) Savithri Lakshmanan,
Member of Parliament,
Lok Sabha.

40. Dr. Sudhir Ray,
Member of Parliament,
Lok Sabha.

41. Professor Hakim Syed Khaleefathullah,
President,
CCIM, Madras.

Ex-Officio Members

42. Prof. G. Ram Reddy,
Chairman, UGC.

43. Smt. Amarjit Kaur,
Chairman,
Central Social Welfare Board.

44. Shri P. Thakur,
Chairman, CBSE.

Nominated Members representing various categories

45. Dr. Jyotibhai Desai,
Gandhi Vidyapeeth,
Gujarat.

46. Shri A. Gnanam,
Vice-Chancellor,
Pondicherry University,
Pondicherry.

47. Dr. Syed Hasan,
Director,
Insan School/College Kishanganj,
Purnea (Bihar).

48. Prof. Izhar Hussain,
Professor,
Aligarh Muslim University,
Aligarh.

49. Prof. D. P. Pattanaik,
Bogadi Road,
Mysore.

50. Shri B. C. Jhaveri,
Bombay.

51. Dr. Vejendra Kabra,
Director,
Indian Institute of Rural Workers,
Aurangabad,
Maharashtra.

52. Prof. Mrinal Miri,
Director,
Institute of Advanced Studies,
Simla.

53. Prof. (Mrs.) Annapurna Shukla,
Banaras Hindu University,
Varnasi.

54. Dr. K. L. Chopra,
Director,
Indian Institute of Technology,
Kharagpur,
West Bengal.

55. Dr. (Mrs.) Suman Sahai,
President, TCS Tilhar,
Uttar Pradesh.

56. Prof. G. S. Randhawa,
Vice Chancellor, GNDU,
Amritsar.

Member-Secretary

57. Shri S. V. Giri,
Union Education Secretary.

Permanents Invitees

58. Mrs. Lata Singh,
Secretary,
Department of women & Child Welfare.

59. Dr. S. K. Mohapatra,
Secretary,
Department of Culture.

60. Dr. P. Rama Rao,
Secretary,
Department of Science &
Technology.

61. Shri R. C. Tripathi,
Adviser (Education),
Planning Commission.

62. Shri Y. N. Chaturvedi,
Additional Secretary.

Special Invitees

63. Shri Veerappa Moily,
Chief Minister,
Karnataka.

64. Shri D. Swaminadhan,
Member (Higher Education),
Planning Commission.

65. Professor S. K. Khanna,
Chairman,
AICTE.

Other Participants
Ministry of Human Resource Development

66. Dr. K. J. S. Chatrath,
Joint Secretary (L).

67. Shri D. S. Mukhopadhyay,
Joint Secretary (U&HE).

68. Dr. R. V. Vaidyanatha Ayyar,
Joint Secretary (A).

69. Dr. J. S. Rajput,
Joint Educational Adviser (EE).

70. Prof. S. D. Awale,
Joint Educational Adviser (T).

71. Shri Debaprasad Bhattacharya,
Deputy Educational Adviser (T).

72. Shri Vijay Bharat,
Deputy Educational Adviser (T).

73. Shri N. Tirkey,
Deputy Educational Adviser (UT).

74. Shri A. Banerji,
Deputy Secretary (S).

75. Smt. Sadhana Raut,
Deputy Secretary (ET).

76. Shri Uday Kumar Verma,
Director (HE).

77. Shri Naved Masood,
Director (ET).

78. Shri I. V. Subba Rao,
Director (EE).

79. Shri U. K. Sinha,
Director.

80. Shri H. O. Tewari,
Director (AE).

81. Shri A. K. Basu,
Director (AE).

82. Smt. V. Lakshmi Reddi,
Director (P).

Representatives of other Central Ministries/Departments

83. Shri Indrajit Chaudhuri,
Addl. Secretary,
Department of Health,
Ministry of Health and
Family Welfare.

84. Shri Amarjit Singh,
Deputy Secretary,
Ministry of Health and
Family Welfare.

85. Shri Alok Perti,
Director,
Ministry of Health and
Family Welfare.

86. Shri G. S. Sethi,
Director of Training,
Ministry of Labour.

87. Shri R. K. Nayak,
Addl. Secretary,
Ministry of Welfare.

Representatives from State Governments/UT Administrations

88. Dr. J. S. Sarma,
Secretary,
Andhra Pradesh.

89. Shri K. Ambarish,
Deputy Secretary,
Andhra Pradesh.

90. Dr. H. K. Sinha,
Addl. Secretary,
Bihar.

91. Smt. Krishna Singh,
Resident Commissioner,
Bihar Government,
New Delhi.

92. Smt. Asha Sharma,
Secretary,
Haryana.

93. Shri M. P. Mittal
Joint Director, Vocational Education & Industrial Training, Haryana.

94. Shri P. S. Negi,
Financial Commissioner-Secretary,
Himachal Pradesh.

95. Shri Ajit Kumar,
Commissioner & Secretary,
Jammu & Kashmir.

96. Shri Sudhakar Rao,
Commissioner for Public Instructions,
Karnataka.

97. Smt. Sudha Pillai,
Secretary (Higher Education),
Kerala.

98. Shri K. K. Vijayakumar,
Secretary (General Education),
Kerala.

99. Shri K. M. Acharya,
Commissioner, Public Instructions,
Madhya Pradesh.

100. Dr. O. N. Mathur,
Addl. Director (Higher Education),
Madhya Pradesh.

101. Smt. K. Bansal,
Secretary,
School Education,
Maharashtra.

102. Shri N. L. Lakhan Pal,
Secretary,
Higher & Tech. Education,
Maharashtra.

103. Shri R. G. Patil,
Director of Education,
Maharashtra.

104. Shri Ranjan Chatterjee,
Commissioner & Secy. (Edu.),
Meghalaya.

105. Dr. L. V. Reddy,
Addl. Secretary,
Nagaland.

106. Smt. Anita Agnihotri,
Addl. Secretary,
Orissa.

107. Shri S. M. Patnaik,
Principal Secretary (Education),
Orissa.

108. Shri D. N. Padhi,
Commissioner-cum-Secretary,
School & Mass Education,
Orissa.

109. Shri Bikram Jit Singh,
Secretary,
School Education,
Punjab.

110. Smt. Prem Jindal,
Director of Public Instructions,
Punjab.

111. Shri G. S. Sandhu,
Secretary,
School Education,
Rajashan.

112. Shri Abhimanyu Singh,
Education Secretary,
(Primary & Secondary),
Rajashan.

113. Smt. Jayanthi,
Education Secretary,
Tamil Nadu.

114. Shri Ajeer Vidya,
Commissioner & Secretary,
Tripura.

115. Shri Prof. K. L. Chakraborty,
Vice-Chancellor,
Tripura University,
Tripura.

116. Shri P. C. Sharma,
Principal Secy. (Education),
Uttar Pradesh.

117. Shri S. N. Jha,
Secretary,
Higher Education,
Uttar Pradesh.

118. Shri B. P. Khandelwal,
Director of Education,
Uttar Pradesh.

119. Shri L. N. Misra,
Additional Director,
(Technical Education),
Uttar Pradesh.

120. Shri R. K. Sharma,
Secretary,
Technical Education,
Uttar Pradesh.

121. Shri Shardindu,
Addl. State Project Director,
Uttar Pradesh.

122. Smt. Sindhushree Khullar,
Commissioner & Secy. (Education),
Daman & Diu/Dadra &
Nagar Haveli.

123. Shri A. R. Talwar,
Finance & Education Secy.,
U. T. Chandigarh.

124. Shri Pritpal,
Co-ordinator,
Vocational Education-cum-AD AE,
U. T. Chandigarh.

125. Shri M. K. Bezboruah,
Secretary,
Delhi.

126. Shri B. V. Selvaraj,
Secretary,
Pondicherry.

Representatives Of NIEPA

127. Shri Baldev Mahajan,
Joint Director.

Representatives of NCERT

128. Prof. A. K. Sharma,
Joint Director.

129. Prof. C. J. Daswani,
Professor.

130. Prof. K. V. Rao,
Professor.

131. Prof. Arjun Dev,
Professor.

132. Prof. S. D. Roka,
Professor.

Representative of ICAR

133. Prof. A. Ahmad,
Deputy Director General.

Representative of CBSE

134. Shri H. R. Sharma,
Director.

ANNEXURE—II

MEETING OF CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION

15TH OCTOBER, 1993

PARLIAMENT HOUSE ANNEXE
NEW DELHI

AGENDA

1. Confirmation of the Minutes of the 48th Meeting of CABE.

2. Review of preparation of State Programmes of Action.

3. Consideration of report of CABE Committee on Decentralised Management of Education.

4. Consideration of report of the National Advisory Committee appointed by Ministry of Human Resource Development to suggest ways and means to reduce the academic burden on school children.

5. Consideration of Discussion paper to raise the status of the National Steering Committee on School Textbook Evaluation to a national commission vested with statutory powers.

6. Consideration of report of CABE Committee on Gnanam Committee.

7. Consideration of report of CABE Committee on Teachers' Representation in Legislative Councils.

ANNEXURE—III

49TH MEETING OF CABE, PARLIAMENT HOUSE ANNEXE, NEW DELHI

15TH OCTOBER 1993

LIST OF DOCUMENT CIRCULATED

1. Proceedings of the 48th meeting of the CABE.
2. Report of the CABE Committee on Gnanam Committee.
3. Report of the CABE Committee on Representation of Teachers in Legislative Councils.
4. Report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education.
5. Education For All The Indian Scene (English & Hindi).
6. 'Learning Without Burden' (Report of the National Advisory Committee Appointed by Ministry of Human Resource Development to suggest ways and means to reduce the academic burden on school students.
7. Report of the Group to examine the feasibility of implementing the recommendations made in the Report of the National Advisory Committee set up to suggest ways to reduce academic burden on school students.
8. A Brief of the discussion paper to raise the status of the National Steering Committee on School Textbook Evaluation to a national commission vested with statutory powers.
9. Report of the CABE Committee on Sports and Physical Education.

ANNEXURE-IV

RESOLUTION ON THE DEATH OF DR. D. S. KOTHARI PASSED BY CABE IN ITS 49TH MEETING HELD IN NEW DELHI ON 15TH OCTOBER, 1993

The Central Advisory Board of Education deeply condole the death of Prof. D. S. Kothari, a distinguished member of the Board, an eminent educationist and an internationally renowned scientist. Prof. Kothari had contributed to Indian education greatly through his services in various capacities, particularly, as Chairman of CSIR, Chairman of UGC and Chairman of Education Commission which reviewed the whole gamut of Indian education. He personified in himself a unique synthesis of scientific temper and the eternal verities of Indian culture. The Board place on record their deep appreciation of the great contribution made by Prof. Kothari to Indian education.

ANNEXURE-V

49TH MEETING OF CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION, PARLIAMENT HOUSE ANNEXE, NEW DELHI 15TH OCTOBER, 1993

WELCOME ADDRESS BY SHRI S. V. GIRI, UNION EDUCATION SECRETARY AND MEMBER-SECRETARY

I deem it a great privilege to welcome you all to this 49th meeting of the Central Advisory Board of Education (CABE). We met last in August, 1992 when the draft Programme of Action in pursuance of modified National Policy on Education, 1986 was considered and approved.

2. As you know, the major innovation in the POA was the concept of State POAs. Given the rich diversity of our continental nation, it would not be right to apply the same norms and proggrammes throughout the country. The situational imperatives have to be taken into account. The POA at the national level was only a set of guidelines to facilitate preparation of State POAs.

3. In order to expedite preparation of State POAs we had organised regional workshops inviting educational administrators, planners, educationists, resource organisations and representatives of multilateral agencies who have lately been evincing keen interest in education. Five such workshops have so far been held at various regions, the last one was held at Shillong last month. These deliberations were very fruitful and have generated a number of the useful suggestions regarding preparation of State POAs. We have circulated a note (Note on Review of Preparation of State POAs) setting out some of the major points that had emerged in these workshops. Some States have already completed the preparation of their State POAs while others are in the process. A point which has been stressed is the essentiality of a participatory process in the preparation of the State POAs, all stake holders in education—teachers, educational administrators, policy planner rescource Instrators, policy planners, resource institutes, etc.—have to be associated with preparing the State POA. This will ensure that necessary pedagogic and academic inputs will get built into the State POAs Another point that was stressed in the regional workshops was that the State POAs should be prepared without further delay and implementation of schemes started early so that the new schemes could be taken into account at the time of mid-term review of the Plan. The State Secretaries have now agreed that their POAs will be ready before end of December, 1993. Early implementation of the schemes will also help in getting necessary financial allocations under non-Plan after the Plan period.

4. Apart from the State POAs we have few CABE Committee reports to be considered. These include reports of CABE Committees on Decentralised Management of Education and Gnanam Committee Report; Report of the National Advisory Committee on Ways and Means to Reduce Academic Burden on School Children, and a discussion paper raising the status of National Steering Committee on School Textbook Evaluation to that of a National Commission with statutory powers.

5. The report of the CABE Committee on Teachers' Representation in Legislative Councils is also before you. The Committee had been set up in the light of the demands from primary teachers to confer on them the voting rights in the teachers' constituencies.

6. An innovative approach being tried out now in many parts of the country is the District Primary Education Programme. Built upon the experience gained in the implementation of a number of specific Education for All projects, the District Primary Education Programme is a holistic concept laying great stress on local area planning. This approach is in tune with the concept of decentralised management of education ensuring people's participation in the educational process.

7. The Total Literacy Campaign is the main strategy for achieving adult literacy. The campaigns have proved that total literacy is not a dream but an achievable goal. These campaigns have generated enthusiasm towards literacy, more particularly, among all over the country.

8. In the light of our commitment to achieve UEE by the year 2000, the importance of NFE can not be over-emphasised. I would take this occasion to urge upon all the members and more so the State Education Ministers the need to involve the village community in its planning and implementation at the village

level and the need to have a well-planned organisational and management structure at the State level and below so that the problems of timely release of honorarium, timely supply of teaching-learning materials, training of NFE personnel, learners' achievement, etc. are adequately addressed.

9. All these agenda items have been examined in-depth by the State Education Secretaries and Directors when they met here last week. I am sure the State Secretaries would have briefed their Ministers on their deliberations. This would make today's discussions easier.

10. I am sure you will be able to deliberate on these issues in-depth. I look forward to your valuable suggestions. Once again I welcome you all to this meeting and thank you for accepting the invitation.

ANNEXURE-VI

INAUGURAL ADDRESS OF SHRI ARJUN SINGH, MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, ON THE OCCASION OF THE 49TH MEETING OF THE CENTRAL ADVISORY BOARD OF EDUCATION

[15-10-93 : 10.00 AM : Parliament House Annexe]

Hon'ble Members of the Central Advisory Board of Education and other participants,

I have great pleasure in welcoming you all to the 49th meeting of the Central Advisory Board of Education [CABE]. The CABE has been playing a major role since its inception in policy formulation and Implementation, more so after the National Policy on Education, 1986.

Free and compulsory education for all children upto the age of 14 years is a constitutional obligation. Ever since planning began, India has been striving towards universalisation of elementary education. What has been accomplished, in terms of literacy, spread of institutions, participation and equalisation of educational opportunities, is spectacular and yet our goal is still distant and we have the dubious distinction of having the world's largest illiterate and out-of-school population. We need to forge a national will to rectify this situation to ensure that every child which ought to be in school is in the school.

The National Policy on Education, 1986 as updated in 1992, envisages UEE to be achieved by the turn of the century. The task ahead is arduous in that participation in the basic education system should now come from disadvantaged groups and those backward regions where the spread of education is thin. We have to literally cover almost as much ground in the next seven years as in the forty years since independence. But we need not be daunted by the task ahead for there are several welcome features which make the task achievable, provided we have the national will and take up the challange of EFA with the same resolve as we exhibited in the struggle for freedom. Foremost among the welcome features are the National Policy on Education, 1986 (NPE) and its Programme of Action. Based as it is on an in-depth review of the Indian educational system and evolved through a consensual process, NPE provides a comprehensive framework to guide the achieving of Education For All (EFA). You are aware that the 1986 policy and its POA were revised through the same consensual process. If I may say so, it is the NPE 1986 framework of basic education that had been adopted by the Jomtien Conference on Education For All, held in March, 1990. The central point of the Jomtien declaration is that the basic learning needs of all should be met through a variety of means by the year 2000 AD. Given that we have an excellent framework in NPE and POA, what needs to be done is to implement them with a sense of dispatch and resolve. When you approved the POA in August, 1992 the State Governments were called upon to formulate their State POAs harmonising the national POA and their own situations. Many States have formulated POAs. I would request others to expedite the POAs. What is important is not only the content of the POAs but the participatory process through which it is prepared. I would also urge you to periodically review your POAs and State plan for achieving EFA.

Another welcome feature is the emergence of the Total Literacy Campaign (TLC) which has dramatically changed the adult literacy scene. Universal adult literacy in the age group 15—35 years is now a distinct possibility by the end of the century. if only we can sustain the momentum of the campaigns and extend the campaigns to hard core districts with high illiteracy.

In the area of Elementary Education also there are welcome trends. The annual growth rate of enrolment has been steadily increasing since 1980. The number of out of school children has halved since then. Successful TLCs and women's empowerment programmes have generated demand for elementary education in the districts. The scheme of Operation Blackboard and DIETs are forging ahead and their impact on quality of education should be gradually be perceived. What the TLCs seek to do in adult literacy is now sought to be accomplished in the mattter of UEE through the District Primary Education Programme.

In the advance towards UEE, we need to adapt to changing realities. We can no longer rely exclusively on providing access through setting up schools. We need to energise the local communities, make the school system more creative and responsive on school hours and school calendar, make the school curriculum

more relevant and its transaction more attractive so that the school attracts all school age children and retain them. We also need to develop and implement more effective Non-formal Education.

In the ultimate analysis, it is the management of educational structure and process that would lead to achievement of EFA goals. Management dimension means that an ethos of cost effectiveness and accountability should permeate every part of the education system. We should bring together the school and related programmes like ICDS, Early Childhood Care and Education and nutrition. Decentralisation has to be an important aspect of management of education. The 73rd and 74th Constitutional Amendments relating to Panchyati Raj and Urban Bodies provide the possibility of a greater role for local communities to managing education. Detailed parameters for a decentralised management of education have been worked out by a CABE Committee on Decentralised Management of Education. The Committee's recommendations indicate how educational structures should be set up at the District, Taluk/Mandal and Village levels in pursuance of the Constitutional amendment. It is only through genuine decentralisation of educational administration in the true spirit of the constitution that we reach the goal of UEE. Here is an opportunity which we should not miss.

Governance of the Universities is another major area which requires emergent attention. We need to pay particular attention to the management aspects of the university system. The report of the CABE Committee on the report of the Gnanam Committee which is before you gives you an opportunity for reflection and action on this important subject.

Oflate, there has been much concern in the academic circles regarding the academic burden on students and unsatisfactory quality of learning. The Ministry, therefore, appointed a National Advisory Committee to suggest ways and means to reduce the load on school students at all levels, particularly the young students, while improving quality of learning including capability for life-long self-learning and skill formation. The report of this committee is also before you and the recommendations will give you much food for thought.

Ours is a pluralistic society. In such a society, education should foster universal and eternal values, oriented towards the unity and integration of our people. We have always been edeavouring to ensure that secular and national values are reflected adequately in school textbooks. A Steering Committee has been evaluating school textbooks from the standpoint of national integration. It is felt that the Committee's status needs to be raised to that of a National Commission to make it more effective. A note in this regard is also presented to you for your considered views.

The issue of representation of teachers in legislative councils has been an item which has cropped up many times in the past in the CABE meetings. We have now before us the views of a CABE Committee which had gone into the subject in-depth.

The eyes of the whole world are on us. Whether or not the Jomtien vision of EFA by 2000 AD will be achieved would be determined by our national endeavour. The promising trends and achievements in India such as the TLCs and the emerging DPEP are being watched with great interest. India has come in for great appreciation at the recently concluded International Consultative Forum on EFA which is a prelude to the summit of the 9 High Population countries which we are hosting on December 15-16, 1993.

I am sure during the course of the day you would give your considered views on all these aspects which ultimately impinge upon how we can improve the quality of education as well as ensure that education is available to every Indian. I look forwad to your valuable suggestions and support and cooperation in this national endeavour. Once again I welcome you all to this important meeting and thank you for accepting and reponding to this invitation.

ANNEXURE—VII

WRITTEN STATEMENTS OF STATE EDUCATION MINISTERS AND OTHER MEMBERS OF CABE

and its transaction more attractive so
ol attracts all school age children and
We also need to develop and implement
Non-formal Education.

nate analysis, it is the management of
ructure and process that would lead to
of EFA goals. Management dimension
ethos of cost effectiveness and accounta-
permeate every part of the education sys-
uld bring together the school and related
ike ICDS, Early Childhood Care and
l nutrition. Decentralisation has to be
aspect of management of education.
74th Constitutional Amendments relating
Raj and Urban Bodies provide the possi-
ter role for local communities to manag-
Detailed parameters for a decentralised
f education have been worked out by a
ittee on Decentralised Management of
The Committee's recommendations indi-
cational structures should be set up at
Taluk/Mandal and Village levels in pur-
Constitutional amendment. It is only
e decentralisation of educational admini-
true spirit of the constitution that we
of UEE. Here is an opportunity which
miss.

of the Universities is another major area
emergent attention. We need to pay
ntion to the management aspects of the
em. The report of the CABE Com-
report of the Gnanam Committee which
gives you an opportunity for reflection
this important subject.

has been much concern in the academic
ng the academic burden on students and
quality of learning. The Ministry,
ointed a National Advisory Committee
s and means to reduce the load on school
levels, particularly the young students,

while improving quality of learning including capabilitrning including capability for life-long self-learning and skill formation. Thl skill formation. The report of this committee is also before you and thulso before you and the recommendations will give you much food for thougha much food for thought.

Ours is a pluralistic society. In such a society, edu In such a society, education should foster universal and eternal values, orienand eternal values, oriented towards the unity and integration of our peopletegration of our people. We have always been edeavouring to ensure that securing to ensure that secular and national values are reflected adequately ireflected adequately in school textbooks. A Steering Committee has beeig Committee has been evaluating school textbooks from the standpoint cfrom the standpoint of national integration. It is felt that the Committee'elt that the Committee's status needs to be raised to that of a National Comhat of a National Commission to make it more effective. A note in thiective. A note in this regard is also presented to you for your considereou for your considered views.

The issue of representation of teachers in legislativ of teachers in legislative councils has been an item which has cropped up manch has cropped up many times in the past in the CABE meetings. We havBE meetings. We have now before us the views of a CABE Committee whicCABE Committee which had gone into the subject in-depth. epth.

The eyes of the whole world are on us. Whetheld are on us. Whether or not the Jomtien vision of EFA by 2000 AD wi EFA by 2000 AD will be achieved would be determined by our nationained by our national endeavour. The promising trends and achievements inds and achievements in India such as the TLCs and the emerging DPEP arthe emerging DPEP are being watched with great interest. India has come irest. India has come in for great appreciation at the recently concluded Interecently concluded International Consultative Forum on EFA which is on EFA which is a prelude to the summit of the 9 High Population coun9 High Population countries which we are hosting on December 15-16, 1993 December 15-16, 1993.

I am sure during the course of the day you woulde of the day you would give your considered views on all these aspects whici all these aspects which ultimately impinge upon how we can improve th we can improve the quality of education as well as ensure that educatioas ensure that education is available to every Indian. I look forwad to you I look forwad to your valuable suggestions and support and cooperation iport and cooperation in this national endeavour. Once again I welcome yoce again I welcome you all to this important meeting and thank you for accepind thank you for accepting and reponding to this invitation. itation.

WRITTEN STAT WRITTEN STATEMENTS OF STATE EDUCATION MINISTERS AND O MEMBERS OF CABE

LIST OF WRITTEN STATEMENTS OF STATE/ UT EDUCATION MINISTERS, ADVISERS, ETC.

1. Dr. P. V. Ranga Rao, Minister for Secondary Education, Archaeology & Museums, Andhra Pradesh.
2. Shri P. Rajan, Minister for Higher Education, Adult Education & Public Libraries, Andhra Pradesh.
3. Shri M. K. Baig, Minister of State for Technical Education, Andhra Pradeh.
4. Shri R. K. Khrimey, Minister for Education, Science and Technology, Arunachal Pradesh.
5. Dr. Ram Chandra Purve, Minister (Primary and Middle Education), Bihar.
6. Shri Vinaykumar P. Usgaonkar, Minister for Education, Goa.
7. Shri Phool Chand Mullana, Education Minister, Haryana.
8. Smt. Nagamma Keshavamurthy, Minister of Primary and Secondary Education, Karnataka.
9. Shri M. Natarajan, Adviser to Governor, Madhya Pradesh.
10. Shri Prabhakar Dharkar, Minister of Higher and Technical Education, Maharashtra.
11. Shri Salim Zakaria, Minister for School Education, Maharashtra.
12. Dr. H. Lamin, Minister of Education, Meghalaya.
13. Shri I. Imkong, Minister of School Education, Youth Resources & Sports, Nagaland.
14. Shri P. C. Ghadei, Minister for School & Mass Education, Orissa.
15. Shri Chaitanya Prasad Majhi, Minister for Higher Education, Orissa.
16. Shri S. Lakshmir Singh Randhawa, Minister of Education, Punjab.
17. Prof. K. Ponnusamy, Minister for Education, Tamil Nadu.
18. Shri Anil Sarkar, Minister for Education, Tripura.
19. Shri R. D. Sonkar, Adviser to the Governor, U.P.
20. Shri Satya Sadhan Chakraborty, Minister-in-charge, Higher Education, Shri Chintya Ray, Minister-in-charge, Primary & Secondary Education, Smt. Anju Kar, Minister of State-in-charge, Mass Education Extension Department, Shri Anisur Rahaman, Minister of State, Primary, Secondary & Madrasah Education, Shri Tapan Roy, Minister of State-in-charge, Library Services and Shri Bansagopal Choudhury, Minister of State-in-charge, Technical Education & Training, West Bengal.
21. Education Department, Andaman & Nicobar Islands.
22. Shri A. Gandhiraj, Minister for Education, Pondicherry.

SPEECH OF DR. P. V. RANGA RAO, MINISTER FOR SECONDARY EDUCATION, ARCHAEOLOGY & MUSEUMS, ANDHRA PRADESH

I must, at the outset, compliment the Hon'ble Minister for Human Resource Development for having convened this meeting of the Central Advisory Board of Education (CABE) with a view to focusing upon some of the vital aspects concerning education. It is indeed heartening to note that under the stewardship of Sri Arjun Singh, the CABE has been functioning very actively, through its various Committees. The different subjects coming up for discussion today are a reflection of the shared concern for making education effective and relevant to present-day Society.

We in the Andhra Pradesh deeply share this concern. Though an educationally backward state, the decadal growth rate of literacy between 1981-91 is happily higher than the national average. Similarly, the state is witnessing a positive trend in education of girls. I am happy to state that the efforts of the State Government both in terms of literacy programme as well as universalisation of Elementary Education are bearing fruit and we have every reason to believe that Andhra Pradesh will contribute handsomely towards the national efforts in achieving the goal "Education for All by 2000 A.D."

It is in this context that the State Government are preparing the Programme of Action which is at an advanced stage. We are confident of finalising the same within the next three months. We shall ensure, in the process, that due attention is paid to specific needs of Weaker Sections, Women and Minorities. A participative approach marks the preparation of the Programme of Action in our State. We would like to ensure that all concerned have an opportunity to reflect their views so that the Programme of Action is holistic.

The march towards "Education For All by 2000 A.D." and more particularly "Universalisation of Elementary Education" cannot be successful unless we evolve appropriate technologies in Education. In this context, Non-Formal Education plays a very important role. We, in Andhra Pradesh are happy that the State is leading in this field. We have recently sent a proposal for revision of norms for the existing 25400 centres. I request that Government of India may sanction these proposals at an early date.

Universal access in Andhra Pradesh is assured not only through formal and non-formal systems but also the Open School system which has been introduced in 4 districts and which has made impressive strides. I am confident that the Andhra Pradesh experience will be useful to all the States. I invite my colleague Education Ministers to send their officials to visit our State to study the Open School system. Encouraged by the experience in the four districts, we are slowly expanding this programme to other districts.

Yet another critical area where we are taking active interest is Teacher Education. I compliment the Government of India for introducing the scheme of Orientation of Primary Teachers. I would however request that the scheme be extended to cover all school teachers including teachers at the secondary level. The scheme may also be extended to cover every teacher atleast once in 3 years. Any effort in this direction would not be a waste. In this regard, I would strongly recommend setting up of SUB DIETs atleast in States like Andhra Pradesh where DIETS have been established in all the districts.

Convergence of services particularly in the area of Early Childhood Care and Education is essential We in Andhra Pradesh are actively exploring this area.

The magnitude of the task of School Education both in terms of scope as well as number is so large that it calls for proper planning and monitoring. The need for a projectised approach in education cannot be overemphasised. I am happy that Andhra Pradesh is among the select States to be covered by the District Primary Education Programme (DPEP). I assure the Union Minister that Andhra Pradesh will successfully implement the programme.

While focus on Primary Education is no doubt critical to the success of our Education effort, I would urge Government of India to help to evolve suitable schemes for the Secondary Education too. This is essential not only to ensure quality of input for higher education but also to provide suitable outlet for the product of primary education in which we are investing so heavily. Two aspects deserve attention in this regard. The first is to provide adequate number of good quality secondary schools. The Residential School system in Andhra Pradesh has been the forerunner of similar efforts olike Navodaya schools. Nevertheless, the cost is so heavy that we have to think in terms of provid-

ing equally good but perhaps less costly secondary education. The second aspect is to provide prevocational education below the plus 2 stage. I am happy that the Education Secretaries who met on 5th and 6th October, 93 focused on this issue. Since we in Andhra Pradesh have already started this programme, I would urge Government of India to help us in extending the same so as to provide more meaningful education at the secondary stage to our rural students.

I must compliment the CABE Committee on the Decentralised Management of Education as well as the National Advisory Committee on reducing the academic burden (Yashpal Committee) for having completed such delicate tasks so successfully. Both these issues are of such far reaching importance that they should be subjected to more detailed discussion before this august body takes any firm decisions. I have had the pleasure of being associated with the CABE Committee on Decentralisation of Management. In fact we in Andhra Pradesh had conducted a seminar on this subject, involving academicians, officials and non-officials; the results of this seminar have been presented to the CABE Committee. I am circulating this once again among my colleague Ministers since it will perhaps make better understanding of the problems and perspective of education. We are in agreement with the basic concern of the CABE Committee that Education cannot be complete without the community involvement and that appropriate mechanisms will have to be evolved to involve the Panchayati Raj Institutions. The 73rd Amendment Bill which is now on the statute book is itself an enabling legislation and gives wide scope to each State to evolve its own mechanisms within the basic framework, depending upon each State's specificity. We must reckon with the fact that while on the one hand, there is enthusiasm among the village community that they will hereafter be allowed to participate in the Education process, there is also a certain apprehension among every section of society that education will be adversely affected unless the linkages between Panchayati Raj institutions and the education infrastructure is properly handled. Therefore there is need for a delicate handling of the entire subject. We do hope, in our State, to have wide-ranging discussions before appropriate decisions are taken. It is also not out of place to mention that subjects relating to Education form part of a list of 29 subjects in the Eleventh Schedule. Therefore, arrangements for education will also have to be dovetailed with arrangements procedural as well as infrastructural, in the other fields.

I am given to understand that other Ministries like Agriculture, Forests, Rural Housing, Welfare, Women and Child Welfare, Health etc., have not yet finalised their strategies nor have they called for the remarks of State Governments. Therefore, while early action on the part of the HRD ministry is appreciated, I would like to caution that it is perhaps a little too premature.

I must also caution against academic supervision being left to the Panchayati Raj Institutions. In fact, this runs counter to the recommendations of this very Committee at item (6) of para 4.52 which entrusts this function to the State Government. Academic supervision should not be with the local bodies.

I share the concerns expressed by the Yashpal Committee. In fact "learning without burden" should be an integral part of education for all. The tendency of certain schools, particularly private schools, to load the child with excessive teaching and home work needs to be curbed. Nevertheless, we should recognise that the intense competetion for professional courses, leading to the entrance examinations being exclusive examinations and the level of examinations being progressively higher naturally imposes a burden on the learning process. The post-school scenario therefore plays a key role in the learning process at the school level. I would also like to express a note of caution against any tendency towards decentralisation of curriculum and syllabus below the State level at this stage. The process of text-book development is itself undergoing considerable evolution. Till this is stablised and till the capacities are developed at the sub-state level, it may be premature to attempt such initiatives. Audio-Visual Education can go a longway in reducing the learning burden through formal text-books. We in Andhra Pradesh have already started this exercise. In this regard, I acknowledge Government of India's assistance in provision of colour Television sets to schools. I would, however, urge that financial provision be made for development of software so as to make Audio-Visual Education effective.

Text-books form a vital input in both formal and non-formal education. Andhra Pradesh has a long tradition of text-books being written and produced under Government supervision by academic experts and I am happy to say that every text-book fully reflects the cherished values of our Indian society. The National struggle for freedom, Constitutional rights and duties of citizens, principles of secularism and democracy are all reflected in text-books alongwith a degree of academic excellence, appropriate for each level. I share the concern that distortions in text-books, particularly those which affect the secular fabric of our society, need to be curbed. The utility of a statutory national commission is however not clear.

An expression of national concern through a forum like this should be sufficient to deter any attempts at such wilful distortion. As a supplementary effort we could consider constitution of a Standing Committee of CABE to continuously monitor the text-books so that any harmful deviation could invite the collective opprobrium. I would suggest a careful reconsideration of setting up of a Statutory Commission.

I thank Sri Arjun Singhji once again for having convened this meeting and for having given us an opportunity to meet and exchange our views.

SPEECH OF SRI P. RAJAN, MINISTER FOR HIGHER EDUCATION, ADULT EDUCATION & PUBLIC LIBRARIES, ANDHRA PRADESH

I am happy that the 49th meeting of the Central Advisory Board of Education has been convened today, to consider some of the important problems in the field of Education in India. I thank Sri Arjun Singhji for giving us this opportunity.

Regretfully, Andhra Pradesh is still educationally a backward State. However, the State is witnessing a raid change in this regard, thanks to the total Literacy Programme launched three years ago. As against 20 lakh persons made literate under the Adult Education Programme between the years 1980 and 1990, 34 lakh persons have been made literate in the last three years. 17 of the 23 districts have already launched the Total Literacy Campaign and other districts will follow suit very shortly. This programme has not only brought young volunteers into developmental effort but also resulted in Literacy being the concern of all Government departments rather than being viewed that of a single department. There are however a few areas which require our attention. As the meeting of the Education Secretaries (5-6 Oct.' 93) has identified, there is need for a permanent mechanism to take care of the left outs, the fresh illiterate entrants into the adult age-group as well as neo-literates relapsing into illiteracy. Secondly, there is need for a continuous evaluation, so that the neo-literates relapsing into illiteracy can be identified and corrective action taken. Thirdly there is need to develop Jana Sikshana Nilayam into a Library network so as to serve the needs of the Neo-literates. Today, the rural areas are characterised by a marked absence of public libraries. Our Government is committed to successful implementation of the Literacy programme.

Higher Education plays a key role in the building of modern India. Our state attatches considerable importance to the quality of Higher Education. The annual budget for this sector exceeds Rs. 400 crores.

In addition to the Agriculture and Health Universities there are 10 Universities in Andhra Pradesh including 4 State-wide Universities. Of these one is exclusively a Women's University located in the pilgrim town of Tirupati. The second state-wide University is the Jawaharlal Nehru Technological University meant for the development of technical Education in the State. The Dr. B. R. Ambedkar Open University is the first Open University in the country at the State level. We have also a Telugu University established for the purpose of development of Telugu language, literature, art and culture. We have been providing budgetary support in the shape of block-grants to all the Universities. Our Government propose to spend Rs. 75.44 crores for this purpose during this year as against Rs. 64.46 crores last year. We have a comprehensive Universities' Act covering the traditional Universities and 4 different Acts for the 4 State-wide Universities in view of the special role assigned to them. I may mention here that these enactments contain most of the recommendations of the Gnanam Committee as modified by CABE Committee.

We are perhaps the first State in the country to have established a State Council of Higher Education, to advise the State Government in matters relating to Higher Education and to oversee its development through perspective planning. This was done in pursuance of he National Education Policy, 1986.

We have also constituted a College Service Commission to recruit College Teachers, thus delinking the rerruitment process from the State Public Servce Commission to avoid delay. This has considerably reduced the burden on the State Public Service Commission besides resulting in speedier selection process of teachers by a professionally competent body.

As regards the CABE Committee's recommendations on the Gnanam Committee Report, I would like to state that we are in broad agreement with most of the recommendations made by the "CABE COMMITTEE". As already indicated, most of these recommendations already find place in the various statutes governing the Universities in our state. Efforts to make Universities functionally more effective and also accountable to society is welcome. Likewise, the possibilities of a meaningful association with industry require to be actively explored without however jeopardising the Universities' role in carrying out fundamental research, so vital to keep our nation scientifically and technologically self-reliant. While the scientists from national laboratories may be nominated to university boards, eminent scientists from universities should likewise be seconded to national laboratories I also velcome the suggestions relating to professionalisation of Universities' management.

Some of the recommendations however need to be viewed with circumspection. Among them is the proposal for additional legislative measures. Likewise, mobility of students from one university to another may, in a State like Andhra Pradesh, be difficult. Details such as the terms of university functionaries could be left to the State Governments.

In Andhra Pradesh the +2 stage also forms part of Higher Education. These institutions are called Junior Colleges, and a number of them also impart vocational education. As a matter of policy, our state government have taken a decision to delink the intermediate courses (+2 stage) from the Degree Colleges and this is being done in a phased manner. We have made efforts to popularise the Vocational Courses, but lack of infrastructural facilities poses a constraint. Additional financial assistance from Government of India will contribute to making the scheme more effective.

Andhra Pradesh is predominently an agricultural state. The thrust given to the rural development in various schemes formulated by the Government of India and the State Government, must find its proper place in Higher Education. Even at degree level more number of vocational courses particularly those which directly have a bearing on Rural development must be introduced in greater number. Our experience with the few colleges which have such courses with rural bias has been extremely good, as the students coming out of these institutions are absorbed by varous agrobased industries or the main-line industry. I would urge the Government of India and the UGC to keep this in view and help the State in introduction of such courses by way of additional grants.

Our State Government has been requesting the University Grants Commission to locate its southern regional centre (office) at Hyderabad. I take this opportunity to once again request Sri Arjun Singhji to use his good offices with the UGC and help in establishing the Regional Centre of UGC at Hyderabad.

I hope today's deliberations will lead to fruitful conclusions which will ultimately help in consolidation and further development of Higher Education in the country. I thank you all for a patient hearing.

SPEECH OF SRI M. K. BAIG, MINISTER OF STATE FOR TECHNICAL EDUCATION, ANDHRA PRADESH

At the outset, I would like to compliment the Hon'ble Union Minister for HRD for convening this meeting, giving us an opportunity to express and share our views. Though Technical Education has not been included in the formal agenda, I would like to present my views before this august assembly.

Andhra Pradesh has traditionally been an agro-based state and the people of Andhra Pradesh have always been progressive and forward thinking. The state has made rapid strides in industrialisation especially in the last two decades. Now taking full advantage of the new economic policies of the Government of India, my state is poised to take a quantum jump in the industrial field. To keep pace with this rapid pace of industrialisation, we have to cater to the skilled technical manpower needs of the industry and I am happy to say that our state is preparing extensively to meet this challenge of Technician education.

There are 10 university colleges of engineering and 17 private engineering colleges in Andhra Pradesh with a total intake of 6530 students. There are also 82 polytechnics, 23 of them under private management and 59 government institutions. The total intake at the diploma level is about 12000 students annually. Besides this there are three post diploma institutes to take care of the advanced technician needs of the industry.

MODERNISATION OF POLYTECHNICS : My state is implementing a Rs. 80 crore, 8 year World Bank assisted project to improve technician education. Under this project Rs. 29 crores will be spent on buildings and all women's polytechnics will be provided with hostels. To modernize the laboratories and workshops a sum of Rs. 36 crore has been earmarked. The purchase of equipment as well as books for the libararies are in good progress. A seperate curriculum development cell headed by a Joint Director has been started and I am happy to say that the World Bank team has appreciated the work of our curriculum development cell recently.

To meet the future technician needs, courses in emerging areas of technology like plastics and polymers, petro-chemical products, oil processing technology etc. are proposed to be started in the future. All polytechnics will be provided with a computer centre and it is also proposed to link up these computer centers through modems.

Training for the faculty has already started and we hope to continuously train and update the knowledge and skills of our teachers. A sum of about Rs. 1.00 crore has been provided for this purpose.

INTERESTS OF WEAKER SECTIONS : As I had stated earlier, the state of Andhra Pradesh, has been, and is very progressive and it has taken many positive steps to ensure the welfare of the weaker sections of society. This state has been one of the first to provide reservation for Backward communities and even today 25% of all seats in professional colleges are earmarked for BCs.

Andhra Pradesh is perhaps the only state in the country to provide exclusive education to the scheduled castes and scheduled tribes. We have set up three model residential polytechnics for scheduled castes and three model residential polytechnics for schedule tribes. These fully residential institutes are well equipped with all equipment and facilities in vast spacious campuses, to provide the best technician education to the traditionally deprived section of society. These institutions have been proposed to be given autonomy to make them more effective. Proposals have been included in the World Bank project to supplement the facilities in the laboratories and to provide additional accommodation. The Government is also reimbursing the fees in both Engineering and the Polytechnic colleges for all those SCs whose parental income is less than Rs. 24000/- per annum and those BC students whose parental income is less than Rs. 12000/- per annum. Besides this, scholarships and book grants at various levels are also given to them.

WOMEN'S EDUCATION : My state attaches considerable importance to the emancipation and education of women. 30% reservation is provided for women in professional colleges. This year we have implemented this decision in Engineering colleges as well. There are 20 polytechnics in our state which cater exclusively to the needs of women. This year two polytechnics are proposed to be started exclusively for women. I must mention that one of these

is going to be a Model Residential polytechnic for SC girls, a unique institution, again the first of its kind in the country.

INDUSTRY-INSTITUTION LINKAGE : Mere starting of institutions or modernisation of laboratories is not enough. The technician, who graduates from the institution, should be useful to the industry. No institution can survive if its products are unfit for the industry and the industry cannot prosper if the technician from the institution is not equipped with the appropriate skills. To strengthen the Industry-Institution linkage, an Industrial liaison Board has been constituted at the state level. This Board represented by the leaders in Industry and official of the government, lays down the broad framework which facilitates Industry-Institution liaison at the field level. We are now preparing a micro plan at each institution level so that the local industry and the institution can have constant interaction. The sate Govt. is exploring the possibility of entering into an M.O.U. with CII, ASSOCHAM and FICCI. Bringing practicing techniques to the institution and taking the students to industry for practice has been proposed. We are also making efforts to strengthen and expand the sandwitch pattern of diploma education.

AICTE : I am glad that the AICTE has been activated with a full time chairman and the AICTE has taken some good decisions. However, I feel that there is a need to decentralise the functions of the AICTE. The CABE itself is recommending decentralisation and autonomy at various levels and the AICTE should also follow suit. Besides, the state governments are sometimes faced with the embarassing situation of institutions getting recognition or permission without the prior clearance of the state government. I request that the state governments should be fully involved in all the activities of the AICTE. I am fully in agreement with the views expressed by my learned brother, the Hon'ble Minister for Technical Education, State of Maharashtra, during the last meeting of CABE on 08-08-1992.

Besides the regulatory functions, the AICTE should assist the states in their development planning. Manpower planning seems to be the basis for the AICTE for the starting of new professional colleges. However, the technically qualified manpower do not find jobs in the local area or within their states only. There is large scale migration to industrial belts in Maharashtra, Gujarat, Bangalore and Tamilnadu as well as out of the country. In such a situation the state Governments cannot conduct accurate manpower requirement surveys. The AICTE must address itself to this urgently. The overall requirement in the country should have a bearing on the proposals for expansion of Technician Education made by states even though there might not be a need from within the state itself.

In a similar manner, the decision on the emerging areas and the thrust areas of technology should not be left to the states alone. States which do not have a costline might not be able to have the benefit of polymer or petro-chemical based industries. But the AICTE should be in a position to assist states in setting up courses which offer polymer and plastics or petro-chemical technology courses.

I suggest that the AICTE prepare a shelf of projects on all emerging areas of technology so that the state government can benefit. This project proposal should cover all areas like sylabus, course work, laboratory equipment and experiments, staffing pattern, books, building and workshop requirements, examination pattern etc. This will go a long way in helping the state governments in replacing the obsolete and outdated courses with new and emerging ones. I do sincerely hope that the AICTE will function in cooperation with the state governments rather than in conflict.

I once again thank the Hon'ble Union Minister for the HRD, Sri Arjun Singhji for giving me this opportunity.

SPEECH OF SHRI R. K. KHIRMEY, MINISTER FOR EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY, ARUNACHAL PRADESH

I join the deliverations of to-day's meeting to share my thoughts and perception with all of you here with a profound sense of satisfaction. Arunachal Pradesh is a remote corner of the country and is currently striving with all the anthusiasm to join the educational mainstream. The present state of educational awareness in Arunachal Pradesh is very refreshing and even people of ordinary up-bringing are progressing towards a healthy concept of quality education. The overall literacy percentage has considerably improved in Arunachal Pradesh despite many constraints of fundamental nature and we are now engaged in any important task of bringing male-female literacy ratio at par.

I am confident that the deliverations in this august body will give concrete shape to the programme of action and powerful response will be generated in the process. We, in Arunachal Pradesh, have a deep sense of commitment to the basic cause of education. As a result, we are hopeful of obtaining very fruitful short term as well as long term results. The programme of action can certainly be regarded as a projected need of immediate and long term value. To my mind, it can be called a document of pious intentions with specific thrust areas for the goal of enlightened education.

The national policy of education is basically meant to guide the educational development of the country on a long term basis. An effective programme of action is the natural corollary to reach the objective. We in Arunachal Pradesh have gone through the programme of Action, 1992 and we clearly understand that our State's POA is espected to be more practical and action oriented. We are evolving our programme of action which will establish meaningful relationship with the basic central model. While flexibility in such ventures with so much of diversity all over the country will be an accepted norm, the basic concept of attaining an unified goal shall have to be kept in view by all of us.

Similarly as a part of educational decentralisation, a concrete and useful programme of action at the district level will also be necessary. It is at the same time equally true that a spirited exercise of far reaching programme of action will also call for adequate resources and proper management skill at the decentralised levels. While also aiming at something lofty, we have got to be cost effective and at the same time accountable. The schemes which cannot sustain in depth scrutiny or long term utility content should not be entertained.

People's active involvement in the educational reconstruction has been emphasised. The State Government of Arunachal Pradesh fully shares this perception and has already initiated some trangible steps in this direction with, of course, certain checks and balances. We totally agree that a demanding and awakened community can make lot of difference in gearing up the educational infra-structure to produce quality results. We also hope to enable the Senior Citizens of the districts, retired educationists, environmentalists and people from different walks of life, a practical say in the operational mechanism of the district educational out-fits.

Arunachal Pradesh also shares concern at the national level that the cause of social justice is not making any effective head-way because we have not yet been able to further the cause of women's education to the desired level. I am happy to mention that despite many constraints, the girl child in Arunachal Pradesh is now receiving petronage, support and solid backing.

With these basic observations I now come to express my views on the report of the CABE Committee on the basic findings of Chanam Committee on higher Education. In the field of higher education, we are still in infancy. However, I am happy to mention that Arunachal Pradesh is making rapid progress in this direction. The solitary Arunachal Pradesh University is taking shape. We are aware of our responsibility of adhering to the concept of autonomy in the University's functioning appropriate effects are already on the way to ensure the desired objective. We are in broad agreement with the recommendation of the Soneri Committee in respect of higher education and Arunachal Pradesh will keep in mind the spirit of all recommendations in our future action. I would however, like to make a strong plea for enhanced outlay for Arunachal Pradesh in this particular sector of education to provide further necessary infrastructural base and support system. We are having only four colleges at the moment and almost all the 12 districts of Arunachal Pradesh are keen to have

academic institutions for higher education in district headquarters. In the current year we are opening one college. Consequently, I would like to request the Central Government and the Planning Commission to be specially sympathetic to the cause of Arunachal Pradesh in the field of higher education.

On the report of the CABE Commitee on Teacher's representation in Legislative Councils. I would just like to mention that Arunachal Pradesh is not having any Legislative Council now. Moreover, for the present, we reiterate our earlier views on the subject. As mentioned by various knowledgeable quarters in some earlier important deliberations at the Secretary's level also that the subject has sensitive overtone and needs very thoughtful discussions before any particular view is entertained on this count.

On the fourth item of the agenda on decentralised management of education. I understand that the North Eastern States have not really been asked to project their view points right now. I shall, therefore, refrain from expressing any particular view on the 'decentralised' management of education. I would, however, like to mention a few points as a part of my general response to the issue of management of education. I find that one of the thrust areas in the entire exercise of programme of action is quality education. The surrounding scenario is a remote State like Arunachal Pradesh causes difficulties on this count and I would expect all round help from various enlightened qualities to get over our difficulties. Quality teachers with sound educational background are not yet readily available to serve in remote areas. Some good local boys and girls are no doubt coming up but the process is still slow. A package of, incentive with central help may have to be thought of to invite better talents in remote areas like Arunachal Pradesh. Further, insistence of reservation in the recruitment in such areas calling for quality out-put may also have to be given a re-look to the extent possible and desirable. The basic goal should not be allowed to undergo dilution for different considerations.

Every school must have a strong cultural unit with enough infrastructural back-up both through Central as well as State assistance in order to have a sustaining impact in the minds of the students about the needs of such basic values of life which can be termed as progressive outlook, positive up bringing, emotional integration etc.

Then again, the accountability factor in the management of education is currently not in a very happy state. This malady needs to be strongly dealt with. The teacher with lukewarm approach to the teaching needs should no longer be allowed to reap the harvest of the profession in a routine manner. Teachers exhibiting promises fairness gettting appreciation from parents and students should be allowed to have quicker avenues of promotion and other incentives through a better designed performance appraisal system. The hostel superintendents should be selected not only by the Principals but by a pool of combined wisdom of the school managing committee members. Educational trips of the students should be frequent and on a generous pattern with active and more central assistance to give the students broad vision and catholicity of temparament. Another point of relevance which should perhaps be noted by all of us is that the alarming population scenario of the country also has a very depressing effect on the quality, infrastructural support and management of education. In order to ensure that the gains of our efforts are not neutralised, this has to be discouraged through effective population education programme.

The scheme of voluntary schools by reputed institutions as well as new agencies in case of education should have generous central assistance for remote States like Arunachal Pradesh. Simultaneously, merit scholarship, meritorious and all rounder students awards, best teachers, best principals, best vice-principals best hostel superintendents awards etc. should be instituted on a much greater scale then what is available to-day as a further incentive towards more congenial, purposeful and enlightened education. Gold and Silver medals will add further healthy colour to this.

Another area which will perhaps need better thrust in curiculum will be imparting of basic education in the field of agriculture as in times to come a large number of students in later years may have to fall back upon the fields of agriculture and horticulure to make a living. The availability of jobs, the primary aim of to-day's youth, to sustain themselves in the long run will reach a saturation point and then the thrust in the alternative channels has to be a satisfying one for long term peace and congenial environment. The funding pattern of assistance from the central side should be simplified further. More District Institutes of Education and Training should be sanctioned to improve quality education at the elementary level. We have so far been given only one DIET.

I now come to the Yashpal Committee report on load of school bag. I have had careful look at the basic recommendations of the Yashpal Committee and the subsequent effort made by the MHRD group to have a realistic appraisal of the Committee's recommendations. We find that the recommendations made

by the MHRD group have taken into consideration the ground realities and the current education scenario of the country requires a practical approach on the subject. We also feel that it may not be desirable to encourage only group activities and do away with all individual achievement rewards. Moreover, involvement of teachers in the curriculum framing is no doubt a good idea but for various important factors, decentralisation of curriculum framing beyond the State level will not be a realistic proposition. The recommendations made by the Yashpal Committee are or far reaching nature and should have very careful assessment before we formulate our views in the nature of finality. On the report of CABE Committee on sports and physical education, I have nothing to add at this stage because the basic report is not yet available. I can, however, just take this opportunity to mention that in Arunachal Pradesh, we are giving very adequate importance to sports and physical education and our Plan Programme will be reflected in our state POA in next 2-3 months.

Similarly, on the report of the CABE Committee on distance education, I do not have much response right now as the basic report is not yet available. However, let me mention to all of you here that in Arunachal Pradesh we have four accredited institutions at Bomdila, Itanagar, Pasighat and Naharlagun. These institutions are under the banner of National Open School, New Delhi and have been functioning very well for the last few years. The response of the school drop-outs to get education from these institutions is quite encouraging. Further, at the college level, two study centres of IGNOU located at Itanagar and Bomdila are running and now even management courses have been introduced in these two Study Centres. It is heartening to note that there is further demand for accredited institutions and study centres at various district headquarters. We propose to encourage the effort by providing better infrastructural support and some incentives to the students. Already, the tuition fees for college students of the Study Centres is being borne by the State.

I now conclude my address with a parting observation that though the present system of Panchayati Raj institution in Arunachal Pradesh is quite sound yet it will take some time before it is asked to take over a very vital area like management of education at the base level. On the basis of our careful and objective assessment of the ground realities at present we feel that we have got to develop and sharpen this system further before we can really entrust the important responsibility to the Panchayati Raj Institution at the grass-root level. The availability factor of proper management skill at the base level can not also be ignored even if it indirectly slows down the contemplated move of decentralisation. In any case, we will come forward with very thoughtful response in our State POA after careful deliberations and wider consultations.

Thank You all.

EDUCATION AT A GLANCE—ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS, EDUCATION DEPARTMENT PORT BLAIR, OCTOBER 1993

The Andaman & Nicobar Islands, situated in the Bay of Bengal comprises of 319 islands. The Andaman group consists of 257 islands and the Nicobar group comprises 62 islands. Out of these 319 islands only 38 are inhabited with a population of 2,80,661 as per 1991 census. The total area of these islands is 8293 Sq. km. The islands treated as penal settlement upto 1942, were accorded the status Part 'D' States when India become a Republic and an Union Territory from 1-11-1956. Administratively the islands are divided into two Districts Viz. Andamans with dist. headquarter at Port Blair and Nicobars with district headquarter at Car Nicobar. The two districts are divided into 7 Tehsils i.e. Diglipur, Mayabunder, Rangat, Port Blair & Ferrar Gunj in Andaman District and Car Nicobar and Nancowrie in Nicobar District. There are 491 Census villages in the islands of which 320 are located in Andamans and 171 in Nicobar group of islands.

For purposes of Educational Administration the islands are divided into 7 Zones with headquarters at Port Blair, Wimberly Gunj, Rangat, Mayabunder, Diglipur, Car Nicobar and Nancowrie.

A part from Port Blair, the population of Andaman & Nicobar Islands is distributed in 491 Census villages of which over 200 villages have less than 200 population each. As far as habitations are concerned there are about 565 habitations as per the Vth All India Educational Survey. Out of this only 241 habitations have population 200 or more, 96 habitations have population between 100 and 200 and 228 habitations have population less than 100. The existence of small sized sparsely located habitations are a hurdle in the way of establishment of economically viable institution.

THE PRESENT POSITION

As a result of sustained efforts of the Union Territory Administration and consistent financial as well as technical support by the Central Govt. a phenomenal expansion of educational facilities has taken place in the islands after Independence. As a result, Andaman and Nicobar Islands are ahead of the national average in terms of enrolment ratio at the Elementary and Secondary Stages. The present position in respect of major areas of education sector in this territory is briefly given below:

1. ELEMENTRARY EDUCATION :

With the coverage of 109.35 per cent population in the age-group 6-11 and 100.14 per cent population in the age-group 11-14 by enrolment in classes I-V and VI-VIII during 1992-93 the Union Territory is much ahead of the national average in respect of Universalisation of Elementary Education. The position in respect of Girls enrolment is still more satisfactory as 96 per cent of girls in classes I-V and 85.7 per cent girls in classes VI-VIII were enrolled in the islands. Similarly the dropout rate is also much below the national rate as the dropout rate in the Islands is 16.13 in classes I-V and 37.18 in classes I-VIII as against the national dropout rate of 47.93 in classes I-V and 65.40 in classes I-VIII.

The position in respect of provision of adequately trained teaching staff alongwith women teachers is equally encouraging in these islands. The position in this regard compared with national average is reflected in the table, below :—

Classes	Percentage of woman teacher to total teacher	Percentage of trained teacher	Teacher-Pupil Ratio.
I — V	47.56 (27.4)	96.42 (87.26)	24
VI— VIII	43.48 (32.0)	98.68 (89.64)	18

*The figures in brackets is the All India figure.

2. SECONDARY EDUCATION :

10 + 2 pattern has been introduced at the Secondary stage in the islands. The Secondary and Senior Secondary Schools are affiliated to the Central Board of Secondary Education, Delhi. At present there are 29 Secondary Schools and 41 Senior Secondary School including the Kendriya Vidyalaya and Jawahar Navodaya Vidyalaya. The total enrolment at the Secondary and Senior Secondary Stage is 8653 and 3576 respectively. Like the elementary stage, the islands are better placed in comparison to the national average in respect to provision of teaching staff as the teacher pupil-ratio at Secondary and Senior Secondary Stage is 15 and 8 respectively. 100% teachers are at Secondary stage and 98.90 per cent teachers are at Senior Secondary stage.

3. VOCATIONALISATION OF EDUCATION :

At present vocational courses are introduced in three Senior Secondary Schools only, with courses in Fisheries, Office Management and Secretarial practice and Horticulture. A scheme for introduction of various vocational courses at the + 2 stage has been included in the Eighth Five Years Plan. Apprenticeship training for the vocational passouts are arranged in various departments under the Administration.

4. ADULT EDUCATION :

The islands are ahead of the national average in respect of literacy also. As per 1991 census figures the literacy rate in Andaman & Nicobar Islands is 73.02 per cent as against the literacy rate of 52.07 in the country. Although it is estimated that there are about 60,000 illiterates who are aged 7 & above as per 1991 Census, the number of illiterates in the 15-35 age-group is very negligible. Illiterates are mainly found among immigrant labourers who are floating from one place to another and imparting literacy to these people is often difficult.

5. TEXT-BOOKS :

Because of the multi-media of instructions followed in the schools and lack of capital intensive infrastructure required for book publishing industry in the islands the preparation, publication and distribution of text-books is one of the serious difficulties faced in the planning and management of educational activities in the Union Territory. At present the demand for text-books is met through procurement from the mainland as well as through negligible local production.

For the elementary stage, the preparation and publication of text-books is the responsibility of State Institute of Education. Some titles have been prepared by the S.I.E. with the help of N.C.E.R.T. Several NCERT titles have also been translated into regional languages and published. At the Secondary Stage the schools in the islands follow the syllabus of the CBSE, Delhi. For Hindi and English medium the NCERT titles are used for text-books, however for other mediums the text-books are procured from other states on the mainland and these are distributed through the sub-book depots functioning at various educational zones.

6. HIGHER EDUCATION :

For higher education there are two colleges in the Union Territory one at Port Blair and another at Car Nicobar. The college at Port Blair imparts higher education in Humanities Science & Commerce at Under-graduate level and Humanities at the Post Graduation Level. The college at Car Nicobar imparts education in Humanities stream only at Under Graduate Level. 1579 students are on roll in the colleges at Port Blair and 144 students in the College at Car Nicobar.

7. TECHNICAL EDUCATION :

Under Technical Education two Polytechnic and one ITI have been established. The first Polytechnic is having streams like Civil, Electrical and Mechanical with a total intake capacity of 90 students including 24 seats reserved for the students of Lakshadweep. A Computer Cell has been established in this Institute for One-and-Half Year Post Diploma Course. In the second Polytechnic facilities are available for Electronics and Electrical Communication, Hotel Management and Fisheries Technology.

8. PROBLEM AREAS AND THEIR POLICY IMPLICATIONS :

Huge expansion of educational facilities have taken place in the Union Territory after Independence. As a result, Andaman & Nicobar Islands have become one of the most advanced areas in the country in terms of enrolment in schools. However there are many problems and issues in the sphere of Planning & Management of Education in the Union Territory, some of which are summarised below :—

1. *Provision of Schooling Facilities* :

With 109.35 per cent of the children in the age-group 6-11 and 100.14 per cent in the age-group 11-14 enrolled in classes I-V and VI-VIII the Andaman & Nicobar Islands are much ahead of the national average in respect of the Universalisation of Elementary Education. However, despite this achievement in terms of enrolment, the islands are behind the national average in respect of the Universalisation of the accessibility to Elementary Education. Provision of accessibility by way of educational facilities within reasonable walking distance for every child at the Elementary Stage is the responsibility of the state. However, various geographic and demographic constraints peculiar to these islands have created difficulties in location and planning of educational facilities in the islands. As a result, large number of habitations in the islands were indentified as without schooling facilities within a walking distance at the time of 5th All India Education Survey. The difficulties in the way to provide schooling facilities within reasonable walking distance of every habitation are due to the following reasons —

(a) Majority of the habitations in the islands are small in size and sparsely located which makes it difficult to provide a viable School.

(b) Provision of a school by clustering of small size habitations is also difficult in some cases because of demographic heterogeneity.

(c) Absence of a firm data base population every Projection about population gets faulty due to influx of population from the mainland. In many cases habitations are unauthorised, but for the purposes of school mapping, it is considered as unserved habitation.

2. *Medium of Instruction*

In the Union Territory six languages are used as media of instruction (Hindi, English, Tamil, Telugu, Malayalam & Bengali). Some of the schools have four to five media of instructions under the same roof. The Non-Hindi students in the islands learn their mother tongue as First Language, English as Second Language and Hindi as Third Language. The introduction of multi-media of instruction has given rise to the problems such as multiplication of class/ sections and thereby excess demand for additional teachers, class rooms and teacher quarters, additional enrolment in each medium, non-availability of text-books and difficulties of school inspection and evaluation of teachers.

3. *Shortage of Teachers*

In spite of a very low pupil-teacher ratio, there is a shortage of certain categories of teachers in the islands. Besides the general shortage of Science & Mathematics teachers, a good number of posts reserved for the scheduled tribes are also lying vacant for want of local qualified tribal candidates.

4. *Shortage of Buildings* :

The introduction of multi-media leading to the increase in the requirement of classrooms and teachers has resulted in the shortage of classrooms and teachers quarters. At present the demand for additional classrooms and teacher quarters are 493 and 450 respectively.

5. *Non-Availability of Text-books* :

Dependence on Text Book procurred from various states in different media gives rise to many problems. Firstly, the procurement proress are inordinately delayed causing thereby delay in the supply of Text Books to the students.

SPEECH OF SHRI VINAYKUMAR P. USGAONKER, MINISTER FOR EDUCATION, GOA

I would like to take this opportunity to congratulate C.A.B E. Committee for the vigorous efforts in bringing about desirable changes in the system of Education. We have been receiving various reports and recommendations from the C.A.B.E. which are being looked into for implementation.

My predecessor while addressing a meeting on 5th and 6th May, 1992 has already briefed about the progress made in various fields of Education in Goa. Ours being a small State it is advantageous to implement the various recommendations of the C.A.B.E., M.H.R.D. and other Educational Bodies. As regards the agenda-points that are being discussed in the meeting today, I would like to place our views regarding the various agenda-points so far as my State is concerned.

Programme of Action of N.P.E. is presently being prepared which will be completed by end December and same will be sent to the C.A.B.E. in the month of January, 1994.

The report of the C.A.B.E. Committee on decentralised management of Education is under consideration of my Government. We have recently passed a Panchayat Raj Bill in the State Legislative Assembly and further process is under way. As soon as the Zilla Parishads are established, we have decided to consider decentralisation of the management of Education as per the recommendations of the C.A.B.E. Committee.

So far as reducing the academic burden on school children is concerned, we feel that some decisions will have to be taken very carefully considering the prevailing practices and the reaction of parents and teachers to the recommendations made in the report of the National Advisory Committee appointed by the Ministry of Human Resource Development. There is no doubt that certain amount of mental and physical burden on the school children can be cut down by adopting new ways in the teaching/learning process as well as bringing about change in the practice of evaluation at different levels. Our State will definitely consider important recommendations of the Advisory Committee for implementation from the next academic year.

Our State is of the opinion that a National Commission with statutory powers will be much beneficial and effective in the field of school textbook evaluation, considering that there is a general discontent regarding textbooks that are prescribed at various levels. So also there is a need for bringing about certain amount of uniformity in the textual material all over the country to enable easy migration of students as well as from the point of view of National integration and therefore I would like to recommend the suggestions made in the report to raise the status of the National Steering Committee on school textbook evaluation to a National Commission vested with statutory powers.

The Goa University is presently considering the Gnanam Committee Report and their views will be known to the Goa Government soon.

The Goa State is not having a legislative council and as such considering the representation of teachers on the legislative council is not possible. However, I would like to mention that there are quite a few teachers elected by the people on the Goa Legislative Assembly to take care of the interests of the teacher community.

On behalf of my Government I would like to thank all the dignitaries present today for giving a patient listening to my views.

SPEECH OF SHRI PHOOL CHAND MULLANA, EDUCATION MINISTER, HARYANA

Sir, I am grateful to you for this opportunity to express my views on some of the vital issues concerning us all in the field of education. Under the dynamic leadership of our Prime Minister, many significant steps have been taken by you to reform the system of education. Emphasis placed by our Prime Minister on proper development of our human rsources is apparent from his decision in the last meeting of the National Development Council to call a special session of the Council to consider the problems of education. I am sure that these new initiatives and innovative programmes will go a long way in ushering in a new era in the field of education. The Central Government has also come in a big way to offer financial assistance to the state Governments for all these programmes.

Coming to the specific items of agenda, I am happy to inform you that the State Programme of Action on new educational policy is under preparation and it is expected that we will be in a position to complete the draft by the end of this year. An exercise has already been started to ensure implementation of as many items as possible in the Annual Plan for the next year.

I am also glad to inform this House that we have taken special steps for bringing greater equality in favour of women. Education for girls in Haryana has been made free upto graduation level. Free supply of books, stationery and uniform in addition to scholarships is already being made to girls in elementary and secondary schools. We are now opening and up-grading only girls schools and expansion in higher education is also taking place largely in the area of girls education. Special incentives have been offered to gram panchayats to increase the enrolment, particularly the enrolment of girls. It is already showing encouraging results and enrolment of girls in 6—11 age group jumped up by more than 10 per centage point in 1992-93.

Teachers' training courses including orientation courses for teachers of higher education have been suitably re-structured and a capsule on gender sensitisation has been incorporated. We have recently held a conference of college principals in this connection, which was inaugurated by Hon'ble Chairman of University Grants Commission.

As regards decentralisation of management of education, though the State Government is in the process of formulating draft laws in the light of 72nd and 73rd amendment of the Constitution, instructions are being issued for the constitution of village level committees on education to evolve a participatory approach. In the case of Haryana, since all the teachers are State Govt. employees except for private schools, these village level committees have to be essentially of advisory and participatory in nature. We have to ensure some degree of accountability of teachers to the community they serve.

Sir, Yashpal Committee has made important recommendations regarding load of school bag. This load is not much in Govt. schools. It is largely in private schools that school bag load is very large for various commercial and academic reasons. We agree that no home work should be given at least in elementary schools. About 5-6 hour work in the school is good enough. We have launched an experimental project of having two shifts of 3 hours each in some of the selected primary schools, which do not have more than 3 class rooms and 3 teachers. However, we are not in favour of having a law to regulate education at pre-primary/nursery stage. Firstly, we do not have much of knowledge in this area and a lot of experimentation is required and secondly this problem relates to urban areas mainly. Educative process and experimentation will seem to be better alternative. Education Secretaries conference has righly pointed out the need for a larger debate on the issue.

Sir, I agree with the suggestion of raising the status of National Steering Committee on School Text Books Evaluation to a National Commission vested with the statutory powers. We have to ensure that core curriculum emphasises the values of humanism and National Integration and is not tinkered with and the educational system does not become a tool for fragmentation of society.

We share the concern of the Government of India and support the view that the Total Literacy Campaign should be made a success and the State Government should give this programme top priority. This programme is being implemented in 7 districts of the State. Two more districts will soon take up this programme. All the 16 districts will be covered under this programme before the end of the current Five

Year Plan. The State Government has set up a State Level High Powered Coordination Committee under the Chairmanship of H.E. the Governor of Haryana. The Committee reviews the progress of the implementation of this programme in its quarterly meetings. I would further suggest that post-literacy campaign needs to be given more attention. It should be taken up with more seriousness so as to ensure that the neo-literates do not relapse into illiteracy. For this, we should have mobile libraries and provision for continuing education facilities in the villages covered under TLC. Care has however to be taken in selecting voluntary agencies for assigning them the literacy work. There is also a need to have a system of continuous review of the implementation of this programme in the districts.

In the field of Higher Education we share the concern of the Soneri Committee and endorse the view that the maintenance of highest academic standards in the universities and colleges must be ensured. Universities need to be given autonomy simultaneously ensuring accountability. We must evolve a suitable mechanism of checks and balances so that the system becomes alive to the needs of public. We endorse the recommendations regarding quinquennial review, operationalisation of accreditation system, linking of assistance to performance, annual appraisal of University teacher and norms of financial behaviour etc.

It is necessary that academic courses are continuously re-structured and technologically revaluated and updated to accommodate explosion of knowledge and socio-economic organisational and behavioural changes. The frame-work of financial assistance should have an in-built incentive as also compulsion to make the courses more relevant to socio-economic necessities. I request that special studies should be made for a suitable system of financial assistance with these objectives.

Conferment of autonomy on colleges has significant problems and I wonder if we have created any model in the country for emulation by others. Similarly the question of designating one university for graduate examinations has serious financial implications which have to be faced. Even now examination fees constitute a significant source of income of the universities. I endorse the recommendation that a standing committee on implementation and monitoring mechanism should be set up to ensure the implementation of various recommendations.

Sir, I do not have much to say on the question of teachers' representation in legislative councils since we have no experience in this regard.

I must thank you again, Sir for bearing with me.

SPEECH OF SMT. NAGAMMA KESHAVAMUR THY, MINISTER OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION, KARNATAKA.

It gives me great pleasure to participate in this 49th meeting of the CABE. These meetings are an excellent forum for the exchange of ideas on education and also for learning through the experience of other States.

Karnataka has traditionally accorded high priority to education. Of particular significance and satisfaction is the fact that within the sector the State accords special consideration to primary education.

Over the last two decades, the School Education system in the State has expanded enormously. The number of children in classes 1—7 has increased from 28.35 lakhs to 74.78 lakhs. The net enrolment rate of the State is estimated to be around 77% for the age group 6—10 and 48% for the age group 11—13.

While these are no doubt impressive gains made in the field of education, the issues relating to retention of quality and equity continues to engage the State Government. The drop out rates are even today un-acceptably high. Recognising that enrolment in schools should not be taken as automatic and a one-time effort, the State Government has taken special measures to boost up enrolment and to enhance retention. To elaborate, a special enrolment drive was undertaken in the State during July, 1993. As many as 4.73 lakh children were either enrolled afresh or brought back to the school system during the intensive door to door drive with the slogan 'Retain kids in School'. We intend to conduct such enrolment drives every year with the help of the community and village education committees.

In order to ensure high retention and also to provide better quality schoools in the rural areas, the State Government has also introduced an entirely recast and innovative 'Akshaya Scheme'. The scheme endeavours to provide incentives to children to attend schools and also to make the school environment more attractive so as to ensure that the child enjoys going to school. Thus, as a part of the programme every child in classes 1 to 4 is given incentive to attend school regularly through distribution of free food, textbooks and uniforms. In keeping with the programme of Action, 1992, brought out by the Union Government, the scheme also make available resources for all-round development of the child. Akshaya makes provision for musical instruments, development of school play-fields and creation of school libraries. To inculcate a siprit of adventure and enable cultural exposure to school children, Akshaya also provides for excursions to places of cultural and educational interest. A sum of Rs. 67 crores has been provided by the State Government for the Scheme during the current year.

The State Government is fully committed to the ambitious but essential goal of Universal Elementary Education by the year 2000 AD. It has already resolved that by the end of VIII five year plan one teacher and one class-room for every class would be provided by the Government. Accordingly, a new programme of constructing 12,000 class-rooms annually during the remaining period of 8th five year plan has been taken up. Similarly it has been decided that 20,000 teachers would be recruited by the end of the 8th five year plan and steps have already been taken to recruit 5,000 teachers during the current year.

With the objective of improving the quality of rural schools, model schools have been established in each assembly constituency. These schools are to be provided with all essential infrastructural facilities. These facilities, it is intended, would be extended to other schools gradually. The State Government is also considering the possibility of inculcating cherished values of our society in these schools through specially developed curriculum in moral science.

The State Government is also laying emphasis on the all-round development of the school children. Physical education is being made integral part of the higher primary schools and it has been decided that schools having more than 4 teachers would have one teacher for physical education.

Special care is being taken by us to encourage schooling of girl students and students from backward sections of the society and scheduled caste and scheduled tribes. Thus, girl students are given free uniform and text books up to class 7 and are students belong to scheduled caste and tribes. The State Social Welfare Department has introduced a special scheme of incentives for girl students. For girls from rural areas attending 80% classes or more the State

Government provides Rs. 25/- per month for 10 months for students in class 5 to 7 and Rs. 50/- for students in classes 8—10.

Special efforts have been made in the recent past to expedite the recruitment of teachers. In future recruitments to primary schools, it has been proposed, 50% posts would be reserved for women. 15% weightage is also proposed to be given to rural candidates. Also, apart from the 4% overall reservation already available to the physically handicapped, the State Government has also taken a decision to fill up posts of music teachers in schools with qualified blind candidates only.

As far as the specific agenda items of today's meetings are concerned, I would like to mention that the State Government has already initiated action for the preparation of its programme of Action.

Regarding the CABE Committee report on Decentralised Management, Karnataka already has a well established Zilla Parishad set-up and is fully committed to Decentralised Management of Education. The State has Village Education Committees at the Panchayat level. District plans are formulated at the district level. I feel that each State should be allowed to determine its own pace towards the decentralisation. Also, a close inter-action between different state governments would be very useful particularly for the States who are venturing into this area for the first time.

As for as the Yashpal Committee report is concerned no one can perhaps disagree with the view that out school children are over-burdened. There is considerable merit in the recommendations made by the Committee. I am, however, personally of the view that the actual conditions of our schools vary so much from region to region and area to area that there cannot be one prescription for all schools in all the States. Therefore, there is need to take a look at some of the recommendations of the committee keeping in view schools and their actual conditions in the rural areas before introducing the innovations that have been suggested. I must however, add here that it is indeed a step in the right direction that we think seriously in terms of reducing the burden on the child, particularly at the primary level.

About the proposed National Commission with the statutory powers to evaluate textbooks, there is, I think, need for greater clarity and explication of the proposal. That textbook should be free of communal and sectarian biases as also gender bias and that they should not be exploited for political purposes is a un-expectionable idea. How we could ensure that textbooks are not manipulated and that interests of students and academic excellance are the only criteria for textbook preparation is to be more carefully examined.

The CABE Committee on teachers' representation in Legislative Councils has made some far reaching recommendations. The recommendations have no doubt been made after due consideration and after taking into account the utility of having had teachers' representation in Legislative Council in the past. The committee's recommendations I understand form only a part of a larger process of decision making on the issue and that further debate and consideration would be taken up in different forums of Government.

To some up, I would like to reiterate that Universal Elementary Education is a goal that is dear and important to the State Government of Karnataka. Various constraints not-withstanding, we intend to take all necessary steps towards this direction.

SPEECH OF SHRI M. NATARAJAN, ADVISOR TO GOVERNOR, MADHYA PRADESH

I am happy to attend this meeting of the Central Advisory Board of Education, which is the highest body in the country to advise Central and State Governments in all matters relating to Education. Based on the recommendations of this Board made in its meeting held in May, 1992, significant modifications were made in the National Policy on Education, 1986. Government of India followed this up with their revised Programme of Action (POA), and as per their advice, we in Madhya Pradesh are going ahead with the formulation of our own State-specific Programme of Action.

2. Pursuant to the POA, 1992, Government of India have revised and extended the main Centrally sponsored Schemes for the VIII Plan period. A new scheme for educationally backward minorities has also been introduced. In Madhya Pradesh, we have already adopted the revised pattern of the Non-formal Education Scheme with effect from 1-10-93, and will do our best to derive maximum benefit from the other schemes as well.

3. Launching of the District Primary Education Programme (DPEP) this year by the Central Government is a development of great significance. In Madhya Pradesh, we have drawn up quite comprehensive guidelines for district planning under DPEP, and Draft District Plans for 19 districts have already been pre-appraised by a Mission mounted by the Central Government. We are going ahead with constituting an autonomous Society to implement the programme District Plans for the 19 districts would also be revised in the light of the advice of the Pre-appraisal Mission. Meanwhile, I would request the Central Government to release first instalment of its DPEP assistance to us forthwith, so that planning and other start-up activities can be properly undertaken preparatory to full-scale launching of the programme from the next academic session.

4. I would like to remind the house that in the National Policy as revised in 1992, there is a specific statement of intention to set up a National Mission for achieving universal elementary education. While the DPEP is welcome, it cannot wholly be a substitute for the National Mission. I would therefore plead with the Central Government to move expeditiously to launch this mission, after holding detailed consultations with States.

5. I would like to report to this august body certain significant steps we have taken in Madhya Pradesh in the last one year in the area of school education, besides those already mentioned by me earlier in connection with DPEP :

(i) Efforts have been made to bring about greater co-ordination and convergence between ICDS and Primary Schools. A State-wide School Readiness Programme was started this year to make the Primary School more congenial to children joining class I. We are also trying to make Primary Education child-centered. In the coming year, these programmes will strike firm root and begin to yield results.

(ii) A State-wide programme of school health checkup is being implemented from this year to cover children of all stages of schools. About 1.25 crore school-children of the state would benefit from this programme.

(iii) Implementation of our scheme of free distribution of text books to primary school children belonging to weaker sections has been considerably streamlined this year, and the object of timely distribution has been substantially achieved.

(iv) Process to fill up about 17,300 vacant posts of Assistant Teachers and Teachers in the State is in progress. Also, rationalisation of teachers' postings has been effected to minimise the rural-urban imbalance.

(v) In five districts of the State, we are now implementing an innovative programme called 'Shikshak Samakhya' with help from Government of India and UNICEF. This programme aims at creating a system of continuous professional support to primary teachers so as to end their isolation, improve their professional skills and pride, and thereby improve quality of primary education. I am happy to report that teachers covered by the programme have responded to this initiative with a great deal of enthusiasm, and we hope to sustain and further build upon its tempo.

(vi) District Institutes of Education and Training set up with Central assistance are already operational in 44 of our 45 districts, and are being further strengthened. Attention is also being paid to utilisation of material supplied to schools under Operation Blackboard, as well as to streamline implementation of other Centrally-sponsored Schemes like Vocationalisation and Improvement of Science Education.

(vii) Madhya Pradesh has been the first State to attempt computerisation of Educational Statistics and Planning on a large scale. We are already doing this in 29 of our 45 districts, and hope to cover the whole State in the next two years.

(viii) A review of our Primary Education curriculum with a view to making it child-centered, attuned to Minimum Levels of Learning, and consistent with the spirit of Yash Pal Committee recommendations has commenced. This will be followed by a review of our text-books for the Primary stage.

(ix) Under the Programme of Total Literacy Campaign, 13 districts of the State have been taken up in full and another 10 districts partially. Proposals of another three districts are under the consideration of the National Literacy Mission Authority. Narsinghpur district of Madhya Pradesh was declared fully literate as early as in July, 1992.

6. In the field of Higher Education, we agree that greater decentralisation in the educational system will be conducive to better management. In fact, in Madhya Pradesh, several measures have been taken in this direction. Some Schools of Studies have been set up in a few Universities with reasonable autonomy in their functioning, with good results. Twenty five selected colleges have also been given autonomous status. Out of these, nineteen are Government Colleges and remaining six are private colleges. Some of the autonomous Government Colleges are doing extremely well. Job oriented courses have been started, admissions are given on the basis of entrance test, examinations are conducted by the Colleges themselves, and examination reforms have been introduced. While preparing the scheme of autonomous colleges, requirements and pattern of private colleges were kept in view but those of Government Colleges appear to have been over-looked. It is, therefore, desirable to have adequate flexibiilty in the pattern of autonomous colleges so that needs of Government Colleges are also melt. In Madhya Pradesh, functional autonomy has been given to government autonomous colleges with a view to adequately equip them for achieving the objectives set out in the scheme of autonomy. In our State, there are 412 Government Colleges which cater to the needs of about 80% of the students in Higher Education. We have a State level cadre of teachers in these colleges. Splitting them college-wise is a difficult task and also poses legal and related problems. Hence, while giving functional autonomy, though adequate safeguards have been provided, yet cadre has not been split. There are several other legal and related problems which need to be resolved before a large number of colleges are given autonomy as stipulated in the National Policy on Education and its Programme of Action. Our suggestion is that the scheme should be suitably modified so that we may convert more and more Government Colleges into autonomous colleges. Also, we strongly feel the need for a system of accountability, monitoring and corrective mechanisms for autonomous institutions and their faculty members.

7. In our State, Universities draw up their academic calendar before the commencement of the academic session and it is considered in the Co-ordination Committee comprising all Vice-Chancellors and presided over by the Chancellor. Annual reports of the Universities are laid on the table of the State Legislature in accordance with the provisions of M.P. Vishwavidyalaya Sanshodhan Adhiniyam, 1991. Madhya Pradesh Uchcha Shiksha Anudan Ayog has also been entrusted with the responsibility to improve the quality of Higher Education in the State.

8. We fell that no useful purpose would be served in Madhya Pradesh by splitting the office of Chancellor into those of Visitor and Chancellor. Decision on the recommendations regarding modification of the present role of the Chancellor should be left to the discretion of the State Government.

9. Regarding the main problems and shortcomings related to Research and Development in Higher Educational Institutions the concern has been expressed in POA that "most" of the effort is concentrated in few institutions and not spread over the entire system. This should be seen in the context of the need to promote R&D Culture in all institutions while at the same time selectively creating and supporting centres of excellence R&D undoubtedly needs to be pursued more vigorously. In Madhya Pradesh we are thinking of selecting one well-established Science College at every district headquarters, provide necessary facilities of research in it, and make these facilities available to researchers in the district. The Programme of Action

stipulates that for the promotion of Science Education, UGC would consider equipping at least one science college in every district of the country with modern laboratories. We suggest that State Goernments and UGC should jointly select and equip that college with modern laboratory equipment so that apart from imparting Science Education, Research and Development can also be promoted in these colleges.

10. We are very happy that the 73rd and 74th Constitutional amendments have come into effect which will have a far reaching impact in empowering people at the grassroots level, and ensuring their participation in the development process. We have studied the recommendations of the Committee set up by this Board under the Chairmanship of the Honourable Chief Minister of Karnataka. We are generally in agreement with them, though necessary enactments in our State will have to await constitution of the State Legislature. While on the subject of educational management, I would like to remind the House that our National Policy also envisages constitution of an Indian Education Service. Success of our various innovative schemes really hinges on improving our delivery system. Constitution of an All-India Service for Education is a long-overdue reform for strengthening educational management in the country, and though it is a complex task, I would request the Central and State Governments to attend to it with expedition.

11. In the end, I would like to convey my best wishes for the success of this Conference of the CABE.

SPEECH OF SHRI PRABHAKAR DHARKAR, MINISTER FOR HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION, MAHARASHTRA

From the point of view of Higher and Technical Education, I consider this meeting to be most timely. We are meeting in the context of a situation where millions of bright young students aspiring for higher education are dogged by uncertainties about their future due to a plethora of judicial pronouncements. While the Supreme Court Judgement in the Unnikrishnan case opened up several new avenues for many more students to receive Higher and Technical Education at affordable costs, there have been several review petitions against that Judgement, one of which has been decided as late as 7th October, 1993. The situation was made worse by the High Court's interpreting the Unnikrishnan Judgement in different ways and sometimes different benches of the same High Court giving different interpretations of the same Judgement and staying the entire admission process repeatedly. I am happy to say, that despite all these problems, we have been able to complete the admission process and teaching in the new classes has begun in right earnest. But I must hasten to add that I dread the prospect of having to go through the same agony next year again. Towards that end, I would like to suggest the following two steps :—

(1) While the Supreme Court Judgement has succeeded to some extent in curbing the commercialisation of Education, it has also ended up creating new inequities. I would, therefore suggest that a group be constituted by this meeting of the Central Advisory Board on Education to thrash out these problems and to come up with an agreed package within a specific time frame. The group should meet from day-to-day until the problem is resolved. The package can then be presented to the Honourable Supreme Court so as to ring the curtain down on the controversy once for all.

(2) There seems to be a need to limit Judicial intervention in the field of education in general and in the admissions process in particular. To-day, it is possible for any individual or group to file a Writ Petition and to get the entire admission process stalled jeopardising the future of lakhs of students. I would, therefore, suggest setting up of Admissions Tribunals or Education Tribunals on the lines of the Administrative Tribunals already set up by the Central and State Governments. This would require an amendment to the Constitution, the process for which may kindly be initiated and completed before the next academic year.

Sir, I am aware that we have gathered here today to discuss several issues of far reaching consequence and that we should not get bogged down with the immediate problems of the admissions.

So far as the Agenda Items are concerned, I am happy to state that in Maharashtra we are enacting a new Universities Act which incorporates most of the recommendations of the Gnanam Committee. We will also carefully study the report of the CABE Committee on these recommendations and will try to ensure that these recommendations are also reflected in the new Legislation to the extent possible. I have also carefully gone through the recommendations of the Groups of Education Secretaries on Higher, Technical and Vocational Education and I have no hesitation whatsoever in endorsing the same whole-heartedly. The Groups have indeed done a commendable job in a very short time.

Sir, while the platform is still with me,, I would like to make a few suggestions for consideration of this August Body which are as follows :—

(1) Given the constraints of public resources and the burgeoning demand for Higher and Technical Education we have to inevitably move towards making the beneficiaries pay the full costs of such education. As policy makers however, it is our duty to ensure that the costs are kept as low as possible. I would therefore, urge upon the authorities like the AICTE, the Medical Council of India, the Pharmacy Council of India, the UGC and all other such bodies to kindly see if it is possible to relax the present stiff norms for the requirements of space, equipment and teaching and non-teaching staff per student stipulated by them without compromising the quality. Similarly, they may also consider whether, it is absolutely necessary to have Medical, Architectural, Engineering, Pharmacy and other Courses of

such a long duration merely for a graduation degree. Efforts should be to make these students eligible for work as soon as possible and may be to enable them to come back if necessary after 3 to 4 years work experience. These suggestions if found acceptable would bring down the costs of education and would also make it more job-oriented. I am sure some way can be found if the Central Statutory Authorities increase their interaction with the State authorities operating at the State level.

(2) In the State we have conducted some studies regarding Vocationalisation of Education and we find that Vocational Education has failed in its objective of being terminal in nature. This study shows that most of the students look upon vocational courses as a means of securing higher percentage in the H.S.C. with a view to gaining access to professional colleges. On the contrary, as many as 70 to 80 per cent of the students passing out from the I.T.Is. are able to secure gainful employment. Since the purpose of education is essentially to equip students for gainful employment, I suggest that the available resources be applied towards opening more and more I.T.Is. particularly in the rural areas. The Director General of Employment and Training may also kindly see whether it is really necessary to have two years courses for such disciplines as refrigeration, watch repairing etc.

(3) Projects for modernisation and upgradation of Polytechnics and I.T.Is. are already under implementation in the country with World Bank assistance. I would request the Government of India to kindly initiate a dialogue with the World Bank for a similar upgradation of Engineering Colleges as well with a view to providing exposure to our Engineering undergraduates to the latest technological developments in their respective fields.

(4) There is a need to rationalise the system of UGC allocations to individual Universities. The present system of U.G.C. sanctioning plan schemes on a case to case basis and walking away after extending financial assistance only for the duration for one plan period is imposing a heavy financial burden on the States. Instead, certain parameters should be evolved with the consent of the State Governments for extending U.G.C. assistance to the Universities on durable basis.

Sir, the financial condition of the Universities should be a matter of special concern for this August house. An area of special concern is the neglect of doctoral and post-doctoral research in frontier areas both in Science and Technology as well as in the field of humanities. These areas, if neglected for long, can cost the nation heavily in the years to come. I suggest creation of a national endowment for this purpose by an appeal to trade and industry for liberal contributions.

I am grateful to the Honourable Union Minister for Human Resource Development for affording me this opportunity to express my views and to my colleagues from other States for hearing me patiently.

SPEECH OF SHRI SALIM ZAKARIA, MINISTER FOR SCHOOL EDUCATION, MAHARASHTRA

At the out-set, I would like to thank Hon'ble Shri Arjun Singhji and his colleagues for convening the 49th meeting of the Central Advisory Board of Education for considering and discussing the progress made by the States and Union territories regarding the implementation of Programme of Action and to consider the reports of the CABE Committees as per Agenda.

Before I give an account of the achievement of State Government in different fields of education, I consider it as my bounden duty to express deep sorrow and grief by way of condolence and as a mark of respect for those who have lost their lives in an unprecedented earthquake that rocked Latur and Osmanabad districts of our State on the fateful night of 30th September 1993.

The magnitude of the tragedy is such that no amount of consolation would pacify the sufferers. The State administration under the able guidance and dynamic leadership of our beloved Chief Minister has geared its machinery to meet this incredible challenge of rescue and relief operations. I am pained to state here that all the schools in the affected villages have been flattened on account of the severe shock that was received and need immediate reconstruction.

My State Government has kept Ministry of Human Resource Development informed about the progress made in the different areas of primary, secondary and higher secondary education from time to time by forwarding the reports. I would like to highlight only those areas which need particular attention of CABE.

Implementation of Programme of Action

Sir, you are aware that my State Government has appointed Task Force for preparing State Programme of Action. The Task Force which comprises of peoples' representatives, educationists, field officers and representatives of the local bodies, after taking into account all the practical aspects, has prepared the SPOA and submitted to the State Government for its consideration. The Task Force has recommended the SPOA for universalisation of elementary education, resources required for achieving this objective and the management structure required to cope up with these activities. Besides this, the Task Force has recommended many programmes for—

(i) remedying the problems of low enrolment, poor attendance and drop-outs, and

(ii) improving the quality of education, quality of teachers' training etc.

For implementation of SPOA, the Task Force has suggested some measures for mobilisation of resources. At the same time, it has recommended that the State Government will have to provide additional funds to achieve the said objectives within a time-frame. The Task Force has, therefore, recommended that the current level of expenditure on education be raised from 18 to 25 per cent.

As it is, of late the State Government has been facing acute financial stringency. I am afraid this is going to be further accentuated on account of huge amounts which are required to be diverted to the rescue and relief operations in the earthquake affected area. This certainly would affect adversely the implementation of SPOA in the State as other programmes. I would, therefore, request the Government of India to render substantial financial assistance either by way of grant-in-aid or help in any other form which Government of India may deem it fit.

Early Childhood Care and Education

Seeing the importance of this programme for universal enrolment, regular attendance and retention; the State Government has taken a policy decision to provide this facility of childhood education to all the villages in the State. My Department has taken up the programme of opening Balwadis attached to each primary schools in a phased manner. So far 21,941 Balwadis have been opened and this facility has been made available to the children in the age-group 2—5 in these villages. Proper co-ordination has been made with the Department controlling Anganwadis and such other pre-school centres. In the villages where Anganwadi is functioning, co-operation is extended in the form of guidance for the education component of this programme. Balwadis are opened only in those villages where Anganwadis are not functioning or where Anganwadis would not be opened in future as per the

plan. The SCERT is taking all the care of the academic need of the early childhood education. So far 4,000 Balwadi teachers have been trained by this Institute. It has developed a full set of teaching-learning material for this purpose. The State Government has also approved a six month's pre-service training course for the candidates desiring to work as Balwadi teachers.

It is our experience that by taking all these steps we are definitely getting a positive feed-back from this programme which helps us in our direction to achieve the desired goals.

Elementary Education

The Task force has recommended for the universalisation of elementary education in the State upto 2000 A.D. As per the existing norms, all the villages, wadis and bastis have been provided with the facility of primary education. Primary schools have been opened at places where there is a population of 200 and above and where there is no facility or primary education in the radius of 1.5 k.m. This norm has been relaxed by the State Government for the hilly and tribal areas and accordingly 156 places have been identified where the population is 100 or more and there is no faciilty of primary education in the radius of 1 km. These schools have been opened in this academic year.

All the single teacher schools in the State have been converted into multi-teacher schools. The single teacher schools covered under phase I, II and III of the Operation Blackboard have been provided with the educational aids and equipment from the grants received from Government of India. The utilisation of grant is 95 per cent. To supplement this programme, the State government provides teaching aids and equipment worth Rs. 500 to each such school.

Programmes for Universal Enrolment and Retention

The State Government has taken up various programmes to solve the problems of poor enrolment and drop-outs. Some of the important programmes are as under :—

(i) *Attendance Allowance.*—An attendance allowance of Re. 1 per day for all the school working days is paid to the girls belonging to the family below poverty line. We are implementing this scheme from our State funds since last two years and the expenditure has been around Rs. 10 to 12 crores every year. So far we are getting positive results from this scheme. It has a definite impact on the enrolment of girls and their retention. The State Government has decided to get this and similar such schemes evaluated by the external agency.

(ii) *Book Bank.*—Free books are supplied to the children belonging to SC/ST category and weaker sections. In addition to this facility, the State Government is implementing the scheme of supplying free uniforms and writing materials to the students belonging to SC/ST category.

Management of Education

The State Government has established Village Education Committees in all the villages, where 50 per cent of the members are women. All these committees have started functioning and regular guidance and supervision has become the common feature. SCERT is preparing a hand-book for training of village education committee members. A training programme is being chalked out.

The State Government has delegated the powers to these Village Education Committees for day to day supervision and monitoring of the primary education, early childhood education and adult education at village level. The Task Force has also recommended that some more powers be given to this vital management machinery at village level.

The Task Force has also recommended that separate bodies for the management, supervision, control and monitoring of education at district level and taluka level be established. These recommendations are under the consideration of the State Government.

Minimum Levels of Learning

Ensuring minimum standard and quality of education is also one of the problems being faced in the field of elementary education. SCERT has already prepared tests based on MLL for Stds. I and II. The tests for Stds. III and IV are under print. Handbooks for this purpose have also been prepared. A massive training programme for teachers has already been undertaken since last year. In short, now we are confident that in the near future we would be able to maintain a reasonable standard of elementary education.

Social Finance

Considering the importance of involvement of local community in any developmental activity especially education, the State Government has appealed to the people of the State to generously donate their resources for the development of education. In this direction, the State Government has initiated following two important programmes :—

(i) *Savitribai Phule Foster-Parent Scheme* :

Sir, Government of India is aware of this scheme, and has always encouraged us by appreciating our

efforts in this direction. Till today more than 1.60 lac girls have been covered under this programme who could continue their education.

(ii) *Shaikshanik Uthav* :

The local people help the schools in respect of physical facilities, teaching aid and such other minimum facilities required for the childern and efficient functioning of the school. The people donate either in cash or kind or for that matter put in labour. I am happy to state that there has been a very good response to this programme. The programme was launched in 1987-88 and so far Rs. 1899.45 lacs have been collected.

Social Safety Net (SSN) Project

Under this World Bank Project, five district viz., Aurangabad, Latur, Nanded, Osmanabad and Parbhani have been selected. The project reports of these districts have been prepared and are being finalised in consultation with the Government of India and World Bank Representatives.

Secondary Education

As per the Programme of Action, to ensure widening access to all the students at secondary education stage, especially girls and students belonging to disadvantaged sections of the society, the State Government has prepared a Master Plan keeping in view all these factors for the planned growth of secondary education in the State. The State Government has introduced some vocational subjects in the curriculum for upper primary classes and vocational and technical subjects at secondary and higher secondary stages of education. The scheme of Navodaya Vidyalayas is being implemented successfully in the State.

Teachers' Training

The existing scheme of in-service training to primary teachers is being modified to suit the revised syllabus and to implement the State Programme of Action. At secondary stage of education the teachers of English, Mathematics and Science are given intensive training in respect of subject content. As per the scheme of three-tier pay scales to primary and secondary teachers, the training programme have already been undertaken both for primary and secondary teachers.

Total Literacy Campaign

The TLC has already been completed successfully in the districts of Sindhudurg and Wardha with the active involvement of local people. The experience and response gained in these districts has motivated the State Government and the people in other districts to take up TLC in the remaining districts of the State. The State Government has already taken a policy decision to launch TLC in all the districts in a phased manner. At present, the TLC is in progress in the districts of Nanded, Latur, Aurangabad, Jalna, Parbhani, Pune, Ratnagiri and Sangli. The TLC has been successfully completed in the Districts of Nanded and Latur very recently. The result of external evaluation are encouraging. The TLC in Beed, Osmanabad and Bombay will be launched very shortly. The post literacy campaign has already been launched in the districts of Sindhudurg, Wardha, Nanded and Latur. The State Government has proposed to cover six more districts during 1993-94, and the remaining districts will be covered by the end of VIII Five Year Plan. The involvement of people in all the above districts is on a huge scale and the results indicate that the State Government would be achieving 100 per cent adult literacy as stipulated by Government of India.

I would like to submit my few suggestions for the consideration of this August House. I know there are financial constraints but as these suggestions are of very urgent nature therefore need top priority for consideration.

(1) At present, the pattern of primary and secondary education its organisation and functioning is the same throughout the State. The differences exists in way of life, in response to the local geographical and socio-economic conditions. The conditions in hilly and tribal areas are altogether different.

It is, therefore, our experience that the existing pattern of education, is not effective and to a greater extent does not suit to the local needs and the way of life of people in these areas. I therefore, suggest that the field workers and educationists may work out a suitable pattern of education for such areas. The residential schools scheme is the solution for this purpose. However, seeing the experience of the residential schools, it is suggested that in addition to the curricular activities, there is a need for introducing some practical training which will help children to learn and also to earn and assist their parents in earning their livelihood.

(2) Huge funds are required for the Universalisation of Elementary Education. The major portion of the funds is required for providing physical facilities i.e. school rooms for the primary schools of Zilla Parishads. There is a total need for constructing 65,000 school rooms in the State. Each room requires about Rs. 72,000. We have phased out this school room construction programme, as it is difficult for the State to provide funds for constructing all the

school rooms at one time. As this being the minimum need and the funds available with the State are not sufficient, it is very difficult for the State Government to provide funds for both—

(i) constructing the required number of rooms, and

(ii) repairing old school rooms.

Many of the school rooms are in a very dilapidated condition, therefore making them unsafe and not suitable for taking classes. There is, therefore, an urgent need of repairing these school rooms. I request Government of India to come forward and assist State Government. This being the minimum need.

(3) I would like to put forth two suggestions regarding the utility of media for educational purpose—

(a) At present different channels have been started by Doordarshan telecasting different programmes which are mostly of commercial nature. There can be no two opinions that the students form the major group of viewers. The programmes therefore telecast on Doordarshan have maximum effect on the student community which is, by nature, more vulnerable to the ideas depicted through such programmes. It is, therefore, suggested that Doordarshan may have a close scrutiny of these programmes analyse them and carry out studies as to what effects they have on the student community as a whole. The unwanted programmes may be discarded and some constructive programmes may be introduced.

(b) The Ministry of Information and Broadcasting may be requested to consider the longstanding demand for starting a separate channel for Educational Programmes. It is also possible for the Doordarshan to utilise such channels commercially to some extent by involving outstanding and renowed voluntary agencies and N.G.Os working in the field of education.

(4) Government of Maharashtra welcomes the scheme of "Education Complex for Girls" belonging to the primitive tribes.

The pattern of education proposed in the scheme is really useful as the same would be most practical for the education of girls in the tribal and hilly areas. The introduction of "work experience" in this scheme would be helpful to both the students and their parents. Considering the literacy rates among the women in tribal and hilly areas, I would suggest that this scheme may be extended to all the girls of all tribes and also the girls in hilly and inaccessible areas of the State.

(5) Government of India gives 50 per cent financial assistance for the construction of hostels to the State Government for the tribal students.

In most of the tribal and hilly areas, as on today, the facilities of communication are not adequate. In some of these areas such facilities do not exist at all. Most of the secondary schools in our State have the classes from Std. V to Std. X. It is difficult for the children belonging to lower classes to walk a distance of 5 kms. or more for attending schools. The facility of hostel therefore becomes pre-requisite for primary and secondary education in these areas. It is therefore, suggested that Government of India may consider this vital point and may extend financial assistance to voluntary agencies for construction of hostels for tribal and also for students from hilly and inaccessible areas. The Government of India may decide the pattern of financial assistance. A portion of which could be in the form of grant-in-aid and the rest could be interest-free loan.

(6) The State Government is implementing the scheme of Navodaya Vidyalaya successfully. With the exception of four districts, Navodaya Vidyalayas have been properly established in all other districts fulfilling the conditions as prescribed by Government of India, especially condition pertaining to the availability of minimum 25 acres of land—

(a) The State Government has already submitted proposals for establishing Navodaya Vidyalayas in the districts of Satara, Solapur, Akola and Pune. We are awaiting the approval of the Government of India. Government of India may consider and accord sanction to these proposals at the earliest possible.

(b) The main objective of the scheme of Navodaya Vidyalaya is to take care of and nurture the talents of deserving and bright students. At present, the medium of instruction in these schools is either Hindi or English. The regional language is not allowed as the medium of instruction. It is the accepted principle that at least primary

education should be given in the child's mother tongue, so that medium of instruction should not become a barrier in the process of learning. Since these schools have upper primary classes, I would suggest that a few Navodaya Vidyalayas with Marathi medium may be established.

I am sure, we would be able to arrive at pragmatic solutions to urgent problems that we are facing in different sectors of education. Experiences that we will be sharing with each other in this meeting will, I am sure, help all of us in gaining better insight into the nature of these problems, and finding appropriate solutions to them.

SPEECH OF DR. H. LAMIN, EDUCATION MINISTER, MEGHALAYA

It gives me great pleasure to associate myself with this august gathering. I am sure all of us have been looking forward to this meeting where we can share our experiences and jointly resolve to chalk out strategies for upgradation of the standard of education in our country as we prepare ourselves to meet the challenges of the 21st century.

The National Policy on Education as modified has undoubtedly brought in a fresh perspective to the education programme and human resource development. With the implementation of this New Policy of Education, we hope that our young people will be better equipped to meet the challenges of the times especially in the area of science and technology, not forgetting the need for National Integration and the preservation of human values.

2. I am happy to inform that as a State Government we have given serious thought to the National Policy on Education to chalk out strategies for implementation of the different programmes. The draft Programme of Action (POA) was prepared keeping the latest position of education development in the state in mind. The North East Regional workshop on Operationalising Programme of Action recently held in our state capital on 15th & 16th September 1993 has been a very useful exercise for our state in particular in order to finalise the state POA. We propose to take it to the cabinet for its aproval. However, this meeting will help us further to improve upon the draft state POA before it is finalised.

3. Ours is poor and backward state. Majority of our Children are first generation learners. 80% of the people are tribal and live in rural areas under a poor agrarian economy. The literacy rate is only 48% much below the national level. It is an indicator of the level of educational development in the State. Hence to catch up with the national mainstream, we shall have to step up our educational activities. As with other North-Eastern states, our villages and habitations are sparsely populated, hence the All India norms of setting up schools with 300 population or 1 km range may not be practical in our state. If we are to fulfil the constitutional obligation of providing schooling facilities to all children in the age-group 6-14 years, we shall have to devise a separate strategy for the hill areas and other sparsely populated region, like one school for population of 100. I would welcome suggestion from this august body for solution to the vexed problem experienced in our State.

4. The VI All India Education Survey is long overdue so that it correlates with the Eight Five Year Plan. However, it is not too late to organise such a survey so that the latest information are available at least for the mid-term plan appraisal. We would wish that the survey would help us in School planning and School mapping. The survey would go a long way to help the State in identifying the factors responsible for a heavy drop-out rate at the Primary and Upper primary level and the large number of untrained teachers.

5. The state is concerned over the low literacy rate. Hence we are making all out efforts to improve our position. Within the limited resources we have manovoured to provide schools and teachers in viable villages and habitations. We have also taken up the Adult Education programme for improving the Adult Literacy in the age group 15—35 years. The various aspects of the implementation of the National Literacy Mission have been considered. Though the state has got a number of voluntary agencies experienced in running formal schools and institutions, unfortunately very few of them have got experience in conducting mass programmes for functional literacy. Hence the choice for Adult Education in our state is between the total literacy campaign (TLC) and the Centre based approach. We therefore welcome the revised RFLP Centre based programme recently approved by the Government of India.

6. The Yashpal Committee on the load of School bags of School Children has brought out important findings. We appreciate the recommendations of the Committee and endorse their views. It may be mentioned that we have deliberately kept the school bag of our children lighter knowing the economic condition of our parents. This has helped in enrolling a larger number of our children who might otherwise have been out of school because of lack of school text books.

7. The process of vocationalisation has been initiated and basic facilities like provision of classroom and laboratories has been provided to a limited number of schools to begin with. The Meghalaya Board of School Education have been entrusted with the framing of the syllabi taking the guidelines given by the

NCERT and keeping in view the location-specific needs of the State. However we anticipate some problems in the implementation of the schemes since the State is lacking in qualified technical trainers in such courses. We therefore, look forward to the CABE meeting to help us in this area. We would suggest that an institute suitably located in the North-East to provide training to our vocational teachers will go a long way to boost up the implementation of this programme.

8. Permit me to share our experience on the decentralisation of education with special reference to primary education. Under the 6th Schedule to the constitution, the District Councils may conduct and manage primary education in the three autonomous areas of Khasi Hills, Garo Hills and Jaintia Hills. For almost three decades primary education and primary schools were run, managed and controlled by the three District Councils. The State's role is to proide fund for the purpose. However things did not go well—teachers do not receive their salary, funds are misdirected and schools went without teachers. In the early eighties almost all the Primary Schools were non functional and State Government had to intervene in order to open the schools and make the teachers teach. Three Commissions of enquiry headed by Ex-Chief Justice of High Court had been constituted and the conclusion arrived at was that the District Councils have failed to carry out their constitutional duties. Hence the State Government very reluctantly had to take over temporarily the administration from the District Councils for a period of six months at a time. This arrangement is continuing till today. Recently Government have decided to take over permanently Primary Education from the District Councils. It may be informed that the District Councils also have on their own decided to hand over the administration and control of Primary Education to the State Government in the interest of educational development in the District.

9. With these few words, I am sure this meeting of the Board would be able to arrive at lasting solutions to the Immediate problems we are facing, in different sectors of Education. I am also sure that the experience which we would be sharing in this meeting would help us in gaining better understanding of our problems and enable us to tackle them more effectively and efficiently on return to our respective States.

In conclusion I would like to thank the Chairman and his Colleagues in the Ministry for their genuine concern and support for the cause of development of Education in the country in general and in the State of Meghalaya in particular.

I wish the deliberations every success.

SPEECH OF SHRI I. IMKONG, MINISTER OF SCHOOL EDUCATION, YOUTH RESOURCES & SPORTS, NAGALAND

I am delighted to attend this 49th meeting of the Central Advisory Board of Education (CABE) and am grateful to Shri Arjun Singhji, Hon'ble Minister of Human Resource Development and Chairman, CABE for giving me this opportunity to express our views on various aspects of implementation of National Policy on Education (NPE) and Plan of Action (POA) and on CABE Committees reports related to different fields of Education and Management. The Constitutional amendment of 1976 to include Education in the concurrent list, formulation of National Policy on Education, 1986, preparation of plan of Action, regular review of implementation of policy decisions etc. have opened up many visits in the field of education. To realise the goal of 'Education for All', the National policy on Education calls upon the whole nation to pledge itself to eradication of illiteracy, particularly in 15–35 age group through involvement of all sections of society. The transfer of education to concurrent list and subsequent National Policy on Education kept the role and responsibility of States essentially unchanged. But it has put larger responsibility on Union Government, proper co-ordination and co-operation between the Union Government and States, I am sure, will go a long way to realise the goals outlined in National Policy on Education (NPE).

In Nagaland, after we attained Statehood, there was marked improvement in literacy. From a low literacy of 20.43 per cent in 1961 it reached as high as 61.30 per cent in 1991. There are 3,05,366 students out of total population of over 12 lakhs attending 1,358 Primary Schools, 357 Middle Schools and 189 High Schools in the State. About 10,000 are in 31 Colleges and NEHU. Nagas also attend schools and colleges outside the State. Thus about 38 per cent of our population is in schools and colleges. We spend about 13.8 per cent of our State budget on school education.

Our plan of Action is under preparation and will be ready shortly. However, I would like to briefly mention various achievements of State Government under new National Policy of Education and plan of Action.

The State is predominantly inhabited by tribal Nagas. They account for 87.7 per cent of the population. All efforts of the State are, therefore, for the benefit of Scheduled Tribe population. Education and employment opportunities in Nagaland are open to all irrespective of sex, religion and social status. Efforts are being made by State Government to bring the female literacy at par with male literacy by encouraging girls' education.

Within a population of 12,09,545 (1991 Census), Nagaland has 16 major tribes speaking different languages. English is the State language as well as medium of instruction in the educational institutions. The tribal languages are not developed uniformely. Some tribes like Angamis, Aos, Lothas and Semas have introduced languages upto Class X and beyond. Other tribes are yet to catch up. Language development of these minority groups needs to be taken up. This is an area where we invite the attention of Union Government to take note and help the State Government in development of indigenous tribal languages.

The Rural Functional Literacy Programme (RFLP) was started in Nagaland in 1978-79. The State Literacy Mission was launched in 1988. Wokha and Mokokchung districts were declared 100 per cent literate districts. Lack of reading materials for the neo-literates drag them back to illiteracy soon. The few Jana Shikshan Nilayams cannot serve the purpose due to obvious reasons like inter-village distance, non-availability of transport, traditional occupational habits of working in the field from dawn to dusk, language diversities, etc. There is no non-formal education scheme operated in Nagaland. In view of the peculiar location and need of the tribal and hilly villages, a composite Jana Shikshan Nilayam at each village converging focus on Universal Elementary Education (UEE), Non-Formal Education (NFF) and continuing education, perhaps will be more appropriate for achieving and retaining literacy and running the Non-Formal Education Centres. Reading materials in tribal languages is the urgent need of the State for retaining literacy of the neo-literates. With reintroduction of centre based programmes supported by facilities for continuing education, we are optimistic of achieving the goal of universal literacy by the turn of the century. For this we shall require Central assistance.

The State has achieved 100 per cent gross enrolment ratio in primary and 69 per cent in middle school stages. The variations of enrolment ratio between boys and girls enrolment are 10 per cent and 2 per

cent in primary and middle stages respectively. Low achievement at Middle school is mainly due to non-availability of Middle schools in the neighbourhood, inter-village distance and lack of hostel facilities. Primary schools in 28 blocks of the State are covered under operation Black Board. However, the facilities are required to be strengthened and extended to Middle schools as well. The Elementary Education Curriculum has been reframed in conformity with the National Core curriculum and as per NCERT guidelines. Aspects like Minimum Level of Learning (MLL), National Integration and Socio-Cultural values are also incorporated. The existing text books are being revised. There are 64 villages in the State without Primary schools. New habitations are coming up. Population is growing at an alarming rate of 5.7 per cent per year (1991 census). Extension of educational facilities in these areas is going to be our major challenge in the years to come. The village Education Committees were constituted in the line of the National Policy on Education to ensure community participation in management of Universal Elementary Education (UEE) and smooth administration of Primary Schools.

The Secondary Education in the State at classes IX and X are available in the High Schools while the +2 stage is facilitated in the P.U. classes in the degree colleges of the State under academic supervision of the NEHU. Four existing High Schools have been upgraded to Higher Secondary Schools this year both in Science and Arts streams. National curriculum has been adopted for the Higher Secondary schools. State Education Committee is also considering to allow more Government and Private Schools to introduce +2 classes from next academic year. Owing to industrial backwardness, poor infrastructural facilities, lack of employment potential and non-availability of manpower resources, the programme of vocationalisation at +2 stage of education could not be implemented fully in Nagaland.

Establishment of Navodaya Vidalayas need be expedited in the remote and underdeveloped States like Nagaland. The two Navodaya Vidalayas established so far have not been provided with physical infrastructure. The four new Navodaya Vidalayas proposed have not yet been established despite completion of formalities including inspection at site.

The post-graduate training of one year duration leading to B.Ed. Degree is provided by the only Institute—Nagaland College of Education with 75 intake capacity. There are to J.T.T.Is. earlier designed for training under-matric primary teachers. One such training institution is replaced by DIET and is functioning now. Three more DIETs are proposed and I hope that these will be approved within the current financial year. Thus, slowly the JTTIs will be replaced by DIETs and they will take care of training of teachers and non-formal education. SCERT will function as the apex institution for teachers' training curriculum and text book development.

The proposal for a National Commission on Text Books could perhaps be considered keeping in view the role and functions of the NCERT in respect of curriculum and text books. The spirit of concurrency provided by the Constitution should also be maintained.

Now, I would like to turn my attention to other Committee Reports listed in the Agenda.

Gnanam Committee Report :

In Nagaland, though we have fairly good infrastructures and man-power for school education, adequate facilities are not available for higher and technical education. Most of our students are required to go outside the State for higher and technical education. We have eight Government and 23 Private Colleges in the State apart from NEHU Campus. Recently, Union Government enacted legislation to establish Nagaland University which is a Central University to provide the educational needs of the people. Formal Notification is awaited. I am sure, it will grow well with blessings of Union Government. The recommendations made by the UGC Committee on 'Alternate Models of Management' under the Chairmanship of Prof. A. Gnanam are far reaching and if implemented properly likely to improve Educational standards of our Universities and colleges to a greater extent. We endorse the CABE Committee recommendations on Gnanam Committee Report.

Teacher's Representation in legislative Councils :

In Nagaland, we don't have legislative Council. We have no provision for teachers to represent in many local bodies or Legislative Council. However, our Constitution provides for a special position to the teachers in those States having Legislative Councils. It is discriminatory among the professional groups when only teachers are given this privilege. If this policy is continued, other groups like Doctors, Lawyers, Journalists etc. may also demand such privilege in future. Among the teachers also it is discriminatory as only secondary teachers are given this special treatment. It also leads to politicisation of teachers' profession. We, therefore, agree with the recommendations of the CABE Committee to discontinue teachers representation in legislative Councils and strongly

recommend for amending the Article 171 (3) (c) of the Constitution to abolish the teacher's constituencies altogether.

Decentralised Management of Education

Here I would like to congratulate the Union Government for having made provisions to give power to people by bringing out seventy-third and Seventy-fourth Constitutional Amendments. Unfortunately, these amendments are not applicable to the State of Nagaland due to low population. However, we have one tier system at village level functioning from age old days. A unique institution of Village Development Boards (VDBs) was formulated in early 80's in the State to undertake planning and execution of developmental works under the supervision of Village Councils. We are considering to delegate some powers to Village Councils and VDBs to look after primary schools. Therefore, we are in agreement with recommendations made by CABE Committee on Decentralised Management of Education.

Yashpal Committee Report on load of School Bag

We are in general agreement with recommendations to reduce the academic burden of students in schools especially in the formative years. All will agree that the burden of memorising, carrying a heavy school bag which is beyond the capacity of students and heavy home work culture being practiced in all Government and Private Schools needs to be reduced. As suggested by Yashpal Committee, joyful learning needs to be encouraged by developing proper curriculum and text books by involving teachers more in the preparation of curriculum and text books. However, the suggestion for keeping text-books in the schools by turn may not be possible and this recommendation needs review.

We have not received reports of CABE Committee on Sports & Physical Education and Distance Education. However, I would like to briefly mention about youth in Nagaland. Due to limited employment facilities available, we are not able to employ all the youth gainfully. We have problems of school drop outs, drug addicts, AIDs etc. Many of our youth are attracted towards insurgency groups. To wean away the youth from all these social evils we have created a new Department of Youth Resources and formulated new schemes for each targeted group. Under this Department a Directory of youth is being prepared to enable a proper check and distribution of assistance to educated unemployed youth. A placement bureau is also on the anvil to guide and to provide proper counselling to the youth. A number of schemes are also being proposed to invest on infrastructures for sporting activities in the State. With the generous assistance from the Union Government, we hope to run these schemes effectively to ameliorate the problems of the youth.

With these words, I once again thank the Chairman and all members present here for giving me the opportunity to express our views on the various points listed in the agenda.

SPEECH OF SHRI P. C. GHADEI, MINISTER OF SCHOOL & MASS EDUCATION, ORISSA

It is a privilege for me to be able to put forth my views in this august group. I would briefly react to the different points of agenda.

1. *Operationalisation of POA*

The State Government considers implementation of POA a priority objective. The State POA has been drafted and only the financial projections remain to be finalised. In Orissa, a State level working group was formed and it had as members, eminent educationists, representatives of teachers and senior Officers associated with policy formulation and programme implementation. However, Orissa is an educationally backward State, with a high tribal population and high drop out rates. Implementation of POA needs considerable financial outlay as Orissa's chief problem is that of access. There are thousand of unserved habitats where basic education facility needs to be provided. Government of India must give more budgetary support to a backward State like Orissa. Otherwise, the entire exercise of POA formulation will remain futile. State POA is going to be put up before the Cabinet for approval as a mark of the State's intent for its implementation.

2. *The CABE Committee Report on Decentralised Management of Education.*

I was a member of the Committee of CABE which deliberated on this issue. The report has given a wide range of powers to the Panchayati Raj Institutions (PRIs). But the question is, are the PRIs capable or mature enough to handle the responsibilities ? It is true that the accountability of the teachers to the village community needs to be established by strengthening the Village Education Committees (VECs), by encouraging decentralised planning and ensuring steady flow of funds to the PRIs for management of education. But in a State like Orissa, the steps should be gradual and careful in the initial years. While Primary, Non-Formal and Adult Education can be managed by the Panchayati Raj Bodies at the district level, greater decentralisation should wait for the system to become more mature. In the past, Government of Orissa had given powers to urban local bodies in educational management. The experience was so bitter that the steps had to be withdrawn. Academic supervision by PRIs is a very sensitive issue. I understand that Teachers' Federations all over the country may resist any attempt to take academic supervision away from the departments of education to the PRIs.

3. *Yashpal Committee Report*

It is a brilliant, useful report. It has covered a very wide range in its analysis of the problems in the present systems of education and will generate a nation-wide debate on curriculum reform, examination reform and on the need to make the teaching-learning process child-centered. The report has been translated in Oriya and will soon be printed for wide circulation. However, the Committee has not kept in mind the infrastructural constraints being faced by the schools in the rural and outlying tribal areas where lack of infrastructure would prevent even a small step like making textbooks the school property. The total lack of learning environment at home needs to be enlivened by some degree of home-based activity by the child and total abolition of home work will not be desirable.

The crux of the entire problem is that the materialist and competitive ethos of the society has relegated the child to the most unimportant corner in the framework of learning. Unless the parents and teachers, the community and the resource institutions come together to attribute a qualitatively different significance to the entire process of education, it is unrealistic to expect a change in the scenario. One can observe that the Yashpal Committee recommendations do not suggest a viable mechanism which will evolve a way out of this complex problem. In a way it leaves this complex task mostly to administrative will or the space to the given to voluntary efforts by the former.

Finally, the most crucial step for reducing the child's load is to cut the syllabus down. Efforts towards this are already on in Orissa. We will ensure that the report receives wide attention within the state.

I thank you once again for the opportunity given to me to voice my concern on the different issues crucial to education and its management.

SPEECH OF MINISTER HIGHER EDUCATION, ORISSA

AUTONOMY (page 2 para 5)

In a democratic policy no public institutions or instrumentality of the State can enjoy absolute autonomy. Instances are not rare when Chancellors have found it necessary to issue directions *to Universities to set-right distortion and to correct illegality and financial irregularity. There have also been instances where some of the Universities and University Bodies have tended to dilute standards of education or to take academic decisions on non-academic considerations. Since most Universities, will not be able to mobilise resources for management of the Universities for a long time to come, the Universities will be largely dependant on Government grants for which the Government would have to obtain appropriation of the legislature.* The Government would, therefore, be answerable to the legislature for the grants made in favour of the Universities. The Universities would, therefore, have to be answerable to the Government at least to the extent that it receives grants from the Government. Similarly, the Universities cannot enjoy absolute autonomy in the field of internal administration. The rule of law requires that the internal administration must be conducted in accordance with the statutes of the Universities and where Universities act in a manner inconsistent with the provisions of the statute, the Chancellor must have powers to intervene and to correct the illegalities or irregularities.

In other words, the academic autonomy of an University must be subject to the overall supervision and control of the Chancellor and the University Grants Commission. This safeguard is necessary to ensure that standards are maintained and to prevent dilution or subversion of an academic objectives for extraneous reasons. Secondly, the Universities have to be answerable to the Government in regard to the manner in which the grants received from the Government are utilised. Utilisation of such grants must be in accordance with the terms and conditions subject to which and the purposes for which the grants have been made. Thirdly, the autonomy of the Universities a matter of internal administration must be subject to the condition that the internal administration is carried out in accordance with the statutes of the Universities and that wherever deviations are made authority must be vested in the Chancellor to issue directions necessary for correcting the illegalities or irregularities.

PARTICIPATION OF THE STAFF OF UNIVERSITIES IN ELECTIONS

(Page 4. para-11)

While the Gnanam Committee has recommended that the teaching and non-teaching staff of the Universities and Colleges may be permitted to contest elections to the Parliament, the State Legislature or any Local Bodies provided that they proceed on extraordinary leave with effect from the date of filing nomination, the Soneri Committee has made no specific recommendation on this important issue. Acceptance of the recommendation of the Gnanam Committee would have far reaching consequences. If teachers and the non-teaching staff of Universities and Colleges are permitted to participate in elections, there would be no logical reason for denying similar facilities to members of other public services. A person desirous of participating in electoral politics would have to nurture his constituency well before the nominations are filed and to the extent that he would have to devote sometime for furthering his political interests, academic pursuits would suffer. In the circumstances prevailing in this country such a step would not be desirable.

DECENTRALISATION (Page 5 paragraph 13 and 14)

While in principle there can be no objection to decentralisation of the administration of the university affairs and delegation of more powers to the Deans and Heads, it is essential the delegation must be coupled with accountability and accountability must be with reference to pre-determined objectives and programmes. Structuring of universities into schools, each school representing a number of organically linked disciplines is a step in a right direction and deserves to be supported. It may, however, take sometime to reorganise the universities in this fashion on account of paucity of funds. It would be helpful if UGC provides financial assistance to the Universities for restructuring of the universities.

It has been recommended that the universities should be gradually divested of the responsibility of regulating courses, conducting examinations and awarding degrees. While this could be the ultimatum objective, in the prevailing situation the system of affiliating colleges has to continue for a long time. Over the last several decades a large number of substandard colleges ill equipped both in terms of academic infra-

structure as also in terms of quality of teachers have come into existence largely on account of pressures for expansion of higher education. It has been possible to maintain some semblence of standard in such colleges because the curriculum is prescribed by the universities and examinations for award of degrees are conducted by the universities. If this control is withdrawn, it can only lead to severe dilution in standards resulting in wastage and frustration. The system of affiliated colleges has therefore to continue till such time that majority of such colleges have been helped attain a minimum threshold level of academic standards.

Accreditation of colleges would not help in a situation where a very large number of colleges may be found to be not qualified for accreditation. Having one examining university in each state may not also be practicable as one of the reasons which had prompted establishment of more affiliating universities was the need to decentralise the examination and affiliation work of the universities. One viable alternative, however, might be to completely segragate the examination and affiliation work of the university from the teaching, research and extension work and to put the examination and affiliation work under the exclusive charge of a Pro Vice-Chancellor.

AUTONOMOUS COLLEGES (Page 7, Para 17)

While it is undoubtedly desirable that more and more colleges should be helped to qualify for conferment of autonomous status, experience with the functioning of autonomous colleges in our State suggest that conferment of such status without insisting on fulfilment of the minimum requirements would be counter productive. It is of importance that the system should not be allowed to be discredited by allowing a large number of undeserving institutions to enjoy autonomous status. Availability of certain minimum infrastructural facilities including libraries and laboratories and teacher competence are essential perequisites for autonomous colleges. Unfortunately, these preconditions are not satisfied by most colleges and as such any rapid expansion in the number of autonomous colleges would be undesirable and counter productive.

Autonomous colleges were expected to promote academic and curriculum innovation and excellence. These expectations have largely remain unfilled. One of the reasons for the unfulfilled expectation is lack of fund for carrying out necessary innovations. The additional funds provided by the UGC to the autonomous colleges are not even sufficient to meet the cost of conducting examinations. Majority of the teachers who are drawn from the conventional university system, have tended to adhere to streo typed syllabus partly on account of inertia and partly on account of lack of facilities. There has been little opportunity for teachers to keep abreast with the latest developments in their respective fields of study. Libraries are rarely up to date and most colleges are even unable to subscribe to journals. In the result the teachers are not even in a position of undertake corricular change. Consequently, the old universities curriculum continues with marginal modifications here and there.

Common cadre teachers both in Government and non-government institutions has also created problems for proper management of autonomous colleges. Attempts to constitute a core group for each autonomous college has also run into difficulties because of objection of a number of teachers to such a proposal.

Autonomous status should only be conferred when the following conditions are satisfied :

(a) The college has adequate academic infrastructure or adequate funds can be provided to that institution for removing such infrastructural deficiencies within a short period.

(b) The faculty is in a position to introduce academic and curricular innovations and to promote excellence and has prepared a definite programme for the purpose which has been revised and found acceptable.

(c) The deficiencies in the faculty have been evaluated and appropriate measures have been taken to up date of knowledge and skills of the teachers or to provide teachers with the requisite skills.

ACCOUNTABILITY (Page 8 para 20)

The recommendations of the Gnanam Committee with regard to accountability of teachers at different levels to the Vice-Chancellor and to the various university bodies which has been endorsed by the Soneri Committee are sound in principle. It is, however, necessary to spell out the means through which the accountability must be enforced and the consequences that must follow on failure to do so.

STATE COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION

While in principle the recommendations relation to establishment of State Councils are unexceptionable, it has not been possible for the State Government to set up such a Council on account of constraint of resources. No useful purpose would be served by merely setting up a Council without the means to implement its recommendations.

FUNDS (Page 30 Para 29)

Gross inadequacy of funds to meet even the minimum maintenance costs of the system of Higher Education has resulted in a critical situation. With nearly 95% of the budgeted resources being absorbed by salaries, developmental needs have largely remained unattended to. Whatever additional funds were available for the education sector, have mostly been allocated for elementary education and literacy campaigns because of the over riding priority assigned to these programmes. The result has been that Higher Education has suffered continual degradation. A stage has been reached when no further degradation can be suffered. It is necessary that an institutional mechanism should be evolved to determine the minimum needs of the higher education sector and the Planning Commission and also the State Planning Department must ensure allocation of adequate resources are for meeting the minimum status.

Colleges in educationally underdeveloped States need particular attention. Educationally backward states are also economically underdeveloped. Adequate local resources would not be forthcoming in such states for supporting and developing the colleges which have been established in these States and particularly in the backward regions of such States. The scope for universities established in such states to mobilise resources from industry and trade is also limited. The head offices of major industries are located in other States. Consequently industry and trade is more likely to support the universities in the states where their head offices are located. Unless the UGC develops a scheme for compansating the universities in educationally backward states, such universities would continue to suffer from financial difficulties constraints. UGC most consider the special needs of such states while formulating schemes for providing assistance to Universities.

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (Page 40, para 80)

The University Grants Commission should assume and have greater responsibility and involvement in the development of higher education in the educationally and economically backward States. Special scheme should be prepared for assisting colleges in backward regions of such stages on liberal terms. Unless substantial assistance is forthcoming from the UGC, the colleges in backward areas would remain trapped in a various circle of economic backwardness and education backwardness. The UGC should also consider developing atleast one college in educationally backward and tribal districts as model colleges so that students of such areas have access to quality education. In this context, it is also necessary to reconsider the stipulation that UGC assistance will only be available to such colleges as have received permanent affiliation. Many colleges have not received permanent affiliation because of infrastructural and academic deficiencies. Because of economic reasons the local community is not in a position to mobilise adequate resources to remove such deficiencies. If in such circumstances, the UGC assistance is also denied to them such colleges would remain in a permanent state of underdevelopment. It is suggested that UGC may consider amending this procedure so that college which has not received permanent affiliation but has received temporary affiliation for a continuous period of 5 years is also made eligible for UGC assistance. The assistance of UGC to such colleges is unlikely to go waste as a college which has continuously functioned for five years or more is hardly expected to close down.

It is necessary that UGC should evaluate the academic standard of each university facultywise and ensure that there a reasonable parity in standard as between different universities. The UGC could think of a scheme for deputing teachers for periods upto three years for removing deficiency in the faculty.

VISITORS/CHANCELLOR (Para 51, 52 and 53)

It is not necessary every university should have a Visitor also a Chancellor. So far as the State universities are concerned the governor should continue to be the Chancellor. The high office of the Governor and the constitutional position that he enjoys would be of considerable assistance to the universities.

C. P. MAJHI,
Minister Hr. Edu. Orissa

SPEECH OF S. LAKHMIR SINGH RANDHAWA, MINISTER OF EDUCATION, PUNJAB

I would like to congratulate the Ministry of Human Resources Development on the speed with which the groups comprising Education Secretaries and Directors of Education have completed their work, which forms the agenda for today's meeting. It is really praiseworthy.

2. The National Policy on Education, 1986 ushered in a new era in the field of education, which is marked by close co-operation between Government of India and the State Governments and launched many new initiatives and innovative schemes in various sectors of education. The experiences of the last six years have, by and large validated the directions and strategies outlined in the N.P.E. 1986 and Revised Programme of Action 1992. However, there have been some lags and some shortfalls. The time has come now to take stock of what Progress has been made, what difficulties are being encountered and where and what mid course corrections are necessary. It is this task that this August Meet must examine.

3. While I address myself to specific agenda of this meeting, I would also take the opportunity to review the progress made by Punjab in those areas. Let me start with :

Primary Education

4. The State has achieved an enrolment target of 97% with a view to achieve the aim of elementary education for all. All Villages which have more than 50 children have been provided with Primary Schools, which are 12464 in number. No child has to walk more than one kilometer to reach a Primary School. To encourage the students of weaker sections of society and to check drop out rate, the State Government has provided scholarship of Rs. 30/- P.M. for girl students of Vimukat Jatis. On this, more than Rs. 12 crores are spent every year as payment of scholarship upto primary level. Under Operation Blackboard, the first two phases are under advance implementation which will be completed before 31st March, 1994. But there is necessity to continue with the Operation Blackboard to convert all the schools in the State into three teacher and three room schools. With a view to achieve this target, it is imperative that Union Government should provide adequate funds on yearly basis for the betterment of primary educational standards.

Minorities Education

5. Chapter Third of Programme of Action 1992, inter-alia provides for the formulation of an area intensive programme for development of educationally backward minorities. Accordingly, the State Government has made provision of teaching of Urdu in Malerkotla and Quadian, which are the areas of concentration of educationally backward minorities and which do not have adequate provision for teaching of 'Urdu', as the medium of instruction of secondary, Senior Secondary and Higher Education. Government have also encouraged the establishing of new Primary and Middle Schools, where such a need is felt.

Vocational Education

6. The State Government has introduced Vocationalisation of Secondary Education at the Senior Secondary level w.e.f. 1988 to impart employable skills so as to divert students to the world of work and to make the +2 stage, a usefully terminal one, so that the pressure on the Higher Education system could be reduced. For this purpose a Survey has been made to identify the areas having sufficient job potential for students. Vocational Education has already been introduced in 295 senior secondary schools. To make this work more participatory and relevant to present day needs, the Government has decided to establish 'State Level Experts Committee' on Vocational Education to minor and evaluate the programme. A decision has also been taken up to start Pre-Vocational Courses at secondary level in 50 schools of the State. Similarly we are even introducing vocational courses at college level. Health related Vocational courses and courses based on Agro industry, are being emphasised. Arrangements have been made for training of Vocational Teachers in 13 Training Institutions of the State. Syllabi for new courses and their books are being prepared.

Adult Literacy

7. In the State, there is no problem of Non-Formal Education. However, the State Government is facing the problem of 'Adult Illiteracy'. With the help of Voluntary Agencies, such as Bharat Gyan Vigyan Samiti, hundred percent literacy has been achieved in seven blocks. A scheme has been prepared under TLC to start mass movement in Hoshiarpur District in 1994. This would be useful exercise in achieving

universalisation of elementary education and boosting of Mass Literacy movement. Where the TLC's have been successful, Post-Literacy Programmes would need to be developed and implemented.

Decentralised Management of Education

8. The recent amendments in the constitution, which are aimed at strengthening administration at the district, village and municipal levels, would enable entrustment of function of education to Panchayati Raj and urban bodies. I may add that the Village Level Committees and Parent Teacher Associations have already been established in the State to ensure participatory management of educational Institutions. The teachers are to be held accountable to the community which they serve. Therefore, the decentralised structure is the need of the present time, especially at the Primary Education level. However, the experience gained in this respect by different States has to be kept in the background, while evolving new implementation strategies. Teachers as a class, are highly unionised and politicised and their likely reaction to these changes cannot be overlooked. Similarly, we cannot be oblivious to the financial and administrative limitations of these bodies. The State Legislature would soon be considering all the above aspects and we are sure, an acceptable arrangement to all concerned would be evolved.

Yashpal Committee on load of School Bag

9. The State Government feels that there is a considerable load of school bag on curriculum particularly at Primary School And Upper Primary School Levels. It should be reduced. For this purpose, the process of curriculum framing and preparation of text books needs to be decentralised so as to increase teachers involvement in these tasks and schools should be encouraged to innovate all aspects of curriculum, including choice of text-books and other materials. Besides the above process, appropriate legislative and administrative measures to regulate, opening and functioning of schools and revision of text books at Pre-Primary stage should be taken up. To begin with, text books should be made available by the schools to children on rotation basis and the home work in primary classes should be abolished.

Evaluation of School Text Books

10. I may inform, sir, that in my State no non-Governmental institution has been recognised, which has a separate curricula having contents contrary to the national interest. A State Review Committee has examined the syllabi, curricula and the text books prescribed by the Punjab School Education Board and modified the learning package according to the guidelines provided by the Central Government.

State Programme of Action

The National Programme of Action (POA) 1992 envisages preparation of State Plan of Action taking into account situational and institutional imperatives. The State Government is seized of the matter and considering to set up the working groups for the preparation of State POA, so that the practical POA is evolved through participatory process.

Soneri Committee Report

The State Government is generally in agreement with the Soneri Committee, which has examined the recommendations made earlier by the Gyanam Committee. We would encourage our universities to make as many colleges as possible autonomous and also to introduce Performance Evaluation for teachers. There is, however, every justification for the visitor to abide by the advice of State Cabinet in certain important matters. For meeting the present day needs of employment and the much needed rural development, UGC must make need-based funds available to Rural Colleges and for introducing Vocational subjects in all institutions of Higher Education. This is obviously the need of the hour.

Teachers Representation in Legislative Councils

Punjab, at present, has no legislative council. We are, however, in agreement with the view that there is no need for separate representation for teachers in such bodies.

In the end, I would like to express my gratitude to the Chairman, for giving me an opportunity for placing before this August House my views on the issues raised in this C.A.B.E. Meeting. I assure you, sir, that our State will work in collaboration with the Ministry to implement the National Policy on Education and the Programme of Action 1992.

SPEECH OF SRI A. GANDHIRAJ, MINISTER OF EDUCATION, PONDICHERRY

1. I heartily thank Hon'ble Union Minister of Human Resource Development, Thiru Arjun Singhji for his commitment to the cause of education in aiming at the development of human potential of our country. I assure you, Sir, that this national endeavour will go a long way in the realisation of constitutional goals of equality, liberty and fraternity among all Indians.

2. The Union Territory of Pondicherry is a pioneer in the implementation of different components of national policy of education in making them a reality in letter and spirit.

3. On this occasion, I am proud to inform that our Union Territory is the first among all the Union Territories in our country to achieve total literacy under Total Literacy Campaign of National Literacy Mission with total community involvement of the people of Pondicherry.

4. We have also been honoured with the UNESCO's KING SEZONG LITERACY AWARD for this meticulous and ceaseless efforts towards the achievement of total literacy. Now, we are in the second phase of Post-literacy Campaign and I assure you all that our Territory will continue to be a pioneer in this Post-literacy Campaign also.

5. This administration is at present engaged in the task of preparing the Draft Programme of Action (POA), in consultation with all the sectors of the population, for this Union Territory, based on the guidelines of Government of India and the National Programme of Action. The final draft of Programme of Action for the Union Territory of Pondicherry will be finalised by December, 1993.

6. While the formulation of a Programme of Action is underway, the Government of Pondicherry has already taken many initiatives under each Action Point of Programme of Action in strengthening of efficiency of the system and the enhancement of the standard.

7. This Union Territory ensures that women should have their rightful share in all educational programmes and activities. At present this administration runs 49 institutions exclusively for girls (in addition to co-education institutions) from Primary to Higher Education. Special support services in the form of scholarships, awards and prizes and incentives are also provided. Out of the 49 institutions, 6 Higher Secondary Schools offer vocational courses, one Industrial Training Institute and one Polytechnic have been established exclusively for girls, ensuring an easy access to Vocational and Technical Education. The share of women teachers in this administration works out to 43.5%, 39.2%, 44.44% and 42.8% in Primary, Middle, High and Higher Secondary Schools respectively. The above situation is an evidence that the access to education and empowerment of women in this Union Territory is favourable for their participation in all the educational programmes.

8. The administration of this Union Territory is also committed for ensuring equal educational opportunities to the following vulnerable sections of the society, namely scheduled castes, other backward classes, physically handicapped and minorities. The Education Department works in collaboration with the Department of Social Welfare and the Adi Dravida Welfare Department Different support services like free supply of uniforms, text-books, stationeries, footwear and scholarships, tutorial facilities, hostels, incentives and financial assistance, opportunity cost to parents of girl children, free mid-day meals are provided. Service Homes, Special Schools and Vocational Training Centres are also run in this administration for putting them in the educational ladder. This Union Territory is multilingual as it is spread out in three adjacent States following Tamil, Malayalam and Telugu. A separate Directorate of Art and Culture takes care to protect and promote the culture and languages of this Territory. The different regions enjoy the right of using their languages as the medium of instruction. A separate Grant-in-aid Code is also available in this Administration for recognition of institutions including the institutions administered by the minorities. In Karaikal region, there is an Arabic School run by Muslim Educational Society.

9. In respect of Non-formal Education Programme the programme was launched in 1987. There were 35 centres in Pondicherry, 7 in Karaikal and one in Yanam regions located both in urban and rural areas. Thirty learners were enrolled in each centre in the age group of 6—14. After attaining of total literacy the Non-formal Education Centres have again been operationalised this year for which a sum of Rs. 25,000 has been provided by our Government for the purchase of learning materials for 1,000 learners to

be taught by Arivoli Volunteers as part of the Post-literacy Campaign. For the year 1994-95, a sum of Rs. 75,000 has been proposed, in order to cover 3,000 learners through Arivoli Volunteers. After completion of the Post-literacy Scheme under 'Arivoli', a thrust will be given during the year 1994-95 on the Non-formal Education Scheme. Necessary proposal will be sent to Government of India seeking funds for the same scheme in this year itself.

10. In the sphere of text-book revision, this Union Territory follows the pattern of three adjacent States-Tamilnadu (for Pondicherry and Karaikal), Kerala (for Mahe) and Andhra Pradesh (for Yanam). These States prepare the text-books in their own languages and this Union Territory adopts these text-books for the respective regions. Hence, whatever revision and recommendations are suggested by these States become applicable to this Union Territory. We are planning to have our own School Education Board for Pondicherry and Karaikal regions. After this Board is established, we would be able to prepare text-books with greater flexibility to suit our own as well as national objectives.

11. There is no Legislative Council in the Union Territory of Pondicherry and hence the question of teachers' representation in the Legislative Council does not arise.

12. In the sphere of technical education, there has been a phenomenal growth and significant expansion based on the various recommendations of All India Council for technical education by the implementation of the centrally sponsored schemes. Under the centrally sponsored schemes, Vocational education and Craftsmanship training courses as well as Computer education, Management programmes, implementation of Community polytechnic are the different spheres of activities undertaken by this Administration. There are three Industrial Training Institutes and three Polytechnics run by this Administration at present catering to the needs of manpower building in this Union Territory. A full-fledged degree and post-graduate institution called "Pondicherry Engineering College" is providing higher education in this area.

13. Vocational Education is another thrust area and this stream has been introduced at +2 level in the year 1978-79 in this Union Territory. Out of 31 Higher Secondary Schools in Pondicherry, Karaikal and Mahe regions, 19 Higher Secondary Schools are offering 45 vocational courses of which 30 courses are under the State schemes and 15 courses are under the centrally sponsored scheme. The major areas of vocational courses are under the disciplines of Agriculture, Commerce and Business, Engineering Technology, Dress Designing and Making, Electric Domestic Appliances, Printing Technology, Office Secretaryship, Building Maintenance and Computer Education. The percentage of vocational stream students is 18.5 in this Union Territory which is higher than the present national level norm of minimum 10% enrolment in the vocational stream.

14. In the area of Decentralised Management of Education involving Panchayati Raj Institutions, the Government has carefully considered the different issues and the present status of local bodies in taking over education. The status of Panchayati Raj Institutions in this Union Territory is maintained as Municipalities (Urban) and Commune Panchayats (Rural). For these Panchayati Raj Institutions, elections have not been conducted since 1968. Besides, these Municipalities and Commune Panchayats have their own immediate tasks of providing other basic amenities like drinking water, road maintenance, ensuring public health, etc., the task of involving them in education may result in resource constraints for these local bodies. Therefore, the present status-quo in the management of education vested with Education Department may have to be maintained in this Union Territory.

15. We fully support the recommendation made in the Yashpal Committee Report. We have already informally advised our schools both Government and Private to reduce the practice of giving home-work to children, and allow them learning from the surroundings.

16. In the sphere of Teacher Education and development of competence in teachers, this Union Territory has instituted a separate State Training Centre imparting inservice training to all categories of teachers by organising short-term theme specific courses and 21-day Comprehensive Training Programme based on the guidelines of Government of India for improving the professional equipment of teachers. The District Resource Centre for Science is also functioning to strengthen In-service Teacher Education Programme in the area of Science and Mathematics.

17. In the area of Sports and Physical Education a State Sport Council has been constituted to monitor all the programmes. A special project of Indira Gandhi Sports Complex is also being developed with well furnished playgrounds, coaching centres with required staff for different sports and games. The talented youths in sports and games have been identified and the facility of scholarships also provided.

18. Another prime concern of this Territory is to tap the talents of youths in involving them in National Service Scheme (NSS), National Cadet Corps (NCC)

and Scouts and Guides. The community extension programmes organised under these areas in this Union Territory provides a vital linkage of involving the community in the development of education.

20. Above all these measures, this Union Territory is concerned with the improvement of quality of education at all levels by the optimum utilisation of available resources and trying out all innovations. It is noteworthy to mention there that the efforts taken so far in the realisation of minimum levels of learning in primary schools ensuring the accountability of teachers. The implementation of Population Education Scheme and Environment Orientation to School Education in this Union Territory also gives impetus in the improvement of quality of education. The Audio-visual Education Units in the Department of Education carrying forward the messages to the classrooms is also another favourable situation in this regard.

21. This Union Territory ensures the welfare of teachers by implementing the scheme of National Foundation for Teachers' Welfare thereby facilitating maximum participation of teachers in the development of education.

22. Before I conclude, I heartily thank Hon'ble Union Minister for Human Resources Development and the learned Members of CABE for building a favourable climate for the development of education.

SPEECH OF PROF. K. PONNUSAMY MINISTER FOR EDUCATION, TAMILNADU

May, I, at the outset convey to all the Members of Central Advisory Board of Education the greetings and best wishes of the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Puratchithalaivi Dr. (Selvi) J. Jayalalitha who has expressed her fond hope that the outcome of the deliberations of this meeting will further and strengthen the education system in our country. Under the dynamic and able leadership of our Chief Minister, Tamil Nadu has launched several programmes to make education socially useful and relevant for our youth. A number of schemes have been taken up to cater to the needs of socially and economically weaker sections of the Community from the pre school level to higher education. This shows our firm and total commitment to development of education as an instrument of social and economic progress.

Early Childhood Education and Care

Tamil Nadu has been a pioneer in caring for the child. It was the first state to implement a well funded and efficiently managed Nutrition—Meal Programme for children from age group three to fifteen. This programme is now extended to take care of the educational development of the child. All noon-meal workers are being given short term training in Pre-School Education and every noon-meal centre will also be a centre for learning. This is in addition to the Balwadis and Anganwadis. All these centres have also been integrated with the health care programme of the State.

2. *Elementary Education*

Tamil Nadu has achieved 100% enrolment at the Primary level but the problem of retaining the children in the system has been a disturbing factor. Our Government took several incentive schemes.

1. Nutritious Meal Scheme.
2. Free Uniform for pupils of I to VIII Std.
3. Free Text books.
4. Free Chappals.
5. Free Bus Passes.
6. Free supply of slates.

These measures have helped to bring down the drop out rate from 54.9% to 19.3% at the Primary School level. To enrol and retain girls, the Tamil Nadu Government has taken a positive decision to appoint only Women teachers exclusively in primary schools up to Class V. Yet another step in this regard is the establishment of Mother Teacher Councils in all Schools to support the School system and enhance its function. It is the desire of the Tamil Nadu Government that all habitations with a population of 500 and above do have schools of their own and that all the existing 459 single Teacher Schools are converted into two teacher schools. The Operation Black Board Scheme has been fully implemented. The Government of Tamil Nadu has also drawn up a scheme for assistance from World Bank/UNICEF to strengthen Primary Education quantitatively/qualitatively. The Directorate of Teacher Education, Research and Training has proposed to embark on a massive programme of training of Primary School Teachers in Minimum Levels of Learning, and I request the Government of India to extend its financial and training support to implement the programme successfully.

3. *Non Formal Education/Adult Education*

Literacy Mission Authorities have been constituted at the State and District Levels. By 1993-94 all the districts will come under total literacy campaign. The State Resource Centre has produced learning materials and the Tamil Nadu Text Book Corporation has taken the responsibility of Printing them. Jana Shikshan Nilayam centres have been started as part of Post literacy campaign. It is the object of the State Government to bring all children under age 14 years under the Formal or Non-formal system so that the State will be able to implement the "Education for All" programme. I request the Government of India to come out with a larger financial outlay for the literacy programmes so as to achieve total literacy and retain and enhance the literacy level of the neo-literates.

4. *Secondary Education*

With regard to secondary Education, the Policy of Government of Tamil Nadu has been to consolidate and strengthen the system. The Government is very much concerned with the qualitative improvement of eduction in general and Secondary education in particular. While declaring 1993-94 as the "Year of no Failure", the Government have evolved an academic calendar for all the Schools in the state, to ensure that the curriculum is completely dealt with and that every student passing through the system achieves the

required in all subjects. Accountability of teachers has also been ensured through prescription of Job-Chart and monitoring at different levels. Special attention is being given to spoken English. Every working day is an instructional day and the Parent Teacher Associations Mother Teacher Councils have been given responsibility of providing substitute teachers whenever any teacher is on leave. Yet another scheme to augment funds for the school is to enrol parents and public as patrons of individual schools. The amount collected from such patrons is kept in fixed deposits and the income therefrom utilized to pay some honorarium to substitute teachers. Another income generating venture "Environmental Improvement Programme" is the planting of hybrid variety of tamarind trees in the school campus. The income from such trees would be utilised to meet the recurring expenses of the school. The School Improvement Conference Programme has been revived to make the Community provide the infrastructural facilities of the schools. By these and other measures, the Government of Tamil Nadu has planned to associate the local community activity with the functioning of the school system.

5. *Special Programme for the Talented*

Since the Government of India has withdrawn the Rural Talented Children Assistance programme, the State has evolved its own programme to identify and assist talented children in rural areas. A Talent Search Examination is conducted for this purpose.

Since the representations of the Government of Tamil Nadu to the Government of India to modify the Navodaya Vidyalaya Scheme to suit the special needs of Tamil Nadu have not met with positive response, the Government of Tamil Nadu has proposed to start Schools of Excellence on their own in all districts to cater to the needs of the talented poor children in rural areas. One such school has already been established in Burgur at Dharmapuri District.

At this juncture, I would like to reiterate the suggestions given by our Government and request that they may be accepted. I must also point out that the altered programme will be eminently fitted to cater to the needs in a multilingual federal set up such as ours.

6. *Open School*

In addition to the programmes under the non-formal system of education, the Government of Tamil Nadu has founded the Open school, so as to benefit the school drop-outs who learn for higher education. It is our intention to associate the State Open School with the National Open School.

7. *Yashpal Committee Report*

Many of the Observations of the Yashpal Committee on the load of the School bag are not fruit manifest in the S.S.L.C. System in Tamil Nadu. The textbooks are prepared carefully and the number of note books to be used by children have also been restricted. The Teacher—pupil ratio cannot be reduced from the present level due to lack of resources. But efforts will be taken in this regard as and when funds become available. Through a system of supervised study and group work in the school the torture of home work has been reduced to a considerable extent.

8. *Womens' Education*

Tamil Nadu has got the unique privilege of having two universities for women viz. Mother Teresa Women's University and Sri Avinashilingam Institute of Advanced study in Home Science (Deemed University). These Universities not only provide formal education for women but undertake special studies relating to women. It is the objective of Government of Tamil Nadu to ensure that all Girls are enrolled and retained in the Primary School and for the purpose special incentive schemes are in vogue.

9. *Vocational Education*

Tamil Nadu has implemented in full faith the programme of Vocationalisation of Higher Secondary Education as early as 1978. Since a decade and half has gone by, the Government has constituted a High Power Committee to suggest measures for making the programme much more effective I request that Central assistance to vocational education should be extended to all the schools and all the Courses in Tamil Nadu without restriction of numbers. Assistance for training of vocational teachers and preparation of instructional materials should also be liberally forth-coming from the Union Government.

10. *Teacher Education*

The Teacher input is the most vital element in providing quality education for all. In addition to revamping the pre-service education for teachers, a massive inservice programme is necessary. Preparation of the District Primary Education programme and also Gender studies have been taken up in earnest. Programmes for updating the knowledge of teachers in content/methodology and evaluation theme including Minimum Levels of Learning have been drawn up. I call upon Union Education Ministry to provide the necessary financial support to the DIETS and IASE to discharge their avowed objectives.

11. *Higher Education*

The Government of Tamil Nadu is in total agreement with the recommendations of the NPERC on Higher Education and has already initiated action on some of them. Out of the 102 autonomous colleges in the country, 43 are in Tamil Nadu. We were the first among the Southern States to implement UGC Scales of Pay with retrospective effect from 1-1-1986.

To ensure proper planning and co-ordination of the development of higher education. A State Council of Higher Education has been established. One of the first tasks of our State Council for Higher Education would be to take up examination reforms and to relieve the Universities of holding under-graduate examinations. We would like to implement all the recommendations of the National Policy on Education relating to higher education which are relevant to our requirements.

12. *Sports and Physical Education*

Sports and Physical education may be made a compulsory subject in all schools and colleges. It may also be introduced as a compulsory recreation in all factories and industries, so as to inculcate sports and health consciousness among the masses.

Just as there is a syllabus in any course of study there should be syllabus for sports and physical education. An uniform syllabus for both physical education and sports may be drawn and followed in all the schools and colleges, so that standard in sports performance can be evaluated. Minimum infrastructure facilities may be provided in all the schools and colleges.

The Tamil Nadu Government has set up A Sports Authority of Tamil Nadu to coordinate various activities of sports and physical education and develop play fields in the State Capital for conducting Sports and Games at the National and International Standards. Construction of a Stadium for conducting matches of International Standard at a cost of Rs. 40 crores is a crowning achievement to be mentioned here.

13. *Technical Education*

The Tamil Nadu Government with a view to prohibit the Collection of Capitation Fee for admitting students in Educational Institutions have enacted an Act called, "The Tamil Nadu Educational Institutions (Prohibition of Collection of Capitation Fee) Act, 1992". As per this Act collection of capitation fee has been banned in the State. In fact, this has been challenged in the Highest court of the land wherein the judgement have since been delivered, upholding the decision of the State Government in fixation of fee for admission to Professional Colleges. In view of this almost all the Self-financing Colleges in the State were willing to begin admissions. Already 3000 students have been selected for admission for the free seat category seats in Self-financing Colleges and the rest will be admitted within this month on the basis of Merit. Like Anna University an another Technological University will be set up for which a committee has been constituted to workout the modalities involved therein. The State Government is firmly of the view that Technical Education is one of the most significant components of the Human Resources Development Spectrum, with great potential for adding values to products and services and for contributing the national economy and improving quality of life of the people. Threfore this Government is committed to bring excellence in this field.

14. *Conclusion*

These are some of the thoughts of the Government of Tamil Nadu which I would like this august body to consider and take appropriate decisions. I would like to conclude by assuring that the Government of Taml Nadu, under the distinguished leadership of our Chief Minister, will leave no stone unturned to provide good education to all.

Speech of Shri S. S. Chakraborty, Minister-in-charge, Higher Education, Shri Achintya Ray, Minister-in-charge, Primary & Secondary Education, Smt. Anju Kar, Minister of State-in-charge, Mass Education Extension, Department, Shri Anisur Rahaman, MOS, Primary, Secondary & Madrasah Education, Shri Tapan Roy, MOS, Library Services and Shri B. G. Choudhury, MOS, Technical Education and Training.

At the very out set let us express our gratitude to the Chairman for convening the 49th meeting of the Central Advisory Board of Education. The meeting is important in view of the present time when education faces new challenges.

We would like to place our views seriatim as per agenda paper as follows:

(i) Review of Implementation of NPE and POA.

The Government of West Bengal intends to mention once again the ruling of the Higher Judiciary of the country, the Supreme Court of India on February 4, 1993. The Division Bench ruled that right to education be similar to the fundamental right : the right to life. They wanted that elementary education be a part of Article 21 instead of Article 40. This may please be included in NPE and POA.

(ii) Review of the State Programme of Action

The State Government had set up an Education Commission under the Chairmanship of Dr. Asok Mitra. Report of the Commission has also been published. It has one hundred and eighteen recommendations. The State Government is currently considering the recommendations taking into account the Central POA in the State level. Two Sub-committees will be set up. We will soon send our programmes to the HRD Department, Government of India.

Regarding Vocational Education in this State it did not gain momentum mainly due to the fact that DGE & T, Ministry of Labour, Government of India did not agree to the equivalency of 10+2 Vocational Courses with that of ITI.

Regarding the "Apprenticeship Training", under the present Apprenticeship Act, only a few trades on Vocational Courses have been covered. It is recommended that all the passed out students of the 10+2 Vocational Course students should be trained under the Apprenticeship Scheme.

Regarding vertical mobility of the 10+2 vocational passed-out students, though it was shown as a terminal one in the NPE, 1986, in our State 20 seats were earmarked at the diploma level in engineering for them in the Technical Stream.

We have no information about the placement of the passed out students of 10+2 Vocational Courses all over the country either Centralwise in general or Statewise in particular. Before taking any action, it is desirable that manpower requirements in the organised sector, unorganised sector, service sector and rural sector, etc. are to be ascertained. However, the quality of the present 10+2 Vocational Stream should also be ascertained in terms of technical education imparted and the skill generated and also in terms of employment or self-employment. After ascertaining all those informations, it will be better for re-planning of the 10+2 Vocational Stream.

Amongst the total population, the maximum is school drop-outs and neo-literates. Unfortunately, non-consideration has yet been given to generate skill manpower amongst them. In fact, unskilled population of this category are liability to the nation. Technical skill development programme for the out-of-school youth and neo-literates should be given the top-priority. The proposed Pre-vocational Courses for the students of IX and X should be re-considered and be made available for the drop-out of Class VIII and below. Further the decision of the Government of India to introduce Pre-vocational Courses in the existing Higher Secondary School should be considered taking into account the fact that the Pre-vocational Courses be amended prior to this and different realistic and gainful Vocational Streams should also be allowed to be imparted, particularly in those institution swhere Vocational Streams are not in operation at present.

Regarding Mass Education the West Bengal Government is going ahead with the work of spreading of literacy amongst the illiterate masses at a rapid pace by adopting the Total Literacy Compaign approach since 1990. Till September, 1993 44.30 lakhs of persons in the age-group of 9 to 50 years have been made literate. As a result the overall literacy percentage in our State has gone up to approximately 65.54% in September, 1993 from 57.72% in 1991. The State Government has already drawn up its perspective plan for achieving. Total literacy by the 8th Plan Period provided usual share of Central grants is assured.

The State Government has already prepared a strategy for Post-literacy and Continuing Education Programme. Two separate systems of Post-literacy and Continuing Education have been envisaged for the age-groups of 9 to 14 and 15 and above. We also strongly feel that the adult neo literates must be given some sort of Vocational training at the Post-literacy stage to enable them to take part in developmental activities. Training of women in Vocational Trades would enable them to become self-reliant. The idea of Vocational Education at the Post-literacy stage has to be given a concrete shape.

The State Government is now seriously considering to implement the Project Approach of Non-formal Education under overall guidance, supervision and control of the newly elected Panchayat Samities at Block level by paying remuneration to the instructors. We have not yet received a copy of the revised scheme of Non-formal Education which is reportedly sent to the State Government. As such, we are not in a position to give our views on the revised scheme of NFE with component of cash incentives to the instructors. The State Government would, however, surely consider the proposals under the revised scheme on NFE with suitable modifications on getting it.

(iii) Report of CABE Committee on the Report of the Gnanam Committee

There is no quarrel with the view that Universities should be centres of excellence, that students, teachers and other sections of the society should be involved and that Universities and their respective departments should have autonomy. But this view runs counter to the recommendations of the Gnanam Committee that elections to various University Bodies should be kept at a bare minimum and the selection principle should be nomination. The recommendation debarring elected representative from holding any office of the University system may not be disputed but to debar teaching and non-teaching staff from contesting elections would deprive our political system of the services of some of the brightest people of the country. The nomination of student representatives of the Senate on the basis of academic excellence does not guarantee meaningful student participation in the affair of the University for which a necessary precondition is a lively interest in different areas of University administration.

Proposals for decentarlisation are welcome but setting up autonomous institues or regional centres would involve substantial costs which Universities or State Governments are unable to bear at present. If Universities and Colleges are to be self-financing they would have to adopt a fee-structure which would exclude students belonging to weaker sections from the ambit of University education. Participation of Non-governmental agencies or business houses without any concessions to them in matter of admission or administration does not seem to be realizeable in the present context. Nevertheless a realistic fee structure should be evolved through consensus after thorough discussion by all sections of the society.

Gnanam Committee as well as the CABE Committee share the enthusiasm of NPE in respect of autonomus colleges. Autonomus colleges are mooted as centres of excellence which could design their own courses, hold examinations and publish results on their own. The idea was to provide for quality education to students of autonomus colleges as these colleges have better faculty and infrastructural facilities. Unfortunately our experience with a large number of autonomus colleges is different. A large number of autonomus colleges have been set up in the last few years which have no claim distinction. The sole motive of establishment of these colleges was to obtain more from the U.G.C. and other Central agencies. The Education Commission of West Bengal (1992) has suggested the concept of a cluster of colleges for the purpose of promoting cooperation and interaction among colleges in a particular region. Judged by their past performance one or two colleges in each cluster may be treated as lead colleges which should serve as a model for other colleges. This might help improve the general standards of collegiale education.

Both th Gnanam Committee and the CABE Committee have advocated creation of a large number of Committees Councils to deal with different aspects of higher education. Some of the Committee, already exist in many Universities, who run these Committees for career guidance as well as placement assistance. But formation of too many Committees would increase paper work and bureaucratization of academic administration. Setting up a tribunal does not guarantee improved environment nor do such tribunals ensure promotion of work culture. Responsible trade union behaviour and an appropriate code of ethics involved by students, teachers and employees would go a long way in maintaining a proper academic atmosphere in our Universities. Further functioning of too many Committees involving a large number of teachers and students would affect the academic activities of a University. We are of the opinion that most problems which arise should be solved at the departmental level through mutual discussion across the table with minimum paper work.

The recommendation limiting the tenure of a college Principal to a period of five years is not realistic because five years is too short a time for a person to grow an attachment to an institution and still less to be associated with any perspective planning of the institution. The tenure of the Head of a University Department should likewise extend beyond one term if the Department has to pass through a process of development during the said period.

Flexibility and uniqueness should be the guiding principles for decentralisation and strengthening of a University administration. A University, during the long years of its existence, develops its own characteristics and character. Any scheme of reform must conform with the ethose of a University.

(iv) **Report of the CABE Committee on Teachers' Representation in Legislative Councils**

The Government of West Bengal had abolished the Legislative Council in the Sixties. We opine that same decision be followed in other State. This Council has little importance in a poor country like India whose fund for elementary education is still inadequate.

(v) **Report of the CABE Committee on Decentralised Management of Education**

We fully agree to the policy of Decentralised Management of Education. Further, we are in common agreement with the Seventythird and Seventyfourth Amendments and the listed schedules of the Constitution of India.

In fact, we have a three-tier Panchayat Body at the District, Block and Village levels. The Left Front Government conducted the Fourth time Panchayat Election in May last with specific features of reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and for the women in each tier. Ten number of Standing Committees are introduced by legislation to each Zilla Parishad and each Panchayat Samity. A good number of women, Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are elected as heads of these Bodies. Planning is formulated from the Panchayat Samity level and almost fifty percent of Plan Budget is spent through these Decentralised Bodies. Each Zilla Parishad and each Panchayat Samity has a Sthayee Samiti (i.e. Standing Committee) on Education and Culture.

We have gone through the recommendations in Chapter IV of the document : CABE Committee on Decentralised Management of Education. Regarding Para 4.5 and the projection in pages 16 to 19 of the report we have and alternative view. Without land reform, functioning of the Panchayati Raj Bodies will be controlled by the local vested interest. People's Participation and the money for development will be of no use. As former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi once observed that only fifteen paise is saturated the lower level out of a rupee.

On the other hand, there are statutorily constituted Educational Bodies in West Bengal, such as, District Primary Education Council, State Primary Board, Secondary Education Board, Higher Secondary Education Council, etc. The Managements of these Bodies are taken up by democratically elected persons. These Bodies work in co-operation with Panchayat Bodies down to the lowest level.

At present, orientation course is going on for newly elected Panchayat heads where educational principles and projects are also included for training. Similarly with the help of the UNICEF a State-wide intensive campaign for enrolment, retention, evaluation and development of elementary education is in progress with the co-operation of Panchayat Bodies.

We are reviewing further how Panchayat be linked with literacy and formal education in the light of the 73rd 74th Amendment of the Constitution. At this stage Village Education Committees may be set up for supervising and monitoring purposes. In the district named by Bardhaman such type of Committee is in vogue on an experimental basis. Recruitment, transfer and discipline may vest with the Statutory Educational Bodies.

Regarding Paras 4.61 and 4.62 at page 29 of the said document it will make the thing unhappy to many of us. To quote, "the transfer of management of education to Panchayati Raj Bodies without providing adequate resources to them will be a harmful step". is a right recommendation. Can we politely ask—what financial role the Central Government will play in this regard ? Since the Kothari Commission days it is not clearly answered by the Central authority.

(vi) **Report of Yashpal Committee on load of School Bag.**

Our views are as follows :

Firstly, the Committee has rightly underlined the need to increase teachers' participation in curriculum development.

Secondly, it was felt that appropriate regulatory mechanism should be urgently set up in the country to ensure that learning at pre-school stage is by play-way method and formal teaching of subjects should be scrupulously prevented. Recognition and affiliation

for both Private and Government schools should be made very stringent so that the schools totally lacking facilities are not allowed to function.

Thirdly, there should be no formal teaching of subjects in the pre-school stage. There should be no homework and project-work at the primary stage (Class I-V). For different reasons it would not be proper for the schools to purchase the text books and the children should be allowed to keep the text books at thier homes.

Finally, it is an established principle of testing that assessment should test various kinds of abilities and not just of one kind. Apart from the shift to concept based questions, the School Boards should emphasise continuous and comprehensive evaluation that incorporates both scholastic and non-scholastic aspects of education, spread over the total span of instructional time.

(vii) **Report of the CABE Committee on Sports and Physical Education**

The report has not yet been received and we keep ourselves refrain from giving our views for the present. After receipt of the report we shall forward our opinion.

(viii) **Report of the CABE Committee on Distance Education**

We have not received the report as yet. We shall give our views when we receive it.

At the end we express our sincere thanks to everybody present for the help they extend to us for placing our views in the meeting.

SPEECH BY SRI ANIL SARKAR MINISTER FOR EDUCATION TRIPURA

Hon'ble Chairman and the respected members of the Central Advisory Board on Education

We have met here to-day to discuss the Programmes of Action to be chalked out for the future and also to review the progress made so far. The National Policy on Education was formulated some seven years back in 1986 and was adopted after nation-wide discussions and seminars in 1987. Six years have passed since then and some Navodaya Vidyalayas have been set up in the country and the Operation Black Board has also achieved some success. The literacy drive has also made some headway in some parts of the country. But the achievements fall far short of the goals set. The reason for this obviously is paucity of funds. But lack of sincerity in approach is also no less a cause of this. I call our sincerity into question because the budget we provide for all round progress in Education is too meagre to enable us to act effectively on our Programmes of Action. Had we been sincere in our approach and really committed to our cause, we would surely have made much more liberal budgetary provisions for this vital service sector. Well, this lack of sincerity in the efforts to educate all, without exception, is something we have inherited from our forefathers of the remotest past, perhaps from the day the class-ridden society came into existence.

Prometheus stole fire from heaven, the abode of the privileged, and he was punished brutally by Jupiter, the lord of the privileged. May not we say that the whole legend is symbolic? We know, fire gives light and light helps us to see, understand, know and acquire skills—a gift which, all through the ages, have been the special prerogative of the ruling class. If the Western world holds in its legends this picture of society as a system in which only the ruling class has the right to knowledge, our oriental society presents no better picture, since our Mahabharata also says that Eklabya had to lose his thumb for his isolence in trying to learn martial art through a process of, what we call to-day, "Distance Education". A poor, non-Aryan as he was, he had no right to be educated in an Ashram of which only the Pandavas and the Kauravas were the legitimate students. He learned by watching from a distance and that too was considered a serious offence. The picture, to-day, has changed only to the extent that no one is debarred from learning. But the point is whether we have really helped all to learn or we have simply held our promises which cannot be translated into action, if adequate funds are not provided for them. Universalisation of elementary education is our first goal, the top priority, we glibly say, but do we realise that with the meagre budget provision made for the entire field of education, imparting elementary education to the teeming millions, nay billions, of our illeterate masses is hardly possible? Even if the entire budget provision for education is directed towards only universalisation of elementary education, I do not think, the thrust area will be really covered. Hence what we need today is to make a liberal budget provision for the purpose. Education, if it is really to be expanded, developed and consolidated, required atleast 10% of the annual budget provision of the country for achieving its targets.

However, I stand here not only to offer criticism and self-criticism but also to give an account of whatever little has been possible for us in our State to make the National Policy on Education a success.

In Tripura the primary objective of education has been to remove imbalance and to equalise the educational opportunities to all sections of the Society. The literacy rate in the State, as per census report of 1991, is 60.44%. The percentage of literacy among the SC, ST and Women is 56.06, 40.37 and 50.01 respectively. Keeping in view that certain sections of the society are educationally at a disadvantageous position, efforts have been made by formulating incentive schemes to encourage them to seek education. This direction will continue with greater momentum and force in years to come. It is also seen that there is rural-urban disparities. Efforts have been made to ensure that rural areas are given wider and better coverage by setting up schools, upgrading and equipping them well. The problems of the linguistic and religious minorities are also attended to by ensuring teaching in mother tongue at the primary level and by providing necessary financial assistance.

2. The State Government has always kept the policy of universalisation of elementary education as the central theme of education policy. The State has oriented itself for ensuring 100% enrolment,

retention and achievement. To achieve this goal of universalisation of elementary education, necessary incentive programmes have been formulated and at the same time cooperation and the assistance of the local community are also sought. When the Total Literacy Campaign will be launched, enrolment of eligible children in the schools will form its integral part.

3. De-centralisation of educational management is one of the crucial areas which will receive full attention of the Government. In fact, the recent amendment to the Constitution has entrusted greater responsibility for ensuring the involvement of the people in the management of the schools for its greater efficiency. The State Government has already constituted Block Level Educational Advisory Committees. Constitution of Villages Education Committees in the respective Panchayat is under consideration.

4. The State Government subscribes to the findings of the Yashpal Committee report that the learning should be without burden. The curriculum and the teaching should be designed in such a manner that the students are not burdened with the burden of non-comprehension. It needs no mention that non-comprehension approach to the education will make the student more crammer without bringing growth of their mind.

5. The decentralisation of framing curriculum and writing of text books is a welcome step. The text books design should not only give facts and figures but should contain values which should be integrating and secularist in nature. This becomes all the more relevant in today's conditions when divisive forces at different levels have started surfacing, and thus, endangering the national unity.

6. In the State 2 Navodaya Vidyalayas have already been set up and they are functioning. The State Government has also identified the land and communicated to the Vidyalayas. At present they are functioning in the temporary structures. It is requested that pucca constructions be started immediately. For North Tripura District, land has also been identified. As in case of other Districts, Navodaya Vidyalaya may kindly consider whether the classes could be started in the district also.

7. The report of the Committee on "Alternate Models of Management" under the chairmanship of Prof. A. Gnanam as reviewed by the Soneri Committee as per decision of the Central Advisory Board on Education in its 46th meeting has been taken note of. Government is also of the opinion that the academic administration of the Universities is very different from that in vogue in the Governmental system and it should be based on participation, decentralisation, autonomy and accountability. University autonomy should be considered an essential pre-requisite for academic excellence and development. But the University should have accountability in financial matters. It is to be pointed out that election to various University Bodies should be done in a democratic way and necessary number of nomination may be authorised.

8. In Tripura, there is one University. Because of the financial constraints the State is unable to provide minimum level of infrastructural facilities to attract students to pursue higher education. The State Government requests to convert this University into Central University or give special grant so that minimum level facilities are created.

9. The State Government has already constituted 7 Task Force to prepare State Plan of Action which would be ready by December, 1993.

10. At the end, I would like to thank Ministry of Human Resource Development for convening this meeting and giving me opportunity to present the viewpoint of the State. Tripura, like other States in the North-East, is geographically isolated, economically poor and educationally backward. It is hoped that Government of India would appreciate that the problems of the North-East are different in nature and thus have different perspective and need be approached with adequate financial and administrative support.

NIEPA DC

D09079

MGIPF—18 Deptt. of Edu./94—9-8-94—300.

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-9079
Date 11-04-96